राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 8] चतुर्थ विधान सभा के अष्टम सत्र का पांचवां दिवस [संख्या 5

शुक्रवार, दिनांक 15 मई, 1970

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, विद्युत, उद्योग, कृषि, सहकारिता, पशुपालन, खनिज, खादी ग्रामोद्योग विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री भैरोंसिंह !

माउन्ट आबू नगरपालिका क्षेत्र में कृषि भूमि का नामान्तरकरण

95. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल, जयपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) माउन्ट आबू के नगरपालिका क्षेत्र की सीमा से एक माइल के घेराव में अप्रेल, 1967 से लेकर अब तक कृषि भूमि के कितने कितने नामान्तरकरण हुए हैं? कृपया ऐसे नामान्तरकरण की तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करें जिसमें जिन जिन व्यक्तियों का नाम खारिज किया जाकर जिन जिन का नाम लिखा गया, उनके नाम-पते मय पूर्ण विवरण, तारीख नामान्तरकरण, भूमि का क्षेत्रफल आदि का उल्लेख करें।

(2) नामान्तरकरण की इस कार्यवाही में भूमि के क्रय-विक्रय के कारण किन किन का नामान्तरकरण हुआ है? कृपया इसकी तालिका में भूमि का मूल्य बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ विक्रेताओं को भूमि का विक्रय करने का अधिकार नहीं था ? यदि हां, तो किन किन को और क्यों ?

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री भैरोंसिह : इसमें कौनसी आपत्ति आ रही थी, तहसील से लिस्ट मंगानी थी।

श्री गंगाराम चौधरी : इसमें डिटेल भी मांगी गई हैं।

श्री भैरोंसिह : कोई नहीं मांगी गई है।

एक मील की परिधि में चार गांव पड़ते हैं, 67 के बाद की म्यूटेशन की

Page No 2

(श्री भैरोंसिंह)
संख्या दो चार होगी। मोटे रूप से दो मन्त्रियों के नाम से हुआ है। उनके नामों को छिपाने के लिये ही आप यह जानकारी नहीं दे रहे हों तो यह अलग बात है।

श्री गंगाराम चौधरी : जो सूचना होगी दी जावेगी।

श्री अध्यक्ष : दो के नाम तक ही सीमित कर दीजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : मेरे पास इस वक्त सूचना नहीं है।

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): आज कल माननीय सदस्य बहुत लम्बे सवाल पूछते हैं तो इसमें समय लगता ही है।

श्री भैरोंसिंह : कम से कम आपको तो जानकारी हो जावे कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं किस प्रकार से जमीनें ली हैं, इसलिये मैंने पूछा है।

श्री रामकिशोर व्यास : हमें इसमें एतराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आप बता दें नगर-पालिका के एक मील के क्षेत्र में कितने म्यूटेशन हुए हैं? मेरे ख्याल से कुल सात होंगे और इसकी लिस्ट हर पटवारी के पास तैयार होती है। इतनी सी जानकारी आप आसानी से दे सकते थे।

श्री रामकिशोर व्यास : 67 से अब तक कितने म्यूटेशन हुए है कितने दर्ज हैं, बहुत सी बातें हैं।

श्री भैरोंसिंह : वह तो एक में ही हो जाता। मैं लिस्ट सुनाता हूं। सिरोही डिस्ट्रिक्ट से आपके पास यह लिस्ट आई है और उसमें पहला नाम है इन्द्रलाल गौरी लाल माथुर का जिसके नाम हुआ है। आपके पास लिस्ट आई है। आप कहते हैं नहीं आई। मैं कहता हूं आई है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : इनको आपसे पहले कैसे मालूम हो जाता है?

श्री भैरोंसिंह : आप बताइये उस सूची में पहला नाम यह है या नहीं? दूसरा प्रमोदकुमार पुत्र मथुरादास माथुर लिखा हुआ है कि नहीं?

मथुरादासजी को छिपाने के लिये आप लिस्ट बताना नहीं चाहते। इसलिये निवेदन करता हूं और यह भी कहता हूं कि जिस लैण्ड का म्यूटेशन हुआ है वह गवर्नमेंट लैण्ड है। इसका म्यूटेशन हो नहीं सकता था। इसका सरकार ने कम्पेन्सेशन दिया था। जिस क्षेत्र को डवलपमेन्ट के पर्पज के लिये एक्वायर किया था वह पशुओं की चराई के लिये दे रखा है। उस जमीन को उस आदमी से पर्चेज लिखाकर म्यूटेशन कराया गया है। उसकी कार्यवाही में आपत्ति है। उसको छिपाने के लिये जवाब नहीं दे रही है यह सरकार। बाकी कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न का निराकरण हो गया?

श्री भैरोंसिंह : ये हां या ना तो करें।

श्री रामकिशोर व्यास : सूचना मिलते ही जवाब भेज देंगे।

श्री भैरोंसिह : आप तो यह बता दीजिये कि इन दो आदमियों के नाम, जो लिस्ट सिरोही से आपके पास आई है, उसमें हैं या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न दो नामों तक ही सीमित किया जाकर पूछ लिया जाय।

श्री भैरोंसिह : सीमित तो इसलिये करता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि ये इन नामों को छिपाना चाहते हैं। नहीं तो एक ही पटवारी है एक ही पटवार सर्कल है। लिस्ट इनके पास आ गई है। कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं है जैसा ये बहाना बना रहे हैं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : आड़ा लकड़ा में भूमि दी गई है। वहां मकान बनाया जा रहा है। इसका स्पष्टीकरण आना चाहिये। पिछले सत्र से देखता आया हूं कि माननीय भैरोंसिह जी ने जितने प्रश्न पूछे हैं, हमारी राज्य सरकार एक का भी उत्तर नहीं देना चाह रही है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आर्डर।

श्री विजयसिंह : आप रिकार्ड से पता लगा सकते हैं इसका।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! प्रश्न-कर्त्ता स्वयं क्षमताशील हैं इस मामले में।

नेक्स्ट। श्री हरिवल्लभ शर्मा !

श्री विजयसिंह : इसका जवाब फिर कब मिलेगा ? इस सदन में दे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : दो नाम तक सीमित है।

श्री भैरोंसिह : दो तो मैंने बता दिये। नाम सभी हैं। सीरियल आर्डर में लोगों ने एप्लीकेशन दी हैं। पढ़ कर सुना दें ताकि पता लग जावे।

श्री अध्यक्ष : यह आपके पास जो लिस्ट है वही दे दीजियेगा न इनको।

श्री भैरोंसिह : उनके पास तो है साहब। कलेक्टर सिरोही से जवाब आ गया है। ये हाउस में बताना नहीं चाहते।

श्री रामकिशोर व्यास : दो नाम की बात है ?

श्री भैरोंसिह : इस लिस्ट में, जो आपके पास भी है, 18 नाम हैं कुल।

श्री अध्यक्ष : 18 नाम हैं कुल ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप इनकी लिस्ट टेबल पर रखवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : तब तक और हो जावेंगे।

श्री भैरोंसिह : आलरेडी लिस्ट इनके पास है, मैंने दो के नाम बताये हैं। राजस्व मन्त्री तलाश करेंगे इस लिस्ट को तो इसमें कुछ उप मंत्री भी छिपे मिलेंगे और कई मन्त्री छिपे हुए मिलेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप उनमें से ढूंढ़ लीजियेगा।

श्री भैरोंसिह : वे बैठे नहीं हैं, नहीं तो नाम ले लेता।

ग्राम बौंली एवं बरवाड़ा की हरिजन बस्तियों में रोशनी का प्रबन्ध

96. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बों में विद्युत लाइन डालते समय बौंली एवं बरवाड़ा (सवाई माधोपुर सब डिवीजन) में हरिजन बस्तियों में स्ट्रीट लाइन केवल इसलिये नहीं लगाई गई कि वहां कनेक्शन लेने की सम्भावनाएं नहीं थीं ?

(2) क्या राज्य सरकार की इन गरीब बस्तियों में भी स्ट्रीट लाइट लगाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो इन बस्तियों में स्ट्रीट लाइट कब तक डाल दी जावेगी ?

उप मन्त्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें उपलब्ध धनराशि को दृष्टि में रखते हुए उसी क्षेत्र में पहले डाली जाती हैं जहां उनका अधिकाधिक उपयोग हो सके और जहां उपभोक्ताओं की निकट भविष्य में सम्भावना न हो वहां नहीं डाली जाती हैं।

(2) जी हां, इन कस्बों की हरिजन बस्तियों में विद्युत लाइन डालने की कार्यवाही शीघ्र ही शुरू की जावेगी।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अगर कनेक्शन का यही आधार मान कर चलें तो बिजली लगने वाली नहीं है। पर यहां सिर्फ दो तीन लाइटों का मामला है, खम्भे पड़े हैं, दो तीन खम्भों की जरूरत है। इसके बावजूद भी नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष : क्या निराकरण हो सकता है ?

श्री खेतसिंह : सरपंच महोदय की रिपोर्ट पर सर्वे कराई गई थी। एस्टीमेट दिया गया। सरपंच ने कहा कि पंचायत के पास पैसा नहीं है। पर इस वर्ष मन्जूरी दे दी गई है। इस वर्ष में हरिजन बस्तियों का बिजलीकरण कर देंगे। छः हजार की मन्जूरी 31 मार्च को आई थी।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : वर्ष के तो 12 महीने होते हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : दिवाली से पहले पहले तो लगा देंगे ?

श्री खेतसिंह : आगामी दिवाली से पहले हो जावेगा।

नीम का थाना तहसील में आबादी विस्तार हेतु विचाराधीन प्रार्थना-पत्र

97. **श्री मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नीम का थाना तहसील में आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायतों के कितने प्रार्थना-पत्र कब से विचाराधीन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सम्बन्धित अधिकारियों ने इस विषय में ग्राम पंचायतों से पूर्ण असहयोग करके उन प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम गुहाला, जाटवास, रामपुरा, मीना की नांगल, जाट का नांगल, डाबला, न्योराना, हरजनपुरा, ग्रामों के प्रार्थना-पत्र सन् 1965 से विचाराधीन हैं ? एवं इन पर आज तक क्या कार्यवाही की गई है एवं क्या कार्यवाही

(श्री मोहनलाल मोदी)
होने वाली है और कब तक यह कार्यवाही पूर्ण होने की आशा है ?

(4) क्या सरकार इस विषय में कोई सरल नियम बनाने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक और इसकी क्या योजना है ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) छः ग्राम पंचायतों के प्रार्थना-पत्र 1966-67 से विचाराधीन हैं।

(2) यह सही नहीं है।

(3) ग्राम पंचायत श्यामपुरा, टटेरा, गुढ़ाला, विहार मगेगा एवं डोकण के प्रार्थना-पत्र आबादी विस्तार हेतु सन् 1966-67 से विचाराधीन हैं। क्योंकि इन पंचायतों ने नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये अब पुनः इन पंचायतों को प्रस्ताव प्रस्तुत करने को लिखा गया है। प्रस्ताव प्राप्त होते ही शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। ग्राम पंचायत जाटवास, राजपुरा, मीना की नांगल, डाबला, नोराना व हरजनपुरा से कोई प्रार्थना-पत्र अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(4) जी नहीं, नियम पहले से ही सरल हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, 1965 से पेंडिग हैं ये मामले। नियमानुसार प्रस्ताव पास करके लिखा है। पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। उप मन्त्री जी जवाब दे रहे हैं कि नियमानुसार प्रस्ताव नहीं भेजा गया। यह गलत सूचना है उनके पास।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, ग्राम पंचायत नियमानुसार अपना रिजोल्यूशन तहसीलदार के पास भेजती है और तहसीलदार अपना प्रपोजल एस. डी. ओ. को भेजता है और एस. डी. ओ. कन्वर्ट करता है। लेकिन तहसीलदार के पास नियमानुसार प्रस्ताव पंचायत समिति का नहीं था इसलिये उसके परिवर्तन में देरी हुई। नियमानुसार नहीं आया है।

श्री मोहनलाल मोदी : ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पास करके तहसील के पास भेजा है और तहसील में कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने कहा कि नियमानुसार नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : नियमानुसार है प्रस्ताव पास करके भेजा है। उप मन्त्रीजी कह रहे हैं कि प्रस्ताव पास करना पड़ता है, उन्होंने अपनी मीटिंग में प्रस्ताव पास करके तहसीलदार को लिखा है। आज यह पांच साल से मामला पेंडिग पड़ा हुआ है।

श्री गंगाराम चौधरी : पांच साल से पेंडिग नहीं है। 1967 में आया था प्रार्थना-पत्र लेकिन प्रस्ताव नहीं था। मेरी एस. डी. एम. से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि नियमानुसार प्रस्ताव आने पर एक माह के अन्दर अन्दर सारी कार्यवाही पूरी कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

श्री मोहनलाल मोदी : अगर नियमानुसार भेजा है तो क्या आप इसकी जांच करवाने को तैयार हैं ? आप जांच का आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष : देख लीजिये, नियमानुसार है या नहीं। फिर से देख लीजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : जी हां।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि पंचायतों द्वारा जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं उनको तहसीलदार दो-दो साल तक पड़ा रखता है ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग से नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

टौंक में चमड़े के कारखाने की स्थापना

98. **श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई)** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टौंक में चमड़े का कारखाना लगाने की सरकार ने घोषणा कब की और उसके लिये जमीन कहां देखी गई है ?

(2) क्या जमीन का सर्वे हो गया है तथा उसका नक्शा तथा एस्टीमेट बन गया है ? यदि हां, तो कितने क्षेत्रफल में कितनी लागत का कारखाना बनेगा ? एस्टीमेट व नक्शे की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) इस कारखाने को बनाने के लिये किस देश से मदद व मशीनों आदि के लिये इकरार हुआ है ?

(4) क्या यह सच है कि इस कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में बात करने के लिये राजस्थान के वित्त मन्त्री विदेशों में गये थे ? यदि हां, तो कब व कौन कौन से देशों में और सरकार का उस यात्रा पर कितना खर्चा हुआ था ? आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सच है कि अभी तक कारखाने का निर्माण कार्य शुरू नहीं नहीं हुआ है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब शुरू किया जावेगा और कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

(6) इस कारखाने में कितने माल का हर रोज उत्पादन होगा और कितने आदमी काम पर लगेंगे ?

उप मन्त्री, राजकीय उद्योग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (1) 1967 में घोषणा की। जमीन टौंक के पास महगांव में देखी गई है।

(2) जमीन का नक्शा बन चुका है। विदेशी सहयोगियों से अनुबन्ध होने पर फैक्ट्री के नक्शे प्राप्त होंगे तब एस्टीमेट इत्यादि बन सकेंगे।

(3) अभी कोई इकरार नहीं हुआ है। फ्रान्स की एक पार्टी से बात चल रही है। भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुबन्ध हो सकेगा।

(4) वित्त मन्त्री ने अपने यूगोस्लाविया के दौरे में इस विषय पर सम्बन्धित अधिकारियों से बातचीत की थी। सरकार का उस यात्रा पर कोई खर्चा नहीं पड़ा।

(5) जी हां। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने पर अथवा विदेशी मशीनरी सप्लायर्स से फाइनल एग्रीमेन्ट

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा। निर्माण कार्य शुरू होने से $1\frac{1}{2}$ वर्ष के अन्दर पूरे होने की संभावना है।

(6) करीब 2,500 भेड़ और बकरों की खालें प्रति दिन तैयार की जावेंगी और इसमें करीब 300 आदमी काम पर लगेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने फर्माया कि 1967 में घोषणा की गई थी। आपने यह भी कहा था कि जमीन एक्वायर कर ली है। आज फर्मा रहे हैं कि 1967 में घोषणा की थी, तो आज तीन साल हो गए इस निर्णय को लिये हुए कि एक टैनरी लगाई जावेगी, उसके बाद उस जमीन को एक्वायर कर लिया गया है फिर तीन साल में क्या किया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : 1967 में घोषणा की गई कि टैनरी लगाई जावेगी, उसके बाद जमीन एक्वायर की गई और उसके लिये कम्पेन्सेशन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, सरकार ने जमीन एक्वायर कर ली है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या आपकी घोषणा केवल घोषणा ही रहेगी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी नहीं, उसको कार्यान्वित किया जायेगा।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों से जमीन ली गई है उनको अभी तक कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष: एक्वीजिशन की कार्यवाही के अनुसार जिन काश्तकारों की भूमि एक्वायर की गई है, क्या उनको कम्पेन्सेशन दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अभी मुआवजा तय नहीं हुआ है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या यह सही है कि आपने आश्वासन दिया था कि दो लाख रुपये कम्पेन्सेशन के लिये जिलाधीश को दिये गये हैं ?

श्री हरिदेव जोशी : लैण्ड एक्वीजिशन के लिये एक इन्डिपेंडेन्ट मशीनरी है, जिले के अन्दर, उसने अब तक अपना अवार्ड नहीं दिया है और जब तक अवार्ड नहीं हो जाता तब तक पेमेंट नहीं हो सकता। हमने उनके डिस्पोजल पर यह रकम रख दी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवा महल, जयपुर) : क्या उस जमीन का कब्जा ले लिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न।

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी।

जयपुर नगर के बारह मील के क्षेत्र का सर्वे

99. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जयपुर नगर में 12 मील के क्षेत्र में सर्वे का कार्य चालू हो रहा है ?

Page No 8

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)
यदि हां, तो कब से और यह कार्य किस विभाग द्वारा कराया जा रहा है ?

(2) वर्तमान सर्वे कार्य में कौन सी सीटें काम में ली जा रही हैं और जो सीटें काम में ली जा रही हैं उनकी लम्बाई-चौड़ाई कितनी कितनी जरीब है ?

(3) क्या पुरानी सीटें गन्ट्री प्रणाली की हैं और वर्तमान सर्वे मीटर की प्रणाली के आधार पर हो रहा है ?

(4) क्या यह सच है कि पुरानी सीटों को आधार मान कर मीटर प्रणाली से सर्वे करने से मौके की स्थिति में भारी परिवर्तन आ रहा है ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां जयपुर नगर की 12 मील की परिधि में सर्वे कार्य चालू है। यह कार्य माह दिसम्बर, 1969 से भू-प्रबन्ध विभाग के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी, जयपुर द्वारा कराया जा रहा है।

(2) वर्तमान सर्वे कार्य में पी० 70 ए० मार्का की सर्वे ऑफ इण्डिया में मुद्रित सीटें काम में ली जा रही हैं। इन सीटों की लम्बाई 28 स्क्वायर तथा चौड़ाई 20 स्क्वायर है, प्रति स्क्वायर की लम्बाई-चौड़ाई 20 मीटर की जरीब के आधार पर 5-5 जरीब है।

(3) सीटें किसी विशेष प्रणाली की नहीं होती हैं यह एक प्रकार का ग्राफ पेपर है। इस समय इन सीटों पर 1 : 4000 के पैमाने पर 20 मीटर की जरीब से पैमाइश हो कर प्लाट हो रहा है।

(4) यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है। यदि पुरानी माप पर ही नई माप से सर्वे हो तो फर्क आता, अब वाल्यूम्स में 20 मीटर की जरीब के फासले परिवर्तन किये जा कर सीटों पर टावर्स के चांदे प्लाट कराये गये हैं। अतः मौके पर भारी परिवर्तन आने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सही है कि इन सीटों से काम करने में किसी भी प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है। मैंने निवेदन किया कि पैमाइश मैट्रिक प्रणाली से होती है और सीटें चाहे कैसी भी हों उस तरीके से पैमाइश करके नक्शा बन जाता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट पूछा है कि यह जो सर्वे हो रहा है उसकी कोई कार्य प्रणाली निर्धारित है या नहीं ? नियमों में और राज्य सरकार ने किस प्रणाली का उपयोग किया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में प्रणाली दी हुई है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहता हूं कि 12 मील के अन्दर जितने भी काश्तकार हैं, जिनकी भूमि की आप सर्वे करवा रहे हैं, उन सभी भूमियों के नक्शों में गलती हो रही है। अध्यक्ष महोदय, यह क्या स्थिति चल रही है कि जयपुर के.......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न यह है कि मन्त्री महोदय स्वयं नहीं बतलाते....

श्री अध्यक्ष : क्या आप स्वयं नहीं बतलाते ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कितनी प्रणाली हैं, यह मन्त्री महोदय बतला दें।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि सर्वे के अन्दर मैट्रिक प्रणाली पैमाइश में काम में ली जा रही है और पैमाइश होकर नक्शे बनाये जा रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सही है कि पुरानी प्रणाली मैट्रिक प्रणाली नहीं थी और आप नई प्रणाली से काम कर रहे हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): इसमें दिक्कत क्या है ? मैट्रिक प्रणाली में पैमाइश हो कर, किसी भी मेजरमेंट का इक्वीलेंट मेजरमेंट निकाला जा सकता है, इसमें फर्क क्या पड़ेगा ? मान लीजिये किसी के कब्जे में एक हजार गज जमीन है तो उसका इक्वीलेन्ट हेक्टर्स में हो जायेगा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह बात नहीं है, इन दोनों में फर्क पड़ जाता है। आप जो फील्ड बुक तैयार करवाते हैं मैट्रिक प्रणाली से, उसके आधार पर वास्तविक फील्ड कहीं दूर जाकर पड़ता है और एक काश्तकार की जमीन दूसरे काश्तकार के फील्ड बुक में दर्ज हो जाती है। इनका पूरा इक्वीलेन्ट नहीं मिलता और काश्तकार एतराज करते फिरते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : आप आठ आना कहें या 50 पैसे कहें, एक ही बात है। इसमें कोई फर्क नहीं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप देख लीजिये, एक आने के 6 पैसे होते हैं, लेकिन तीन आने में 19 पैसे हो जाते हैं, 18 नहीं। फर्क पड़ जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मैं कहता हूं कि तीन आने के 18 पैसे ही होते हैं फिर आप 19 क्यों लेते हो ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, नेक्स्ट।

बायतू और बालोतरा पंचायत समिति क्षेत्र में बीज वितरण

100. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी एवं जलवायु के उपयुक्त फसल मूंग, मोठ बाजरा, तिल और ग्वार के संकर बीज तैयार किये गये हैं ? जो कम समय और कम वर्षा में भी फसल दे सकें ?

(2) यदि हां, तो बायतू और बालोतरा समिति के क्षेत्र में गत तीन वर्षों से ऐसा कितना बीज वितरित किया गया ?

(3) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल मे ऐसे बीज तैयार करने सम्बन्धी क्या कदम उठाये जाने का कार्यक्रम है ?

(4) क्या इन फसलों के अतिरिक्त अन्य कृषि फसलें ऐसी ही जलवायु और भूमि पर अन्य देशों में उगाई जाती हैं ?

(5) इसी प्रकार क्या 10-20 वर्षों पूर्व प्रचलित मोटा अनाज-कूरी और चणा

(श्रीमती मदनकौर)
को पुनः प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन पर अनुसंधान किया जा रहा है अथवा किये जाने का कार्यक्रम है ?

उपमंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर पहले दिया जा चुका है।

प्रश्न संख्या 101

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट, श्री नथमल चौहला (अनुपस्थित। कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह शेखावत !

संस्था के हक में देनदारी का निर्णय

102. **श्री भैरोंसिंह :** (किशनपोल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंजीयक सहकारी समितियाँ, राजस्थान द्वारा स्किन डीलर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटीज लिमिटेड, जयपुर की शिकायत पर भेड़ व ऊन विभाग के तत्कालीन उप संचालक श्री एन. एल. नारायण पर इस संस्था के हक में 42,925 रुपये की देनदारी का निर्णय किया गया था ?

(2) यदि हां, तो संस्था की क्या शिकायत थी और उसमें अब तक किस किस स्तर पर क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मंत्री, सहकारिता (श्री रामदेव सिंह) : (1) जी हां।

(2) संस्था को जो शिकायत है वह परिशिष्ट (क) में अंकित है। संस्था से मध्यस्थ निर्णय हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर पंच फैसले की कार्यवाही की गई एवं पंच द्वारा दिनांक 14-6-58 को अपने फैसला देने पर संस्था ने पंच फैसले के विरुद्ध दिनांक 14 जुलाई, 1958 को रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को अपील प्रस्तुत की। रजिस्ट्रार ने दिनांक 13-1-63 को समिति के पक्ष में तथा डॉक्टर एन. एल. नारायण के विरुद्ध 42,925 रुपये, सात आने तीन पाई का फैसला दिया। रजिस्ट्रार के इस फैसले के विरुद्ध राजस्थान राजस्व मंडल में रिवीजन की दरख्वास्त पेश की गई थी जो वर्तमान में सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार के यहां विचाराधीन है। इस प्रकार का मामला सब-जुडिस है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार के पास कब से विचाराधीन है ?

श्री रामदेवसिंह : तारीख मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : महीना है कि नहीं ?

श्री रामदेवसिंह : महीना भी नहीं है।

भैरोंसिंह : साल ?

श्री रामदेवसिंह : मैंने कहा कि राजस्व मंडल से ट्रान्सफर हो कर सरकार के पास आया है।

श्री अध्यक्ष : ये तो पूछ रहे हैं कौन से वर्ष में गई ?

श्री भैरोंसिंह : वह भी याद नहीं है। आप मंत्री बने उसके बाद में हुई या पहले हुई ?

श्री रामदेवसिंह : बाद में आई है।

श्री भैरोंसिंह : इसलिये मैं कह रहा रहा हूं कि कई वर्षों से पेंडिंग है तो राज्य सरकार फैसला क्यों नहीं करती ?

श्री रामदेवसिंह : बहस हो चुकी है जल्दी फैसला हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : किसके सामने बहस हुई है ?

श्री रामदेवसिंह : मेरे सामने हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण।

ग्राम मोदूकाबास में सिवाय चक भूमि का आवंटन

105. **श्री दौलतराम सारण**(डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मोदूकाबास, तहसील आमेर में सिवाय चक भूमि खसरा नं० 5 का सन् 1958 में आवंटन किया गया था ? यदि हां, तो किन किन को कितना ?

(2) क्या यह सही है कि यह आवंटन राजस्थान कृषि भूमि आवंटन नियमों के अनुसार ही किया गया था ? यदि हां, तो क्या आवंटन के पूर्व की समस्त कार्यवाहियां नियमानुकूल पूरी की गई थीं ?

(3) क्या यह सही है कि अलॉटीज ने आवंटित भूमि पर नियमानुसार कभी काश्त नहीं की ?

(4) क्या यह सही है कि इस भूमि पर वैद्य भगवानसहाय का भी अवैध कब्जा था ? यदि हां, तो कितने रकबे पर कब से कब तक रहा ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां। सूची परिशिष्ट (क) में संलग्न है।

(2) मामला जिलाधीश के पास विचाराधीन है।

(3) मामला जिलाधीश के पास विचाराधीन है।

(4) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

श्री रामचन्द्र आर्य : यह विचाराधीन क्या बला है ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

कर्मचारियों को सिलेक्शन ग्रेड

103. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार के आदेश हैं कि दिनांक 1-9-61 से राज्य कर्मचारी के हर वर्ग में सिलेक्शन ग्रेड दिया जावे ? अगर हां, तो ऐसे आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आदेश की अनुपालना में कलेक्टर कार्यालय पाली में योग्य व्यक्तियों को सिलेक्शन ग्रेड दिया गया है ? यदि हां, तो किस किस को और किस किस तारीख से वर्गवार एवं नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे।

(श्री मूलचन्द डागा)

(3) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार की उपरोक्त आज्ञा की अनुपालना कलेक्टर, पाली में अभी तक नहीं हुई ? यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

(4) क्या अब भी योग्य व्यक्तियों को सिलेक्शन ग्रेड दिनांक 1-9-61 से देने का कलेक्टर पाली का इरादा है ? अगर हां, तो कब तक ?

उप मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां। आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) सिलेक्शन ग्रेड की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रचलित की जा चुकी है। जिलाधीश, पाली अब योग्य व्यक्तियों को सिलेक्शन ग्रेड स्वीकृत करेंगे।

(3) जिलाधीश, पाली राज्य सरकार के आदेश की अब पालना करेंगे। अतः किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

(4) जी हां। सिलेक्शन ग्रेड नियमानुसार शीघ्र ही कलेक्टर पाली द्वारा स्वीकृत की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : कितने साल पहले आपकी आज्ञा निकली ? कितने साल हो गए ? पालना अब तक क्यों नहीं हुई ? 4 साल हो गए ?

श्री अध्यक्ष : 4 साल मान लीजिए।

श्री मूलचन्द डागा : कहें तो सही मंत्री अपने मुंह से।

श्री गंगाराम चौधरी : सिलेक्शन ग्रेड दिए जाने का सर्क्यूलर राज्य सरकार ने दिसम्बर, 1961 में जारी किया था।

श्री मूलचन्द डागा : आज 70 है। कितने साल हो गये ?

राजस्व मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास): कलेक्टर योग्य आदमियों को यह ग्रेड दगे।

श्री मूलचन्द डागा : 9 साल हो गए तो भी कलेक्टर पालन नहीं करें आज्ञा का ?

श्री रामकिशोर व्यास : ऐसा नहीं है कि 9 साल से आज्ञा का पालन नहीं किया। जैसे जैसे इन्डिविजुअल केसेज आयेंगे, प्रमोशन्स मैरिट पर दिए जायेंगे।

प्रश्न संख्या 104

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

राजवी श्री रूपसिंह !

छोटे कृषकों को कृषि हेतु ऋण

106. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे:—

(1) क्या छोटे काश्तकारों को खेती के लिए ऋण प्रदान करने की पंजाब नेशनल बैंक की एक योजना को सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है।

(2) क्या यह कर्ज सरकार की गारन्टी पर दिये जायेंगे और एक किसान को 10 हजार से अधिक कर्ज नहीं दिया जायेगा ?

Page No 13

(राजवी श्री रूपसिंह)

(3) क्या यह योजना राजस्थान के 7 जिलों याने भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, पाली व सिरोही में लागू की जायेगी ?

(4) इस योजना को 7 जिलों में ही लागू करने का क्या कारण है ? या दूसरे जिलों में इस योजना की जरूरत नहीं है ?

उप मन्त्री, कृषी (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां। स्वीकृत योजना की शर्तों के अनुसार राज्य सरकार की गारंटी दी जायेगी।

(3) यह गारंटी योजना पूरे राजस्थान के लिए लागू की गई है। इन सात जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों के लिए भी 6 बेंकों द्वारा सरकार की गारंटी पर छोटे काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराये जाने की योजना है।

(4) इसका उत्तर भाग तीन में दिया जा चुका है।

राजवी श्री रूपसिंह : क्या यह सही है कि ट्यूब वेल्स बनाने के लिए या ट्रेक्टर्स के लिए 10 हजार की रकम कम पड़ेगी ? क्या सरकार 10 हजार के बजाय 20 हजार रकम दिलाने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री हरिसिंह : 10 हजार रुपये मध्य कालीन ऋण है और वह कुओं को गहरा कराने के लिए या नए कुओं के लिए है न कि ट्यूब वेल्स के लिए। ओपन वेल्स होते हैं और पहले ही एग्जिस्टिंग हैं जिनको गहरा करना है उसके लिए है और भूमि विकास के लिए है और डीजल मशीनेरी वगैरह के लिए है। ट्यूब वेल्स के लिए एक लाख से भी अधिक खर्चा हो सकता है, उसके लिए सरकार की गारन्टी नहीं मध्य-कालीन ऋण के लिए ही केवल सरकार गारन्टी है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि तहसील में कर्जा लेने के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं, तहसील वाले पैसा मांगते हैं, पैसा दिये बगैर लोन वितरित नहीं होता है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अलग प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : और वह इज्जत के खिलाफ समझते हैं ?

श्री विजयसिंह (मकराना) : बिल्कुल सही है।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा।

राजवी श्री रूपसिंह : आपने फरमाया कि योजना बनाई गई है महज 7 जिलों के लिए, उदयपुर डिविजन के और दीगर जिलों के लिए न बनाने का क्या कारण है ?

श्री हरिसिंह : सम्पूर्ण राजस्थान के लिए है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने छोटे किसानों का जो शब्द प्रयोग किया है, उसकी क्या परिभाषा है ?

श्री रामचन्द्र आर्य : इसका मतलब मन्त्री। ये छोटे किसान हैं।

श्री हरिसिंह : 5 एकड़ इरिगेटेड और 15 एकड़ अनइरिगेटेड ।

श्री भैरोंसिंह : यह जो छोटे किसानों को ऋण की सुविधा बैंकों द्वारा दी जाती है, उसमें कितनी सीमा निर्धारित है और क्या यह सही है कि निर्धारित सीमा में अधिकांश रुपया उन जिलों में, जिनका प्रश्नकर्त्ता ने उल्लेख किया है, वितरित किया गया है और बाकी जिलों के लिए पैसा नहीं बचाया ?

कृषि मन्त्री (श्री शोभाराम) : पंजाब नेशनल बैंक की गारन्टी स्कीम 1969 में शुरू की गई थी और बाकी के जो जिले रह गए थे, उनके लिए 5 बैंकों की गारंटी के लिए तय किया गया था । स्कीम तय हुई है 26 फरवरी, 1970 को इसलिए····

श्री भैरोंसिंह : सुन नहीं पा रहे हैं ।

श्री शोभाराम : पंजाब नेशनल बैंक ने स्कीम 26-12-69 को स्वीकार की । बाकी जो जिले रह गए थे उनके लिए 5-6 बैंकों की स्कीम स्वीकार की गई थी, वह 26 फरवरी को स्वीकार हुई । यह निश्चित बात है कि कार्य प्रारम्भ किया है और तीन महीने पहले प्रारम्भ करने का मौका मिला तो पंजाब नेशनल बैंक ने 7 जिलों में काफी रुपया गारंटी के तहत वितरित किया ।

श्री भैरोंसिंह : बाकी जिलों में ? हम जानना चाहते हैं कि आपने 1969 में जो पंजाब नेशनल बैंक से एग्रीमेंट किया उसमें 6 जिलों के अन्दर ही ऋण वितरित किया जायगा । यह व्यवस्था पूरे राजस्थान के लिए क्यों नहीं की ?

श्री शोभाराम : क्योंकि एक बैंक को पूरे राजस्थान के काम के लिए नहीं छोड़ते बाकी जो 18-19 जिले रह गए थे उनका काम बाकी उन 5-6 बैंकों को सुपुर्द किया ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि गारंटी देने से पहले ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में रुपया वितरित करवाया गया पंजाब नेशनल बैंक से ?

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं, वित्त मंत्री ने, जब आपने यह प्रश्न उठाया था, उत्तर दे दिया था ।

श्री भैरोंसिंह : उन्होंने कहा था कि देख कर जवाब दूंगा ।

प्रश्न संख्या 107

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिए)

श्रीमती मदनकौर !

बालोतरा और बायतू पंचायत समिति में भेड़ सुधार कार्यक्रम

108. **श्रीमती मदनकौर** (पचपदरा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर जिले की बालोतरा और बायतू पंचायत समिति क्षेत्र में भेड़ सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने मैंढे गत पांच वर्षों में वितरित किए गए ?

(2) गत वर्ष और इस वर्ष की अकाल की स्थिति में इन मेढ़ों की देखभाल की क्या व्यवस्था है ?

उप मंत्री, पशुपालन (श्री हरिसिंह) : (1) गत पंच वर्षों में बालोतरा पंचायत समिति क्षेत्र में 38 मेंढे एवं बायतू पंचायत समिति क्षेत्र में 4 मेंढे भेड़ सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित किए गए।

(2) उक्त मेंढ़ों की देखभाल की व्यवस्था भेड़ पालक स्वयं करते हैं।

श्रीमती मदनकौर : क्या राज्य सरकार उचित नहीं समझती कि किसी कार्यक्रम को प्रारम्भ करने के बाद में उसका फोलो-अप कार्यक्रम भी अपने हाथ में ले ?

श्री हरिसिंह : जहां तक आर्थिक सहायता का सवाल हैं, यह तो प्रश्न सरकार के सामने नहीं है कि वह दे इनके मेन्टेनेन्स के लिए। स्वयं शीप ब्रीडर्स को चाहिए कि इनको मेन्टेन करें। जहां तक बीमारी और रोग का सवाल है, उसके लिए फोलो-अप कार्यक्रम किया जाता है और समय समय पर चैक किया जाता है।

श्रीमती मदनकौर : पिछले दो तीन सालों में बाड़मेर जिले में अकाल के कारण भेड पालक स्वयं ही जान बचाने के लिए भटकते फिरते हैं, उनके मेंढें करीब करीब सारे मर चुके हैं। तो क्या राज्य सरकार भविष्य के लिए ऐसा विचार नहीं रखती कि जो कार्यक्रम हाथ में ले उसको पूरी तरह से फोलो-अप करे और बजट प्रावधान रखे ?

श्री हरिसिंह : फोलो-अप प्रोग्राम पर ध्यान दिया जायगा।

श्री रामचंद्र आर्य (नोहर) : वह मेढ़ें कागजों में ही मरे क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिवल्लभ शर्मा।

काश्तकारों को ऋण उपलब्धि की सुविधा हेतु पास बुकों का वितरण

109. **श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर):** क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने काश्तकारों को ऋणदात्री विभिन्न संस्थाओं द्वारा आसानी से ऋण उपलब्ध कराने हेतु पास बुक वितरित कराने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो अब तक कितने काश्तकारों को पास बुक उपलब्ध करा दी गई हैं ? तहसीलवाइज पास बुकों की संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार सारे जिलों में काश्तकारों को पास बुक वितरित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो पास बुकों के वितरण का काम कब तक पूरा करा दिया जावेगा ?

उपमंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, अभी तक राजस्व मंडल द्वारा 92,030 पास बुकें जिलाधीशों को काश्तकारों में वितरण हेतु भेजी जा चुकी हैं, केवल 17 जिलों की तहसीलों की वितरण की सूचना उपलब्ध हुई है। जिसकी सूची संलग्न है। इन 17 जिलों में कृषकों के 23,568 पास बुक दी जा चुकी हैं।

(2) जी हां, इस साल 10 लाख पास बुकें, छप कर सभी जिलों में वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह पास बुकें वितरित किये जाने का आधार क्या रखा गया है, सामूहिक रूप में या एक गांव में अविकल रूप से सब को वितरित की जाती है ?

श्री गंगाराम चौधरी : प्रत्येक खातेदार को दिये जाने का प्रावधान है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आपने जो सूची दी है उससे ऐसा लगता है किसी गांव में दस पास बुकें दे दी, किसी गांव में 15, किसी गांव में 25, तो किसी गांव में 50 दे दी गई। इस ढंग से एक गांव में सम्पूर्ण खातेदारों को नहीं दी गई तो इसका वितरण किस प्रकार से किया गया ?

श्री गंगाराम चौधरी : ज्यों ज्यों पास बुकें छपती रहती हैं उसी प्रकार से जिलाधीशों को दे दी जाती हैं। वे तहसीलदारों को दे देते हैं। यह व्यवस्था की गई है कि पास बुकें संबन्धित पटवारियों को दी जाकर एक बार एक गांव के सारे कृषकों को दे दी जावें उसके बाद दूसरे गांव में दी जावें। इसमें दिक्कत यह है कि सारी पास बुकें छप कर नहीं आयी हैं इसलिये कम मात्रा में दी जा रही हैं ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : जैसे बांसवाड़ा तहसील में 110, मांडल में 110, इस तरह से चार तहसीलों में 110 एक एक गांव में बांटी गई तो उन गांवों में एक सौ दस ही खातेदार काश्तकार हैं क्या ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): पास बुकें तैयार करने में देरी लगी है इसलिये सब गांवों में नहीं दी जा सकीं। देनी तो सभी को है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या जो यह पास बुकें वितरित की जाती है पार्टी के आधार पर की जाती हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : आपके यहां तो पांच हजार भेजी हुई हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेरा निवेदन है कि एक गांव में जब आप वितरित करें तो पूरे खातेदारों को वितरित की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इसका प्रबन्ध करेंगे। नेक्स्ट।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): पास बुक्स वितरण की कोई अवधि निर्धारित की गई है तो आवश्यक मात्रा में पास बुकें तैयार क्यों नहीं हो सकी हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : अवधि कोई तय नहीं थी। ज्यों ज्यों छप कर तैयार होती हैं, भेजी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री भैरोंसिंह!

झमर कोटड़ा की खानों का ठेका

110. **श्री भैरोंसिह** (किशनपोल जयपुर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले में झमर कोटड़ा की रॉक फास्फेट की खानों का बीकानेर जिप्सम कम्पनी को ठेका दिया है ? यदि हां, तो किस प्रक्रिया से और किन शर्तों पर ? कृपया एग्रीमेण्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(2) इस संबन्ध में निविदा आमन्त्रित किये हों तो किस किस ने किस किस शर्तों

(श्री भैरोंसिंह)
के निविदा प्रस्तुत किये और किन किन के निविदा किन किन कारणों से अस्वीकृत किये गये ? निविदा आमन्त्रित करते समय राज्य सरकार द्वारा ठेकेदारों को किस किस प्रकार का सहयोग देने की घोषणा की गई ? कृपया निविदा की शर्तों का एक विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या राज्य सरकार इस खान का उत्खनन विभागीय स्तर पर नहीं कर सकती थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार ने इस खान का विभागीय स्तर पर उत्खनन करने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति ली है ? यदि हां, तो फिर विभागीय उत्खनन क्यों नहीं किया गया ?

खनिज मन्त्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) बीकानेर जिप्सम लिमिटेड को माल खोदने, ढोने और क्रश करने का ठेका दिया गया है। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) निविदा आमन्त्रित नहीं की गई क्योंकि कम्पनी में राज्य सरकार के बहुमत शेयर्स हैं और यह पूर्णरूपेण राज्य नियन्त्रण में कार्य कर रही है।

(3) पहले प्रारम्भ विभागीय स्तर पर किया था पर अब कार्य बढ़ाना है। अतः कम्पनी को देना आवश्यक समझा गया।

(4) आवश्यकता नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम कम्पनी को यह कार्य दिया गया उस समय राज्य सरकार के मेजर शेयर्स नहीं थे और मैनेजिंग डाइरेक्टरशिप आज भी राज्य सरकार के हाथ में नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : काम देना तय किया गया, मेजोरिटी शेयर्स कर लिये गये। अब मैनेजिंग एजेन्सी है नहीं। मैनेजिंग डाइरेक्टर जिसे गवर्नमेण्ट ठीक समझेगी नियुक्त करेगी।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार के मेजोरिटी शेयर्स होते हुए भी मैनेजिंग डाइरेक्टर वही है ?

श्री हरिदेव जोशी : पहले मैनेजिंग एजेन्सी थी। मैनेजिंग डाइरेक्टर जिसके मेजोरिटी शेयर्स होते हैं उन्हीं का होता है। सरकार किसी भी व्यक्ति को जिसको उचित समझे मैनेजिंग डाइरेक्टर नोमीनेट कर सकती है।

श्री भैरोंसिंह : सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि बीकानेर जिप्सम के मैनेजर को ही मैनेजिंग डाइरेक्टर बना दिया जाय ?

श्री हरिदेव जोशी : अन्तिम फैसला नहीं हुआ है लेकिन विचार चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या इन्हीं को ही मैनेजिंग डाईरेक्टर बनाये जाने का प्रश्न विचाराधीन है ?

श्री हरिदेव जोशी : अन्तिम फैसला नहीं हुआ, विचार इसी तरह का चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार विभागीय स्तर पर काम कराती तो राज्य सरकार को कितने वित्त की आवश्यकता थी ?

श्री हरिदेव जोशी : एक्चुअल तो नहीं कह सकता ढाई करोड़ रुपया तो इमीजियेटली चाहिये होता।

श्री भैरोंसिंह : जिस प्रकार का एग्रीमेण्ट किया गया उसके अनुसार बीकानेर जिप्सम कम्पनी को ढाई करोड़ की आवश्यकता नहीं रहेगी बल्कि उससे बहुत कम इन्वेस्टमेण्ट करना पड़ेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : ढाई करोड़ इमीजियेटली नहीं तो एक करोड़ तो अवश्य लगाना होगा।

श्री भैरोंसिंह : अगर राज्य सरकार एक करोड़ का इन्वेस्टमेण्ट करती तो राज्य सरकार को प्रति वर्ष कम से कम तीन करोड़ का प्रोफिट होता।

श्री हरिदेव जोशी : राज्य सरकार को प्रोफिट हो रहा है वह तो होगा लेकिन राज्य सरकार को जिन जिन चीजों पर इन्वेस्टमेण्ट करना होता उस सब को मद्देनजर रखते हुए यही उचित समझा गया कि जिप्सम कम्पनी को यह काम दे दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : जब डिपार्टमेण्टल वर्किंग किया था उसमें 60 लाख का फायदा हुआ, 5 टन से बढ़ कर 600 टन उत्पादन होने लग गया था जिसमें केवल 6 महीने ही काम किया था।

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं नेट प्रोफिट है गत वर्ष का 35 लाख का। टोटल एक्सकेवेशन पांच से सात लाख का हुआ।

श्री भैरोंसिंह : थोड़े से वर्किंग पर इतना प्रोफिट आप ले रहे हैं तो फिर कान्ट्रेक्ट देने की क्या आवश्यकता थी ? पिछले साल जो काम किया उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेण्ट नहीं करना पड़ा फिर क्यों दिया गया ?

श्री हरिदेव जोशी : जैसे जैसे माइन्स डीप जायगी खर्चा बढ़ता जायगा। उस हालत में प्रोफिट कम होगा। अभी तो 300 से पांच सौ फीट तक गये हैं जब दो हजार और पांच हजार फीट नीचे खोदते जायेंगे तो प्रोफिट का मार्जिन कम होता जायगा। इसके अलावा लेबरर्स की और दूसरी प्रोब्लम बढ़ती जायेगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) यह स्टेट रेवेन्यू का सवाल है। राज्य सरकार उचित नहीं समझती जब इस प्रकार से नोन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ने का सोर्स था तो राज्य सरकार इन्वेस्टमेण्ट कर इसको अपने हाथ में क्यों नहीं रखना चाहती ?

श्री हरिदेव जोशी : वर्किंग एजेन्सी आहे गवर्नमेण्ट हो या कम्पनी हो या विभाग हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिये नोन-टैक्स रेवेन्यू तो सरकार ही ले रही है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बीकानेर जिप्सम कम्पनी से जो प्रोफिट होगा उसमें पचास प्रतिशत शेयर राजस्थान सरकार को मिलेगा और बाकी का शेयर होल्डर्स को जायगा। डिपार्टमेण्टल

(श्री भैरोंसिंह)
वर्किंग होता तो हण्ड्रेड पर्सेन्ट प्रोफिट के खाते में जमा होता।

श्री हरिदेव जोशी : पहले भी मैं निवेदन कर चुका हूं पोजीशन यह है कि जो प्रोफिट वर्क आउट किया है वह आठ लाख के करीब होगा। जिसमें से चार लाख गवर्नमेण्ट को आयगा और चार लाख कम्पनी को जायगा। उस चार लाख में इन्ट्रेस्ट, डेप्रीसियेशन, इन्वेस्टमेण्ट काम की बोदरेशन आदि सब आ जाता है। इसलिये सरकार ने उचित समझा कि यह सारा भार कम्पनी उठावे। डिपार्टमेण्ट के पास जो मुनाफा आयगा उसमें से इनकम टैक्स देना पड़ेगा और काफी देना पड़ेगा फिर क्या फायदा रहा।

प्रश्न सं० 111

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया।

खादी ग्रामोद्योग समिति टौंक की रूई में आग

112. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को विदित है कि टौंक जिला खादी ग्रामोद्योग समिति, टौंक में रूई में आग लग जाने से एक पिनारा जल कर मर गया ? यदि हां, तो आग किस समय, किस कारण लगी और उस समय वहां कितने लोग क्या काम कर रहे थे ?

(2) उक्त मजदूर को मौत कब हुई और उसकी जान बचाने के क्या उपाय किये गये ?

(3) स्थानीय व प्रान्तीय संस्थापक मौके पर कब पहुंचे और मरने वाले के घर वालों को क्या सहायता दी गई ?

(4) क्या जहां रूई का काम होता है वहां पर आग बुझाने की कोई स्थाई व्यवस्था की गई थी ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

(5) क्या मरने वाले के शव का पोस्ट मार्टम कराया गया था ? यदि हां, तो क्या रिपोर्ट थी ?

खादी ग्रामोद्योग मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी हां। रात्रि के लगभग 8 बजे आग लगी जिसका कारण मशीन में कंकर अथवा अन्य ऐसी वस्तु आने से चिनगारी पैदा होकर आग लगना बताया गया है। उस समय मृतक बन्नेखां पिंजाई मशीन में गाला दे रहे थे, दूसरे श्री नन्हेखां पिंजी हुई रूई के फंल बाहर निकाल रहा था तथा चौकीदार ड्यूटी पर था।

(2) उक्त मजदूर की मृत्यु 27-12-69 की मध्य रात्रि को लगभग 1 बजे अस्पताल में हुई। उनकी जान बचाने के लिये तत्काल अस्पताल ले गये वहां डॉक्टरों ने मुस्तैदी से यथासंभव प्रयत्न किये।

(3) सूचना मिलते ही स्थानीय कार्यकर्त्ता तत्काल अस्पताल पहुंचे। संस्था के मंत्री टौंक से बाहर थे। मृतक के उपचार व परिवार की सहायतार्थ 525) रु. दिये

(श्री हरदेव जोशी)
व मुआवजे के रूप में संस्था ने 4,500) रु. स्वीकृत किये हैं।

(4) हां, पिजाई शाला में आग आग बुझाने का संयत्र लगा हुआ था तथा ठीक सामने रंगाई-धुलाई केन्द्र के होज पानी से भरे हुए थे।

(5) नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : आग कौन सी तारीख को लगी ?

श्री हरदेव जोशी : बतला चुका हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : 27 तारीख को आपने मृत्यु होना बतलाया है। आग कौनसी तारीख को लगी ?

श्री हरिदेव जोशी : 27-12-69 की मध्य रात्रि को 1 बजे मृत्यु हुई है तो आग 26 तारीख को लगी होगी।

श्री जयनारायण सालोदिया : आग कब लगी और मृत्यु कब हुई ?

श्री हरिदेव जोशी : जो सूचना मुझे मिली है वह आपको बतला चुका हूं। 27-12-69 की मध्य रात्रि के 1 बजे मृत्यु हुई है। इसके माने हैं कि आग 26-12 को लगी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : जिस टाइम मशीन में आग लगी उस समय वहां पर दो आदमियों के अलावा कोई नहीं था। अगर तीसरा आदमी होता तो उसने पानी का उपयोग किया होता। अगर चौकीदार होता तो वह आग बुझाने के लिये पानी का उपयोग जरूर करता।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री जयनारायण सालोदिया : अलग से नहीं है। उस टाइम कोई आदमी वहां पर नहीं था।

श्री हरिदेव जोशी : मैं यह नहीं कह सकता।

श्री जयनारायण सालोदिया : मेरी जानकारी के अनुसार वे लोग चिमनी की रोशनी में काम कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष : क्या यह ठीक है कि चिमनी की रोशनी में काम कर रहे थे।

श्री हरिदेव जोशी : मेरे पास यह सूचना नहीं है कि कौन सी रोशनी में काम कर रहे थे। एक निवेदन कर दूं कि फैक्ट्री एक्ट के अन्दर किस प्रकार और कैसे काम किया जाये, किन कन्डीशन्स के अन्दर वहां पर काम किया जाये यह लेबर डिपार्टमेन्ट डील करता है खादी डिपार्टमेंन्ट नहीं करता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : इतना बड़ा मेजर एक्सीडेंट हो गया है और वहां पर फैक्ट्री वर्क कर रही थी रात्रि के 12 बजे तक तो क्या यह नियम विरुद्ध नहीं था ? वे कौन से नियम के अन्तर्गत वहां पर काम कर रहे थे और जब इस सीरियस एक्सीडेंट की रिपोर्ट गवर्नमेन्ट को आ गई है तो क्या कोई एक्शन लिया है राज्य सरकार ने ?

श्री हरिदेव जोशी : इसको डिफरेन्शिएट कर के देखने की जरूरत है। एक स्वायत्तशासी संस्था में जो काम होता है, वह किस प्रकार और कैसे काम कर रही है इसको राजस्थान सरकार रोजमर्रा नहीं

(श्री हरिदेव जोशी)
देखती हैं और न वह संस्था राज्य सरकार के नियन्त्रण में होती है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : तो क्या राज्य सरकार का कोई उत्तरदायित्व नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : आप उस विभाग से पूछिये जो कि इसे डील करता है। लेबर डिपार्टमेन्ट इसको डील करता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राज्य सरकार क्या सोचती है इस मामले पर ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकता।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि दोनों जो काम कर रहे थे वे नाबालिग अवस्था के थे और किसी ने उनकी सम्हाल नहीं की ? रूई पर काबू पा लिया जाता तो उनकी जान बच सकती थी।

श्री हरिदेव जोशी : मैं अपने उत्तर में पहले ही निवेदन कर चुका हूं और जैसी कि सूचना है उसके भाई ही उसको अस्पताल में ले गये। यह मेरी सूचना है। आपकी और सूचना है तो प्रोपर डिपार्टमेन्ट से जानकारी लेनी पड़ेगी।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वे नाबालिग थे ?

श्री हरिदेव जोशी : यह खादी डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित नहीं है। मैं नहीं कहूंगा इस प्रकार की कोई चीज।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री जयनारायण सालोदिया : उनको रात्रि में काम करने की इजाजत किसने दी और आग बुझाने की कोशिश किसी ने क्यों नहीं की ? क्या खादी बोर्ड इसके लिये जिम्मेदार नहीं है ?

श्री हरिदेव जोशी : जी नहीं है। यह सम्बन्धित नहीं है। वर्किंग कन्डीशन कैसी हो, किस कन्डीशन के अन्दर काम करने दिया जाना चाहिये यह लेबर डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या राज्य सरकार इसकी जांच कराने को तैयार है ?

श्री अध्यक्ष : कह रहे हैं लेबर डिपार्टमेन्ट से सम्बन्धित है ?

श्री हरिदेव जोशी : आप किसी जुडिशियल केस की जांच मुझसे करवायेंगे तो क्या मैं कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह मंशा है कि खादी बोर्ड में आग लगती रहे ?

श्री अध्यक्ष : जी नहीं। नेक्स्ट।

गांव देवरी की चरागाह की भूमि

113. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील निवाई के गांव देवरी में चरागाह खसरा नम्बर 1 व 28 रकबा 180 बीघा है ? यदि हां, तो गांव में कुल कितने मवेशी हैं ?

(2) क्या यह सच है कि 180 बीघा में से एक ही आदमी श्री फता को जिला-

(श्री जयनारायण सालोदिया)
धीश टौंक ने 100 बीघा चरागाह दे दिया है व अलग तन काट दी ? यदि हां, तो किस कारण ? श्री फता के पास कितने मवेशी हैं।

उप मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) ग्राम देवरी में खसरा नम्बर 1 रकबा 129 II1) 13 व खसरा नम्बर 29 रकबा 50 II)2कुल 180 II)2 चरागाह हैं और ग्राम देवरी की पशु संख्या 812 है।

(2) जी नहीं। श्री फता को जिलाधीश टौंक ने 100 बीघा चरागाह नहीं दिया है वरन् फता की ढाणी के 8 परिवारों के मवेशियों के लिये 100 II)2 बीघा चरागाह की अलग तन कटी की गई है क्योंकि ग्राम वाले फता की ढाणी के मवेशियों को चरागाह में नहीं चरने देते। फता की ढाणी के लोगों के पास 195 मवेशी हैं। अकेले श्री फता के पास 9 मवेशी हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सच है कि फता की ढाणी में 9 परिवार नहीं रहते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने उत्तर में बताया है 8 परिवार हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ फता ही वहां पर रहता है।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने तो अपनी जानकारी के अनुसार कहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह 100 बीघा चरागाह फता के नाम अलाट किया गया है या ढाणी के नाम अलाट किया गया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अकेले के नाम से चरागाह अलॉट नहीं किया गया है। पब्लिक की मवेशी भी वहां पर चरती है।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो मवेशियों की संख्या दी गई है वह गलत है।

श्री गंगाराम चौधरी : सुनाई नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : मवेशियों की संख्या झूंठी है।

श्री जयनारायण सालोदिया : 195 की संख्या दी है, परन्तु इतनी मवेशी वहां पर नहीं हैं और न 8 परिवार ही वहां पर रहते हैं। जो अलॉटमेन्ट किया गया है वह फता के नाम पर किया गया है।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने मेरी जानकारी के अनुसार उत्तर दे दिया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : फता की एक आदमी की ढाणी है। उसके पास केवल 8-10 मवेशी हैं। उसको 100 बीघा चरागाह एक पट्टे के रूप में उसके नाम से दिया गया है। इतने चरागाह में से 100 बीघा का चरागाह उसको दिया गया है।

श्री गंगाराम चौधरी : यह सही नहीं है फिर भी जानकारी प्राप्त कर ली जावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कुओं पर विद्युत कनेक्शन लेने हेतु अग्रिम राशि

114. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अब से चार-पांच वर्ष पूर्व कुओं पर सर्विस कनेक्शन

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
देने हेतु काश्तकारों को सर्विस के 220) तथा मेटेरियल के केवल 130) रुपये विद्युत विभाग में जमा कराने होते थे और यदि काश्तकार मेटिरियल अपना लगाता था तो सर्विस के केवल 220) रुपये देय थे ?

(2) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर सब-डिवीजन की तहसील बोंली एवं सवाई माधोपुर के जिन काश्तकारों ने पांच साल पूर्व उक्त नीति के अधीन कनेक्शन लिए थे उनसे अपना मेटिरियल लगाने पर भी बिजली विभाग ने अब 170) रुपये मय सूद वसूल करने के नोटिस जारी किये हैं ?

(3) क्या नोटिस देने से पूर्व यह जांच कर ली गई थी कि उन काश्तकारों के सर्विस कनेक्शन के समय मेटिरियल काश्तकारों ने लगाया अथवा विभाग ने ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा और यदि नहीं, तो बिना जांच नोटिस क्यों जारी किये गये ?

(4) राज्य सरकार अब इस अनुचित वसूली को रोकने के लिये क्या कर रही है ?

उप मन्त्री, विद्युत (श्री खेतसिंह) : (1) जी नहीं। अगस्त, 1964 की आज्ञानुसार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल ने काश्तकारों से 10 हार्स पॉवर तक के पम्प के लिये सर्विस चार्जेज 200/, इससे ऊपर 25 हार्स पॉवर तक 300/- रुपये तथा 25 हार्स पॉवर से ऊपर 500/- रुपया लेना शुरू किया। मेटिरियल के लिये कोई चार्जेज नहीं लिये जाते थे।

(2) विद्युत मण्डल के आदेशानुसार अगस्त, 1964 से काश्तकारों से 10 हार्स पॉवर तक के पम्प कनेक्शन के लिये 200/- रुपये लेने थे लेकिन स्थानीय अधिकारियों की अनभिज्ञता के कारण अधिकतर कृषकों से केवल 35.75 पैसे ही जमा कराये गये। अतः बकाया राशि जमा कराने हेतु ही नोटिस जारी किये गये। जिसमें सूद की कोई रकम शामिल नहीं थी। ऐसे काश्तकारों द्वारा मेटिरियल देने का उल्लेख विभागीय अभिलेखों में नहीं है।

(3) विभागीय अभिलेखों में कन्जूमरों से मेटिरियल लेने का उल्लेख नहीं पाया गया।

(4) इस वसूली का अनुचित नहीं कहा जा सकता।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या आप वास्तव में इसकी जानकारी लेकर इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे कि मेटिरियल वास्तव में काश्तकारों ने दिया था अथवा विभाग की तरफ से लगाया गया था कुओं पर कनेक्शन देने के लिये ?

श्री खेतसिंह : कोइ भी रॉ मेटिरियल देता है तो उसकी एक फाइल बनती है और उसका इन्द्राज उसमें होता है। इन काश्तकारों की जो फाइल है उसमें मेटिरियल देने का कोई उल्लेख नहीं है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा स्केन्डल है यह। काश्तकारों के सामने यह शर्त रखी गई थी कि जो मेटिरियल देंगे उनको ही कनेक्शन दिया जायेगा। क्योंकि मेटिरियल नहीं है इसलिये काश्तकारों ने मेटिरियल दिया। एक्स.इ एन.

Page No 24

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)
को इसकी उजरदारियां पेश की हैं। इसकी इन्क्वायरी की जानी चाहिये। काश्तकारों के पास इसके इंडिविजुवल बिल्स आज तक मौजूद हैं। उनके घरों पर बिजली नहीं है किन्तु कुओं पर कनेक्शन दिया है। इतना मेटिरियल काश्तकारों के पास पहले से हो यह नहीं कहा जा सकता है। उनके पास इसके बिल मौजूद हैं। अधिकारी पैसा खा गये हैं और इसका दंड काश्तकारों को दिया जा रहा है। बावजूद इसके किसी अधिकारी ने, आपके विभाग ने रजिस्टर में एन्ट्री नहीं की।

श्री अध्यक्ष : स्पष्टीकरण करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या यह बात सही है, आप बतायें कि इस प्रकार के काश्तकारों के आब्जेक्शन हुए आपके एक्स. ई. एन. के यहां पर ?

श्री खेतसिंह : 101 ऐसे व्यक्तियों के कनेक्शन किये गये, जिनमें से 79 ने पैसा जमा करवा दिया है। इसका मतलब यह है कि मेटिरियल दिया तो वह पैसा जमा नहीं कराते।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि पैसा तो सरकारी दबाव से वसूल कर लिया गया····

श्री अध्यक्ष : उत्तर आ रहा है। माननीय सदस्य।

श्री खेतसिंह : जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुनिये। माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार की उनके पास रसीदें हैं, इस प्रकार की इंडिविजुअल रसीद पेश करेंगे तो जांच जरूर होगी। मेटिरियल सप्लाई किया है····

श्री दौलतराम सारण : मेटिरियल सप्लाई किया है और ए. ई. एन. और एक्स. ई. एन. के दस्तखत होंगे तो निश्चित रूप से जांच करके कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) प्रश्नकर्त्ता !

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मेटिरियल खरीदा है, वह जयपुर से लिया गया है, दुकानों से लिया गया है वह जमा नहीं कराया, बल्कि साइट पर ले जाकर मेटिरियल दे दिया और अधिकारियों ने कनेक्शन कर दिया उनके कुए पर कनेक्शन कर दिया गया। इस प्रकार की रसीद तो इश्यू नहीं हुई है लेकिन लोग क्या पागल थे जो मेटिरियल लेकर आये, किसी के पास सात सौ के मेटिरियल के बिल्स हैं, किसी के पास 11 सौ के बिल्स हैं, किसी के पास पन्द्रह सौ के मेटिरियल के बिल्स हैं। उन्होंने वह बतलाये हैं और प्रमाण में बिल्स पेश किये हैं और एक्स. ई. एन. ने····

श्री अध्यक्ष : किस तरह की जांच कराना चाहते हैं वह बतला देवें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : कनेक्शन काटने का आदेश दे दिया, तब उनको पैसा जमा कराना पड़ा। उनके आब्जेक्शन्स का तसफिया नहीं हुआ है। तो एक अधिकारी को भेज कर जिनका रुपया जमा हो गया है और जिनका नहीं हुआ है उनकी जांच करायें। यह 110 काश्तकार हैं जिनकी तरफ ड्यूज निकलते हैं और उनके पास सबके पास बिल्स हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

Page No 25

श्री खेतसिंह : अगर माननीय सदस्य इस प्रकार की लिखित एप्लीकेशन दे दें....

श्री वालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : हाउस में कह रहे हैं फिर लिखित में क्या ?

श्री हरिवल्लभ शर्मा : पूरे हाउस में कह रहा हूं।

विद्युत मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : माननीय सदस्य ने जो भी कहा है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि तीन महीने के अन्दर इलेक्ट्रिसिटी के डाइरेक्टर हैं उनको वहां भिजवा दूंगा। आपसे दर्ख्वास्त करूंगा कि आप कॉपरेशन करके सबूत मुहैया करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

बीकानेर व जोधपुर रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी के ऑफिसर की शिकायतें

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर व जोधपुर रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी की पोस्ट पर इस वक्त कौन ऑफिसर काम कर रहे हैं ? इस पोस्ट पर वे कब से हैं व इनका नाम क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि बीकानेर की पब्लिक व बार एसोसियेशन के मेम्बर्स की यह आम शिकायत है कि यह आफिसर कोर्ट में शराब पीकर आते हैं तथा मुकद्दमात का फैसला रिश्वत लेकर करते हैं ?

(3) क्या यह सही है कि वकील श्री दाऊदयाल आचार्य साकिन बीकानेर ने इस ऑफिसर के खिलाफ शराब पीकर आने व मुकद्दमात में रिश्वत लेने की बावत सरकार को व चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड को शिकायत की थी जिस पर चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड बीकानेर आये लेकिन कोई इन्क्वायरी नहीं की और यह कह कर टाल दिया कि इस ऑफिसर का तबादला जल्द कर दिया जायगा।

(4) क्या यह सही है कि जो मुकद्दमात रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरेटी के यहां दायर होते हैं वे लाखों रुपयों की मालियत के होते हैं व उनमें पेचीदा सिविल व रेवेन्यू लॉ के पाइन्ट्स इन्वोल्व होते हैं जिनका फैसला सिविल व रेवेन्यू लॉ से वाकफियत नहीं रखने वाले ऑफिसर सहन नहीं कर सकते ? इस पोस्ट पर काबिल, ईमानदार ऑफिसर को लगाने का प्रबन्ध सरकार कब तक करेगी ?

उप मंत्री राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): (1) बीकानेर व जोधपुर रेवेन्यू अपीलेट ऑथोरिटी के पद पर इस वक्त श्री शुभकरण काविया काम कर रहे हैं। इस पद पर वह दिनांक 21-10-69 से हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। हजारों रुपये की मिलकियत के मामले दायर होते हैं। इन पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारियों की नियुक्तियां की जाती हैं जो प्रायः सम्बन्धित कानून कायदों से वाकिफ होते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजयसिंह : सवाल तो यह है कि कानून कायदों के वाकिफ होने के बाद भी शराब पीकर आते हैं। क्या यह सही है कि बार एसोसियेशन बीकानेर ने इस प्रकार की शिकायत की थी ?

श्री गंगाराम चौधरी : श्री शुभकरण काविया के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। इनसे पूर्व जो पदाधिकारी कार्य कर रहे थे उनके विरुद्ध शिकायत आई है।

श्री विजयसिंह : मैंने इनके लिए नहीं पूछा है। मैंने जिस तारीख को पूछा है उस तारीख को कौन काम कर रहे थे। जवाब देने के दिन, आप सुन लीजिये, जो काम कर रहे थे उनका सवाल नहीं है, जो पहले काम कर रहे थे उनकी शिकायत आई है क्या ?

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : उसकी शिकायत थी, तबादला कर दिया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या ट्रान्सफर करना शिकायत का समाधान है ?

श्री अध्यक्ष : राजवी श्री रूपसिंह !

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : वह भी महत्व का है।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : उस समय गोपालसिंह भटनागर काम कर रहे थे उनकी शिकायत की थी, उनकी हाई कोर्ट को और रेवेन्यू बोर्ड को शिकायत की थी कि शराब पीकर आते हैं और रिश्वत लेकर केस करते हैं। क्या इस बाबत रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने इन्क्वायरी की ?

श्री गंगाराम चौधरी : गोपालसिंह बख्शी काम कर रहे थे, उनकी शिकायत आई है। जैसा राजस्व मंत्री जी ने कहा, उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सजा क्यों नहीं दी गई ? स्थानान्तरण क्यों किया गया है ?

श्री दौलतराम सारण : स्थानान्तरण के बाद क्या शराब पीना छोड़ दिया है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री विजयसिंह : आपने ट्रान्सफर किया, यह आपने माना है कि शिकायत सही थी। जब शिकायत सही थी तो आपने ट्रान्सफर क्यों किया, ट्रान्सफर करना कोई पनिशमेंट है ?

श्री रामकिशोर व्यास : हिदायत कर दी गई है कि इस बात में सच्चाई है तो आयन्दा ऐसी बात न की जाय।

श्री दौलतराम सारण : सच्चाई होने नहीं होने का सवाल नहीं है। एक अधिकारी के कन्डेक्ट के विरुद्ध शिकायत आई है, उसके विषय में क्या जांच करवाई और जांच करवाई तो जांच का परिणाम क्या रहा ?

श्री रामकिशोर व्यास : बता रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : यह अलग प्रश्न है। प्रश्न यह था कि इस वक्त कौन काम कर रहा है। अक्टूबर, 69 में शुभकरण काविया काम कर रहे थे।

श्री दौलतराम सारण : इस वक्त का मतलब आपको तारीख देखनी चाहिए। तारीख देखनी चाहिए, जिस रोज प्रश्न किया था उस वक्त की, न कि जब कि आप जवाब दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : यह तो हो गई गलती। इधर से हो गई।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : जिस वक्त प्रश्न किया गया था उस वक्त कौन रेवेन्यू अपीलेट आथोरिटी थे ? यह मंत्री महोदय बतायें।

श्री रामकिशोर व्यास : बता तो दिया, भई।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवा महल, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय, आप स्वयं यह उचित समझते हैं, इतनी बड़ी ग्रेव कम्प्लेन्ट आई, राज्य सरकार के सामने आई, तो राज्य सरकार मानती है कि कम्प्लेन्ट के आधार पर ट्रान्सफर कर दिया गया यह क्या पर्याप्त है ? जिसके विरुद्ध यह शिकायत आई, यह सही है तो उसको केवल यह कह दें कि आगे सचेत रहियेगा—क्या इतना पर्याप्त है····

श्री अध्यक्ष : भाषण न दें। माननीय सदस्य।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) : क्या मंत्री महोदय इतनी ग्रेव कम्प्लेन्ट को सही मानते हुए ट्रान्सफर करने के बाद उसकी जांच करना उचित नहीं समझते हैं एक्शन लेना उचित नहीं समझते हैं ? क्या यह उचित समझते हैं····

श्री रामचन्द्र आर्य : उचित समझते हैं, सही बात है····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसा गम्भीर आरोप होते हुए भी जांच न करवाई जाय, सजा न दी जाय—इससे साफ है कि साजिश है और साजिश के तौर पर रिश्वत ली जाती है और ऐसे व्यक्ति को मंत्री महोदय के द्वारा प्रश्रय दिया जाता है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : नहीं दिया जाता है तो उसकी जांच करवाई जाय और जांच करवा कर उसको सजा मिलनी चाहिये।

श्री दौलतराम सारण : जो शराब पीने की शिकायत हुई, शराब पीकर कोर्ट जाने की शिकायत हुई—क्या उसको आप सही मानते हैं ?

श्री अध्यक्ष : सभी का स्पष्टीकरण कर दीजिये।

श्री गंगाराम चौधरी : जो पूर्व में अधिकारी कार्य कर रहे थे उनके सम्बन्ध में पूर्णतः जानकारी मेरे पास नहीं है। इस वक्त जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध इस विषय में शिकायत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दौलतराम सारण : एक वेग रिप्लाई दे रहे हैं। एक अधिकारी के खिलाफ ड्यूटी के टाइम में शराब पीने की शिकायत है, बार एसोशियेशन के द्वारा शिकायत है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि शिकायत की जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

Page No 28

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार अब इन्क्वायरी करके....

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री दौलतराम सारण : एक्शन लेने को तैयार है ?

श्री रामकिशोर व्यास : इतने नाराज होने की बात नहीं है। शिकायत आने पर तहकीकात का हुक्म दिया है और कलेक्टर इन्क्वायरी कर रहे हैं ? बीच में अब आपकी शिकायत आई तो उसकी इन्क्वायरी भी हो रही है।

श्री दौलतराम सारण : इन्क्वायरी हो रही है। उसकी अब इन्क्वायरी हो रही है ?

श्री अध्यक्ष : कह दिया।

श्री रामकिशोर व्यास : इन्क्वायरी हो रही है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा सु.): जन प्रनितिधियों ने भी शिकायत की है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए। प्रश्न समाप्त हुए...

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न !

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रश्न के बारे में आपको सहयोग करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैंने पूरा सहयोग किया है। बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं। आर्डर प्लीज !

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : ऐसी शिकायत जिस अधिकारी के खिलाफ हो उसको आपने उदयपुर में ऐसे महत्वपूर्ण पद पर रख दिया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री विजयसिंह : आपकी छत्रछाया में इस प्रकार की बात होती हैं, शराब पीकर अधिकारी पैसा लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज !

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

ग्राम फदनपुरा के तन में भूमि का आवंटन

101. **श्री नथमल चोहला (लक्ष्मणगढ़)**: क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिला अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम फदनपुरा के तन में खसरा नम्बर 68 की भूमि का आवंटन किसको कितनी भूमि का हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि खसरा नं. 68 की भूमि फौजियों को आवंटन हुई थी किन्तु कब्जा उनको नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि खसरा नं. 68 अलोट की हुई भूमि का कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया जो अब भी

(श्री नथमल चौहला)
नाजायज कब्जा करके काश्त कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तहसील लक्ष्मनगढ़ के ग्राम फदनपुरा में खसरा नं. 68 की भूमि निम्न व्यक्तियों को आवंटित की गई थी:—

1. श्रीमती रामरतनी बेवा श्री रामकंवार फौजी ग्राम फदनपुरा—10 बीघा

2. श्रीमती सुग्यार कंवर बेवा श्री मागूसिंह फौजी नि. पनलावा—10 बीघा

(2) ग्राम फदनपुरा की ख. नं. 68 की जमीन फौजियों को अलॉट हुई थी परन्तु कब्जा नहीं दिया गया क्योंकि तहसील से भूमि आवंटन के आदेश होते ही उनकी अपील न्यायालय जिलाधीश, सीकर में कर दी गई। जिलाधीश द्वारा निर्णय करते ही उनके निर्णय के विरुद्ध अपील श्री राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई जो वहां विचाराधीन है।

(3) ग्राम फदनपुरा की खसरा नं. 68 की भूमि का न तो कब्जा किसी दूसरे व्यक्ति को दिया गया और न हीं कोई नाजायज कब्जा करके इस भूमि को काश्त करता है।

कोटड़ी तहसील के ग्रामों के कुओं पर विद्युत

104. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटड़ी तहसील के आकोला, अमरत्या, करेड़, गेंदल्या, गेगा का खेड़ा आदि कई गांवों के कुओं में बनास नदी का काफी सेझा है ?

(2) यदि हां, तो उक्त गांवों में बिजली पहुंचाने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) यह ग्राम बनास नदी के पास में ही हैं। कुओं में बनास नदी के सेझों से पानी रहता है।

(2) ग्राम अकोला, गेंदोया, गेंगा का खेड़ा और करेड का सर्वेक्षण करके स्कीम रिपोर्ट बनाने पर लाभप्रद नहीं पाई गई।

सहकारी समिति के रुपयों का गबन

107. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री नरोत्तम सिंह शर्मा, भूतपूर्व उपाध्यक्ष, टी भिण्डूसी वृहत् बहुधन्धी सहकारी समिति लि., शाहबाद पंचायत समिति तिजारा, जिला अलवर के खिलाफ वर्तमान अध्यक्ष श्री जगनसिंह यादव द्वारा समिति का रुपया गबन करने के आरोप लगाते हुए शिकायत सभी विभागीय अधिकारियों से की है ?

(2) क्या यह सही है कि श्री नरोत्तम सिंह की तरफ 3017.18 रुपये रोकड़ बाकी निकलते थे वे कई माह बीत जाने पर भी अभी तक नहीं जमा कराये ?

(3) क्या यह सही है कि श्री नरोत्तम सिंह ने 5,900 रुपये झूंठे बोण्ड भर निजी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कार्य के लिए समिति की रोकड़ में से निकाल लिये और वह रुपया भी उसने अभी तक जमा नहीं कराया है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री नरोत्तमसिंह के विरुद्ध यह भी आरोप है कि उन्होंने 14 बोरी चीनी समिति के विशेष कोटा की ब्लेक मार्केट में बेच दिया है ?

(5) क्या श्री नरोत्तमसिंह के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो कब और किससे ? जांच का परिणाम क्या रहा ? कृपया जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या श्री नरोत्तमसिंह के खिलाफ रकम वसूल करने की कोई कार्यवाही की गई ? जो भी कार्यवाही इस सम्बन्ध में की गई हो, उसका विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(7) क्या इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) श्री जगनसिंह द्वारा श्री नरोत्तम सिंह शर्मा, के विरुद्ध भिण्डूसी वृहत् बहुधन्धी सहकारी समिति लि., शाहबाद पंचायत समिति तिजारा, जिला अलवर का रुपया गबन करने का आरोप लगाते हुए रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को मार्च, 1970 में शिकायत की है।

(2) श्री नरोत्तमसिंह के विरुद्ध यह आरोप है जिसके बारे में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 (i) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। श्री शर्मा ने इस रकम को अपने पास होना मन्जूर नहीं किया है। सुनवाई की कार्यवाही अभी चालू है।

(3) श्री नरोत्तमसिंह के विरुद्ध ऐसा भी आरोप है, जिसके बारे में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के तहत सहकारी प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति तिजारा, द्वारा जांच करवाई जा रही है. जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(4) जी हां। यह केस जिला रसद अधिकारी, अलवर के यहां चल रहा है, इससे सम्बन्धित रिकार्ड श्री नरोत्तमसिंह द्वारा रसद अधिकारी को नहीं दिये जाने की शिकायत को धारा 70 के अन्तर्गत की जा रही जांच में शामिल किया गया है।

(5) जांच करवाई जा रही है, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही परिणाम की जानकारी हो सकेगी। सहकारिता प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, तिजारा को तारीख 9-4-70 को जांच सुपुर्द की गई है।

(6) श्री नरोत्तमसिंह के विरुद्ध रोकड़ बाकी के बारे में राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 (i) के अन्तर्गत तथा प्रबन्धकारिणी की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित करने व हटाने के बारे में धारा 34 (4) व 36 (i) (बी) के तहत कार्यवाही की जा रही है। अन्य आरोपों के बारे में धारा 70 के तहत सहकारी प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, तिजारा को जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच करवाई जा रही है।

(सहकारिता मंत्री)

(7) जी नहीं। उपरोक्त जांच पूर्ण हो जाने पर ही यदि आवश्यक हुआ तो केस पुलिस में दिया जावेगा।

मांडलगढ़ में जमीनों का सेटलमेन्ट

111. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ मे जमीन का सैटलमेन्ट हो चुका है तथा क्या यह सही है कि किसानों को बीस-बीस रुपये बीघे के नोटिस मिले हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बीघा छोटा हो गया है ? और इस कारण बीस रुपये बीघे के नोटिस से पूरे क्षेत्र में हा हा कार मच गया है और सरकार के पास सैंकड़ों प्रार्थना-पत्र पहुंच गये हैं ?

(3) क्या सरकार यह महसूस करती है कि जो किसान अपनी कठोर मेहनत से रात दिन एक करके बारानी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं उन पर लगान की दरें बढ़ाना किसी भी प्रकार न्यायसंगत नहीं है ? सरकार यह भी महसूस करती है कि यदि जल्दी ही किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया तो विषम स्थिति उत्पन्न हो सकती है ?

(4) क्या सरकार जल्दी ही कुओं द्वारा सिंचित होने वाली भूमि पर लगान न बढ़ाने की घोषणा करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। भू-प्रबन्ध का कार्य अभी चालू है समाप्त नहीं हुआ है। यह सही नहीं है कि किसानों को बीस रुपये फी बीघे की दर से लगान देने के नोटिस दिये गये हैं। हां, यह अवश्य है कि प्रस्तावित लगान की दरों का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में दिनांक 5-3-69 को हो चुका है तथा इन दरों की विज्ञप्तियां, आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु गांवों में भी चस्पा कराई गई है।

(2) जी हां। पहले बन्दोवस्त में जरीब 152/1-2फीट का काम में लिया गया था जब कि अब भू मापन का कार्य 132 फीट की जरीब से किया गया है। हा हा कार मचने जैसी कोई स्थिति सामने नहीं आई हैं।

(3) लगान दरों का घटाना बढ़ाना नियमों के अन्तर्गत होता है। भू प्रबन्ध आयुक्त ने दिनांक 29 11-69 को तहसील मांडलगढ की रेट/रेटें रिपोर्ट पर अधिकारियों तथा किसानों के प्रतिनिधियों से वातचीत करने के पश्चात दरों को संशोधित करने हेतु निर्देश दिये थे। पुन: संशोधित दरें भू-प्रबन्ध आयुक्त के विचाराधीन हैं तथा राज्य सरकार भी जब इन दरों की स्वीकृति प्रदान करेगी तो इस विषय में यथोचित रूप में विचार करेगी। व अन्तिम निर्णय राज्य सरकार का ही होगा।

(4) इस प्रश्न पर परीक्षण किया जा रहा है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनोपगढ़ तहसील में जागीरदारों को काश्त हेतु भूमि

119. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अनोपगढ़ तहसील में जो जमीनें जागीरदारों को काश्त के लिये दी गई हैं उनमें से 85 प्रतिशत जमीनें सैलाइन एलकाली सोइल की है जिन्हें 'ताल' कहते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन जमीनों में कोई पैदावार नहीं होती है और यदि होती भी है तो डेढ़ मन प्रति बीघा होती है ?

(3) क्या यू. एन डी पी और एफ. ए.ओ. सोइल इन्वेस्टीगेशन प्रोजेक्ट व स्टेट एग्रीकल्चर महकमा की रिपोर्ट है कि इन जमीनों को री-क्लेम करने के लिये "दे शुड बी इर्रिगेटेड हैवीली लाइक पैडी फील्ड्स" ।

(4) क्या यह सही है कि इन जमीनों को पानी बहुत कम मिलता है इसलिये वह री-क्लेम नहीं हो सकी हैं और यही वजह है जागीरदार लोग किश्तें अदा नहीं कर सके हैं ? क्या सरकार इन जमीनों को पूरी तौर से री-क्लेम करने के लिये पूरा पानी देगी ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

मरूस्थल क्षेत्र का सर्वांगीण सर्वेक्षण

120. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या केन्द्रीय रूक्ष प्रदेश अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा मरूस्थल क्षेत्र का सर्वांगीण सर्वेक्षण किया जा रहा है ? यदि हां, तो किन किन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा चुका है ?

(2) क्या इन क्षेत्रों के सर्वेक्षण प्रतिवेदन राज्य सरकार से प्राप्त हो गये हैं ?

(3) राज्य सरकार ने इन प्रतिवेदनों के आधार पर मरूस्थल क्षेत्र के विकास के लिये क्या क्या उठाये हैं ? और क्या क्या कार्यक्रम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लिये जायेंगे ?

(4) जिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा चुका है, उनके प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) केन्द्रीय मरू प्रदेश अनुसंधान संस्थान जोधपुर से प्राप्त की गयी सूचना के अनुसार निम्नलिखित 11 क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जा चुका है जिनका क्षेत्रफल उनके सामने अंकित है:—

1.	केन्द्रीय लूनी बेसिन	11,000 स्क्वा. कि० मी०
2.	सिवाना ब्लाक, जिला बाड़मेर	2,045 ,,
3.	चौहटन ब्लाक, जिला बाड़मेर	3,164 ,,
4.	सायला ब्लाक, जालोर जिला	1,455 ,,

(राजस्व मंत्री)

5. अहोर ब्लाक, जिला जालौर	रकबा. 1,590 कि. मी.	
6. जालौर ब्लाक, जिला जालौर	943 ,,	
7. लूनी ब्लाक, जिला जोधपुर	2,000 ,,	
8. नोखा और रोड़ा ग्राम (बीकानेर जिला)	4,000 हैक्टर	
9. महाजन ग्राम (बीकानेर जिला)	1,000 ,,	
10. परसरामपुरा ग्राम (झुंझुनूं)	4,340 ,,	
11. किटनोड़ ग्राम (बाड़मेर)	1,000 ,,	

(2) इन उपरोक्त सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में से 4 प्रतिवेदन राज्य भू-संरक्षण अधिकारी, जोधपुर को प्राप्त हो गए हैं तथा 5 प्रतिवेदनों की एक एक प्रतिलिपि कृषि विभाग को अब प्राप्त हुई है ।

(4) राज्य भू-संरक्षण अधिकारी, जोधपुर को जो 4 प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें से कुछ पर निम्नलिखित पॉयलाट प्रोजेक्ट डीमांस्ट्रेशन चालू किये गए हैं :—

1. किटनोद (बालोतरा), जिला बाड़मेर
2. नोखा ग्राम, जिला बीकानेर
3. महाजन ग्राम, जिला बीकानेर
4. परसरामपुरा ग्राम, जिला झुंझुनूं

(4) केन्द्रीय मरू प्रदेश अनुसंधान संस्थान, जोधपुर से 5 प्रतिवेदन हाल ही में प्राप्त हुए हैं । उन प्रतिवेदनों के आधार पर अब कार्य किया जावेगा । केन्द्रीय मरू प्रदेश अनुसंधान संस्थान, जोधपुर से निम्नलिखि सर्वेक्षण प्रतिवेदनों की एक प्रति प्राप्त की गयी है । सदन की मेज पर रखने हेतु प्रतियां प्राप्त की जा रही हैं :—

1. सिवाना ब्लाक
2. सायला ब्लाक
3. अहोर ब्लाक
4. जालौर ब्लाक
5. लूनी ब्लाक

गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र में भूमि का एलॉटमेंट

121. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 50 से अब तक चूरू व बीकानेर जिलों के किन-किन व्यक्तियों को गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र में कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां, कब-कब अलॉट की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

(2) प्रत्येक एलॉटी ने कब प्रार्थना-पत्र दिया कब उसे भूमि एलॉट हुई? उसने कब्जा कब लिया, तथा उस भूमि का लगान कब-कब किसके द्वारा जमा हुआ ?

(3) अब उस भूमि पर कौन कब से काबिज है ?

(उत्तर स्थगित किया गया ।)

बीगोद व खटवाड़ा के कुओं के लिए विद्युत्

122. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीगोद से खटवाड़ा केवल दो माइल के फासले पर है?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(2) क्या यह भी सही है कि उस गांव के पचास किसान अपने कुओं पर जिनमें काफी पानी है बिजली लेना चाहते हैं ? यदि हां, तो फिर वहां के किसानों को बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

उत्तर

(1) बीगोद से ग्राम खटवाड़ा करीब 3.75 किलोमीटर दूर है।

(2) विद्युत् मण्डल के सम्बन्धित कार्यालय में उक्त ग्राम के कृषकों के प्रार्थना-पत्र पंजीकृत नहीं हुए हैं। खटवाड़ा ग्राम के विद्युतिकरण की स्वीकृत फरवरी, 1970 में हो चुकी है। किसानों को बिजली ग्राम का विद्युतिकरण होने पर दी जावेगी।

सरकार को खानों की रायल्टी से आमदनी

123. **श्री गंगासहाय (कठूमर)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में खानों के ठेकेदार कितने हैं ? क्या एक ठेकेदार के पास एक से अधिक खानों की लीजें हैं ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या लीज पर दी गई सभी खानों पर काम हो रहा है ? यदि नहीं हो रहा है, तो कितनी खानों पर ?

(3) सरकार को खानों की रॉयल्टी से कितनी आमदनी प्रति वर्ष होती है ?

(4) खानों के लीजों के लिए प्रार्थना-पत्रों की स्वीकृति नियमानुसार कितने दिनों में हो जानी चाहिये ?

उत्तर

(1) राजस्थान में खनन पट्टाधारियों की संख्या 1226 है और प्रधान खनिज के पट्टाधारियों की संख्या 701 है। उनमें से प्रधान खनिज के जिन ठेकेदारों के पास एक से अधिक लीज पर हैं उनकी तालिका संलग्न है।

(2) प्रधान खनिज से कुल पट्टाधारियों की संख्या 701 है जिनमें से 597 कार्य कर रहे हैं। शेष 104 पट्टाधारी कार्य नहीं कर रहे हैं, यह सूचना वर्ष 1969 के पोस्टिंग रजिस्टर के आधार पर दी जा रही है जिनमें पार्टियों के रिटर्न्स पोस्टिंग किये जाते हैं।

(3) खनिज विभाग को रायल्टी से प्राप्त आमदनी पिछले 5 वर्षों की निम्न प्रकार है:—

वर्ष	आय
1964-65	1,05,32,500/-
1965-66	1,29,77,591/-
1966-67	1,64,37,263/-
1967-68	1,53,85,716/-
1968-69	1,87,26,542/-

(4) प्रधान खनिजों के प्रार्थना-पत्रों को निपटाने के लिए एक वर्ष का समय निर्धारित किया हुआ है। जहां तक प्रधान खनिजों के ठेकों के प्रार्थना-पत्रों को निपटाने का प्रश्न है नियमों में कोई अवधि निर्धारित की हुई नहीं है। परन्तु कोशिश यही है कि

(खनिज मंत्री)
इन प्रार्थना-पत्रों को जितना जल्दी हो सके निपटाया जाय।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

ग्राम सूंडा चैनपुरा में सहकारी फार्मिंग सोसायटी का गठन

124. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला कोटा की तहसील किशनगंज के ग्राम सूंडा-चैनपुरा में सन् 1955-56 के आसपास श्री राजनारायण शर्मा एवं श्री गौरीशंकर शुक्ला आदि ने करीब पांच-छ: (आदिवासी) सहरिया लोगों को मिला कर कोऑपरेटिव का गठन किया था। यदि हां, तो किस तारीख को यह फार्मिंग सोसाइटी बनी और उसके कौन कौन सदस्य किन जाति पते के थे और कितनी-कितनी हिस्सा-पूंजी तथा उसमें कुल कितनी बीघा जमीन है, और आज तक उसमें कौन कौन सदस्य निकाले गये तथा नए शामिल किए गए? सूची मय पदाधिकारी वर्ग के सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां, ग्राम सूंडा चैनपुरा में दिगोदा (श्यामनगर) आदर्श सामूहिक कृषि सहकारी समिति का गठन दिनांक 30 अगस्त, 55 को हुआ था, जिसमें श्री राजनारायण व श्री गौरीशंकर शुक्ल के अलावा 11 सदस्य और थे। रजिस्ट्रेशन के समय जो सदस्य थे उस सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट 'स' पर उपलब्ध है। समिति के खाते में 697.111) 3 बीघा जमीन है। रजिस्ट्रेशन से लेकर जो सदस्य शामिल हुए हैं अथवा निकले हैं, उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है। समिति के जो पदाधिकारी हैं, उनकी सूची संलग्न 'ब' पर उपलब्ध है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई हैं।)

सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों का वेतन

125. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की सहकारी समितियों के अधिकांश व्यवस्थापकों को गत 1 साल से वेतन नहीं दिया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वेतन भुगतान न होने के कारण बहुत से व्यवस्थापक नौकरी छोड़ कर चले गये और उनके स्थान पर नई नियुक्तियां करदी गई हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वेतन भुगतान न होने के कारण व्यवस्थापक नौकरी छोड़ कर नहीं गए बल्कि 18 व्यवस्थापक उनके द्वारा नकदी व शख्सी जमानत न देने, ट्रेनिंग में जाने आदि का बौण्ड न भरने, अपने कार्य के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण बिना त्याग-पत्र दिये स्वेच्छा से नौकरी

(सहकारिता मंत्री)
छोड़कर चले गये। इनके स्थान पर 3 व्यवस्थापक नियुक्त किए गये हैं।

अलवर जिला में अनुसूचित जाति के लोगों को कृषि भूमि का आवंटन

126. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अलवर जिले में सन् 1969 में अनुसूचित जाति के कितने लोगों को कृषि-भूमि आवंटित की गई? इसकी प्रति व्यक्ति औसत क्या है?

(2) क्या उन सभी व्यक्तियों को जिनको कि भूमि आवंटित की गई, दखल मिल गया है? यदि नहीं मिला तो, कितनों को और इसके कारण क्या हैं? सम्पूर्ण जानकारी देते हुए तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को भूमि आवंटित नहीं की गई।

(2) प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बैमोट का गांवई कुआ

127. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नायब-तहसीलदार, डीडवाना दिनांक 30-12-69 को गांव बैमोट, तहसील डीडवाना में पुलिस को साथ लेकर गया था उक्त गांव के गांवई कुए पर किन्ही व्यक्ति विशेष को कब्जा करवाने के लिये पुलिस के संरक्षण में कुए पर दूसरा ढाणा चिनवाना चालू किया? यदि हां तो नायब तहसीलदार को इस प्रकार के कार्य करने के क्या अधिकार थे?

(2) क्या यह भी सत्य है कि गांव वालों द्वारा मना किये जाने पर उक्त नायब तहसीलदार फिर डीडवाना आया और फिर पुलिस से अधिक जवान लेकर वापिस पहुंचा और कार्य चालू रखा? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या इस सम्बन्ध में जिलाधीश नागौर द्वारा कोई निर्देश दिये गये? यदि हां तो कब-कब, क्या-क्या? निर्देश दिये गये? निर्देशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) उक्त निर्देशों की पालना उक्त नायब तहसीलदार ने कहां तक की है?

उत्तर

(1) जी हां। बैमोट गांव में एक कुए से सिंचाई व पीने का पानी लेने बाबत विवाद के विषय में प्रबन्ध करने नायब तहसीलदार को तहसीलदार डीडवाना ने दिनांक 30-12-69 को भेजा। मौके पर दूसरा ढाणा था इसलिए यह सही नहीं है कि तहसीलदार ने पुलिस के संरक्षण में ढाणा चुनवाना शुरू किया।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। प्रतिलिपियां संलग्न हैं।

(4) नायब तहसीलदार ने तहसीलदार के आदेशों की पालना की।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

ग्राम डालमास में बंजड़ जोहड़ भूमि का अलाटमेंन्ट

128. **श्री नथमल चौहला** (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:---

(1) क्या सरकार को विदित है कि सीकर जिला अन्तर्गत तहसील लक्ष्मणगढ़ के ग्राम पंचायत भोजासर बड़ा के ग्राम डालमास के तन में बंजड़ जोहड़ भूमि दिनांक 20-6-67 को एलॉट हुई थी ? यदि हां, तो एलॉटमेंट कमेटी के उस समय कौन-कौन सदस्य उपस्थित थे ?

(2) क्या इस एलॉटमेंट की शिकायत होने पर जिला अधिकारियों द्वारा जांच की गई थी और गलत तस्दीक करने के आधार पर पटवारी को निलम्बित किया गया था तथा तहसीलदार का तबादला किया गया था ?

(3) क्या यह भूमि एक भी भूमिहीन को नहीं दी गई ?

(4) यह एलॉटमेन्ट किन-किन व्यक्तियों को किया गया और भूमि का खाता किस के नाम था ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या एलॉटमेन्ट गलत किया गया है ? यदि हां, तो कैन्सिल नहीं करने का क्या कारण है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(6) क्या यह सही है कि इस विवादास्पद भूमि की खेजड़ी बिना नीलाम के माह जनवरी, 1970 में छांग ली गई ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर ·

(1) यह सही है। एलॉटमेन्ट कमेटी के सदस्यों में से तहसीलदार व सरपंच ग्राम पंचायत उपस्थित थे ।

(2) जी हां, जांच उप-जिलाधीश, सीकर द्वारा की गई थी व सम्बन्धित पटवारी को जांच के दौरान निलम्बित किया गया था । तहसीलदार का तबादला इस आधार पर नहीं किया गया था ।

(3) भूमि भूमिहोनों को ही एलॉट की गई थी।

(4) सूची 'क' संलग्न है।

(5) इस एलॉटमेन्ट के विरुद्ध अपील श्री राजस्व अपील अधिकारी के यहां विचाराधीन है। अतः कोई टिप्पणी देना संभव नहीं है।

(6) एलॉटमेन्ट के बाद खेजड़ियों की नीलामी नहीं की गई । एलॉटमेन्ट के तुरन्त बाद ही अपील जिलाधीश न्यायालय में कर दी गई व जिलाधीश द्वारा निर्णय करते ही उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई जिससे खेजड़ियों की कीमत वसूल नहीं की गई। अपील राजस्व अपील अधिकारी एवं निगरानी उप मंत्री, राजस्व के यहां विचाराधीन है। उपराजस्व मंत्री के द्वारा दिया गया स्टे वैकेट होने के पश्चात् 15 आवंटतियों से खेजड़ियों की कीमत वसूल की जा चुकी है व अन्य से वसूली की कार्यवाही चालू है।

(राज्य सरकार से सूची प्राप्त नहीं हुई है)

तहसील जयपुर में भूमि का आवंटन

129. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील जयपुर में राजस्थान भू-आवंटन नियम, 1957 की धारा 9 (क) के अन्तर्गत आवेदन-पत्रों का रजिस्टर नहीं रखा जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि इन दो वर्षों में जिन व्यक्तियों को भूमि का आंवटन किया गया है उसके आवेदन-पत्र निर्धारित फार्म पर ही आए हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं, रजिस्टर रखा जाता है।

(2) जी हां।

ग्राम डूंसरा की चरनोट की भूमि में काश्त

130. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील बारां (कोटा) के ग्राम डूंसरा में कुल कितनी बीघा भूमि किस किस खसरा नम्बर को चरनोट की तथा कितनी पशुओं के पानी पीने के लिए तलाइयां व तालाब की है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) ग्राम डूंसरा में मवेशियों की संख्या कितनी है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम की चरनोट, कांकड़, तालाब व तलाइयों को भी कुछ लोगों ने अवैधानिक ढंग से जबरन फाड़ कर ज्वार व गेहूं चना की फसल बोई है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों ने चरनोट व तलाइयां व तालाब की कितनी बीघा भूमि फाड़ कर फसल बोई और उस पर सरकार ने क्या क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि ग्रामवासियों व अन्य व्यक्तियों की लिखित शिकायतें जिलाधीश व उपजिलाधीश तथा तहसीलदार बारां के पास समय समय पर आई थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

उत्तर

(1) तहसील बारां (कोटा) के ग्राम डूंसरा में चरनोट 246 बीघा 15 बिस्वा, तालाब 183 बीघा 18 बिस्वा एवं तलाई की 27 बीघा 3 बिस्वा भूमि है जिसकी सूची संलग्न है।

(2) ग्राम डूंसरा में मवेशियों की संख्या 539 है।

(3) जी हां, यह सही है। 76 व्यक्तियों ने चरागाह की 175 बीघा 3 बिस्वा तालाब की 20 बीघा 5 बिस्वा व तलाई की 23 बीघा 4 बिस्वा भूमी की फाड़ कर फसल बोई है। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही तहसील में की जा रही है।

(4) जी हां, यह सही है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार बारां द्वारा भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

डिमोब्ड सैनिकों की पुर्ननियुक्ति

131. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Demobed सैनिकों की पुर्ननियुक्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है और अब तक किन-किन को कहां पुर्ननियुक्त किया जा चुका है।

उत्तर

राज्य सरकार ने डिमोब्ड सैनिकों को पुर्ननियुक्त किये जाने हेतु कुछ पद राज्य सेवाओं में आरक्षित किये हैं।

प्राप्त सूचना के अनुसार जिन डिमोब्ड सैनिकों को पुर्ननियुक्त किया है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। अभी कुछ विभागों से सूचना प्राप्त होनी शेष है।

(सूचि विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

पेन्शनयाफ्ता फौजियों की सुविधाएं

132. *श्री भैरोंसिंह शेखावत* (किशनपोल जयपुर) : क्या राजस्व (सैनिक कल्याण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार की घोषणा के उपरान्त भी पेन्शनयाफ्ता फौजियों की पेन्शन की राशि मनी आर्डर से भेजने की कोई व्यवस्था नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सन 62 से लेकर अब तक राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को जिन जिन सुविधाएं दिये जाने की घोषणा की गई थी उनमें कई सुविधाएं वापस हटा दी गई ? यदि हां, तो व या क्या कब से और क्यों ?

उत्तर

(1) व्यवस्था कर दी गई है।

(2) जी नहीं।

केवल निम्न दो सुविधाएं वापिस हटा ली गई हैं:—

(1) मेडिकल कालेजों में भूतपूर्व सैनिको के बच्चों के लिये जो 5 प्रतिशत सीटें सुरक्षित रखी गई थीं वो वर्ष 69-70 से सुरक्षित नहीं रखी गई हैं।

(2) राजस्थान वैधिक सहायता (भारतीय सैनिक) नियम, 1963 जो आपत्कालीन स्थिति की घोषणा के समय लागू किये गये थे वो स्वत: आपत्कालीन स्थिति समाप्त हो जाने पर नियम 3 के अन्तर्गत अप्रभावी हो गये।

भू-मापन सामग्री की खरीद

133. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशन पोल, जयपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अतिरिक्त भू-मापन (सेटिलमेन्ट) आयुक्त द्वारा मार्च, 69 में रुड़की, दिल्ली एवं जयपुर की कुछ फर्म्स से भू-मापन कार्य हेतु आवश्यक सामग्री का क्रय किया गया है ? यदि हां, तो कृपया क्रय किये गये सामान की तालिका सदन की मेज पर प्रस्तुत करते हुए बतायें कि किस किस फर्म को किस किस मूल्य व कितनी तादाद के सामान के क्रय के आदेश जारी किये गये ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(2) इस आदेश के अनुसार किस-किस फर्म का कितना-कितना सामान किस-किस मूल्य का 31 मार्च के पूर्व, कितना मार्च के पश्चात् प्राप्त किया और कितना अभी तक शेष है ?

(3) किस-किस फर्म को अब तक किस-किस तारीख को कितना-कितना भुगतान किया गया और कितना-कितना शेष है ?

(4) यह भुगतान की गई या की जाने वाली रकम खजाने से कब-कब निकाली गई ? खजाने से निकालने की तारीख व भुगतान की तारीख में यदि अन्तर है तो क्यों ?

(5) यह सामान किस प्रक्रिया से खरीदा गया ?

(6) क्या यह सही है कि अधिकांश सामान स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो कितना और किस मूल्य का ? इस सामान के सम्बन्ध में तकनीकी जांच कब-कब और किन-किन अधिकारियों से कराई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। सामान क्रय किया गया है लेकिन यह सही नहीं है कि अतिरिक्त भू-मापन आयुक्त द्वारा ही सामान क्रय किया गया था। राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 1 (15) राजस्व (भू. सु.)/68, दिनांक 17-2-69 के अन्तर्गत गठित क्रय समिति के द्वारा रुड़की, दिल्ली, कलकत्ता एवं जयपुर से मेट्रिक प्रणाली के सर्वे यन्त्रों का सामान क्रय किया गया है। क्रय किये गये सामान की तालिका "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है जिसमें किस किस फर्म से कितने कितने मूल्य का व कितनी तादाद में सामान क्रय किया गया, अंकित है।

(2) 7 फर्मों से जिनका नाम प्रस्तुत तालिका में अंकित है 1,83,256.04 रुपये की कीमत का सामान 31-3-69 से पूर्व तथा 5 फर्मों से 2,58,203.92 रुपये की कीमत का सामान 31 मार्च, 1969 के बाद सप्लाई हुआ। अब कोई शेष नहीं है।

(3) जिस जिस फर्म को जिस जिस तारीख को जितना भुगतान किया गया है, उसकी तालिका "ब" सदन की मेज पर रख दी गई है। अब कोई भुगतान शेष नहीं है।

(4) राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक ट्रेजरी से ए. सी. बिल पास होने पर 3,00,000 रुपये (तीन लाख रुपये) दिनांक 22-3-69 को व राशि 1.60 लाख दिनांक 31-3-69 को बैंक से ड्रा की गई जो रकम बैंक से दिनांक 22-3-69 को ड्रा की गई उसमें से 11,590.08 रुपये का भुगतान तारीख 26-3-69 को तथा 19,632.59 का भुगतान तारीख 29-3-69 को किया गया तारीख 31-3-69 को 1,08,505.56 रुपयों का भुगतान किया गया।

रकम के ड्रा करने व भुगतान करने की तारीखों में अन्तर इसलिये है कि मार्च के अन्त तक 4,41,459.96 रुपयों के सामान की बिल्टियां प्राप्त हो गई थीं। इसलिये मंजूर-शुदा रकम 4.60 लाख

(राजस्व मंत्री)
रुपयों में से 17000 रुपये 31 मार्च, 69 को वापस खजाने में जमा करा दिये।

31 मार्च, 69 तक प्राप्त सामान का मूल्य 1,83,256.04 रुपया था। सामान की बिल्टियां प्राप्त हो जाने पर उनको रकम चुकाना लाजमी था, इसलिये भी रकम के ड्रा करने की तारीख व भुगतान की तारीख में अन्तर रहा है।

(5) सामान की खरीद राजस्व भूमि सुधार के पत्र क्रमांक एफ. 1 (15) राज.। भू. सु. 68 । दिनांक 24-1-69 आदेश दिनांक 17-2-69 व 7-3-69 के द्वारा गठित की गई समिति के माध्यम से की गई है।

(6) जी नहीं। समस्त सामान स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही है। सामान को स्वीकार करने से पूर्व श्री बेरीसालसिंह, अति. भू. प्र. आयुक्त (कन्वीनर परचेज कमेटी) व टेक्नीकल स्टाफ श्री माधोनारायण, मुख्य प्रारूपकार, श्री शेरसिंह, छांदालाल निरीक्षकों व श्री इमामअली खां भू-मापक ने तकनीकी जांच करली थी।

तकनीकी जांच दिनांक 26, 28, 29, 30, 31 मार्च, 69 व 4, 10 अप्रेल, 69 को की गई थी।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

ग्राम बेजोट का गांवाई कुआ

134. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसीलदार डीडवाना, जिला नागौर ने कभी गांव बेजोट के गांवाई कुए के झगड़े के सम्बन्ध में कभी कोई कार्यवाही की ? यदि हां, तो क्या और किसके आदेश से ?

(2) क्या यह सत्य है कि गांवाई कुआ खसरा नम्बर 44 में राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक कुआ दर्ज है ?

(3) क्या उक्त कुए पर किन्हीं व्यक्ति विशेष ने नाजायज कब्जा करने की कोशिश की है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ विभाग ने क्या कार्यवाही की ?

(4) इस प्रकार से नाजायज कब्जा करने की बात तहसीलदार के नोटिस में आने के बाद नियमानुसार क्या कार्यवाही करनी चाहिये थी ?

(5) क्या उक्त तहसीलदार ने अपने कर्त्तव्यों का पालन किया है ? यदि हां, तो कैसे और नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार अपने कर्त्तव्यों को नहीं निभाने के कारण उक्त तहसीलदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी हां। तहसीलदार डीडवाना को ए.सी. एम., नागौर की आज्ञा के अनुसार रिसीवर मुकर्रर किया गया और उसने उसी आज्ञा के अनुसार बेरे से पानी पिलाई इत्यादि की कार्यवाही की।

(2) जी हां, खसरा नं. 44 बेरा गांवाई पीच का दर्ज है तथा गिरदावरी में यह बेरा बिला नामी दर्ज है।

(राजस्व मंत्री)

(3) जी नहीं, दोनों पार्टियों में तनाजा होने के कारण अदालत द्वारा धारा 145 सीआर. पी. सी. मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही जारी है।

(4) अभी तक अदालत की आज्ञानुसार कार्यवाही की जा रही है। उसी के अनुसार कार्यवाही की गई।

(5) रिसीवर के नाते तहसीलदार ने कर्त्तव्यों का पालन किया है।

(6) ऐसी कोई कार्यवाही नजर नहीं आई जिससे तहसीलदार के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक हो।

मंत्रि-मंडल

135. **श्री विजयसिंह (मकराना)**: क्या मंत्रि मंडल सचिवालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य की स्थापना से लेकर अब तक किन किन लोगों ने कब कब मुख्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की ?

(2) उपरोक्त समय में किस किस मुख्य मंत्री ने कब कब अपने मंत्रि-मंडल बनाये और उनमें कितने कितने मंत्री और उप मंत्री रखे गये और उन्हें क्या क्या विभाग गुरू में दिये गये ? कृपया ऐसे प्रत्येक मंत्रि-मंडल के सदस्यों और उनको दिये गये विभागों के नाम बतायें।

(3) क्या मंत्रि-मंडल बनाने के बाद और भी मंत्रियों और उप-मंत्रियों की भी नियुक्ति की गई ? यदि हां, तो कब कब किस किस के मंत्रि-मंडल में एक्सटेंशन किया गया और किन किन को उनमें लिया गया और क्या विभाग दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या उपरोक्त समय में किन्हीं मंत्रियों ने त्याग-पत्र दिया ? यदि हां, तो किन किन ने कब कब किन किन बातों को लेकर ?

(5) क्या वर्तमान मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों व संसदीय सचिवों की संख्या में वृद्धि किये जाने का विचार है ? यदि हां, तो कितने और कब तक ?

उत्तर

(1) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (परिशिष्ट 1)।

(2) वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी है (परिशिष्ट 2)।

(3) जी हां। वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी है (परिशिष्ट 3)।

(4) जी हां। वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी है (परिशिष्ट 4)।

(5) फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है।)

अकाल राहत कार्यों के सम्बन्ध में शिकायतें

136. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)**: क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में सार्वजनिक निर्माण

(श्री हरजीराम बुरड़क)
विभाग द्वारा किये गये कार्यों में किये गये भ्रष्टाचार को शिकायतें प्रधान मंत्री को की गई थी और प्रधान मंत्री ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है ? यदि हाँ, तो कब और किन किन शिकायतों में क्या क्या स्पष्टीकरण दिया गया ?

(2) क्या सरकार यह महसूस कर रही है कि उक्त विभाग ने गत वर्ष अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार किया है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

उदयपुर खाद्य निगम भण्डार में चोरी

137. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर खाद्य निगम भण्डार में कुछ माह पूर्व चोरी हो गई थी ? यदि हां, तो कितने रुपयों का क्या क्या माल किस तारीख को चोरी गया और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या यह भण्डार किराये पर लिया हुआ है ? यदि हां, तो किस तारीख को कितने रुपये किराये पर किस व्यक्ति से लिया और भण्डार का वास्तविक मालिक कौन है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि उदयपुर खाद्य निगम भण्डार की अपेक्षा राजस्थान राज्य खाद्य निगम, उदयपुर के गोदाम से 500 बोरी तिल, 413 बोरी पेडी, 77 बोरी चावल, 40 चावल कट्टा, 100 बोरी चना, 950 बोरी बिनोला, 300 पीपा तेल मूंगफली, कुल 2380 यूनिट जिन का मूल्य लगभग 1,66,550/- रुपये के माल का अनधिकृत रूप से हटने की सूचना दिनांक 26-11-68 को प्रधान कार्यालय में प्राप्त हुई थी । बाद में जांच पड़ताल के पुलिस थाना धान मन्डी उदयपुर में दिनांक 27-11-68 को रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई थी ।

(2) हां । नो गोदाम किराये पर लिये गए थे । इन नो गोदामों से सम्बन्धित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

याचिका का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क ।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं कस्बा भादरा में वाटर वर्क्स के पास की जमीन को इन्डस्ट्रियल क्षेत्र घोषित न कर पूर्व योजनानुसार बागात के लिये सुरक्षित रखवाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं रावतसर में जनता को वाटर कनेक्शन दिलवाने के सम्बन्ध में दो याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं ।

(12 मध्याह्न)

Page No 44

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:—

(1) जिला बांसवाड़ा के चिकित्सालय के डिस्ट्रिक्ट मैडिकल ऑफिसर के विरुद्ध शिकायत के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री हीराभाई, सदस्य विधान सभा, से प्राप्त हुई है।

(2) दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री डूंगाराम राजोरिया, सदस्य विधान सभा से कस्बा दौसा, जिला जयपुर में पेयजल के अभाव के कारण उत्पन्न स्थिति के बारे में प्राप्त हुई है।

(3) श्री देवीलाल बुरासिया, सदस्य विधान सभा, के केकड़ी नगर में पाइप लाइन लगा दिये जाने के बावजूद पब्लिक टेप नहीं लगाए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा, ने हनुमानगढ़ जंक्शन व सादुलपुर के बीच एक अतिरिक्त पैसेन्जर रेलगाड़ी के बन्द कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय का सीधा सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है।

(5) श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, सदस्य विधान सभा, ने बीकानेर जिले की ग्राम पाचूं में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अकाल सहायता की धनराशि का वितरण पार्टी के मुखिया सी. ओ. पंचायत समिति नोखा द्वारा गबन किये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) श्री हरजीराम बुरड़क व श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा, ने कस्बा लाडनूं में 27/28 अप्रेल को एक खान में ट्रक से हुई दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु सम्बन्धी मामले को पुलिस द्वारा दबाये जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(7) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने भादरा कस्बा जिला गंगानगर में कुछ जमीन, इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित कराया जाकर श्री ओमप्रकाश आर्य के नाम से अनियमित रूप से अलाट कराने के प्रयत्नों के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अतिरिक्त मैं दो पेण्डिग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी सदन को सूचित करना चाहता हूं, ये स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार हैं:

(1) नक्सलवादी गतिविधियों की आड़ में वर्तमान सत्र की समाप्ति पर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन सम्बन्धी अध्यादेश जारी करने के विचार के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह, श्री विजयसिंह मकराना, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री हरजीराम बुरड़क, श्री रामचन्द्र आर्य, श्री श्रवणलाल, श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्री रूपसिंह, श्री बालसिंह सोढ़ा व श्री केदार नाथ, सदस्य विधान सभा, ने दी थी। सरकार का उत्तर है कि ऐसा अध्यादेश निकालने

(श्री अध्यक्ष)
का राज्य सरकार ने न अभी कोई निर्णय लिया है और न सरकार का इरादा है कि अपने विरोधियों को कुचलने में इसका प्रयोग करे। अध्यादेश निकालने का अभी राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं है।

(2) श्री विजयसिंह मकराना, सदस्य विधान सभा, ने डॉ. सूरजमल दूगड़, तत्कालीन मैडिकल जूरिस्ट की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बिना लेक्चरार के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी। इस विषय में पहले से ही सदन में विचार हो चुका है।

ऊपर दिये गए तथ्यों की दृष्टि में इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

इनके अलावा दो और स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :

(1) श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य विधान सभा, ने सैकण्डरी कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए प्रवेश प्राप्त करने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन-पत्रों के साथ जो प्रमाण-पत्र संलग्न कराने का निश्चय किया है तथा प्रति वर्ष विद्यार्थियों को एक ही स्कूल में परीक्षा पास करने पर भी इस प्रकार के आवेदन-पत्र देने की नीति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने कल राज्य सभा में माननीय प्रधान मन्त्री महोदया द्वारा विभिन्न राज्यों के पिछड़े जिलों की सहायता दिए जाने हेतु जो सूची प्रस्तुत की गई उसमें राजस्थान के पिछड़े जिलों का उल्लेख नहीं होने और इसका कारण राज्य सरकार द्वारा केन्द्र से चाही गई जानकारी न देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिए जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

राजस्थान टीनेन्सी····

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : हनुमानगढ़ से सादूलपुर तक जाने वाली गाड़ी के लिए राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है।

श्री अध्यक्ष : मैंने अस्वीकार किया है, माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : केन्द्रीय सरकार से इसकी मांग करें।

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य। श्री रामचन्द्र आर्य। अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : ××××

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के बारे में नहीं कहना है मुझे। मेरा निवेदन केवल यही है कि इस मामले में आप तथ्यों

×××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

की जानकारी करके इस बारे में सरकार से एक स्टेटमेंट दिलवाने की कृपा करें क्योंकि यह मामला ऐसा है कि भादरा में जो 25 बीघा जमीन हरिजन छात्रावास के लिए अलाट करने की बात चल रही थी और इसकी दरख्वास्त भी माननीय सदस्य हंस राज जी आर्य के द्वारा दी गई थी। सरकार की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार ने लिख दिया कि 7 बीघा अमुक हरिजन को अलाट करने को है, बाकी 18 बीघा जमीन दे सकते हैं। जब वह मन्जूर हो गई तो हंसराज जी ने अपने लड़के की तरफ से एक दरख्वास्त दिलवा दी कि यह जमीन काटन जिनिंग प्रेस के लिए उसको अलाट कर दी जावे। पहले यह छात्रावास के लिए थी जमीन, फिर काटन प्रेस को देने के लिए घोषित कर दी गई। इण्डस्ट्रियल एरिया अलग से भादरा में है। वहां इनको जमीन दी जा सकती थी। पर विधान सभा के सदस्य ने अपने प्रभाव से यहां दिलाने की बात की है। लाखों रुपयों की यह जमीन है। निवेदन मेरा यह है कि इस के तथ्यों की जानकारी कराली जावे और इसके बाद तथ्य सही न हों तो इजाजत न दी जावे। तथ्य सही हों तो स्टेटमेन्ट दिलवा दें सरकार से और तब तक इस जमीन को जिनिंग फेक्ट्री को देने से रुकवाने का कष्ट करें।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़ सु०) : अध्यक्ष महोदय, मैंने....

श्री अध्यक्ष : इसको प्रेक्टिस न बनाइये। कोई ऐसा अपवाद स्वरूप हो जाता है, तब आपकी बात सुनने को तैयार हो जाता हूं। पर जितने स्थगन प्रस्ताव हैं उन सभी पर चर्चा करना चाहेंगे तो मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : करीब तीन हजार लोग भूखों मर रहे हैं।

श्री हीराभाई : बांसवाड़ा के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा था मैंने। कई बार अस्पताल में मरीज मर गये।

श्री अध्यक्ष : अस्वीकार किया है मैंने हीराभाई।

श्री हीराभाई : आपका बहम दूर कर दूं।

श्री अध्यक्ष : मेरा तो पहले ही दूर होना शुरू हो गया।

श्री हीराभाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं पर लोगों की शिकायतें हुई हैं। उनके तबादले हुए। तबादले भी रुकवाये हैं। वहां कुशलगढ़ का कर्मचारी जैनियों के एक उत्सव में घायल हुआ। उसको हास्पिटल में भर्ती करने के लिए कम से कम एक घण्टा पटके रखा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! अंकित न हो।

श्री हीराभाई : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री हीराभाई : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 47

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में·······

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : मेरी गाड़ी चलने दीजिए

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। श्री आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : आपका भाषण अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : आपको नाम से पुकारना नहीं चाहता हूं। न अवसर देना चाहता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य । ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री केदारनाथ जी, आप तो कहा करते हैं कि ये सदस्य महोदय, दो एक मिनट ही लेते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य। माननीय श्री आर्य। दुबारा इस प्रश्न पर·······

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : आप आसन की अवहेलना करते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य। अब मैं बैठूं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य। मैं आपको नाम से पुकारता हूं। उठें नहीं। दो बार बोल चुके हैं। पूरा ही आपका व्यवहार नियमानुकूल नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य । × × ×

श्री अध्यक्ष : अङ्कित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : अङ्कित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : × × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य। सदन का प्रांगण छोड़ें। मार्शल, श्री आर्य को बाहर जाने में सहायता करें। (विराम) मैं अपना आदेश वापिस लेता हूं। बैठ गये। बैठे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : (किन्हीं माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) यह बिना मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य। आर्डर प्लीज। मैं माननीय कहते कहते थक गया हूं। अब मैं बैठ सकता हूं, सदन की इजाजत से। एक बार दो बार। मैं आपका सहयोग चाहता हूं। कुछ तो इन माननीय श्री आर्य का सहयोग नहीं है। हमें सब का सहयोग चाहिए।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अङ्कित नहीं किया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : हमारा तो है, आपका नहीं है।.........

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री आर्य, सदन का प्रांगण छोड़ें। प्रांगण छोड़ें।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी यही इच्छा है.........

श्री अध्यक्ष : अङ्कित न हो।

[श्री रामचन्द्र आर्य द्वारा सदन से बहिर्गमन]

ठीक है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत अफसोस की बात है, नियम के अनुसार हम कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। जनता की जो कष्टदायक समस्याएं हैं, उनको हम पेश करते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय श्री सारण।

श्री दौलतराम सारण : मैं समझ-बूझ कर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सारण। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, आपका इस प्रकार नियमों का पालन कराना आपत्तिजनक है।

श्री अध्यक्ष : आपत्तिजनक नहीं है।

टिनेंसी बिल.........

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय.........

श्री दौलतराम सारण : अकाल का पैसा.........

श्री अध्यक्ष : अङ्कित न हो। स्थान ग्रहण करें।

श्री दौलतराम सारण : × × ×

श्री अध्यक्ष : आसन किसी की जायदाद नहीं है। संविधान का है।

श्री दौलतराम सारण : × × ×

श्री अध्यक्ष : कह दीजिए जो मन में आये। क्योंकि मैं यहां बैठा हूं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, आप मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करिये, आपको भी उधर बैठा लें। आपका भी संकट मिटे। उधर बैठ जायें।

श्री अध्यक्ष : मैं उधर बैठने का इच्छुक नहीं हूं।

एक माननीय सदस्य : तो इधर आ जायें।

श्री अध्यक्ष : इधर आने की बात आक्रोश के साथ कहते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका इधर आना ज्यादा सुविधाजनक होगा और हमारे लिए शोभाजनक होगा।

श्री अध्यक्ष : संकट के प्रश्न पर क्या, साधारण घटना के प्रश्न पर, इधर के माननीय सदस्य इतने आक्रोश के साथ आमन्त्रण देते हैं, कहीं चला जाऊं तो उस वक्त क्या हाल होगा?

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अङ्कित नहीं किया गया।

Page No 49

श्री विजयसिंह : अगर आपको किसी से किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिले तो मैं आप के लिए खून पसीना बहाने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : आपके खून और पसीने का पता ही नहीं चलता है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं........

श्री अध्यक्ष : वह नहीं आएगा। आप पहले बोल चुके हैं। दुबारा बोल रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूं। अकाल का मामला है। राज्य सरकार सहायता दे रही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : बीच में अधिकारी पैसा खा जाते हैं।........

श्री अध्यक्ष : अङ्कित न हो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : × × ×

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा है। अब ले लें टिनेन्सी बिल ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था।

श्री अध्यक्ष : उस पर व्यवस्था शेष है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल राज्य सभा में यह विषय खड़ा हुआ है। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों को एक पत्र भेजा है जिसमें केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों के लिए 175 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। सभी राज्यों से सूचना मांगी गई है। सभी जगह से सूचना आई है, लेकिन वहां राजस्थान से सूचना नहीं आई है। जो सूची वहां रखी गई है, उसमें है कि राजस्थान से कोई सूचना नहीं भेजी गई है। मुख्य मंत्री यहां पर उपस्थित हैं। श्री देवीदत गाड़िया ने स्थगन प्रस्ताव रखा है। या तो ध्यान आर्कषण प्रस्ताव स्वीकार कर लें या स्थिति स्पष्ट कर दें। 175 करोड़ की स्पेशल असिस्टेंस पिछड़े हुए राज्यों को देने के लिए है। सभी राज्यों ने सूचना भिजवाई है। यह सूची राज्य सभा में रखी गई है लेकिन उसमें राजस्थान का नाम नहीं है। वहां पर हमारे राजस्थान के प्रतिनिधियों ने पूछा कि राजस्थान के बारे में क्या है, कौन कौन से जिलों के बारे में लिखा है तो वहाँ श्रीमती इन्द्रा गांधी ने कहा राजस्थान के सम्बन्ध में कि वहां से हमको जानकारी नहीं भेजी है। क्या यह सत्य है ?

श्री अध्यक्ष : आज ही यह स्थगन प्रस्ताव आया है उसकी जानकारी ली है, मैं विश्वास करता हूं कि यथाशीघ्र जानकारी प्राप्त होगी, तब मैं इस पर व्यवस्था दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। हमने इस सम्बन्ध में एडजोर्नमैंट मोशन ही नहीं, एक काल

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अङ्कित नहीं किया गया।

Page No 50

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अटेंशन मोशन दिया था और उस पर काफी माननीय सदस्यों ने हस्ताक्षर किये हैं। सभी चाहते हैं कि इसको एडमिट करके उसको दो-तीन दिन के बाद रख दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : काल अटेंशन मोशन आज ही रखा है। स्थगन प्रस्ताव आज ही मिला है। मैं दूसरे दिन इस पर व्यवस्था दे दूंगा। माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किया है उस सन्दर्भ में भी देखने का प्रयत्न करूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुख्य मंत्री यहां विराजमान हैं, वह कह दें।

श्री अध्यक्ष : सतीशचन्द्र जी मैं इस विषय में व्यवस्था दे दूंगा, दूसरे रोज मैं व्यवस्था दे दूंगा। मुझे टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस सम्बन्ध में इतना निवेदन था····

श्री अध्यक्ष : क्या निवेदन कर रहे हैं? ग्यारह बज गये हैं। मैंने निवेदन किया कि मैं व्यवस्था दे दूंगा। फिर क्या निवेदन कर रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव के ऊपर पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष : अच्छा! श्री रामानन्द अग्रवाल!

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है, इस सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। स्पष्टीकरण के रूप में जानना चाहता हूं कि क्या प्रिवेन्टिव डिटेंशन के विषय में कोई निर्णय सरकार ने लिया है?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सरकार ने कहा है कि लगाने का इरादा नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह नहीं, इन्होंने कहा है कि राजनैतिक दलों के आधार पर, राजनैतिक आधार पर नहीं किया जायगा। इसका मतलब है कि इरादा तो है, आर्डिनेन्स जारी होगा सदन की कार्यवाही स्थगित होते ही।

श्री भैरोंसिंह : इसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : ऐसा अध्यादेश निकालने का राज्य सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री विजयसिंह : अब ले लेगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह शब्दों का जाल है, अभी नहीं लिया है, आज नहीं लिया है। तो कल ले लेगी। सरकार की इन्टेन्शन क्या है? क्या हाउस एडजोर्न होने के बाद राजस्थान में प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार अध्यादेश जारी करने का इरादा रखती है या जारी नहीं करेगी—यह केटेगरीकल स्टेटमेंट सरकार दे सकती है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अखबारों में सरकार के प्रवक्ता की ओर से यह कह कर समाचार निकला है। सरकार ने विचार किया है या नहीं किया

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

है, सरकार इसको कन्सीडर करे क्योंकि यह अननसेसरी है, अनावश्यक है, इसका कोई आधार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अभी यह प्रश्न नहीं आयेगा। मैं स्पष्टीकरण और करना चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह : कब मांगा है स्पष्टीकरण ?

श्री अध्यक्ष: और स्पष्टीकरण चाहूंगा।

श्री भैरोंसिंह : वह बता दें, मुख्य मंत्री जी यहां बिराजे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे मामले इकट्ठे हो जायेंगे, 16, 17 और 18 की छुट्टी है, उसके बाद में शिड्यूल्ड कास्ट्स की रिपोर्ट है, फेमिन रिपोर्ट है। यह सारे मामले इकट्ठे करते चले जायेंगे तो कब इन पर विचार होगा ? चीफ मिनिस्टर यहां बैठे हैं, कोई सेक्रेटेरियट से पूछना नहीं है. यह छोटा सा मसला है. इनको जानकारी है कि प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्टको लागू करना चाहते है या नहीं ? इसमें क्या परेशानी है। राजस्थान विधान सभा में एक एम. एल. ए. कम्युनिस्ट पार्टी का है, वह अगर गड़बड़ी करता है, कोई बात करता है तो क्या आप प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट लागू करना चाहते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका मतलब जहां कम्युनिस्ट हैं वहां आप इसके पक्ष में हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह मायला आज का नहीं है, 3 मई, 70 का है, अखबारों में फर्स्ट लीड थी कि "राजस्थान में निरोधक कानून जारी हो नक्सलवादी प्रवृत्तियों के कारण, मामला सरकार के विचाराधीन है। ज्ञात हुआ है कि राज्य सरकार राज्य के कुछ क्षेत्रों में बढ़ रही नक्सलवादी प्रवृत्तियों के कारण राजस्थान में निरोधक कानून को लागू करने पर विचार कर रही है।"

मैं जानना चाहूंगा, आप कोई एक्ट बनायें, कोई बिल पास करें, तो वह विधान सभा में सब माननीय सदस्यों के सामने विचारार्थ पेश होगा, उसके बाद में वह कानून बनेगा। मेरी जानकारी जहां तक है, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ज्यों ही सदन की कार्यवाही स्थगित हुई, सरकार इस सम्बन्ध में आर्डिनेन्स लायेगी। मैं मुख्य मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि इस प्रकार का आर्डिनेन्स नहीं आयेगा, इस प्रकार का बिल सदन में प्रस्तुत करना चाहें और उसको बहुमत के आधार पर पास कराना चाहें तो वह स्थिति दूसरी है, लेकिन आर्डिनेन्स के रूप में इस प्रकार प्रिवेन्टिव डिटेंशन एक्ट राज्य सरकार लागू नहीं करेगी। इसके बारे में मुख्य मंत्री जी क्या कहते हैं ? इसका स्पष्टीकरण कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट की तरफ से वक्तव्य देने का आप आग्रह करें ताकि अगली तारीख को कल या नेक्स्ट वर्किंग डे पर गवर्नमेंट की तरफ से वक्तव्य इस पर आ जाय।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : आर्डिनेन्स के बारे में वक्तव्य नहीं दिलायेंगे तो मैं एक मिनिट ···

Page No 52

श्री अध्यक्ष : अभी मत करिये । मैं स्पष्टीकरण कर देता हूं ।

श्री हीराभाई : आप खड़े हैं फिर मुझे कहेंगे कि मैं आज्ञा भंग कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्न नहीं है । आप स्थान ग्रहण करें । मैं निवेदन कर दूं, जैसी माननीय सदस्यों ने भावनायें व्यक्त की हैं, मैं उस संदर्भ में और स्पष्टीकरण मांग लूंगा, स्पष्टीकरण के बाद में जो स्थिति होगी, मैं पुनः माननीय सदस्यों को अवगत करा दूंगा । इसलिये आज इस प्रश्न को छोड़ दिया जाय । दूसरे दिन इसको ले लिया जायगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष : आज मत लीजिये । समय कम है । श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक मिनिट मुख्य मंत्री जी अपने विचार प्रकट कर दें....

श्री बालसिंह सोढ़ा : यह नीति का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन कर दिया, स्पष्टीकरण मांग कर जैसी स्थिति होगी, मैं माननीय सदस्यों को अवगत करा दूंगा माननीय सदस्य फिर कोई विचार व्यक्त करें तो उचित होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टीनेन्सी अमैंडमेन्ट बिल....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाकी पर क्या व्यवस्था है.........

श्री मूलचन्द डागा : वह बोल रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बोल तो रहे हैं । ठीक बात है । मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया कि सरकारी कार्यालयों और न्यायालयों में पानी का अभाव है, इसलिये लोग अदालत में बैठने....

श्री अध्यक्ष : वह 11 बजे के बाद आया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 11 बजे के बाद ?

श्री अध्यक्ष : जी हां ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 11 बजे के पहले दे दिया था ।

श्री अध्यक्ष : हां ऐसा ही है । नेक्स्ट । विधायी कार्य ।

विधायी कार्य

राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर अग्रेतर खण्डशः विचार

खण्ड 2

खण्ड दो पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:-

श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्ताव किया कि—

(1) Clause (1) of section 30-DD, proposed to be added by the Select Committee,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

after section 30-D of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 be deleted and substituted by the following:—

"(1) If a transfer was made up to the 31st December, 1969 in favour of a landless tenant or a poor peasant who—

(a) continues to be a landless tenant or a poor peasant till the date of vesting under section 30-E, sub-section (5) but for holding the land under transfer; and

(b) continues in actual cultivatory possession of the land so transferred till the above mentioned date

such transferee shall not be ejected and continue to hold so much area of the land transferred, as together with the land transferred, and together with the land held by him or any member of his family, if any, constitute an economic holding :

Provided that such transferee shall be refunded from the compensation pool any excess price paid by him to the transferer in respect of the land he is allowed to hold from the impugned transfer, and the same amount shall be recovered by the State Government from the transferer."

(2) Clause (ii) of section 30-DD, proposed to be added by the Select Committee, be deleted and substituted as under:—

"I. The expression "landless tenant" means an agricultural labourer, a Village artisan or a sub-tenant cultivating land by his own labour or by the Labour of any member of his family.

II. The expression "poor peasant" means a person holding land less than an economic holding and who cultivates land himself or by member or his family mainly and employees agricultural labourer, if any, for subsidiary holding only.

III. The term "transfer" includes whole series of transactions if there have been more than one; and for the purposes of this section the first transferer and last transferee shall be considered as parties to such transfer"

श्री केसरीसिंह हाडा (वि. सं. 21) ने प्रस्ताव किया कि—

2. प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक द्वारा राजस्थान अधिनियम 3, सन् 1955 की धारा 30-D के पश्चात् जो नवीन धारा 30-DD जोड़ी जानी है:—

(अ) उसके भाग (i) की—

(i) छठी व सातवीं पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "Up to the thirty-first day of December, 1969" अभिव्यक्ति "till the Bill becomes law" द्वारा प्रतिस्थापित की जाय;

(ii) आठवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "Son" के पश्चात् तथा शब्द "or" से पूर्व अभिव्यक्ति "daughter, widow mother, widow sisters, who are entirely dependent upon him": अन्तर्विष्ट की जाय; तथा

(iii) दसवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "personally" तथा "and" के मध्य अभिव्यक्ति "and/or by skilled labour" जोड़ी जाय।

(आ) उसके भाग (ii) की नवीं पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "Son" तथा "or" के मध्य में अभिव्यक्ति "daughter, widow mother, widow sisters who are entirely dependant on him" जोड़ी जाय।

(1) **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (वि. सं. 97)
(2) **देवीदत्त गाड़िया** (वि. सं. 52)
ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि—

3. In section 30-DD, proposed to be added by the Select Committee, after section 30-D of the Rajasthan Tenancy Act, 1955—

(1) In part (i),—

(i) The figures "1969" be substituted by the figures "1970";

(ii) The expression "an agriculturist domiciled in Rajasthan or in favour of his son or brother intending to take the profession of agriculture and capable of cultivating land personally and who had attained the age of majority on or before the said date" be substituted by the words "a landless tenant."

(2) In part (ii),—

(a) The expression "the first day of June, 1970" be substituted by the expression "thirty-first day of December, 1970"; and

(श्री भैरोंसिंह व श्री देवीदत्त गाड़िया)

(b) The expression "in favour of an agriculturist domiciled in Rajasthan or in favour of his son or brother fulfilling the conditions mentioned in clause (i) and who attains the age of majority on or before the first day of aforementioned dates" be substituted by the words "in favour of landless tenants";

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (त्रि. स. 144) ने प्रस्ताव किया कि:—

4. प्रवर समिति के संशोधनानुसार, राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, 1955 की धारा 30-D के पश्चात् जो नई धारा 30-DD जोड़ी जानी है उसके भाग (ii) में प्रयुक्त शब्द "said date" के पश्चात् तथा विराम-चिन्ह;" से पूर्व निम्नांकित शब्द जोड़े जांय:—

"or the daughters or sisters married to landless armed personnels domiciled in Rajasthan."

श्री रामनारायण चौधरी : ने प्रस्ताव किया कि—

5. (i) In section 30-DD, proposed by the Select Committee to be added after section 30-D of the Rajasthan Tenancy Act, 1955:—

(a) In clause (ii),

(i) the words "in favour of an agriculturist domiciled in Rajasthan or" be omitted; and

(ii) between the words "shall" and "be recognised" the words "also" be inserted.

(b) the existing explanations be replaced by the following:—

"*Explanation*:—I. The expression "Agriculturist" in this section shall mean a person who earns his livelihood wholly or mainly from agriculture and cultivates land by his own labour or by the labour of any member of his family or along with such labour as aforesaid with the help of hired labour or servant on wages, payable in cash or in kind and shall include an agricultural labour and a village artisan.

II. The expression "domiciled in Rajasthan" in

(श्री रामनारायण चौधरी)
this section shall mean a person who permanently resides in Rajasthan since before the commencement of this Act."

1. श्री आईदानसिंह (वि. सं. 6)
2. श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा (वि. सं. 75)
ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:—

प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक द्वारा, राजस्थान अधिनियम 3, सन् 1655 की धारा 30 D के पश्चात जो नवीन धारा 30-DD जोड़ी जानी है,—

(अ) उसके खण्ड (i) की—

(i) द्वितीय व तृतीय पंक्तियों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "up to the thirty-first day of December, 1969" अभिव्यक्ति "till the Bill becomes law" द्वारा प्रतिस्थापित की जाय; तथा

(ii) चतुर्थ पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'Rajasthan' के पश्चात् तथा शब्द "in favour of" से पूर्व निम्नांकित शब्द अंतर्विष्ट किये जायं— "or a woman who is unmarried or divorced or separated from her husband or is a widow or a person who is a member of the armed forces of the Union";

(आ) उसके खण्ड (ii) की—

(i) द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त शब्द 'first day" अभिव्यक्ति "30th day" द्वारा प्रतिस्थापित की जाय; तथा

(ii) नवम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "or" के पश्चात् तथा शब्द "in favour of his son" से पूर्व निम्नांकित शब्द अन्तर्विष्ट किये जायं:— "a woman who is unmarried or divorced or separated from her husband or is a widow or a person who is a member of the armed forces of the Union or"; तथा

(इ) उसके द्वितीय स्पष्टीकरण (II Explanation) के अन्त में शब्द "Since before the commencement of this Act", शब्द "from the date of such transer" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं।

राजवी श्री रूपसिंह (वि. सं. 140) ने प्रस्ताव किया कि—

7. प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक द्वारा, राजस्थान अधिनियम 3, सन् 1955 की धारा 30-D के पश्चात् जो नवीन धारा 30-DD जोड़ी जाती है—

(अ) उसके खण्ड (i) को तृतीय पंक्ति में प्रयुक्त अङ्क "1969" अङ्क "1970" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायं, तथा

(राजवी श्री रूपसिंह)

(आ) उसके खण्ड (ii) की द्वितीय पंक्ति में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "first day of June, 1970" अभिव्यक्ति "thirty first day of December 1970" द्वारा प्रतिस्थापित की जाय।

(12.30 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो संशोधन है, वह सलेक्ट कमेटी द्वारा जो खन्ड दो प्रप्रोज किया है उसमें मुख्य तौर से 4 बातों में भिन्नता रखता है। पहली तो किसको यह ट्रान्सफर किया जाय ? एक व्यक्ति है ट्रांसफरी उस बारे में वेलिड होना कन्सीडर किया जाय। जो मूल बिल है सलेक्ट कमेटी का उसमें कहा गया है कि वह आदमी उसका बेटा हो या भाई हो या कोई एग्रीकल्चरिस्ट हो। मैंने कहा है। कि इन शब्दों के बजाय या तो भूमिहीन किसान या गरीब किसान हो। भूमिहीन किसान को मैंने डिफाइन किया है कि उसका मतलब है या तो खेतीहर मजदूर जो खेती से मजदूरी करता है या विलेज आर्टिजन या सब-टेनेन्ट जो किसी से जमीन लेकर काश्त करता है, जो खुदकाश्त करता है या उसके घर के परिवार में से कोई सदस्य खुद मेहनत करके काश्त करता है। यह डेफिनेशन मैंने भूमिहीन टेनेन्ट की दी है कि गरीब किसान हो याने ऐसा किसान जो खुदकाश्त करने वाला है और उसमें वह खुदकाश्त करे या परिवार से कराए और थोड़ा बहुत लेबर एन्गेज भी करे सहायता के लिये, वह भी उसके अन्दर शामिल है लेकिन मुख्य काम वह खुद या परिवार का सदस्य करे। जिसके पास जमीन इकोनोमिक होल्डिंग से कम हो तो वह गरीब किसान है। लड़का, बेटा या जो परिभाषा उसके अन्दर रखी है, वाइड स्कोप हो जायगा और इसके अन्दर जिन लोगों को हम जमीन नहीं देना चाहते हैं, एबसेन्टी लेंडलार्ड्स या कैपिटलिस्ट लेंड-लार्ड्स जैसे घुस जायेंगे क्योंकि जो एग्रीकल्च-रिस्ट की परिभाषा है, उसके अन्दर रखा है कि वह आदमी जिसकी मेनली या होलली आमदनी खेती से हो। एक व्यक्ति जिसकी मेनली या होलली आमदनी खेती से हो वह व्यक्ति अगर आपने एग्रीकल्चरिस्ट मान लिया तो तमाम जागीरदार रावले में बैठ कर काश्त कराते हैं और बटाई उनके पास होती हैं तो उनकी आमदनी मेनली या होलली एग्रीकल्चर पर है। तो इससे वापस एबसेंटी लेंडलार्ड्स की गुंजाइश कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो मजे में आफिस में या कोठी पर या हवेली में रहते हैं फार्म खरीद लें और लेबर एन्गेज करें और उनसे काश्त करायें, जिसको हम कैपिटलिस्ट फार्मिंग कहते हैं तो ऐसे आदमियों की आमदनी मेनली या होलली एग्रीकल्चर से है तो मैं पूछना चाहता हूं मंत्री जी से कि क्या आपकी मन्शा फ्यूडल लेंडलार्ड्स को या कैपिटलिस्ट लेंडलार्ड्स को जो जमीन ट्रान्सफर की गई है उसको वेलिड करने की है ? जहां तक मैंने इसके आब्जेक्ट्स और रीजन्स को समझा है, यह मन्शा नहीं है।

दूसरा जो मेरा संशोधन है वह इस बात पर डिफर करता है कि सीलिंग एरिया तक ट्रांसफर्स को आपने मकबूल किया है आपने इस हद तक कर दिया कि अगर एक आदमी के पास 10 एकड़ है तो उसको भी उसमे अलग रख दिया। 20 स्टेन्डर्ड एकड़ तक

(राजवी श्री रूपसिंह)
जो भी नए ट्रांसफर्स हैं उनको वैलिड कर दिया और क्योंकि That is not with standing Section 30-C.

इसका मतलब उसके पास पहले कितनी जमीन है, वह रिलेवेन्ट नहीं होगी, चाहे उसके पास पहले 29 एकड़ जमीन है तो उस आदमी को 30 एकड़ आपने ट्रांसफर कर ली है तो वह वैलिड होगी। वह आपकी नीयत नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : वह सरेंडर नहीं करेगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : जहां तक वैलिड करने का सवाल था वह वैलिड कर रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : 30 स्टैन्डर्ड एकड़ से ज्यादा नहीं रखेगा, सरेंडर करेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी जो यह स्कीम है, यह तो उसको वैलिड कर रही है इसका नतीजा क्या होगा, वह बात अलग है, वह ट्रांसफर वैलिड हो जायगी। अब वह सरेंडर करता है या नहीं यह अलग बात है। वह ट्रांसफर आप इसमें वैलिड मान रहे है इनस्पाइट आफ दी फैक्ट कि पहले उसके पास जमीन है।

श्री रामकिशोर व्यास : कोई आदमी खरीदेगा तो बाद में सरेंडर करनी पड़ेगी। खरीद के माइने यह नहीं है कि····

श्री शंकरलाल (जैतारण) : बाद में सरेन्डर करे तो अच्छा है कि 30 स्टैंडर्ड एकड़ से ज्यादा नहीं हो, क्लीयर हो जाय। खरीद करे और बाद में सरेंडर करे····

श्री रामानन्द अग्रवाल : Up to the ceiling including his holdings यह शब्द आपने नहीं रखे हैं। इसका मतलब 30 स्टेन्डर्ड एकड़ तक जो ट्रांसफर्स हैं वे वैलिड हो जायेंगे। जो ट्रांसफर्स हुए हैं वह नहीं देंगे, रद्दी जमीन देंगे।

दूसरा मेरा कहना है कि आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जेनियुन कल्टीवेटर्स को, जिन्होंने जमीन खरीदी है तो आप मात्रा जमीन की सीलिंग तक न रखें। आप इकानामिक होल्डिंग रखें क्योंकि आप जो भूमिहीनों को जमीन बाटेंगे वह सीलिंग तक नहीं देने वाले हैं भूमिहीनों को। आप उनको इकानामिक होल्डिंग्स देने वाले हैं तो आप इस बिना पर वैलिड कर रहे हैं जिससे सीलिंग लागू करने का पर्पज हल हो गया। आप उतनी वैलिड करो जितना आप उनको एलॉट करते। तो जो बेसिस है रेग्युलेराइज करने का वह सही नहीं है। इकानामिक होल्डिंग्स के लिए यह बेल एस्टेब्लिस्ड सिद्धांत है कि One third of the ceiling is economic holding i. e. 10 acre.

तीसरी बात है कि जो ट्रांसफरर हैं उसको इस बेचान की जो कीमत लगती है, उसका फायदा उठाने का अधिकार नहीं हैं। आप भूमिहीनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने जो ज्यादा कीमत ले ली कानून को तोड़ कर उसको हजम क्यों करने देते हो ? वह कीमत उनसे वापस दिलवायें।

चौथी बात जो ट्रांसफर की बात कही है, वह ट्रांसफर ऐसा मान कर चलते हैं केवल एक ट्रांसफर किया हो 'ए' ने 'बी'

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
को लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि जिसके पास सीलिंग से ज्यादा जमीन थी उसने 'बी' को ट्रांसफर की, 'बी' ने 'सी' को और आज वह जमीन 'ई' होल्ड कर रहा है तो आप इस अरेंजमेंट से केवल 'ए' ने 'बी' को ट्रांसफर की उसी ट्रांजेक्शन्स के बारे में आप कुछ कह रहे हैं लेकिन आज 'ई' के पास जमीन है उनके पास रहे या न रहे इस बारे में आप कुछ तय करने वाले नहीं हैं। तय करेंगे तो उल्टे 'बी' अगर इस डेफिनेशन में नहीं आता है तो वह ट्रांजेक्शन इन्वेलिड होगा और 'ई' जो आप पजेशन में है, वह इस परिभाषा में आता है तो वह उसके पास रहनी चाहिए। ऐसे आदमियों को आप बेदखल करेंगे।

इसके विपरीत 'बी' जायज आदमी था 'ई' कैपिटलिस्ट है तो वैसी हालत में कब्जा 'ई' के पास रह जायगा। इस सम्बन्ध में मैंने अमेण्डमेण्ट दिया है उसके बारे में आप सोचें। ये तमाम सीरीज हैं ट्रान्जेक्शन की इसमें आप एक सीरीज में एक ही ट्रान्सफर मानें पहली पार्टी ट्रान्सफर करने वाली और लास्ट को ट्रान्सफरी पार्टी मानें। यह इस तरह से डिसाइड होना चाहिये, लास्ट पार्टी जो खरीदने वाली है वह पूअर पीजेण्ट है वह उसको डेफिनेशन में आता है तो उसका हक प्रोटेक्ट होगा। लास्ट आदमी इस डेफिनेशन में नहीं आता है तो उसका हक प्रोटेक्ट नहीं होगा। इससे आपका परपज हल होगा।

क्लाज फाइव में इनीशियली डेफर कर रहा हूं। जो आपने सब-क्लाज 2 में संशोधन रखा है उसके द्वारा मैं तमाम सैक्शन जे 30, जिसमें एग्जेम्प्शन से निकालने वाली बात है जिसके अन्तर्गत आप एग्जेम्प्शन्स को 1 जून 70 तक रखने की इजाजत दे रहे हैं, को बिल्कुल डिलीट करवाने के लिये कहता हूं। इससे मुझे यह प्रतीत होता है कि जबर्दस्ती जमीन को बेचने देने की और उसको अनावश्यक तौर पर सीलिंग एरिया से निकालने की कोशिश कर रहे हैं—यहां तक तो मैं फेवर कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में सलेक्ट कमेटी के अलावा जो अमेण्डमेण्ट्स पेश किये गये उस संबन्ध में मैं कहना चाहता हूं। जैसे कि जनसंघ की तरफ से दो तरह के अमेण्डमेण्ट्स आये हैं। एक तो है केसरीसिंह जी की तरफ से और दूसरा है माननीय भैरोंसिह जी की तरफ से और देवीदत्त गाड़िया की तरफ से। मुझे आश्चर्य होता है, उपाध्यक्ष महोदय, जनसंघ की नीति सीलिंग के बारे में कितनी क्लीअर है यह दोनों अमेण्डमेण्ट्स से साफ हो जाती है। श्री केसरीसिंह जी, जो इसी पार्टी के सदस्य हैं, मांग करते हैं कि ट्रान्सफरी को लड़के और भाई के साथ साथ बहन और लड़की को भी ट्रान्सफर करने के अधिकार होने चाहिये और वे वेलिड होने चाहिये। भैरोंसिह जी भाई बेटे के साथ एग्रीकल्चरिस्ट की जगह लैण्डलेस चाहते हैं।....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपने दल का नाम लिया है इसलिये मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। सेक्शन 30-डी के अन्दर जो संशोधन रखा गया है उसके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं। 30 जून तक बाई वे आफ पार्टिशन अब भी अलाउ है। जब तक वह प्रॉवीजन मौजूद है इस क्लाज के अन्दर ब्रदर्स एण्ड सन्स में ट्रान्सफर करने की बात कही है। भैरोंसिह जी के संशोधन में और श्री केशरीसिहजी के संशोधन में कोई भेद नहीं है। अगर यह डिलीट हो जाता है तो बाई वे आफ पार्टीशन रह जाता

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
है। एन्सेस्ट्रल प्रोपरटी का जो अधिकार है वह रहेगा ही।

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो कन्ट्राडिक्ट्री पोजीशन हैं। इसी तरह से एक माननीय सदस्य का यह भी सुझाव है कि सीलिंग के मसले को बहन और लड़की तक और एक्सटेण्ड करना चाहते हैं। एक माननीय सदस्य पार्टली करना चाहते हैं। आपके स्पष्टीकरण के बाद भी यह समझ में नहीं आया। कम से कम आप अभी अध्यक्ष नहीं हैं पुराने अध्यक्ष के नाते आपके दल की ऑफिशियल पोजीशन क्या है? आप लड़की वाले शब्द को निकलवाने के पक्ष में हैं या बहन और लड़की एड करवाने के पक्ष में हैं?

श्री कृष्णकुमार गोयल : हमारी राय यह है कि फेमीली का जो अंग है उन सब को शेयर मिलना चाहिये। इस अमेण्डमेण्ट के पक्ष में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी पार्टी की नीति पर न जाकर अपने इसी अमेण्डमेण्ट तक सीमित रहें।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): कहीं तो ये हिन्दी का पक्ष करते हैं कहीं कहते हैं अंग्रेजी होनी चाहिये। इनकी पार्टी की तो कोई नीति ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक तरफ तो इनका दृष्टिकोण यह हैं कि यह कानून 1959 से ही लागू हो। दूसरी तरफ जो अमेण्डमेण्ड भैरोंसिंह जी ने मूव किया है वह यह है कि जो ट्रेसपासर्स 59 से है उनके लिये 31 दिसम्बर, 70 तक की मियाद बढ़ा दी जाय। एक तरफ मियाद बढ़ाने की बात करते हैं दूसरी तरफ 1959 से इसे लागू करने की बात कहते हैं। इस तरह से पब्लिक गैलेरीज को कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी तो यही कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे अपने अमेण्डमेण्ट के साथ साथ दूसरों के अमेण्डमेण्ट्स के बारे में भी कहने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यक्तियों और पार्टियों के नाम से नहीं। दूसरी भाषा में कह दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी तरह से एग्जेम्प्शन्स वाले क्लाज में भी अमेण्डमेण्ट्स आये हैं। उसमें यह भी कहा गया है कि जमीन बेचने की अवधि 31 दिसम्बर, 70 तक बढ़ा दी जाय। इस तरह से पुराने ट्रेसपासर्स की मियाद 31 दिसम्बर, सन् 70 तक बढा दी जाय, इसका भी मैं विरोध करता हूं। दोनों का विरोध करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): उपाध्यक्ष महोदय, जब सीलिंग (संशोधन) विधेयक रखा गया था, हमें आशा थी कि वह काफी प्रोग्रेसिव होगा इससे लोगों को राहत दे सकेंगे लेकिन जिस शक्ल में यह

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

आया है इसकी कई धाराओं को देखते हुए मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि सब से बड़ा प्रतिक्रियावादी और रिएक्शनरी यह संशोधन हुआ है। खासतौर से स्त्रियों के सम्बन्ध में जो बात रखी गई है मैं दावे के साथ कह सकती हूं आज तक स्त्रियों के अधिकार छीनने को इस प्रकार की चेष्टा किसी भी कानून में नहीं की गई है। मनुस्मृति से लेकर आज तक जितने भी हमारे शास्त्र हैं, कानून हैं। उनमें स्त्रियों के अधिकारों पर ऐसा कुठाराघात कभी नहीं किया गया। आज जिस तरह का कानून बनाया गया है मैं यह स्पष्ट कह सकती हूं कि इस कानून द्वारा स्त्रियों को सैकण्ड सिटीजनशिप दी है। यह मेरा कहना गलत नहीं है। स्त्रियों के जितने अधिकार थे उन सारे अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। आप यह कह सकते हैं कि हमने इसको परिवार की परिभाषा में रखा है। आपने परिवार की परिभाषा में स्त्री को बांध, उसके स्वाधीन व्यक्तित्व को समाप्त कर दिया। इसके पीछे आपकी दलील यह है कि स्त्रियों की जमीन की आड़ लेकर परिवार डबल जमीन अपने पास रख लेगा। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस सीलिंग कानून में जो बात रखी हुई है उससे तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि गवर्नमेन्ट की यह मन्शा है कि लोग ज्यादा जमीन नहीं रख सकें। जिस प्रकार की सीलिंग लगाये जाने के कानून में ढिलाई दी है उसकी मन्शा के मैं खिलाफ हूं। वाकई सीलिंग को सही मायने में लागू करने की मन्शा होती है तो 30 स्टेन्डर्ड एकड़ प्रति परिवार रखी जाती। दूसरा 59 में सीलिंग कानून बन गया था उसकी दस साल तक ढील नहीं छोड़ते। इस तरह से कानून का अमल नहीं हुआ, जितने लोगों ने जमीन को बेचनी चाही बेच डाली दिल खोल कर बेच डाली और लोगों ने अपनी जमीन को इधर उधर ट्रान्सफर कर दिया सरकार उसको मन्जूरी दे रही है। अगर आप उस ट्रान्सफर को वैध नहीं करते तो ठीक था लेकिन अब आप 1 जून, 70 तक मियाद देकर उसको वैध कर रहे हैं और उसके साथ साथ लड़के और भाई को भी जमीन देने का अधिकार दे रहे हैं लेकिन वही अधिकार स्त्रियों को नहीं दे रहे हैं। अगर वह भूमि बहन को या लड़की को दे दी तो उसको आप वैध नहीं मानेंगे। मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्ट सवाल पूछना चाहती हूं, आशा है आप उसका जवाब देंगे। जब आपने एक भाई को मन्जूर कर लिया, बेटे को मन्जूर कर लिया उसी आधार पर बहन और बेटी को दी हुई भूमि को नामन्जूर क्यों कर रहे हैं? भाई को देने का साफ मतलब हैं कि वह भूमि तो एक ही कुटुम्ब में रहेगी। बेटे को देकर भी वह भूमि अपने ही परिवार में रखना चाहते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, जब वह जमीन अपनी बहिन को दे दी गई या बेटी को दे दी गई तो स्पष्ट है कि उसके घर में नहीं रहती है। वह जमीन पराये घर में चली जाती है। उसका मालिक लड़की या उसकी बहिन हो जाती है और उस जमीन पर उस परिवार वालों का कोई अधिकार नहीं रहता है। अधिकार रहता है लड़की का, उसके ससुराल वालों का। जब बेटी को जमीन दी हुई है तो वह घर में कैसे रह सकती है? बेटी को दी हुई जमीन पराये घर में जाती है। तब क्या कारण है यह नहीं रखा गया है? इसका कारण मैं मन्त्री जी सुनना चाहती हूं। दूसरी तरफ भाई और बेटे के जरिये वह जमीन बाप

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

अपने घर में ही रखना चाहता है। बेटी के हक में आप इसको लागू नहीं कर रहे हैं। बेटी का हक उसके जंवाई का हक होगा। बाकी की जमीन तो भाई के घर में ही रहेगी। परिवार से वही जमीन अलग होती है जो बेटी को दी जाती है क्योंकि यह एक परिवार को छोड़ती है और वापिस उस परिवार में नहीं आती है। तो, उपाध्यक्ष महोदय इस तरह से हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। इसका मतलब यह होता है कि औरतों को सेकिन्ड सिटीजन माना गया है। इसका मतलब यह होता है कि हिन्दू लॉ में जो बराबर सम्पत्ति का अधिकार माना गया है वह इससे समाप्त होता है। इसका मतलब यह है कि जागीर रिजम्पशन्स एक्ट में आपने औरतों को अलग से जागीरदार माना था वह हक आप समाप्त करते हैं। इस प्रकार यह परस्पर विरोधी कानून है। जागीर रिजम्पशन एक्ट में औरतों को जागीरदार माना गया है और उसके हिसाब से उनको कम्पेन्सेशन दिया गया है। एक तरफ उसको जागीरदार मान कर खुदकाश्त के लिए आपने जमीन अलॉट की है और अब आप कहते हैं कि उस परिवार में होने के कारण उसके पास नहीं रह सकती है। यह परस्पर विरोधी कानून है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहूंगी कि 60 के बाद जिसने जमीन का बेचान किया है, 59 के बाद जिसने जमीन का ट्रान्सफर किया है उसको आप ठीक करने जा रहे हैं, परन्तु जब 59 के पहले यह सीलिंग कानून नहीं बना था, उसके पहले जिन लड़कियों को, पत्नियों को अपने माँ-बाप की ओर से जमीन दी गई थी और वे उसकी खातेदार थी उस जमीन को किस कानून के जरिये आप ले सकते हैं ? अब ड्यू टू लव और अफेक्शन बेटे और भाई को आप जमीन देना मान रहे हैं। क्या यह ड्यू टू लव और अफेक्शन की बात पिछले दस वर्षों में ही आई है ? जिन लड़कियों को ड्यू टू लव एण्ड अफेक्शन आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले जमीन दी गई थी, 40 साल पहले जमीन दी गई थी, जब कि उसके माता-पिता को यह ख्याल भी नहीं था कि आगे चल कर ऐसा कानून होगा, जब यह सोचा भी नहीं था कि ऐसा कानून लाया जायेगा, उन्होंने कोई जमीन को बचाने की चेष्टा नहीं की थी बल्कि सच्चे दिल से वह जमीन दी थी ड्यू टू लव एण्ड अफेक्शन। उसे आज आप छीन लेना चाहते हैं और जिन्होंने बेइमानी का रास्ता अपनाया और जमीन को इधर उधर ट्रान्सफर कर दिया, उनके उस ट्रान्सफर को तो आप स्वीकार कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जिसने चोरी का रास्ता अपनाया है, बदनीयती का रास्ता अपनाया है और नाजायज ढंग से जमीन को रखा है या बेचान किया है उसको तो यह सरकार पुरस्कृत करने जा रही है लेकिन जो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ रहे उनके साथ सरकार यह सलूक करने जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मान लीजिये यह कानून आ गया, इसके द्वारा इतनी सी जमीन भी आप नहीं देना चाहते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे कई मुद्दे आपके सामने आयेंगे। पत्नी और पति दोनों जागीरदार हैं। उस वक्त आप किस की जमीन लेंगे ? किस के पास ज्यादा है और किस के पास कम है, कैसे तय करेंगे और लेंगे ? और कम है तो क्या स्त्री की जमीन को लेंगे ? इस प्रकार का तय करते

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

हैं तो आप औरतों को सैकन्ड सिटीजनशीप की केटेगरी देते हैं। तो आपको इस कानून में यह स्पष्ट कर के चलना होगा कि जब दो केस इस तरह के आयेंगे तो पहले किस की जमीन ली जायेगी, पति की ली जायेगी या पत्नी की ली जायेगी ? आपका कानून बनते ही इस तरीके की समस्यायें आपके सामने आने वाली हैं। इनको इस कानून में क्लीअर कर दें। अगर नहीं क्लीअर किया तो इसका नतीजा यह होगा कि सैंकड़ों-हजारों लिटिगेशन होंगे, मुकदमेबाजी होगी और गरीब औरतें परेशान होंगी। जब जमीन लेने का सवाल होगा, कितने ही पुरुष हैं, लड़के हैं, भाई हैं या पति हैं वे तो अपनी जमीन पर काबिज हो जायेंगे और औरतों को जमीन पर सरकार काबिज हो जायेगी। तो यह आपके सामने समस्या आयेगी और इस पर कई तरह की मुकदमेबाजी होगी। इस कानून को छोड़ कर अगर आप ह्यूमेनिटेरियन पाइंट से भी सोचें तो समाज के कई ऐसे मसले हैं, समस्याएं हैं उन पर विचार करने के लिये हमको मजबूर होना पड़ेगा। इसमें कई तरह की समस्याएं हैं। कई कारणों से डाइवोर्स होते हैं, सैपरेशन होते हैं और होने लगे हैं। उस समय माता-पिता ने सच्चे दिल से लव एण्ड अफेक्शन से लड़की के नाम जमीन दी है तो आपको क्यों ऐतराज होता है। अगर वह सीलिंग से ज्यादा है तो सीलिंग में जाकर वह कट जायेगी। 30 एकड़ जमीन है उसमें से 4 एकड़ जमीन लड़की को दे दो तो आपको क्यों ऐतराज होता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक अमेंडमेंट यहां पर रखा है कि जिन लड़कियों की शादी हो गई है और उनके पति लेंडलेस हैं, उनके पास जमीन नहीं है, या वे सोल्जर हैं तो उनको इस तरह की जमीन को देना स्वीकार किया जाये। मैं फिर मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने यह शब्द रखा है कि जिनके पति लेंडलेस हैं, जब कि दूसरी ओर यह है कि कोई माता-पिता लेंडलेस आदमी को अपनी जमीन दे सकते हैं, याने किसी पराये आदमी को जमीन के बेचान को आपने मंजूर किया है तो फिर किन कारणों से आप इसको स्वीकार नहीं करते हैं ? फिर किन कारणों से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है ? तो मैं फिर निवेदन करूंगी कि इसकी तरफ आप ध्यान दें। अगर यह कानून इस रूप मे स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब यह होगा कि औरतों को परमुखापेक्षी बनना पड़ेगा। यह किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र और समाज के लिये हमेशा ही बुरा माना जायेगा। एक तरफ आप पुरुषों को ऊंचा अधिकार दें और दूसरी तरफ स्त्रियों को नीचा अधिकार दें। हमारा संविधान कहता है कि किसी भी जाति के साथ भेद-भाव, सैक्स के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा। संविधान में सबको बराबर हकूक दिये गये हैं, बराबर के अधिकार दिये गये हैं। इसलिये आपका यह कानून औरतों के मूलभूत अधिकारों पर चोट करता है, उनके मूलभूत अधिकारों को खत्म करता है। आप प्रगतिशील बनने का दावा करते हैं। जिन सामंतवादियों को आप प्रतिक्रियावादी कहते हैं, उन्होंने तो यह परम्परा कायम की थी और आप आज उसको तोड़ना चाहते हैं। इस प्रकार इस कानून के जरिये आपने औरतों के अधिकारों पर प्रहार किया है। इसलिये

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)
मैं फिर यह कहूंगी कि आप इस पर सोचें। कोई विधवा औरत है, सेपरेशन में आई हुई औरत है, उनका प्रश्न आपके सामने आयेगा। इसको आप एक इंसानियत की नजर से देखिये और सोचिये। आप औरत के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं। आज उन लोगों को पता नहीं है कि इस तरह का कानून बनने जा रहा है। ये औरतें दो-चार बीघा जमीन से अपना पेट पाल रही हैं, वह दो-चार बीघा जमीन भी अब उनसे छीनी जायेगी। इस थोड़ी सी जमीन से विधवाएं अपना जीवन निर्वाह कर लेती थीं, अपना वैधव्य काट रही थीं, वह जीवन निर्वाह का उनका सहारा भी उनके आखिरी दिनों में आप छीन रहे हैं। इससे उनको दूसरों के सामने अपने स्वाभिमान को छोड़ कर हाथ पसारना पड़ेगा।

(1 म. प.)

जिन लोगों ने कानून की अवहेलना करके बेईमानी के द्वारा जमीनें रखी उनको आप पूरा का पूरा स्वामित्व का अधिकार देते हैं पर आज से पचास साल पहले जिस बेटी को बाप के घर से दहेज और कन्यादान के समय जमीन मिली, पवित्र रस्मों के द्वारा मिली, उसको आप छीनना चाहते हैं। आपने थोड़ा भी विचार नहीं किया।

मेरा यह कतई इरादा नहीं कि पत्नियों के नाम पर जमीन बेचना चाहें उनको आप छूट दें। पर आप जिनुआइन केस देखिये। अपनी लड़की के वेलफेयर के लिये पिता ने जो दिया है और जिसके पास आगे कोई जमीन नहीं है उसको अधिकार दिया जाना चाहिये। आपका कानून कहता है औरत जमीन सम्भाल नहीं सकती। केवल पति और पुत्रों के साथ बन्ध गई है। मैं यह पूछना चाहती हूं आपसे कि इन शहरों में जहां आलीशान बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लाखों रुपयों का कारोबार चलता है, वहां तो पत्नियां और स्त्रियां अपना अलग कारोबार सफलतापूर्वक चला सकती हैं, हजारों लाखों महीने की आमदनी कर सकती हैं, उनका अलग से इन्कम टैक्स जोड़ा जाता है, अलग नौकरियां भी कर सकती हैं पर जो गांव में बैठी हैं वह जमीन नहीं रख सकतीं। यह क्यों? कैसे? जो काश्त करती हैं स्वयं भी करती हैं थोड़े बहुत मजदूरों को रख कर कराती हैं, उस बिचारी स्त्रियों के अधिकार को चुनौती दी जा रही है। इसलिये मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं कि यह आपका कानून निर्बल और दुर्बल को काटने वाला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

इसलिये कई बार सरकार से पुनर्विचार करने के लिये निवेदन किया, कई सम्माननीय सदस्यों के सामने भी मैंने यह प्रश्न रखा, पर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे संसद् के जो सदस्य हैं जिनमें पुरुषों का बाहुल्य है वह अपने अपने लाभ के लिये सोचते हैं। वे स्वयं किस तरह से अधिक से अधिक जमीन हड़प सकें, यह सोचते हैं। पर अफसोस यह है कि हमारी विधवा बेटी का क्या होगा? विधवा पत्नियों का क्या होगा? विधवा माताओं का क्या होगा? जिनको पड़दे में बन्द करके घरों में समाज ने बन्द कर दिया है, जो अदालतों में नहीं जा सकतीं। उनका क्या होगा? अफसोस है कि सदन में जो प्रतिनिधि बन कर आये हैं वे औरतों के भी बराबर के वोट लेकर आये हैं और मुझे

Page No 65

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आज यहां भी वही दृश्य नजर आ रहा है जब कौरवों की सभा में द्रोपदी ने खड़े होकर प्रार्थना की थी और लोगों ने उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया था। आज आप औरतों के नाम पर कुछ नहीं करना चाहते। उनके मामले पर उनके अधिकारों की यहां रक्षा करने के नाम पर चुप है। केवल अपना पेट भरना चाहते हैं।

मैं ज्यादा न कहकर दुःख और शर्म के साथ निवेदन करूंगो कि आप पुरुषोचित ढंग से सोचिये। गांवों में औरतें कितनी तकलीफ में हैं उनकी तरफ देख कर सही रूप से निर्णय करिये। औरतें हैं, विधवा हैं, बूढ़ी माजी हैं उनको आपने निरीह बना रखा है। जवान होते हुए भी उनको पंगू बना रखा है, गूंगा बना रखा है। वे अदालतों में नहीं जा सकतीं, अपनी मांगें पेश नहीं कर सकतीं। वे प्यासो मरती हैं, पर पानी पीने के लिये घर से बाहर नहीं निकलने देते आप लोग। तो आप लोगों ने जिनको गूंगा बनाया है, आज उनके लिये एक मर्द तैयार नहीं होता— इससे बढ़ कर समाज का पतन और कोई नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन प्रस्ताव की सूचना दी है उसको मैं मूव करता हूं। मैंने सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट देखी है। उसका मैं आमतौर से समर्थन करते हुए इस संशोधन की सूचना जो मैंने दी है इसको मूव करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे संशोधन का तात्पर्य यह है कि सीलिंग लागू होने के कारण जो एग्जेम्पशन हम विथड्रा करने जा रहे हैं उससे जमीन हमें मिले। मिले जमीन, मैं इस पक्ष में तो हूं।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मण्डी): टोटल जमीन इससे कितनी मिलेगी, यह भी देखा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसको मेरे पास जानने की कोई एजेन्सी नहीं है। पर भाई और लड़के को ट्रान्सफर करने के बाद मेरा विचार है कि निश्चित रूप से कुछ न कुछ जमीन बचेगी।

श्री जुझारसिंह : वही तो प्रश्न है, कितनी बचेगी ?

श्री रामनारायण चौधरी : इसके आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं और प्राप्त करने की स्थिति में भी नहीं हूं। वह तो सरकार जाने। पर मेरा अमेण्डमेन्ट अगर स्वीकार कर लिया जावेगा तो जरूर काफी जमीन अलाटमेन्ट के लिये मिल जावेगी। इससे किसी को नुकसान नहीं होता है।

एग्जेम्पशन में एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन मैंने इस प्रकार रखी है :

"The expression 'Agriculturist' in this section shall mean a person who earns his livelihood wholly or mainly from agriculture and cultivates land by his own labour or by the labour of any member of his family or along with such labour as aforesaid, with the help of

(श्री रामनारायण चौधरी)
hired labour or servant on wages payable in cash or in kind...."

एग्रीकल्चरिस्ट वही है जो स्वयं काश्त करता हो। जो अपने परिवार के सदस्यों की मदद से करता हो और इसके बाद भी आवश्यक हो तो वह हायर्ड लेबर से भी मदद ले सकता है। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं कि जमीन का मालिक बन कर केवल बैठ जावे और नौकरों से काश्त करावे और एक्स-प्लोइट करे।

श्री उपाध्यक्ष : रोजाना एक फार्म में चक्कर मोटर में बैठ कर लगा आवे यह काफी है क्या आपकी राय में ?

श्री रामनारायण चौधरी : इस प्रोजीशन में तो आता ही नहीं है। जो बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट होगा वह मोटर में बैठ कर चक्कर लगाने की स्थिति में नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को वंचित करने के लिये ही यह सीलिंग कानून लाया जा रहा है।

तो मेरा जो संशोधन है वह बिल्कुल सीधा सादा है और हमारा जो स्लोगन है कि जमीन उसी की हो जो काश्त करता है। लैण्ड टू दी टिलर इसकी भी पूर्ति इससे होगी।

इन शब्दों के साथ यह निवेदन करते हुए कि यह संशोधन स्वीकार किया जाय, मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री आईदानसिंह।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल): उपाध्यक्ष महोदय मेरा इसमें संशोधन है जो इस प्रकार है : "upto the thirty first day of December, 1969" की जगह "till the Bill becomes law" किया जाय। इसमें निवेदन यह करना है कि कानून को ठीक ढंग से पालना हो और सरकार को भी दिक्कत न हो और कानून जिस पर लगाया जावे वह भी उसकी पालना करे। गांवों में जब यह कानून जावेगा तो मालूम होगा कि 31 दिसम्बर, 69 तक के ट्रांसफर्स वैलिड होंगे तो असंतोष लोगों में होगा, कानून की अवहेलना होगी। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि जब तक यह कानून बने तब तक इसकी लिमिट बढ़ाई जावे।

दूसरे मुद्दे पर लक्ष्मीकुमारी जी ने काफी विस्तार से प्रकाश डाल दिया है। मैं उनका समर्थन करता हूं।

तीसरा आपने एग्जेम्पशन्स विथड्रा किए हैं। यह एग्जेम्पशन्स दस साल-ग्यारह साल पहले आपने ही दिये थे। लोगों ने उन पर इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ ने लोन्स लेकर किया है। उनको आपने डिस्पोज आफ करने का जो टाइम दिया है वह कम है। दस बारह दिन बच रहते हैं तो वह लिमिट बढ़ाई जावे और इसे 30 जून तक कर दें तो मुझे आपत्ति नहीं होगी, आपको भी नहीं होनी चाहिये।

एक बात और है, अभी एक माननीय सदस्य ने संशोधन रखा, उसमें उन्होंने बेटे और भाई के अधिकार को माना है। राज्य सरकार की मंशा है, उनको तो कम्पेन्सेशन मिल जाये। माननीय सदस्य ने कहा है कि जमीन पूल में आ जाये। राज्य सरकार की मंशा है, जमीन पूल में भी आ जाये और जिन लोगों के पास एग्जेम्पटेड है उनको पैसा भी मिल जाये। तो मैं निवेदन करूंगा कि पूल में आने

(श्री आईदानसिंह)
की मंशा है तो आप संशोधन विथड्रा कर लें। क्योंकि राज्य सरकार की मंशा है कि जो इन्वेस्टमेन्ट किया है, वह मिल जाये। उसके बाद में जो जमीन बचेगी वह आ जायेगी। आप की मंशा है सब पूल में लेने की, राज्य सरकार की यह मंशा है।

श्री मूलचन्द डागा : जो लाभ उठा लिया है वह ?

श्री आईदानसिंह : वह राज्य सरकार कर रही है। जो लाभ उठा लिया, उठा लिया। इसमें दो राय नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : In favour of domiciled in Rajsthan.

श्री आईदान सिंह : एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन से मैं सहमत हूं। इसमें इतना जरूर होगा, राज्य सरकार की मंशा है, उस आदमी को पैसा मिल जाये। इस सम्बन्ध में कहूंगा अगर उनका पैसा मिल जाये तो उसको वियड्रा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा।

श्री जुझारसिंह : उसमें से नेताओं को न दी जाये।

श्री भैरोंसिंह : नेताओं को तो कब्र के लिए भी न दी जाये।

श्री केसरीसिंह हाडा : नेता की परिभाषा क्या होगी ?

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : राजस्थान अधिनियम, सन् 1955 की धारा 30-डी के पश्चात् जो नवीन धारा 30-डी. डी. जोड़ी जानी है····

श्री उपाध्यक्ष : यह तो माननीय सदस्य पढ़ कर आये हैं। पहले सरकुलेट हो चुका है।

श्री पृथ्वीसिंह : उसकी मंशा यह है कि सीलिंग से अधिक्रेड भूमि राजस्थान में जो थी वह 5 दिसम्बर, 59 तक ट्रांसफर हो चुकी थी वह वेलिड मानी गई थी। और उसके बाद यह राज्य सरकार ने माना है। यह भावना प्रकट की है कि हमारी गलती से बहुत सारे ट्रांसफर हो गये हैं। जिनका ट्रांसफर हो गया है, उनको रेगुलराइज किये बिना काम नहीं चलेगा। मैं इतना जरूर कहूंगा आपकी यह भावना है कि 31 दिसम्बर, 1969 के बाद जो ट्रांसफर किए जायेंगे वह वेलिड नहीं होंगे। और पहले जो हो गये हैं, वह हो गये हैं। मैं कहूंगा 31 दिसम्बर, 1969 को क्या हुवा मैं से निकाल कर लाये हैं। इसके लिए क्या आधार है ? उस तारीख तक जो ट्रान्सफर हो गये, उसको वेलिड कर देना चाहिये। तो 31 दिसम्बर, 69 तक खरीद लिया उनको मान लिया है और जिन्होंने उसके बाद में किया है, उनके साथ में अन्याय होगा। और उसके बाद ट्रान्सफर करने वाले को आपने जायज नहीं माना है। यह एक तरह का इम्बेलेन्स होगा। जिन्होंने उसके बाद में ट्रान्सफर किये हैं उनके साथ में अन्याय होगा और जिन्होंने ट्रान्सफर पहले कर दिया, जब कि कानून में मन्शा नहीं थी उसको वेलिड करके आपने भेदभाव बरता है। मैं निवेदन करूं कि आप कम से कम ऐसी तारीख नियत करें जिसमें औचित्य हो। कुछ अमेंडमेंट ऐसे मूव हुए हैं

(श्री पृथ्वीसिंह)

कि 31 मई, 70 के बजाय 31-12-70 किया जाय। यह बात समझ में आ सकती है कि कानून बना कर उसमें थोड़ी ज्यादा छूट दी है। वह आपके अधिकार में है। लेकिन बैक डेट से इस कानून को लागू करना चाहें तो यह अनौचित्यपूर्ण है। आप 31 दिसम्बर तक समय न दें तो कम से कम वह तारीख तो देनी पड़ेगी, जिस दिन यह कानून बनता है और जिस दिन यह कानून लागू होता है।

इसके साथ साथ दूसरा संशोधन मूव किया है, उसमें महिलाओं के बारे में निवेदन किया है कि उनको भी ट्रान्सफर किये हुए वैलिड माने जाने चाहिए। मैंने पहली कैटगरी में उन महिलाओं को लिया है, जो अनमैरिड हैं। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ महिलायें ऐसी होती हैं जो शादी नहीं करना चाहती। कुछ महिलायें ऐसी होती हैं जिनकी किन्हीं कारणों से शादी नहीं हो सकती। ऐसी महिलायें किस फेमिली के साथ रहेंगी ? वे अपने पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहती हैं, वह पिता से अलग हो गई हैं। इनकी क्या एन्टिटी होगी? क्या उनको अलग पर्सन माना जायगा, या फादर की फेमिली से जोड़ा जायगा ? यह महिला के साथ में अन्याय होगा अगर उसे पिता साथ जोड़ दिया जब कि वह खुद कमाने के योग्य है। मैं निवेदन करूं कि ऐसी महिलायें हैं जिनकी दूसरे सोर्सेज से इन्कम होती है और वह इन्कम टैक्स भरती हैं। वह आजीविका के लिए दूसरे सोर्सेस से कमाई कर सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं, इन्डस्ट्री चला सकती हैं, व्यापार या धन्धा कर सकती हैं, दूसरे धन्धे कर सकती हैं। ऐसी महिला, जिसकी शादी नहीं हुई है, क्वांरी है, अगर आजीविका के लिए, जीवन निर्वाह के लिए भूमि पर्चेज करती है तो क्या खरीदी हुई भूमि उससे छीन ली जायगी ?

दूसरी कैटेगरी में वह महिला आती हैं, जो सेपरेटेड फ्राम हर हजबेंड हैं। कुछ महिलाओं की अपने पति से नहीं बनती है और वह अपने पति से सेपरेट हो जाती हैं। जो दूसरे धन्धे कर सकती हैं, उनके ऊपर खेती के धन्धे को करने की पाबन्दी लगा दें-यह अनुचित है। आपको यह मानना होगा कि जो पति से सेपरेट हो गई हैं वह दूसरे धन्धे कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं, इन्डस्ट्री चला सकती हैं, नौकरी कर सकती हैं। जो महिला नौकरी नहीं करना चाहतीं, इन्डस्ट्री नहीं चलाना चाहतीं, व्यापार नहीं करना चाहतीं, वह खेती करके जीवन निर्वाह करने के लिए जमीन खरीदना चाहें तो आपको छूट देनी चाहिए।

तीसरे किस्म की महिला वह हैं जो विधवा हैं, जो विडो हैं। विडोज के सम्बन्ध में भी, जो आर्गूमेंट मैंने पहले दिये हैं, वही लागू होते हैं, इसलिए इनको भी भूमि खरीदने की छूट देनी चाहिए।

इसके साथ ही पर्सन हूं इज मेम्बर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन—यह बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ स्टेट्स ने कानून बना कर उनको भूमि की अधिकतम सीमा से एग्जेम्प्ट किया है। उड़ीसा का उदाहरण मैं दे सकता हूं। केरल में भी ऐसे आदमियों को भूमि की अधिकतम सीमा से छूट दी है। मैं भूमि की अधिकतम सीमा से छूट देने के लिए निवेदन नहीं

(श्री पृथ्वीसिंह)

करता, मैं यह वकालत अवश्य कर देता हूं वह मेनली और होलली नौकरी पर डिपेन्ड करते हैं इसलिए उनको नौकरी खत्म होने के बाद में भूमि खरीदने को छूट दी जाय। वह देश की सेवा करते है, बोर्डर पर जाकर देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, उनको कम से कम भूमि खरीदने की छूट तो दी जानी चाहिए। इस सरकार से उम्मीद नहीं की जाती है कि सरकार एवार्ड के रूप में उनको भूमि का अलॉटमेन्ट कर दे। वह तो अपनी कमाई से, तनख्वाह में से पैसा बचा कर जमीन खरीदना चाहते हैं इसलिए उनको भूमि खरीदने को छूट दी जानी चाहिए।

दूसरा अमेंडमेंट मैंने मूव किया है जिसमें एग्जेम्प्टेड फार्म को भूमि को ट्रान्सफर करने के लिए छूट देने की बात कही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एग्जेम्प्शन विथड्रा करने का घोर विरोध करता हूं। इसके सम्बन्ध में जब मैं क्लाज चार पर बहस करूंगा, तब आपसे निवेदन करूंगा पर मैं उसका विरोध करने के साथ साथ यह चाहता हूं कि आपको किसी हालत में जो 30 डी में एग्जेम्प्शन दिया गया है वह विथड्रा नहीं करना चाहिए। आप भावावेश में आकर, समाजवाद की बात कह कर, बम्बई अधिवेशन में पास हुए प्रस्ताव की बात कह कर विवेकहीन बातों के आधार पर एग्जेम्प्शन को विथड्रा करना चाहते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि एग्जेम्प्शन्स को विथड्रा करने के साथ साथ उनको उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए, उनको मार्केट रेट से मुआवजा देने की व्यवस्था करनी चाहिए। उनके साथ न्याय तभी होगा, यदि आप मुआवजे की व्यवस्था उचित करते हैं। यदि वह आप नहीं कर पायें तो 30 डी में सैकिण्ड क्लाज जोड़ा है, उसमें भाई, बेटा और एनी लेंडलैस पर्सन को जमीन बेचने के लिए प्रावधान रखा है, यह माना है कि उनको कुछ समय ऐसा दिया जाना चाहिए जिसमें वह अपनी जमीन डिस्पोज ऑफ कर सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया है वह अत्यन्त ही अल्प है, बहुत थोड़ा समय दिया है, इसलिए मैंने यह अमेंडमेंट मूव करके उसके पहले जून 70, 30 जून, 1970 करने के लिए निवेदन किया है। जो भाई रामनारायण जी ने अमेंडमेंट मूव किया है, उनसे यह निवेदन करूंगा कि उन्होंने एनी लेंडलेस पर्सन शब्द हटा कर जो सरकार की मन्शा थी, जो सदन की मन्शा थी, जो हर विवेकशील व्यक्ति की इच्छा है, उसका उन्होंने विरोध किया है। मैं सदन के सदस्यों से भी यह निवेदन करूंगा कि अगर वह अमेंडमेंट विथड्रा नहीं होता है तो उसको गिराया जाना चाहिए। वह अमेंडमेंट बड़ा भयंकर है, वह किसानों के हित के अनुकूल नहीं है और जिन लोगों ने जमीन पर्चेज की है उनके विरोध में है। उपाध्यक्ष महोदय, रामनारायण जी यह सोचेंगे, सरकार मुआवजा देती नहीं, सरकार उनके एग्जेम्प्शन को कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कान्स्टीट्यूशन के प्रावधान के होते हुए विथड्रा करना चाहती है – इसलिए आप उस भूमि को एनी लेंडलैस को ट्रान्सफर करने पर रोक लगवाना चाहते हैं। यह अनुचित है। आपको चाहिये कि आप अपना अमेंडमेंट विथड्रा करें।

मैंने सैकिण्ड अमेंडमेंट के अन्दर जो बात कही है वह पहले क्लाज में आ गई है

(श्री पृथ्वीसिंह)
इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता ।

तीसरा अमेंडमेंट मैंने मूव किया है उसमें यह कहा है उसमें एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन नम्बर 2 उसमें डोमीसाइल ऑफ राजस्थान को परिभाषा दी है, उसमें यह कहा है :

"since before the commencement of this Act" की जगह "from the date of such transfer" किया जाय ।

मैं आपसे निवेदन करूं कि कुछ व्यक्ति राजस्थान में 1955 से रिजाइड नहीं कर रहे थे, उसके बाद में कुछ लोगों ने राजस्थान के बाहर से आकर कुछ भूमि खरीद ली । उनको क्या मालूम था कि 1955 से रिजाइड करते हुए के फेवर में किये हुए ट्रान्सफर को वेलिड करने जा रही है सरकार । मैं निवेदन करूं कुछ व्यक्ति राजस्थान के बाहर केवल इण्डिया में ही नहीं रहते थे, वह मूल भारतीय थे, लेकिन अफ्रीका में बसे हुए थे, कुछ सीलोन और बर्मा में बसे हुए थे, उन्होंने वहां से आकर राजस्थान के अन्दर भूमि खरीदी है । उनसे उस भूमि को वापिस लेंगे तो यह उनके साथ में अन्याय होगा । उन्होंने सारी सम्पत्ति, सारी पूंजी राजस्थान के अन्दर भूमि खरीदने में लगा दी है और उन्होंने राजस्थान के बाहर दूसरे स्टेट्स में कोई सम्पत्ति अर्जित नहीं की है, कोई भूमि पर्चेज नहीं की है । उन्होंने सारी सम्पत्ति से राजस्थान में 1955 के बाद भूमि खरीदी है । 1955 के बाद में वह राजस्थान में आये हैं और उन्होंने खेतों में मकानात बनाये हैं, वह खेतों में परमानेन्टली रिजाइड कर रहे हैं । वह इन खेतों में अपनी सारी सम्पत्ति और साधन लगा चुके हैं, उनसे आप भूमि छीनेंगे और उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगायेंगे तो यह उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात होगा-यह सोच कर चलना पड़ेगा । मैंने जो अमेंडमेंट मूव किया है उसमें कहा है, फ्राम द डेट ऑफ सच ट्रान्सफर-इसका मतलब है राजस्थान के अन्दर उस दिन से डोमीसाइल होना चाहिए जिस दिन से उसने भूमि ट्रान्सफर करवाई है वह परमानेन्टली भूमि खरीदने से पहले राजस्थान का डोमीसाइल कैसे हो सकता है ? राजस्थान में उस दिन बस सकता है जिस दिन भूमि खरीदी है । जिसने पैसा लगाया है, खेत पर ट्यूब-वेल लगाया है, अगर ऐसे व्यक्ति से भूमि छीनेंगे और मुआवजा नहीं देंगे और जिसने ट्रेसपास किया है और भूमि नाजायज तरीके से खरीदी है उसको फायदा देंगे तो यह उनके साथ विश्वासघात होगा, धोखा होगा । इन्हीं शब्दों के साथ में अपना संशोधन मूव करता हूं जो सदन स्वीकार करे ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रूपसिंह !
(अनुपस्थित)
राजस्व मन्त्री ।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : मैं इस संशोधन पर बोलना चाहूंगा, कुछ विरोध में और कुछ समर्थन में । क्लाज दो के बारे में जो राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 30 थी उसमें संशोधन किया जा रहा है । इस बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने संशोधन सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में रखे हैं । यह क्लाज मुख्यतः ट्रांसफर्स को वैध करने का है । पहले जो कानून बना हुआ था उसके अन्दर 1958 तक के और

(श्री शंकरलाल)

कुछ मायने में 1959 तक ट्रांसफर्स वैध माने गए थे। अब 31-12-69 तक ट्रांसफर्स को वैध करने के लिए यह क्लाज लाया गया है और इसके अन्तर्गत कुछ माननीय सदस्यों ने संशोधन रखे हैं। जैसे माननीय केशरीसिंहजी ने कहा कि जिस समय यह बिल पास होकर एक्ट बनेगा, उस समय लागू करना चाहिए वरना राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना 31-12-69 से लागू करेंगे तो यह अवैध होगा। यह सही नहीं है। पहले भी टिनेन्सी एक्ट 1958 में जब ट्रांसफर्स माने थे, और वह बिल 1960 में जाकर एक्ट बना तो धारा 30 ई. के तहत जब तारीख नोटीफाइ हो जाती है तब वह लागू होता है। तो यह कहना कि बिल के पास होने तक ट्रांसफर्स के लिए तारीख निश्चित नहीं की जा सकती, वह अवैध होगा, असवैधानिक होगा-यह सही नहीं है।

श्री देवीदत्त गाडिया ने संशोधन रखा कि इसको 30-6-70 तक वैध किया जाय। बहुत से माननीय सदस्यों ने, जो एग्जेम्पशन्स वापस ली हैं, के बारे में कहा कि एग्जेम्पशन्स विथड्रा ठीक नहीं किए। माननीय आईदानसिंह ने कहा कि एग्रीकल्चरिस्ट के हक में जो ट्रांसफर्स हों एग्जेम्पशन्स विथड्रा करने के बाद में उनको भी वैलिड माना जाय। श्री रामानन्दजी ने कहा कि 30 एकड़ से ज्यादा न हो जाय ऐसा होना चाहिए और अन्त में ऐसे आदमी के पास रहे जिसके पास जमीन नहीं हो और वह एग्रीकल्चरिस्ट हो।

उपाध्यक्ष जी, वास्तव में यह मुख्य धारा है इसके अन्दर बहुत कन्फ्यूजन है। उसको स्पष्ट करना राजस्व मंत्री के लिए जरूरी है। जो संशोधन रखे हैं उनमें रामनारायणजी और रामानन्दजी के उपयुक्त मालूम होते हैं। पहले जिन जमीनों के एग्जेम्पशन्स वापस ले रहे हैं उनके लिए इस धारा के अन्तर्गत है कि वह ट्रांसफर्स वैध माने जायेंगे जो "सन और ब्रदर" को किये जायें। यह इसलिए रखा क्योंकि जो एग्जेम्पशन्स था उसमें सारा परिवार लिखा हुआ था। जब एग्जेम्पशन्स वापस लेते हैं तो लड़के और भाई जो मेजर हो गए हैं और जो खुद काश्त करते हैं वह भी आ जाते हैं। लेकिन जैसा सलेक्ट कमेटी ने कहा या जैसा माननीय आईदानसिंह और माननीय पृथ्वीसिंह ने कहा, हरेक एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रांसफर्स करने की पॉवर दी जाय। तो, उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले, वह स्वयं इस बात को मानते हैं कि इस बिल और एक्ट का बहुत सा पर्पज डिफीट हो गया है देरी होने से, लेकिन एक ही आशा का अंकुर फूटा कि एग्जेम्पशन्स वापस लेने से जमीन मिलेगी। आज तक जो ट्रांसफर्स हो गए उनसे जमीन नहीं मिलेगी क्योंकि ट्रांसफर्स रेग्युलराइज कर रहे हैं लेकिन जिन्होंने शीप ब्रीडिंग या कैटिल ब्रीडिंग फार्म्स के नाम से या हार्स ब्रीडिंग के नाम से जमीनें ली थीं उनकी एग्जेम्पशन्स वापस लेते हैं तो काफी जमीन हमें नही मिलेगी। उदाहरण के लिए पाली जिले में बहुत से जागीरदारों ने अधिकतर बीड़ और जोड़ के अन्दर जमीन बना रखी है, ऐसी 37,000 एकड़ जमीन है जो बीड़ व जोड़ों के अन्दर है। अब पृथ्वीसिंह जी कह रहे थे कि हरेक एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रांसफर करने की पॉवर्स दे देनी चाहिए। मेरे

Page No 72

(श्री शंकरलाल)

पास पाली जिले का आंकड़ा है, मैं माननीय सदस्यों से द्वेषपूर्ण बात नहीं कहना चाहता। माननीय सदस्य के स्वयं के पास अलग अलग गांवों मे तीन गांवों में 1958 में कुल मिलाकर 2500 बीघा जमीन थी। एक गांव में 435 बीघा, दूसरे में 163, अब कुल मिलाकर 2100 बीघा से ज्यादा जमीन आती है। कितनी जमीन आज तक ट्रांसफर करके कितनी रखी है और कैटिल ब्रीडिंग फार्म के नाम से, मुझे पता नहीं लेकिन पाली जिले में हरेक जागीरदार और जमींदार ने कैटिल ब्रीडिंग फार्म के नाम से जमीन दबा रखी है। एकदम जमीन विथड्रा करते है तो जमीन आएगी। सन और ब्रदर को भी देंगे तो भी आएगी। अगर यह उनको छूट दे दें कि ब्रदर और सन के अलावा किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट को दें तो एग्जेम्पशन वापस लेना या नही लेना बेकार है। कोई जमीन नहीं रहेगी जो भूमिहीन किसानों को दे सकें। इसलिए एग्जेम्पशन्स को वापस लेने से जो भूमिहीन टिनेन्ट्स के अन्दर आशा जागृत हुई थी, सोचा था कि कानून आ रहा है, वह पर्पज डिफीट हो गया। आज तक न लागू करने से, एग्जेम्पशन्स वापस लेने से जो जमीन मिलेगी वह वास्तव में लैंडलेस टिनेन्टस को मिलेगी। लेकिन यह कहा जाय कि उनको छूट दें चाहे जिस किसी को भी ट्रान्सफर कर दें तो गरीब के लिए कौनसी जमीन बचने वाली है? तो रामनारायण जी ने जो संशोधन रखा है सन और ब्रदर को चाहे ट्रान्सफर कर दे क्योंकि जोइंट फैमिली हो सकती है। लेकिन हरेक को पैसे लेकर मुनाफा कमाने के लिए छूट दे दी जाय तो एक्ट का उद्देश्य मारा जाता है इसलिए छूट नहीं देनी चाहिए। रामनारायण जी ने जो संशोधन रखा है वह बिल्कुल उपयुक्त है और मंजूर करना चाहिए।

एक शंका व्यक्त की गई रामानन्द अग्रवाल द्वारा कि जो ट्रान्सफर होंगे उनके लिए हमने कहा 30 स्टैन्डर्ड एकड़ तक ट्रान्सफर किया जा सकता है, ए पर्सन अप टु 30 स्टेण्डर्ड एकड़, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर किसी के पास मान लें कि 20 एकड़ है तो उसको भी 30 एकड़ ट्रान्सफर कर दें। इससे तो 50 एकड़ हो जायगी। जैसा अभी राजस्व मंत्री ने कहा, 30 एकड़ से ज्यादा किसी के पास नहीं रहेगी तो आप संशोधन लायें कि जिसके पास नहीं है तो उसके लिए 30 स्टैण्डर्ड एकड़ बेच कर लें लेकिन किसी के पास पहिले से जमीन है तो कुल मिलाकर 30 एकड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें कन्फ्यूजन है तो वास्तव में साफ होना चाहिए। जो यह कहा जाता है कि नहीं, 30 एकड़ ट्रान्सफर करने दिया जाय। बाद में जो सरप्लस लैन्ड होगी उसको सरेंडर करना पड़ेगी—यह दलील सही नहीं है।

एक दफा जमीन दे दी फिर उसको ट्रान्सफर करने के लिये कहें, उस हद तक ट्रान्सफर करने दिया जाय लेकिन वह ट्रान्सफर 30 स्टेण्डर्ड एकड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। जिसके पास 20 एकड़ है वह दस एकड़ खरीदता है तो वह जायज है। इस तरह से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा जो ट्रान्सफर एक दफा ही हुये हैं बाद में दूसरा और इसके बाद तीसरा और चौथा ट्रान्सफर होता है तो उसमें देखने की बात यह है कि पहला जो ट्रान्सफर हुआ वह एग्रीकल्चरिस्ट को भी हो सकता

(श्री शंकरलाल)

है। अगर नहीं होता है तो सेकण्ड ट्रान्सफर एग्रीकल्चरिस्ट को कर दिया । इस तरह से पहले को तो इसलिये हुआ कि वह एग्रीकल्चरिस्ट है लेकिन दूसरा यदि राज्य-सेवा में है और कृषि का धंधा नहीं करता है तो ऐसी हालत में मकसद जो यह था कि जमीन उसके पास जाय जिसके पास जमीन नहीं है और ऐसे व्यक्ति के पास जाय जिसका धंधा और आजीविका कृषि पर निर्भर करती है या जो जमीन जोते वह पूरा नहीं होता है । हम 1969 तक के ट्रान्सफर्स वेलिड करने जा रहे हैं वह इस मकसद से कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जमीन भूमिहीनों के पास जाय । एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रान्सफर हुआ है तो उसको हमने वेलिड किया है । इसमें यह देखना है कि that land is in the hands of the agriculturist or not बाद में अगर दूसरे के पास चली जाती है जो टिलर आफ दी सोइल नहीं है तो ऐसे ट्रान्सफर्स भी 1969 तक के वेलिड नहीं माने जाने चाहिये। दोनों चीजें साफ करने की बहुत आवश्यकता है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मेरी एक बात का जवाब दे दें। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप इस परिभाषा में आते नहीं हैं, आपके पास कितनी जमीन है वह मैं बताता हूं। आपने भगेसर, जो पाली की सरहद पर है, में 150 बीघा भूमि ले रखी है।

दूसरे आपने 75 बीघा जमीन भावड़ा सड़क पाली, जोधपुर सड़क पर जमीन ले रखी है जो अपने लड़के के नाम कर रखी है। और इसी तरह से 25 बीघा भूमि आपने अपने पिता के नाम पर ले रखी है। आप अपने आपको प्रगतिशील विधायक मानते हैं लेकिन सही स्थिति यह है कि आपके पास भी बहुत ज्यादा जमीन है जब कि आपका धन्धा एग्रीकल्चर का नहीं है। आप केवल दूसरों को दबाने के लिये सीलिंग का हौआ खड़ा कर रहे हैं। आप खुद ही अपने को देख लीजिये कि आपके पास कितनी जमीन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इस तरह से डिबेट में बाधा न डालें। आपको इस तरह से बीच में किसी पर आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। आप भी इस बिल पर बोल लें।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य जो मकराना से आते हैं वे कहते हैं कि मेरे पास बहुत अधिक जमीन है। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं आपने जो बात कही है कि भगेसर में मेरे नाम से 150 बीघा जमीन है वह बिल्कुल गलत है। 25 बीघा मेरे पिताजी के नाम से है वे जिन्दा हैं, वे कृषि का काम करते हैं। शुरू से हम कृषि का धन्धा कर रहे हैं। आप इस तरह से किसी पर बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकते। अगर मेरे पास सीलिंग की सीमा से अधिक जमीन है तो वह सरकार लेगी, आप इसकी चिन्ता क्यों करते हैं ? मेरे लिये आप कष्ट न करें। मैं तो इस बात के लिये राजी हूं कि मेरे पास सीलिंग की सीमा से अधिक जमीन है तो वह सरकार ले। इस सीलिंग कानून के तहत किसी को एग्जेम्प्ट

(श्री शंकरलाल)

नहीं किया गया है। मेरे पास भी अगर अधिक सीलिंग से अधिक जमीन है, तो वह भी जायगी, चाहे किसी के पास हो वह भी जायगी। आपको पीड़ा क्यों हो रही है?

(1.45 म. प.)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

श्री रामानन्द अग्रवाल: आप चेयर पर एसपर्शन नहीं करें।

श्री पृथ्वीसिंह: आप तो इस बात का जवाब दें कि आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं या नहीं?

श्री शंकरलाल: सभापति महोदय, जो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन माननीय श्री रामानन्द जी ने बतायी है वह उपयुक्त है सिलेक्ट कमेटी ने जो परिभाषा दी है। होल्ली और मेनली लाईवलीहुड कृषि का है, वही एग्रीकल्चरिस्ट है। मैंने सिलेक्ट कमेटी में भी इस पर संशोधन रखा था उसके अन्दर मैंने बताया था कि जो कृषि का धन्धा नहीं करता खेतीहर मजदूर हैं पर उसके लिये पर्सनल कल्टीवेटर की जो डेफिनेशन है टेनेन्सी एक्ट में दी हुई है। पर्सनल कल्टीवेशन की जो परिभाषा एक्ट के अन्दर है वह इस प्रकार है:

"Land cultivated personally by labour of any member or under the personal supervision of himself or any member of his family or by...."

यह जो बात थी वह ठीक नहीं थी। इसमें जो एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन दी है वह है. हायर्ड लेबर या स्वयं लेबर के साथ काम करे। खुद यदि हायर्ड लेबर के साथ काम करे तो कोई ऐतराज नहीं होना चाहिये। एग्रीकल्चरिस्ट की जो परिभाषा है वह प्रगतिशील है। इसलिये इस पर रामानन्द जी ने जो एमेण्डमेन्ट रखा है वह स्वीकार किया जाना चाहिये। एग्रीकल्चरिस्ट वही रहे। जिस प्रकार की पर्सनल कल्टीवेशन की परिभाषा टेनेन्सी एक्ट में दी हुई है वह ठीक नहीं रहती। रामानन्दजी ने जो इस पर संशोधन दिया है उसका मैं समर्थन देता हूं। इस तरह से रामानन्दजी के संशोधनों का मैं कुछ मायनों में समर्थन करता हूं।

एक बात इस सम्बन्ध में और निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, यह बात कही जाती है कि इसकी अवधि दिसम्बर, 70 तक बढ़ा दी जाय। इस बारे में सरकार से पूछना चाहूंगा कि आप इसका कमेन्समेन्ट कब से कर रहे हैं? इसका इम्प्लीमेन्टेशन कब से कर रहे हैं? धारा 30 (ई) है उसमें आप किसी प्रकार का अमेन्डमेन्ट नहीं रख रहे हैं:

"Notwithstanding anything contained in this Act or in any order taken in force notified by the Government in this behalf...."

"date notified by the Government" यह 30 (ई) में होता है इसके अन्दर कोई एमेण्डमेन्ट लाया जा रहा है, इसके बारे में कोई एक्ट में संशोधन कर रहे हैं? ट्रेसपासर्स को रेगुलेराइज कर रहे हैं, एग्जेम्प्शन्स को बिगड़ा कर रहे हैं तो

(श्री शंकरलाल)

इनके तहत में आने वाली जमीन को आप कब से लेंगे ? What is the date which the Govt. is going to notify ? आज दिन तक तो 1 अप्रेल, 66 की डेट है। पहले जो शुरू शुरू में डेट नोटिफाई की थी, 63 में रूल्स बने थे और 1 अप्रेल, 64 को उनको नोटिफाई किया। गवर्नमेन्ट क्यों बैठी रही ? इस बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं कि उस समय बड़े बड़े जागीरदार और जमीदारों ने हाई कोर्ट में रिट कर दी वैसा ही वे आज भी कहते हैं कि यह हमारे फन्डामेन्टल राइट्स का सवाल है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसका तो सन् 65 में ही हाई कोर्ट से फैसला हो चुका है। उसमें 65 के एक्ट को वैलिड माना गया। 65 के बाद क्या हुआ कि जो लोग आर्मी में थे, फौज में थे उन्होंने सरकार को लिखकर भेजा कि हम फौज के अन्दर हैं इसलिए हम पर सीलिंग कानून लागू नहीं होना चाहिये। उस समय पाकिस्तान से और चाइना से हमारी लड़ाई हो रही थी। उनकी रिक्वेस्ट पर पर इसकी डेट आगे रखी गई। बाद में 1 अप्रेल, 66 की डेट रखी गई वही डेट आज तक मौजूद है। 1 अप्रेल, 66 के बाद क्या होता है जो डेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है 6 महीने के अन्दर अन्दर वह लागू हो जाती है। उसके बाद अगर कोई जमीन सरेण्डर नहीं करता है तो under the Act he is a tres-passer उसके लिये पैनल्टी का प्रोविजन किया हुआ है। 30 (सी) के अन्दर है।

"Any person failing to surrender the land as required by section ....shall on contravention be punishable with fine which shall extend to Rupees One thousand".

एक हजार रुपये तक का जुर्माना रखा हुआ है। 1 अप्रेल, 66 की डेट नोटिफाई कर दी, 6 महीने के अन्दर अन्दर सरेण्डर किया जा सकता है। अगर वह सरेण्डर नहीं करता है और ट्रान्सफर कर देता है तो उसको आप पनिशमेण्ट देने के बजाय उसके हक को रिकोग्नाइज कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि अब आप कौनसी डेट से इसको नोटिफाई करना चाहते हो ? और जिन लोगों ने सरेण्डर किया है और जिनके कम्पेन्सेशन के केसेज चल रहे हैं, उनके बारे में क्या होगा ? आपकी डेट कौनसी होगी ? इसको आपको क्लीयर करना होगा और इसको कन्फ्यूजन में नहीं रखना चाहिये। इसको इम्पलोमट करने के बारे में तय करना होगा। अगर इस कानून को ट्रान्सफर्स को वैलिड करने के लिये ही पास कर दें और बाकी को इम्प्ली-मेंट नहीं करें तो मूल उद्देश्य पिछड़ जायेगा। इसलिये इसके लिये आपको एक डेट नोटि-फाई करनी होगी जैसे एग्जेम्पशन्स विदड्रा हुए हैं तो उनके लिये एक डेट नोटिफाई करनी होगी। एक साल के अन्दर-अन्दर इस लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया जायें। इसको हैंगिंग मत रखिये। फिर सवाल यह आयेगा कि जो ट्रान्सफर हैं उनको रेगुले-राइज करने की बात आयेगी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इसको तत्काल इम्प्लीमेंट करना चाहिये और सरकार द्वारा कोई एक डेट फिक्स होनी चाहिये। यह नहीं हो कि एक्ट पास हो गया। एक्ट तो सन् 60 में ही पास हो गया था

Page No 76

(श्री शंकरलाल)
और आज फिर पास होने जा रहा है। सन् 60 में पास होने के बाद भी यह इम्प्लीमेन्ट नहीं हो सका और इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो कोई फायदा नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : डेट ऑफ पब्लिकेशन से लागू हो जायेगा और पब्लिकेशन तभी होगा जब असेम्बली से पास हो जायेगा।

श्री शंकरलाल : और बहुत सी दूसरी बातें हैं। तीसरी रीडिंग इसकी हो रही है। ट्रान्सफर के बारे में माननीय रामानन्द जी और माननीय रामनारायण जी ने अपने संशोधन रखे हैं और जो शंका व्यक्त की है मैं उनका समर्थन करता हूं। और बाकी के सदस्यों ने जो अपनी अपनी बातें यहां पर रखी हैं मैं उनका विरोध करता हूं। कई माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया है कि इसकी डेट 1970 तक होनी चाहिये और एग्जेम्प्शन्स में और छूट देनी चाहिये। मैं चाहता हूं कि न तो डेट 70 तक बढ़ानी चाहिये और न एग्जेम्प्शन्स में छूट देनी चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसमें 72 तक की डेट बढ़ेगी, पास होने से कोई लागू नहीं हो जायेगा।

श्री आईदानसिंह : आप जो एग्जेम्प्शन्स विथड्रा कर रहे हैं लेकिन जिनके पास जमीन है वे एन्टाइटिल हैं ट्रान्सफर के लिये जब बिल पास हो जायेगा तब उनके एग्जेम्प्शन्स विथड्रा होंगे उसके पहले नहीं।

श्री शंकरलाल : इसलिये तो विथड्रा कर रहे हैं और पास कर रहे हैं।

श्री आईदानसिंह : आपने 11 साल तक एग्जेम्प्शन्स देकर उस जमीन पर हैवी इन्वेस्टमेंट करवा लिया है और कईयों ने जमीन गिरवी रख रखी है और उसका इम्प्रूवमेंट किया है और आज एक झटके में यह एग्जेम्प्शन विथड्रा कर के उनकी यह जमीन आप अपने कब्जे में ले रहे हैं। तो यह कौनसा न्याय आप करने जा रहे हैं ?

श्री शंकरलाल : यह न्याय ही है। जो इस प्रकार की जमीन है उसको तत्काल कब्जे में लिया जाकर गरीब किसान को बांटा जाना चाहिये।

श्री रामचन्द आर्य : इसकी जरूरत नहीं है। चुनाव आ रहा है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, केवल श्री शंकरलाल।

श्री शंकरलाल : कम्पेन्सेशन के बारे में, सभापति महोदय, श्री भैरोंसिह जी ने कुछ बातें यहां पर कही थीं। कम्पेन्सेशन कैसे मिलेगा। रूल्स में तो 20/30 टाइम ही है। यह उनकी गलतफहमी है। इसके अन्दर साफ लिखा है कि इसका कम्पेन्सेशन देते वक्त धारा 22, 23 व 24 का ध्यान रखा गया है। यह 30(जी) है....

श्री आईदानसिंह : इसमें तो भेड़, बकरी और गाय हैं।

श्री शंकरलाल : आप मेरी बात सुनलें...

"The amount of compensation shall be determined by the S.D.O. in the manner in accordance with the

(श्री शंकरलाल)
principles laid down under sec. 23, 24, 25, 26."

इसके अन्दर इम्प्रूवमेंट आ जाता है और इम्प्रूवमेन्ट का कम्पेनसेशन उसी हिसाब से दिया जायेगा। इसलिये यह कहा है 24(बी)।

श्री भैरोंसिंह : इस 24(बी) को पढ़ दें।

श्री शंकरलाल : इसके अन्दर कहा है, 30(जी) सीलिंग का है। 24 लागू होगा।

श्री भैरोंसिंह : 24 को पढ़ो।

श्री शंकरलाल : इसको भी पढ़ देता हूं। 24(बी)....

"The S.D.O. shall determine the value of any improvement other than a well or other irrigation work......."

श्री भैरोंसिंह : यह कोई इम्प्रूवमेंट का नहीं है।

श्री आईदानसिंह : दस बारह हजार का कुआ खुद गया यह कोई वेल्यूएशन में नहीं आयेगा।

श्री शंकरलाल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि आप सेक्शन 23,24,25 व 26 को पढ़ें। इसके अन्तर्गत आपको कम्पेन्सेशन मिलेगा। आप क्लेम करें इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है। यहां पर एक बात और बताई है—जैसलमेर में सीवण घास है और सीलिंग लागू कर भी लें तो वहां लागू नहीं होगा। सीमल रावल साहब का एक सिंगल इन्सटान्स यहां पर दिया गया है कि उनके पास 5,000 गायें हैं। उनका क्या होगा? सीवण घास के बारे में इसका क्या इफेक्ट होता है यह मुझे मालूम नहीं है। यह कैसे होती है यह मैं नहीं जानता। अगर यह मान भी लिया जाये तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। गवर्नमेंट ने एक और पॉवर आपने हाथ में रख रखी है। अगर कोई ऐसा केस है और 30 (जे) के सब-क्लाज 2 में प्रावधान है:-

"The State Government may by notification in the official Gazette exempt from the operation of section 30 (e) any person land or holding or class of persons, lands or holdings, if it considers such exemption to be necessary in view of the integrated or specialised character of operations or where industrial and agricultural operations are undertaken as a composite enterprise or on other reasonable grounds."

इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास में यह पॉवर है। यहां मान लीजिये सीवण घास के बारे में कोई डिफीकल्टी आई है तो यह बात नहीं है। जैसी भी डिफीकल्टी होगी स्टेट गवर्नमेन्ट उसको कंसीडर करेगी। चाहे तो उसको एक्जेम्पट कर देगी। पर मैं यह नहीं कहता कि इसको एक्जेम्पट कर दिया जाये। इसके मेरिट के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। इसके बारे में मेरी कोई नॉलेज नहीं है। जैसा कि

(श्री शंकरलाल)
भैरोंसिंह जी ने कहा है कि यह नष्ट हो जायेगा सीलिंग करने से। तो मेरा कहना है कि ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो गवर्नमेंट इसको देखेगी और गवर्नमेंट को ऐसा केस मूव किया जाये। सिलेक्ट कमेटी ने जो एग्जेम्पशन्स इन्स्टीट्यूशन्स के इन्क्लूड किये हैं उसके तहत कोई भी केस हो सकता है। यह नहीं है कि हमेशा के लिये डोअर क्लोज हो गये हैं। इसलिये जो एग्जेम्पशन्स विथड्रा कर रहे हैं वह ठीक हैं। कोई डिफीकल्ट केस हो तो गवर्नमैंट को रेफर कर सकते हैं, उसके सामने रख सकते हैं, लेकिन एग्जेम्पशन्स की पॉलिसी को स्वीकार करना चाहिये वरना इसके बिना लैण्ड हमारे पास में आने वाला नहीं है।

श्री आईदानसिंह : कम्पेन्सेशन की बात आपने कह दी है लेकिन जिसने इम्प्रूवमेंट 11 साल तक किया है और उससे एक झटके में आप इसको लेना चाहते हैं। जिसने इम्प्रूवमेंट किया है उससे जाकर पूछो कि क्या यह ठीक है ?

श्री शंकरलाल : मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं जागीरदारों के कम्पेन्सेशन के भी खिलाफ हूं। जरा सोचिये आपने कितना फायदा इससे उठाया है। फिर आप ऐसा कह रहे हैं। आप दूसरी चीज को देखिये। आप तो यह चाहते हैं कि हमारे अधिकार हमको ही रहने दो, लोगों को जमीन मत दो, सीलिंग लॉ मत लाओ, you are against ceiling आप इस सिद्धांत को नहीं मानते हैं और दूसरी तरफ यह बात कहते हैं, यह गलत है।

(2 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : व्यवस्था का प्रश्न है। अब एमेण्डमेन्ट मूव हो रहा है।

श्री शंकरलाल : एमेण्डमेन्ट सब मूव हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : थर्ड रीडिंग पर बोल सकेंगे। रामानन्दजी ने कहा है इसके सम्बन्ध में।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : जब ये एग्जेम्पशन दिये गये थे कैटल ब्रीडिंग के लिये, शीप ब्रीडिंग आदि के लिये उस समय भी सीलिंग की बात थी और राजस्थान सरकार ने इन एग्जेम्पशन्स को रिकग्नाइज भी किया। इसके बाद लोगों ने मैकेनाइज्ड फार्म बना कर उनमें इन्वेस्टमेन्ट किया, डेवलपमेन्ट किया। यह कह कर मैं इस बात की वकालत नहीं करता कि इनको आप विथड्रा करें ही नहीं। पर यह इसलिये किया जा रहा है कि इससे डाइरेक्टली एक कम्युनिटी को सरकार विक्टीमाइज करना चाहती है। जागीरदारों की बात अभी भी उनके दिमाग से नहीं निकली मालूम होती है।

श्री शंकरलाल : जागीरदार कम्युनिटी से मतलब राजपूत ही नहीं है, जिनके पास भी ज्यादा जमीनें हैं वे सब जागीरदार हैं। कम्युनिटी के लिये कहा इसलिये जरूरी हो गया है बीच में कहना।

श्री विजयसिंह : इसलिये आपकी नाराजी है कि आपके खिलाफ नीमाज के कंवर साहब ने चुनाव लड़ा था।

श्री शंकरलाल : बान्ध और तालाबों का भी प्रश्न है। यह व्यक्तिगत सम्पत्ति नहीं हो सकती इसके लिए अलग से कानून लावेंगे।

श्री दिग्वजय सिंह: जिन लोगों ने बेईमानी से ट्रान्सफर कर दिये उनको आप सही करना चाहते हैं और अब केवल बेटों को और भाई को देने की बात कहते हैं। यह कहां तक न्यायसंगत डिसीजन है? अगर वे अपनी मर्जी से एग्रीकल्चरिस्ट को दे देते हैं तो आपको क्यों ऐतराज है? आप भी तो उनसे लेकर एग्रीकल्चरिस्ट को ही देंगे। तो कम्पेनसेशन पॉइन्ट आफ व्यू से भी सोचें तो आपको यह तवालत अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिये। आप तो केवल एग्रीकल्चरिस्ट की डेफिनेशन तय कर दीजिये और फिर कोई उनको ट्रान्सफर करता है तो आपको ऐतराज नहीं करना चाहिये। उन्होंने इन्वेस्टमेन्ट किया है, आप केवल 20 टाइम रेन्ट का देकर डिस्पोज आफ करना चाहेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। या तो फिर मार्केट वेल्यू से तय करें कम्पेनसेशन, तब तो कुछ ईमानदारी की बात भी हुई नहीं तो केवल यही समझा जावेगा कि पर्टीकूलर कम्युनिटी को मोटीवेट करके हिट करना चाहते हैं और यह दृष्टिकोण न्यायसंगत नहीं होगा सरकार का।

यह सरकार बॉटलनेक कम्पार्टमेन्ट करके चलना चाहती है। 65 में डिले हो गई कानून में। सरकम्स्टान्सेज के अनुसार डिले टेकटिक्स अपनाई गई।

श्री शंकरलाल: आप तो और डिले करना चाहते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह: सुप्रीम कोर्ट में केस था सुजानसिंह वर्सेज स्टेट प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन बन गया। उस प्रोटेक्शन को वापिस आज 69 में इन्कार्पोरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से यह प्रोटेक्टेड है तो दो प्रकार से 55 के कानून को लागू रखेंगे। प्रोटेक्टेड हैं जो रेस्ट्रिक्टेड हैं उसमें एग्जेम्पशन विथड्रा करने जा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या है आगे जाकर वान्ट आफ लॉ में उलझ जावेंगे।

तो इन शब्दों के साथ पुनः राजस्व मन्त्रीजी से और राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इस एमेण्डमेन्ट पर गम्भीरता से विचार करें। समाजवाद के थोथे भावावेश में न बह कर सही दृष्टिकोण अपनावें।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर): एग्जेम्पशन्स को विथड्रा किया गया। केवल दो रखे गये। एक तो कोऑपरेटिव फार्म्स और दूसरा एजूकेशनल और रिलीजस इन्स्टीट्यूशन्स के फार्म्स। प्रिन्सिपली मैं इसके हक में हूं। पर अगर सीलिंग लॉ से पहले किसी ने अपनी सोसायटी एग्रीकल्चरल फार्म को-ऑपरेटिव सोसायटी के नाम से रजिस्टर्ड की हुई है और उसका मेन मकसद छोटों को को-ऑपरेटिव फार्म्स में लेने का रहा है और उनमें छोटे किसान हैं, शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हैं तो यह ठीक है।

एक तरफ एफीशियेन्टली मैनेज्ड फार्म्स के एग्जेम्पशन विथड्रा कर लें उसूलन ठीक है। दूसरी तरफ को-ऑपरेटिव के नाम पर कोई लैंडलेस उसको मेन्टेन करते हैं तो यह डिस्पेरिटी नहीं होनी चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ के तहत रूल्स बनाये गये कि कौन कौन सी सोसायटियां हैं जिनको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, उनका केरेक्टर और नेचर क्या है,

(श्री केदारनाथ)

कितनी जमीन है ? अगर वे लैंडलेस की परिभाषा में आते हैं, कैपिटलिस्ट फार्मिग की परिभाषा में आते हैं ? रामानन्दजी ने मूव किया है तो न उसका मकसद है, न कांग्रेस का है कि इनको एग्जेम्पशन दिया जावे।

दूसरी बात, एजूकेशन के नाम से या रिलीजन के नाम से भी इमोशन में नहीं आना चाहिये। मौजूदा स्थिति क्या है ? कौन करते हैं ? आज उन पर किनका कब्जा है ? मैनेजमेंट एग्रीकल्चरिस्टों का है या नहीं वे टिनेन्ट की परिभाषा में आते हैं तो इसके तहत रिजेक्ट नहीं कर सकते। आप केवल एन्युइटी दे सकते हैं। रिलीजन के जितने चलते हैं, सिवाय दो चार के बाकी का मैनेजमेन्ट खराब हैं इसलिये टेनेन्ट को खातेदारी हक दो, जमीन वापिस दे दो और एन्युइटी बान्ध दो कम्पेन्सेशन में। फिर कानून लागू कर दो। बाकी के साथ क्या होने वाला है उसके लिए वह तैयार रहेंगे। मैं इतनी ही बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिह।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून में मुख्य रूप से हमें व्यवहारिक पहलू पर विचार करने की आवश्यकता था। यह बात सही है कि यह कानून बहुत पहले लाया गया। लेकिन इसका क्रियान्वयन अब तक नहीं हो पाया है, और सरकार ने यह फैसला किया है कि इस लम्बे अर्से तक चलने वाली प्रक्रिया को एक सीमा तक ले जाकर समाप्त किया जाये। जैसा कि कल भी प्रश्न उपस्थित हुआ था। 31 दिसम्बर, 1969 तक का वैलिड किया जाये। इसकी अलग परिभाषा दी है। मैंने कल भी निवेदन किया था कि मूल सिद्धान्त गवर्नमेंट का क्या था ? स्टेटमेन्ट आफ ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स देखें तो सरकार ने स्पष्ट रूप में लिखा है, बाद के ट्रान्सफर्स को वैलिड करने के लिए हम दूसरा विधेयक ला रहे हैं। उस समय न तो सरकार ने कोई निर्णय, कोई संकेत किया था और मैं समझता हूं कि न सरकार ने निर्णय लिया होगा। यदि लैंडलेस लोगों को ट्रांसफर हो गई जमीन तो इस प्रकार के ट्रांसफर को कानूनी बना कर उसको रेगुलेराइज करना होगा। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में सरकार ने जो उद्देश्य बताया है, सरकार उसके विपरीत आचरण कर रही है। दूसरा जैसा कि मैंने बताया है, हमें व्यवहारिक आधार पर विचार करना होगा। मैं समझता हूं कि व्यवहारिकता के आधार पर यह विधेयक सरकार ने प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूं कि अधिकांश माननीय सदस्य यह मान कर चलें होंगे कि जिनके पास सरप्लस जमीन थी, जो ट्रांसफर कर दी, उनसे वापिस लेकर दूसरे लोगों को वितरण कर दी जायेगी। यह एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइन्ट आफ व्यू से किया गया है। मैं समझता हूं कि हमारी मूल में यह समस्या है कि ट्रांसफर इस प्रकार से वैलिड करके किसानों के लिए संकट पैदा करेंगे। यदि यही मूल समस्या है तो इसमें लैंडलेस के स्थान पर एग्रीकल्चरिस्ट होता है तो कितनी कठिनाई पैदा होगी। मैं सरकार से निवेदन करूं कि जिनके पास ऐसी जमीन थी, वह सीलिंग के आधार

(श्री भैरोंसिंह)

पर सरेण्डर करनी पड़ती। अब उसने यदि किसी फौजी का सरेण्डर कर दी तो क्या उस फौजी को ट्रांसफर की गई वह वापिस ली जायेगी? मैं समझता हूं कि सरकार की ऐसी मन्शा नहीं होगी। मैं समझता हूं इस सदन का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह कैसी भी समाजवादी भाषा बोलने वाला हो वह इसको पसन्द नहीं करेगा। अगर किसी के पास सरप्लस लैंड था, उस जमीन को किसी सोल्जर या एक्स-सोल्जर को ट्रांसफर कर दिया तो क्या वह उससे वापिस लिया जायेगा? सरकार का ऐसा मतलब नहीं है। तो अब सरकार किस प्रकार से प्रोटेक्शन देगी? मैं रेवेन्यू मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि जितने सोल्जर और एक्स-सोल्जर हैं, उनको किस प्रकार से प्रोटेक्शन मिलेगा? नियम और कानून के अनुसार कैसे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा? यह बतलायें। मान लीजिये एक आदमी ने 5 बीघा जमीन खरीद ली, उस समय उसके पास एक बीघा भी नहीं थी। अब जैसे एक आदमी को मन्दिर की पूजा करने में इन्कम होती है या आटा मांगने से इन्कम होती है उस तरह की इन्कम है, लेकिन जिस समय ट्रांसफर की गई जमीन तो उस समय यह मेनली या होल्ली नहीं होती थी। तो जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया। 2/3 जमीन पर कब्जा कर लिया। कुआं खुदवाया। इम्प्रूवमेंट कर लिया है। टेनेंसी एक्ट में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि जिन्होंने जमीन लेकर कर्जा लेकर इम्प्रूवमेंट कर दिया उसको आप किस प्रकार से प्रोटेक्शन देंगे? ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अब कानून ऐसा बना रहे हैं आप प्रशासनिक दुविधाओं से स्वयं बचने के लिए और जनता को बचाने के लिए। जिस प्रकार की स्थिति में आप चल रहे हैं, उस दिन वह एग्रीकल्चरिस्ट नहीं था आज हर तरह से एग्रीकल्चरिस्ट है, लेकिन किसी को मुआवजा दिये बिना उनकी जमीन हम लेना चाहेंगे तो कितनी दिक्कत होगी? खाली यह नहीं कि फौजियों से जमीन लेना चाहते हैं। क्या उनसे जमीन लेना चाहते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, जो गांव में बहुत से लोग हैं। जैसा कि रामानन्द जी ने भी कहा आप लैंडलेस को लेना चाहेंगे, लेकिन एग्रीकल्चरिस्ट लैंडलेस कौन होगा? क्या आप उसको लैंडलेस मान कर चल रहे हैं जिस दिन यह जमीन ट्रांसफर हो गई है? आप लैंडलेस को जमीन से महरूम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उस दिन वह लैंडलेस नहीं था तो बहुत प्रशासनिक दुविधा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति ने इम्प्रूवमेंट कर दिया है, जिस व्यक्ति ने जमीन बेची है, उसको आप मुआवजा दिला देंगे। यह टेनेंसी एक्ट में दो संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। उसका कम्पेन्सेशन गवर्नमेंट देगी या वह देगा जिस व्यक्ति ने बेची है? इससे कानूनी कॉम्प्लीकेशन्स कितने खड़े होंगे, यह हम नहीं सोच सकते हैं। अब लैंडलेस की जो परिभाषा है वह हमने नहीं दी थी लैंडलैस की परिभाषा। उपाध्यक्ष महोदय, कोई दूसरी पार्टी ने नहीं रखी थी, रूलिंग पार्टी कांग्रेस ने रखी थी। उस परिभाषा के आधार पर चलते आये हैं उसी परिभाषा के आधार पर यदि लोगों ने जमीन एलॉट कर दी तो किसी प्रकार का अन्याय नहीं किया क्योंकि उसी प्रकार का एलॉटमेंट गवर्नमेंट भी करती चली आ रही है। गवर्नमेंट एलॉटमेंट कर दे तो वाजिब और कोई प्राइवेट आदमी एलॉटमेन्ट कर दे तो वह गैर वाजिब। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में इस प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

का भेदभाव किया जाता है तब पता चलता है कि राजस्थान की हुकूमत एक तरफ जागीदारों को खत्म करना चाहती है, राजा महाराजाओं को खत्म करना चाहती है, दूसरे बड़े बड़े काश्तकारों को खत्म करना चाहती है, दूसरी तरफ यह स्वयं बड़े बड़े काश्तकारों के रूप में, राजा महाराजाओं के रूप में, जागीदारों के रूप में अपने को विद्यमान करना चाहती है। उपाध्यक्ष महोदय, इमानदारी से इस सदन के एक भी सदस्य ने एक उदाहरण भी पेश नहीं किया है, मैं समझता हूं कि किसी को जानकारी हो और वह पेश किये बिना रह जाय-ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन किसी ने ऐसी जानकारी पेश नहीं की कि एक व्यक्ति ने, जिसको जमीन सीलिंग कानून के अन्तर्गत सरेन्डर कर देनी चाहिए थी, ऐसा ट्रान्सफर कर दिया, जो किसी कैपिटेलिस्ट या नॉन एग्रीकल्चरिस्ट को किया और जो भूमिहीन किसानों का शोषण करने वाला था। एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दिया जा सका। यहां इस सदन में कई सदस्य ऐसे बैठे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से चुन कर आये हैं, वह जानते हैं कि कितने लोगों के पास में सरप्लस लैंड थी उन्होंने किनको ट्रान्सफर की है। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, जब कि अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानते हैं। वहां अगर किसी ने जमीन ट्रान्सफर कर भी दी है तो वह विधान सभा में नाम नहीं लेना चाहते। नहीं तो वह लोग इनका राजनैतिक शोषण करेंगे, यह लोग इनसे राजनैतिक विद्वेष रखेंगे। इसलिए यह ऐसे व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं। पाली के अन्दर बहुत ज्यादा जमीन है वहां पर बहुत ज्यादा ट्रान्सफर हुए हैं, लेकिन पाली से आने वाले माननीय सदस्य एक भी उदाहरण ऐसा बतायें कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर अमुक जागीरदार ने अमुक किसान के नाम से अमुक सेठ को, अमुक पंडित को, अमुक नॉन-ऐग्रीकल्चरिस्ट को जमीन ट्रान्सफर कर दी, इसलिए उसको रेगुलेराइज नहीं किया जाना चाहिए। मैं इसके विपरीत बताना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा एलॉटमेंट किस प्रकार होते हैं....

श्री शंकरलाल : ऐसी बहुत सी लिस्ट आ सकती हैं।

श्री मूलचन्द डागा : सीलिंग का प्रश्न है इसको साइड ट्रैक मत कीजिये।

श्री हीराभाई : यह बीच बीच में बोलने की आपकी आदत हो गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डागा जी को बहुत बड़ा रोग लग गया है।

श्री शंकरलाल : ट्रान्सफर को वैलिड कर दिया, ट्रान्सफर को रेगुलेराइज कर रहे हैं। इसमें चिन्ता क्या है आप चाहते क्या हैं?

श्री उपाध्यक्ष : वह चाहते कुछ भी हों। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं बता रहा हूं। प्रश्न यह आता है कि अब तक एलॉटमेंट जिन लोगों को किया गया, जिन लोगों के पास सरप्लस भूमि थी, उन्होंने एलॉटमेंट किया वह वाजिब था? या जो सरकार ने एलॉटमेंट किया है वह वाजिब था? एक भी उदाहरण ऐसा सामने नहीं आया कि जिनको भूमि सरेन्डर करनी चाहिए

(श्री भैंरोंसिंह)

थी, वह जमीन प्राइवेट लोगों को ट्रान्सफर कर दी, या ट्रान्सफर कर दी नॉन-एग्रीकल्चरिस्ट को इसलिए उस ट्रान्सफर को वैलिड करार नहीं दिया जाना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके विपरीत बताना चाहता हूं कि सरकार किस प्रकार से एलॉटमेंट करती है।

इस कानून में यह बात कही थी कि जिनके पास में सरप्लस लेंड है, उसको लेकर गरीब किसानों को देगी। सरकार लेंडलेस की परिभाषा देकर अपने हाथ बांधना नहीं चाहती है, इसलिए ही लेंडलेस की डेफिनेशन में अपने को बांधना नहीं चाहती क्योंकि नॉन-एग्रीकल्चरिस्ट, नॉन-कल्टीवेटर के नाम पर, राजनैतिक आधार पर किसी तरह का कभी भी झगड़ा खड़ा किया जा सकता है, इसलिए यह न करते हुए जो एलॉटमेंट हुआ उसका मैं उदहारण देना चाहता हूं कि किस प्रकार से एलॉटमेंट सरकार करती है। मैं राजस्थान के सारे जिलों की बात तो नहीं कहता, लेकिन एक कॉन्क्रीट एक्जेम्पशन देता हूं कि जो गवर्नमेंट की लिस्ट हैं, वह मैं पढ़ कर सुना देता हूं, जिससे आपको और सदन को यह अन्दाज हो जाय कि एक तरफ तो दूसरे लोगों से जमीन ली जाय और दूसरी तरफ नये जागीदार बनाने की प्रक्रिया के लिए सरकार ने एलॉटमेंट को माध्यम बना रखा है। यह स्थिति कहां तक वाजिब है? मैं आपको निवेदन करूं कि चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट का एक सेती गांव है ....

श्री मूलचन्द डागा : आप क्या अर्ज करना चाहते हैं, अगर यह एलॉटमेंट हुआ तो?

श्री रामनारायण चौधरी : विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह एलॉटमेंट सेट आसाइड किये जा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य: सुनिये तो सही।

श्री मूलचन्द डागा : गवर्नमेंट ने एलॉटमेन्ट गलत कर दिया तो आप तो कानून के जानने वाले हैं, पार्टी उसको रिवीजन में पेश कर सकती है और सेट असाइड करा सकती है। इसमें यह सवाल कहां आता है?

श्री भैंरोंसिंह : गलत एलॉटमेंट कर रही है सरकार या नहीं कह रही है यह मैं नहीं कह रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि किसको एलॉटमेंट किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डागा जी की अकल बड़ी मोटी है। समझ में नहीं आता है जल्दी।

श्री मूलचन्द डागा : भैंरोंसिंह जी का कहना है कि सीलिंग कानून सरकार लागू करना चाहती है और गलत आदमियों को एलॉटमेंट कर रही है।

श्री उपाध्यक्ष : गलत आदमियों को कर रही है यह नहीं कहा है। किसको कर रही है।

श्री मूलचन्द डागा : यह कहा है कि गलत आदमियों को कर रही है।

श्री भैंरोंसिंह : यह नहीं कहा कि गलत हुआ है या सही हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : आप यह बता दें ..

श्री भैंरोंसिंह : आप डिस्टर्ब मत करें और समझने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर। संक्षेप में।

श्री भैरोंसिंह : संक्षेप में कह देता हूं वैसे लिस्ट लम्बी चौड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : लिस्ट लम्बी चौड़ी हो सकती है। आप संक्षेप में कहें।

श्री भैरोंसिंह : मैं संक्षेप में कह देता हूं।

जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू चित्तौड़गढ़ में गाडिया लोहारों को चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश कराने आये थे, उस समय ऐरोड्रम बनाया गया था उसमें सरकार का पैसा खर्च हुआ था और उस समय भूमि का आवंटन किया गया किन को किया वह बता रहा हूं:—

श्री स्वतन्त्र भूषण शर्मा, जो उप-प्रमुख एवं प्रधान पंचायत समिति, कपासन के हैं और इन उप प्रमुख एवं प्रधान पंचायत समिति कपासन ने ग्राम सेती में भूमि आवंटित कराई, बेंगू में भी इनके नाम जमीन का आवंटन हुआ।

इसके बाद में एम. एल.ए. का नाम है वह मैं सदन में नहीं लेता हूं। इसमें एम. एल. ए. का नाम भी है।

फिर हैं श्री देवीशंकर नंदवाना, श्री मांगीलाल नन्दवाना और श्री रामदयाल नन्दवाना यह सब श्री रामकुमार जी के निकट परिवार जन हैं इनके नाम से सेती गांव में जमीन का आवंटन हुआ।

आगे आप चलिये, श्री शंकरलाल जाट, अरौ श्रीमती सरस्वती देवी वाइफ आफ श्री शंकरलाल जाट इनके नाम ग्राम सेती में भूमि का आवंटन हुआ (शोरगुल व्यवधान)

श्री मनोहरसिंह मेहता : सुनिये तो सही। यह व्यक्तिगत रूप से छुरा भोंका है किसानों के।

श्री भैरोंसिंह : आगे हैं श्री कृष्णचन्द्र पंचोली, श्री शीला पंचोली और श्री पंचोली के नाम पर सेती और बेंगू तहसील में तीन जगह एलॉटमेंट हुआ है।

यह श्री कृष्णचन्द्र पंचोली, अध्यक्ष नगर न्यास चित्तौड़ के हैं।

श्री गणेशलाल रंगर को ढाढम में भूमि का एलॉटमेंट हुआ है।

फिर हैं श्री शंकरलाल, प्रधान राशमी, और श्री सोसर बाई, पत्नी प्रधान राशमी इनके नाम से सूरजपोल में भूमि का आवंटन हुआ है।

फिर है श्रीमती मांगीबाई, पत्नी श्री भंवानी शंकर जी नन्दावना इनको खोर के अन्दर भूमि का आवंटन हुआ है।

फिर है श्री दीनबन्धु पुत्र श्री माणिक्य लाल वर्मा, श्री शंकरसिंह, श्रीमती शान्ता देवी, रमा, सुधिन्द्र कुमार, सुभाष चन्द्र, महेन्द्र कुमार सभी वर्मा परिवार के निकटस्थ सम्बन्धी हैं-इनको सेमलपुरा में भूमि का आवंटन हुआ है।

आगे आते हैं श्री शांतीलाल, प्रधान चित्तौड़गढ़, श्री भंवरलाल, श्री मदनलाल, श्री भंवरलाल, श्री रतनलाल, श्री प्रभुलाल श्री ज्ञानचन्द्र, श्री वसन्तीलाल यह सभी

(श्री भैरोंसिंह)
श्री शांतीलाल के निकटस्थ सम्बन्धी एवं परिवार जन है इनको खेती में बरोड़ा में, नेतावत में, और ढाढम में भूमि का अलॉटमेंट हुआ।

फिर हैं सुन्दर बाई, यह सुन्दरबाई भूतपूर्व एस. डी. एम. को निकटस्थ सम्बन्धी है। और रिस्तेदार हैं वह भी सुन लीजिये, श्री विजयशंकर, विनयदेवी, रमेशचन्द्र, पदमादेवी, सज्जनदेवी यह एस. डी. एम. का पूरा परिवार आ गया, बाप-दादा सब आ गये—इनको सूरजपोल और ओछड़ी में भूमि का आवंटन हुआ।

चित्तौड़ में सैनिक स्कूल है, उसको कर्नल वर्मा, श्री रेणुका, शान्तादेवी यह कर्नल वर्मा के निकटस्थ सम्बन्धी हैं......

श्री रामानन्द अग्रवाल: यह एक्स सोल्जर्स के साथ न्याय हैं।

श्री भैरोंसिंह: मैं तो बता रहा हूं, न्याय अन्याय आप देख लेना।

एस. पी. चित्तौड़ के निकटस्थ सदस्य एवं परिवार जन हैं श्री महेन्द्रसिंह, राजेन्द्र सिंह, प्रतापसिंह—इनको तहसील चित्तौड़ में भूमि का आवंटन हुआ है।

आगे बी. डी. ओ. भी नहीं चूके, आर. अन. बारड़ा, वी. डी. ओ. को तहसील चित्तोड़ में भूमि का एलॉटमेंट कर दिया। उनके सम्बन्धी हैं श्री प्रकाशचन्द्र पंचाली, उनके नाम भी भूमि का एलाटमेंट हुआ और विकास अधिकारी एवं उनके सम्बन्धी को भी एलॉटमेंट कर दिया।

अब श्री वेदप्रकाश त्रिपाठी हैं, प्रोफेसर-इनके नाम से सेमलपुरा में भूमि का अलॉटमैंट हो गया! श्री लीलाधर पाठक, भूतपूर्व डी. एस. ओ. इनके नाम से नेतावल में भूमि का आवंटन हो गया और उनके पुत्र शैलेन्द्र पाठक को भी नेतावल में भूमि का आवंटन हो गया।

यह कहना इसलिये चाहता था, एक जगह की, मैंने सेती गांव की लिस्ट बताई है, यह क्यों बताई है? सभापति महोदय, राजस्व मंत्री जी जानते होंगे, सेती गांव के किसान, हरिजन और आदिवासियों ने चित्तौड़ के कलेक्टर के आफिस के सामने धरना दिया, वह बैठे रहे और उन्होंने प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि जिन लोगों के नाम इस प्रकार भूमि का अलॉटमैंट हुआ है वह कैंसिल किया जाय। उसके बाद कलेक्टर ने सेक्शन 91 के तहत नोटिस दिये। उसके बाद क्या कार्यवाही हुई, यह सदन अपने आप अनुमान लगा कर चल सकता है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि इस सरकार के द्वारा अलॉटमैंट किस प्रकार होता है। मैं उदाहरण के रूप में, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहूंगा, माननीय राजस्व मंत्री जानते हैं, जयपुर के बारह मील की परिधि में किसी आदमी को खातेदारी राइटस नहीं मिल सकते, किसी व्यक्ति को जमीन का अलॉटमैंट नहीं किया जा सकता है, और अलॉटमेंट करके खातेदारी राइट्स केवल इसलिये नहीं किये जा सकते, जैसी कि इस सदन की मांग है कि कोई आदमी जमीन ले ले और उस जमीन को बाद में बेच दे, और उसका लाभ उठाये, बल्कि इस दृष्टि से आदेश निकाले हैं कि शहर का विकास अवरुद्ध न हो। सरकार जयपुर के बारह मील के क्षेत्र में भूमि का आवंटन नहीं करना चाहती, लेकिन मैं नाम देना नहीं चाहता, मैं केवल इतना कहना चाहता

(श्री भैरोंसिंह)
हूं । 1967 के अन्दर लग भग 32 आदमियों के 12 मील के क्षेत्र की भूमि में एन्क्रोचमेंट को तहसीलदार ने रेग्यूलराइज कर दिया, कानूनन तहसीलदार, न कलेक्टर रेग्यूलराइज कर सकता है । केवल सरकार अलॉटमेंट के आर्डर्स कर सकती है । लेकिन 1967 में 32 आदमियों को रेग्यूलाइज किया 1968 में 4 व्यक्तियों को ट्रेसपास के लिये रेग्युलराइज किया और 1969 में 100 आदमियों ने एन्क्रोचमेंट कर लिया, उसको रेग्युलराइज किया । राजस्व मंत्री व मुख्य मंत्री सुन लें । 12 मील के क्षेत्र में भूमि का अलॉटमेंट होता है लेकिन एन्क्रोचमेंट को रेग्युलराइज करने का कोई कानून नहीं है न किया जा सकता है आपने एन्क्रोचमेंट का कानून बनाया है, जो हिदायतें जारी की हैं, उनमें स्पष्ट रूप से व्यवस्था है कि 12 मील के क्षेत्र में यदि किसी ने एन्क्रोचमेंट कर लिया है तो रेग्यूलराइज नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री रामकिशोर व्यास : इन दिनों कोई रेग्यूलराइजेशन नहीं हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : आप जरा सावधान रहें । यदि जयपुर के 12 मील के क्षेत्र में रेग्यूलराइजेशन हुआ तो फूट गए भाग्य राजस्थान के ।

श्री मूलचन्द डागा : खंड दो पर विचार हो रहा है और आपने पहले……

श्री उपाध्यक्ष : आपत्ति आपकी ठीक है ।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न दूसरा है ।

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें ।

श्री भैरोंसिंह : जो संशोधन मैंने मूव किया है, उसके समर्थन में यह दलील सदन में देना चाहता हूं कि अलॉटमेंट सरकार की तरफ से होता है वह वाजिब होता है या जो बाकी जमीन का ट्रान्सफर किया है, वह वाजिब है । सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि 12 मील के क्षेत्र में ये तो रेग्यूलराइज करने की बात कह सकते हैं लेकिन सरकार ने जिन लोगों को जमीन अलॉट की, उनमें से कितने काश्तकार हैं, वह यदि सदन सुनना चाहे तो सदन की जानकारी में ला सकता हूं कि कितने लोग जयपुर शहर के 12 मील की परिधि में जो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं, जो कैपीटेलिस्ट हैं, जो सर्विस क्लास में बैठे हैं, जिनके बाप दादों ने बीज तक नहीं देखा, उनको किस प्रकार से सरकार ने अलॉट की हैं । वह सुनना चाहें तो सुनाऊं ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सुनाइए ।

श्री भैरोंसिंह : आपकी आज्ञा हो तो सुनाऊं ।

श्री उपाध्यक्ष : इसका इससे विशेष संबन्ध नहीं है । सदन की मेज पर रख दें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सुनायें नहीं तो ऐसी बेजा हरकतें कैसे रुकेंगी । कृपया इन्हें इजाजत दें ।

श्री भैरोंसिंह : तो सुनाता हूं । 12 मील की परिधि में……

श्री रामनारायण चौधरी : कैसे मान लें कि यह 12 मील की परिधि में है ?

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये सारे गलत अलॉटमेंटस हैं । आप क्या चाहते हैं ? ये कैंसिल हों या इनके बिना पर और भी अलाटमैंट किये जायें ?

श्री भैरोंसिंह : समय का सवाल है । किस किस आर्डर से किस किस जमीन का अलॉटमैन्ट हुआ, आप चाहें तो आर्डर की कापी दे दूं । उससे आपको पता लग जायगा कि सरकार ने 12 मील की परिधि में क्यों भूमि का आवंटन किया :

जय सुखराम 15 बीघा

पी. के. चौधरी 10 बीघा

छत्तरसिंह 15 बीघा

संतोष देवी 13 बीघा

रमेशचन्द्र, प्रकाशचन्द्र हरिशचन्द्र 56 बीघा ।

पुलिस विभाग

श्री रामनारायण : पोलिटिकल सफरर्स हैं ।

श्री भैरोंसिंह : शांतिदेवी रामनारायण तिवाड़ी, मोतीलाल चौधरी 150 बीघा

श्री रघुनाथ 3½ बीघा ।

नर्मदा देवी पत्नी अमृतलाल यादव 15 बीघा इसी प्रकार एक भूतपूर्व सैनिक 16 बीघा ।

नर्मदादेवी पत्नी अमृतलाल यादव 9 बीघा 13 बिस्वा ।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें 12 मील के बाहर की जमीन शामिल है ।

श्री भैरोंसिंह : 12 मील के अन्दर है ।

श्री शंकरलाल : व्यवस्था का प्रश्न है । सीलिंग कानून को पास करने का जो समय है और उस समय में पास हो जाय उसके अन्तर्गत चाहे कितनी बहस करें लेकिन एक तरफ कहते हैं कि पास करना चाहते हैं, दूसरी तरफ यह विषय नहीं है, इसका सीलिंग कानून से क्या ताल्लुक है, उसकी चर्चा करके यह विषयान्तर हो रहे हैं । सीलिंग कानून से इसका ताल्लुक नहीं इसलिए माननीय सदस्य को सारी बातें कहने की छूट नहीं होनी चाहिए ।

श्री भैरोंसिंह : मुझे ज्यादा नहीं बताना है । माननीय सदस्य सदन के चाहें तो जयपुर जिले में जिन तहसीलों में भूमि का अलॉटमेंट हुआ है और जो नॉन एग्रीकल्चरिस्टस हैं, जो कभी लैंडलेस टिनेन्ट्स नहीं रहे, जिनका मेन सोर्स आफ इन्कम खेती नहीं रहा, उनकी पूरी सूची मेरे पास है, जो माननीय सदस्य देखना चाहें देख लें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सदन की मेज पर रखें ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष जी, दूसरा प्रश्न मैंने इसलिए सदन में कहना चाहा कि सरकार जो अलॉटमेंट करती है और जो प्राइवेट आदमी अलॉटमेंट करता है उनमें कितना अन्तर है । मैंने कल भी एक प्रश्न उठाया था कि जो एग्जेम्पटेड फार्म्स हैं उनमें कम्पेन्सेशन का प्रावधान नहीं है । मैं मान कर चलता हूं कि कम्पेन्सेशन की उसमें व्यवस्था है लेकिन मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्य गंगानगर में जो आंदोलन हुआ, उसके बाद में कम से कम एक बात समझकर चले होंगे कि आज सरकार किसी को जमीन अलॉट करे, लेकिन उस भूमि

(श्री भैरोंसिंह)

को यदि सरकार ने अलॉट किया जिसके विकास के कारण सरकार को अपने खजाने से मुआवजा देना पड़े तो उस किसान को वह भूमि का आर्डिनरी अलॉटमेंट जिस प्रकार से होता है, उस प्रकार का अलॉटमैंट नहीं किया जायगा। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति के पास 60 एकड़ आचड है, 30 एकड़ के नाते वह अपनी पोजीशन रख कर चलता है, बाकी 30 एकड़ वह सरेन्डर करता है। मैं आश्वासन चाहता हूं कि जिस भूमि का लोगों को इम्प्रूवमैंट का पैसा देंगे उस भूमि का आप आर्डिनरी तरीके से अलॉट करेंगे या पब्लिक आक्शन करके जमीन देंगे? निश्चित रूप से वह जमीन कीमत से दी जायगी। जब जमीन को कीमत से दिया जायगा तो जिस गरीब किसान की आप वकालत करते हैं, वह नहीं ले सकता। पैसे वाला उस आक्शन में उस जमीन पर काबिज होने की स्थिति में आएगा। और गरीब हिम्मत करना चाहे तो नहीं कर सकेगा। इसलिए मैंने संशोधन रखा है कि जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, उनका जो सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा, वह काश्तकारों से मुआवजे का पैसा वसूल नहीं करे और आर्डिनरी वे में अलॉटमेंट होता है उस आर्डिनरी वे में अलॉटमेंट हो। मैं मानता हूं कि सरकार आर्डिनरी वे में अलॉटमेंट करने वाली नहीं है। या तो पैसे वालों को करेगी या राजस्थान सचिवालय से किसी के नाम अलॉटमेंट आर्डर होगा कि उसको अलॉट किया जाय तो मुझे संदेह है कि जो भूमि के विकास के नाम पर या कैटिल ब्रीडिंग के नाम पर या शीप ब्रीडिंग के नाम पर, इस प्रकार की व्यवस्था पहले एग्जेम्पशन में रखी थी वह आज बिगड़ा भी कर लेते हैं तो वास्तव में जमीन एग्रीकल्चरिस्ट के पास जाने वाली नहीं है। उनके पास जायगी, इसका एप्रीहेन्शन मेरे दिमाग में है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, चौथा प्रश्न आता है 31 दिसम्बर, 69 तक की सारी जमीनों को, जो ट्रान्सफर कर दी गई है, रेगुलेराइज कर दिया गया है। अब सवाल आता है कि एग्रीकल्चरिस्ट कौन है? जिसकी होलली मेनली इन्कम कृषि से हो उसको आपने एग्रीकल्चरिस्ट माना है। इसको कौन देखेगा कि इसकी सब इन्कम कृषि से ही होती है, इसको कृषि से होने वाली इन्कम का टर्न ओवर कितना है? किसी कोर्ट में जाकर एक व्यक्ति एफिडेविट देकर यह प्रमाणित करता है कि मेरी मेन इन्कम कृषि से ही आती है, उसको न्यायालय स्वीकार करता है क्योंकि आज राजस्थान में न्यायालयों की जो स्थिति है उसमें दिन का रात और रात का दिन हो जाय तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह के न्यायालयों से ऐसे व्यक्ति एग्रीकल्चरिस्ट हो जायेंगे जिनका कभी मुख्य धन्धा एग्रीकल्चर का नहीं रहा होगा। इससे वास्तविक तौर से जो कृषि से अपना जीवन निर्वाह करते हैं वे कहीं के नहीं रह जायेंगे। और जो एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में नहीं आते हैं उनको जमीन मिल जायगी। इस परिभाषा से एक साधन सम्पन्न व्यक्ति ने 100 रुपया दिया नहीं कि वह एग्रीकल्चरिस्ट हो जायगा। दस रुपये पटवारी को दिये तो वह एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा में ले लिया जायगा आज राजस्थान के पटवारी की अकाल के कारण आमदनी खत्म हो गई है, आज उनके पास पेट भरने को पैसा नहीं है

(श्री भैरोंसिंह)
उनके लिये सरकार इस तरह से कमाई का रास्ता बना रही है। एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा के नाम पर वह अपनी जेब खूब गरम कर सकेंगे और जिसको चाहेंगे एग्रीकल्चरिस्ट बना देंगे। कोई भी व्यक्ति शिकायत लेकर जायेगा कि यह एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है तो उससे पैसे ऐंठ कर उसको एग्रीकल्चरिस्ट बना देगा।

आज राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन में जिस प्रकार का करप्शन व्याप्त है उसको देखते हुए एग्रीकल्चरिस्ट के नाम पर और ज्यादा करप्शन बढ़ेगा। कोर्ट्स में लिटीगेशन बढ़ेगी और इस तरह से जो वास्तविक तौर से कृषक होगा उसको काफी परेशानियां उठानी पड़ेंगी। आज मैं यह कह सकता हूं कि आपको कोई जमीन देने वाला नहीं है। इससे जमीनों की मुकदमें बाजी बढ़ेगी और इससे वकीलों को, जिनको धन्धा नहीं मिल रहा था, काफी धन्धा मिल जायगा। इसमें एक साधारण काश्तकार के हित की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। इसीलिये हमने मांग की थी कि जिन लोगों ने कानून का पालन किया और जमीन बेची नहीं, कानून का आदर करते रहे उनको थोड़ी सी छूट दे दी जावे। यह कोई मोटी बात नहीं। शंकरलाल जी भी जानते हैं कि लम्बी चौड़ी जमीन हाथ लगने वाली है ऐसी बात वे भी मान कर नहीं चलते। 31 दिसम्बर तक 90 प्रतिशत जमीन रेगुलेराइज हो जायगी। इसके बाद जो कुछ जमीन बचेगी उसको आप तहसीलदार और एस. डी. ओ. को दबा कर 72 का इलेक्शन जीतने के लिए अपने अधिकार में रखने वाले हैं जिससे आप जिसे चाहें दिलवा सकें। यह जो 72 के इलेक्शन को ध्यान में रख कर आप व्यवस्था कर रहे हैं यह काश्तकारों के हित की चीज होने वाली नहीं है। इस तरह से आप एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव जगलरी क्रिएट करना चाहते हैं—इसका मैं विरोधी हूं।

एक व्यक्ति जिसने कानून की अवहेलना करके अपनी भूमि को ट्रान्सफर कर दिया, उससे धन कमा लिया उसको तो आप रेगुलेराइज करेंगे और दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जो कानून का पालन करता रहा, सीलिंग लॉ का इन्तजार करता रहा उसको आप बाध्य करेंगे कि तहसीलदार के नोटिस पर वह अपनी भूमि सरेण्डर करे ताकि वह भूमि सरकार में वेस्ट हो सके। जिन लोगों ने सरकार की हिमायत की, कानून का पालन किया, आदर किया, आज वे लोग कहते हैं कि एक दिन की मोहलत और दे दो, जिन्होंने दस वर्ष तक कानून तोड़ा उनको तो आप रेगुलेराइज कर रहे हैं लेकिन जो एक दिन की और मोहलत मांगते हैं वह आप देना नहीं चाहते। यह उनके साथ बड़ा अन्याय होगा। यह तो ऐसा हुआ कि आम तो खा लिये अब गुठली पर नजर पड़ी हुई है। वह भी आप छोड़ना नहीं चाहते। 31 दिसम्बर तक के लिये तो व्यवस्था कर दी आगे आप एक दिन भी उसमें बढ़ाना नहीं चाहते।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रोजेक्ट एरिया गंगानगर, कोटा का है और भी जहां प्रोजेक्ट एरिया है उनके लिये आपने रूल्स बना रखे हैं कि वहां ट्रान्सफर नहीं हो सकता इसलिये लोगों ने भूमि का ट्रान्सफर नहीं किया। और अगर किसी ने ट्रान्सफर कर भी दिया तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं

Page No 90

(श्री भैरोंसिंह)

हुआ, म्युटेशन नहीं हुआ। और जिनका ट्रान्सफर के साथ म्युटेशन हो सकता था, म्युटेशन और ट्रान्सफर करा लिया वह वाजिब हो गया। गंगानगर और कोटा डिस्ट्रिक्ट में म्युटेशन नहीं हो सकता था, रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता था, रिश्वत से हो जाये तो दूसरी बात है लेकिन आज आप उनको मानने को तैयार नहीं। आप इस तरह से काश्तकार काश्तकार में भेद न करें, सरकार और जनता के बीच डिस्क्रीमिनेटरी व्यवहार न करें। आखिर इस सीलिंग से जो भूमि आयगी वह लैण्डलेस को ही अलॉट करेंगे। तो अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट को अलॉट करना चाहें जैसी कि आपने एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा की है उसको अगर वह ट्रान्सफर करता है तो उसमें आपको क्यों ऐतराज होना चाहिये? आप उस पर एग्रीकल्चरिस्ट की कण्डीशन इम्पोज कर सकते हैं। मेरे खयाल से इस बारे में आपको गम्भीरता से सोचना चाहिये और इस कानून को ज्यादा जटिल और विवादास्पद न बनने दें।

अब एग्जेम्पशन का सवाल आता है, जमीन लोगों के पास है। कल मैंने आंकड़े देखे हैं कितने केटल ब्रीडर्स हैं, कितने शीप ब्रीडर्स हैं कितने आचर्ड और कितने कोआपरेटिव फार्म्स हैं सब के आंकड़े मैंने देखे हैं। अब सवाल पैदा होता है 30 मई, 1970 तक ट्रान्सफर करने की इजाजत सरकार देना चाहती है। किन को देना चाहती है? सन्स एण्ड ब्रादर्स को। एग्रीकल्चरिस्ट का जो शब्द है उसको इसके लिये सरकार हटाने का तय कर चुकी है। रामानन्द जी सरकार के संशोधन को मानकर चलते हैं। आप एग्रीकल्चरिस्ट को निकालते हैं तो ट्रान्सफर किन को होगा? सन और ब्रदर्स को। मैं इस सम्बन्ध में व्यवहारिक बात कहना चाहता हूं, एग्जेम्पटेड फार्म हैं। कोई ऐसा नहीं होगा जिसने उस फार्म को जमीन को अपने मेजर सन और भाई के नाम पर डिवीजन नहीं कर रखा हो। आप इसमें से सन और ब्रदर को हटा लीजिये तो कोई मुझे आपत्ति नहीं होगी, किसी को आपत्ति नहीं। जिन लोगों ने एग्जेम्पशन के नाते भूमि पर अधिकार किया, उसमें इम्प्रूवमेंट किया, वे आज कहते हैं कि हमें केवल 15 दिन की और मोहलत दे दो ताकि हम इस भूमि को एग्रीकल्चरिस्ट में डिस्ट्रिब्यूट कर दें। आखिर वह भूमि जो सरकार के पास आयगी उस भूमि को आप अलॉट तो करेंगे नहीं आखिर उसको नीलाम ही तो करेंगे। एग्जेम्पटेड भूमि में से जो भूमि आपके पास आयगी उसका आर्डिनरी अलॉटमेंट तो नहीं होगा आप उसको नीलाम करेंगे। तो ज्यादा बोली जिसकी आयगी उसको आप देंगे तो यह आर्डिनरी किसान के हाथ आने वाली तो नहीं रही। अगर आप डाइरेक्ट एक्सचेन्ज की व्यवस्था कर देते हैं तो उसमें मुआवजा का झगड़ा उठ खड़ा होगा.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका अमेण्डमेन्ट तो एक साल की अवधि बढ़ाने का था। अब आप पन्द्रह दिन पर आ गये ?

श्री भैरोंसिंह : मैं तो आ गया अगर सरकार में समझदारी होगी तो सरकार इसको स्वीकार करेगी। जिस प्रकार की भावना सरकार ने रखी है उसी रुख के आधार पर सन और ब्रादर में ट्रान्सफर करना स्वीकार किया है। मैं चाहता हूं कि उसको हटा कर लैण्डलेस और

(श्री भैरोंसिंह)
एग्रीकल्चरिस्ट कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। एग्रीकल्चरिस्ट जिसकी परिभाषा रामानन्द जी ने जो रखी है उसी में डिस्ट्रिब्यूट कर दी जाय····

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो एग्जेम्पटेड भूमि को ट्रान्सफर करना किसी तरह से भी स्वीकार नहीं करता।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आपका अमेण्डमेण्ट कह रहा है। किन किन को रेगुलेराइज किया जाय इस बारे में आपने माना है कि दिसम्बर, 69 के पहले के ट्रान्सफर्स को वैलिड करार दिया जाय। उसको तो आप अधिकार मानते हैं और हम यदि 15 दिन की मियाद और मांगते हैं कि इससे बड़ा अनर्थ हो जायगा, फिर क्या जमीन रह जायगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी यह चाहते हैं गांव के आर्टिजन को और गरीब किसान को जमीन मिले, हम भी यही चाहते हैं। आप अवधि बढ़ाने के साथ साथ यह पाबन्दी डाल दें कि कोई भी अपनी भूमि को नॉन-एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रान्सफर नहीं कर पाये। आज तो मैं अपने पास की जमीन को एग्रीकल्चरिस्ट को ट्रान्सफर कर सकता हूं और कल मेरे पास की जमीन तहसीलदार के हाथ में जायगी और उसके द्वारा वह लैण्डलेस को डिस्ट्रिब्यूट की जायगी। मैं रामानन्द जी से निवेदन करना चाहता हूं लैण्डलेस की क्या परिभाषा है? Who may reasonably be suppossed to be an agriculturist? इस तरह का अमेण्डमेण्ट वे मूव करें, मैं उसका समर्थन करूंगा। उन लोगों को वह जमीन दी जाय तो इस बारे में मैं उनका समर्थन करता हूं····

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मन्त्री) : जन संघ और कम्युनिस्ट एक लेवल पर कैसे आगये ?

श्री भैरोंसिंह : हम जब तक लड़ रहे हैं तभी तक आप उधर बैठे हुए हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप तो केवल तमाशबीन की तरह देख रहे हो कोई कानून को लागू करवाने लिए के लड़ रहा है लेकिन आप तमाशबीन की तरह देख रहे हो कोई इसे लागू करने के लिये लड़ रहे हैं तो कोई इसका विरोध करने के लिये लड़ रहे हैं।

श्री शंकरलाल : दोनों के एक्स्ट्रीमिस्ट व्यू हैं हम प्रेक्टिकल व्यू रख रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : एक्स्ट्रीमिस्ट व्यू तो रामानन्द जी ने लिये है। मेरे व्यूज से सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे। जमीन जो सरप्लस डिक्लेयर की जाय उस जमीन को लैण्डलेस में डिस्ट्रिब्यूट करना चाहते हैं। जिस प्रकार की एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा दी है उसमें डिस्ट्रिब्यूट करवाना चाहते हैं। जिस प्रकार की एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा दी जाती है कोई भी सदस्य इससे इन्कार नहीं करेगा कि इनमें डिस्ट्रिब्यूट की जाय। उपाध्यक्ष महोदय, जो हमारे यहां सरप्लस लैण्ड रहेगी जैसी कि हम कानून में एग्रीकल्चरिस्ट की परिभाषा को लेकर चल रहे हैं उसमें अगर इस भूमि का डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होगा तो एक तरफ तो वह भूमि ली जायगी और दूसरी तरफ वह नान-एग्रीकल्चरिस्ट को डिस्ट्रिब्यूट की जायगी। गांव में जो गरीब लोग हैं, खेतीहर मजदूर हैं, उनको यह जमीन नहीं मिलेगी, उपाध्यक्ष महोदय। यह जमीन

(श्री भैरोंसिंह)

उन लोगों को मिलेगी जो गांव के प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कैटल ब्रीडिंग फार्म, शीप ब्रीडिंग फार्म की जो जमीन इस सीलिंग लॉ से राज्य सरकार के पास में आयेगी, ज्योंही गवर्नमेंट ने इसको डिक्लेअर किया कि ये प्रभावशाली व्यक्ति इस जमीन को अपने नाम पर अलाट कराने के लिए गवर्नमेंट के पास में दौड़े आयेंगे और वे व्यक्ति 20-20 बीघा जमीन अपने नाम पर अलॉट करा कर बैठ जायेंगे और एक तरह से दूसरे जागीरदार बन जायेंगे और प्रशासनिक स्तर पर रिश्वतखोर ऑफिसरों की उड़ उड़ कर लगेगी। इन गरीब किसानों को वहां पर कोई नहीं पूछेगा। यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्व मन्त्री जी !

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज दो पर संशोधन आये हैं और जो विचार इस पर यहां पर प्रकट किये गये हैं उनमें बहुत सी वे ही बातें हैं जो कल यहां पर दोहराई गई थीं। उनका जवाब मैंने उसी वक्त अर्ज किया था इसलिए उनको दुबारा फिर दोहराने की जरूरत नहीं है। क्लाज 2 पर जो संशोधन आये हैं वे चार-पांच केटेगरी में आये हैं। एक तो आमतौर से मियाद को बढ़ाने की बात कही गई है। दूसरी ट्रान्सफर में इजाफा करने की बात कही गई है। तीसरी लैंडलेस एग्रीकल्चरिस्ट की बात है। चौथी बात यह है कि एक्जेम्पशन्स में इजाफा दिया जाये। ये बाते हैं। पहली जो बात है, वह यह है कि क्लाज दो के फर्स्ट पैरा में

(2.54 म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

31 दिसम्बर, 69 तक के ट्रान्सफर को रिकग्नाइज करने को बात कही गई है। पार्ट टू में एक्जेम्पशन्स की बात पहली जून, 70 से रिकग्नाइज करने की बात कही गई है। यहां पर यह बात कही गई है कि 31 दिसम्बर 69 के बजाय 31 दिसम्बर, 1970 कर दिया जाना चाहिये और उन लोगों को मौका दिया जाना चाहिये जिन्होंने कि ट्रान्सफर अभी तक नहीं किया है और जो इसके इन्तजार मे बैठे रहे। मैं अर्ज करना चाहता हूं। यह जो दलील जिन लोगों की है कि जो लोग लॉ अबाइडिंग रहे हैं और जिन लोगों ने ट्रान्सफर नहीं किये है उनको भी ट्रान्सफर का मौका दिया जाना चाहिये। सीलिंग लॉ और स्पेशली जो प्रजेन्ट लॉ है उसमें यह है कि जो ट्रान्सफर हो चुके हैं उनको रेगुलराइज करना है। बेसिकली सीलिंग लॉ सन् 1960 में बना था। उसके अन्दर 58 और 59 के अन्दर जो ट्रान्सफर किये गये है वे ही वैलिड माने गये है लेकिन जो मुश्किलात इस लम्बे अर्से में पैदा हुई है और इस अर्से में भूमि का ट्रान्सफर हो चुका है, और जो सीलिंग का उद्देश्य था, उस आदमी को भूमि का स्थानान्तरण हुआ है जो लैंडलेस है, उसे दृष्टि में रखते हुए, इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए कि भूमिहीन को भूमि मिले और प्रेक्टिकल जो डिफिकल्टीज पैदा हो गई है, भूमि का तबादला होकर इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर ही यह तय किया गया है कि 31 दिसम्बर, 69 तक जो तबादले किये गये हैं जमीन के उनको वैलिड मान लिया जाये। मैं समझता हूं कि 60 से 69 तक जो ट्रान्सफर हुए हैं उनको रेगुलेराइज

(श्री रामकिशोर व्यास)

करने की बात हमने कही है। यह कोई कम बात नहीं है। अब उससे ज्यादा आप यह कहें कि 70 के ट्रान्सफर को भी रिकग्नाइज किया जाये या और मौका दिया जाये तो फिर सीलिंग लॉ रखने की जरूरत ही नहीं है। अब ऐसा मौका सब को दे दें तो जो जमीन रह गई है उसका 70 तक वे इन्तजाम कर लेंगे। तब सीलिंग लॉ को बन्द करने की बात पैदा हो जायेगी। मैं समझता हूं कि तबादले की अवधि 70 तक की जाये, इस राय से मैं इत्तफाक नहीं रखता हूं और यह मांग हमें मन्जूर नहीं है।

दूसरी बात पहली जून, 70 से आगे मियाद बढ़ाने की है। जो एक्जेम्पशन होल्डर्स हैं उनको अपने ब्रदर और सन्स को ये तबादले करने की मोहलत दी है। इसके बारे में कई प्रकार के सुझाव यहां पर दिये गये हैं। कुछ ने 30 जून, 70 की बात कही है। कुछ ने इससे भी आगे के लिये इशारा किया है। इस प्रकार कई प्रकार के सुझाव आये हैं। इस सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करूं कि यह जो बिल है पहली अप्रेल को यहां पर पेश हो गया और उस वक्त सबको मालूम हो गया कि कौन से एक्जेम्पशन्स सरकार नहीं रख रही है और अब 31 मई तक का वक्त है तो इसका मतलब है कि उनको दो महीने का मौका मिल गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : 15 जनवरी को ही घोषणा हो गई थी।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं तो यहां पर बिल की बात कह रहा हूं और इसके पहले जैसा कि रामानन्द जी ने कहा 15 जनवरी को ही इसका एलान कर दिया गया था कि एक्जेम्पशन्स फलां-फलां कम किये जायेंगे। तो काफी लम्बा अर्सा लोगों को मिल जाता है। जनवरी से लगा कर मई तक का। इस बीच में ट्रान्सफर करने का मौका मिला है। अब इससे ज्यादा अवधि बढ़ाई जाये तो इसका मतलब यह है कि एक तो ट्रान्सफर में जमीन चली गई और एक्जेम्पशन्स से जो आने वाली है, वह फिर ट्रान्सफर के जरिये अलाऊ कर दें तो फिर कामन पूल में क्या आने वाला है। यह कहना कि एक्जेम्पशन्स होल्डर्स के पास जो जमीन है वह बहुत कम है वह एप्रीशिएबिल नहीं है और बहुत बड़ा लाभ होने वाला भी नहीं है। आपने 17 हजार एकड़ की बात यहां पर कही थी कि एक्जेम्पशन्स जो डिलीट किया है उससे सरकार को 17 हजार एकड़ जमीन ही मिलने वाली है उससे अधिक हजारों एकड़ जमीन सरकार के पास में है। आपको जो इत्तला मिली है वह गलत है। इसकी जो सूचना मुझे मिली है उसके अनुसार यह जमीन 69 हजार एकड़ के करीब होगी। याने लैंड एक्जेम्पशन्स के अन्दर यह जमीन आती है और ट्रान्सफर से होकर निकल जाती है वह अलग है। आज के दिन जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में है वह जमीन 69 हजार एकड़ कवर होती है। वह काफी सब्सटेन्शियल एरिया है और कामन पूल में ट्रान्सफर में निकल जाने के बाद आयेगी, वह आयेगी।

श्री भैरोंसिह : टोटल शीप ब्रीडिंग फार्म, कैटिल ब्रीडिंग फार्म का जो एरिया है वह इसमें से निकाल दें या उसको माइनस कर दें जो सीलिंग सीमा में हैं या जो रजिस्टर्ड फार्म हैं।

(3 म. प.)

Page No 94

श्री रामकिशोर व्यास : वह तो आपने खुद ने इत्तला चाही थी, वह है। हमने ही दी है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे पास तो सारी लिस्ट है। कौनसी कैटल ब्रीडिंग है और कौनसी शीप ब्रीडिंग है ?

श्री रामकिशोर व्यास : और मियाद दी जावे इसके पीछे महीने का समय मिल जाता है। वह काफी है। वह ट्रान्सफर्स के लिये। कैटेगरीज जिनका ट्रान्सफर किया जा सके, उनको बढ़ाने की बात कही गई।

पहले बिल में यह आया था कि गवर्नमेन्ट ने प्रेस किया था लैंडलेस को 59 तक जो ट्रान्सफर हुए हैं वे माने जावें। सलेक्ट कमेटी में गया उसमें 69 तक की बात आई एग्रीकल्चरिस्ट को किये गये ट्रान्सफर्स के लिये। अब वह भी और यह भी प्रश्न आया कि जब सन्स और ब्रादर्स को ट्रान्सफर माने जाते हैं तो फिर लड़कियों को और शादी-शुदा लड़कियों को, शादी-शुदाओं को, बेवा को और बेवा बहिनों को और जो जो महिलाएं हो सकती हैं उनको ट्रान्सफर क्यों नहीं माना जावे। इस संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया कि यह स्टेप अनप्रोग्रेसिव है, रिएक्शनरी है और मनुस्मृति की बात भी कही गई।

श्री रामकिशन : मनुस्मृति में तो यह कहा गया है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।"

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मनुस्मृति तो इतनी रिएक्शनरी नहीं थी, जितना आपका यह बिल।

श्री रामकिशोर व्यास : कहा गया कि महिलाओं के अधिकारों पर कुठाराघात किया है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं। आप यह बता दें कि इसमें कौनसे राइट महिलाओं के छीने गये हैं। राइट कनफर न किये गये हों, यह अलग बात है। अब पहले से ही राइट जो नहीं दिये गये उनके छीनने का प्रश्न पैदा नहीं होता। अब इसमें भी कोई दुर्भावना की बात हो ऐसा नहीं है। फिर इसको रिएक्शनरी मानना न्यायसंगत नहीं है। आप किसको रिएक्शनरी मानेंगे ? पहले तो मैं यह पूछ लूं आप से ? क्या डेफिनेशन है रिएक्शनरी की ? जिस काम में कमजोर तबके की, भूमिहीन का हित हो वह प्रोग्रेसिव होगा और इसके जो विरुद्ध होगा वह रिएक्शनरी माना जावेगा। या जितनी जमीन डिस्ट्रिब्यूशन के लिये लैंडलैस के कामन पूल में ज्यादा आवे यह स्टेप प्रोग्रेसिव माना जावेगा ?

श्री भैरोंसिंह : भूमि का बराबर बटवारा हो जावे तो बहुत ही प्रोग्रेसिव होगा।

श्री रामकिशोर व्यास : यह मैं आपके ऊपर छोड़ना चाहता हूं। कामन पूल में जमीन कम से कम आवे, वैसे ही अदला बदली हो जावे-यह ठीक है ? यह रिएक्शनरी हो या न हो, मैं आप पर ही छोड़ता हूं।

श्री पृथ्वीसिंह : सिस्टर और डाटर को कहीं नहीं कहा है कि भूमि पर्चेज कर लें।

श्री रामकिशोर व्यास : विस्तार से कहूं तो नाराजगी की बात मत समझना। हिन्दू लॉ में सक्सेशन एक्ट, 56 में संसद् में बनाया गया था और इसके द्वारा महिलाओं

(श्री रामकिशोर व्यास)
को जो अधिकार दिये गये हैं वे सक्सेशन के लाज एग्रीकल्चर टिनेन्सी एक्ट पर लागू नहीं हो सकते हैं। टिनेन्सी एक्ट में सक्सेशन का लॉ अलग है। जरनल सक्सेशन लॉ अलग है। सारे भारतवर्ष में यही सक्सेशन लॉ लागू है। हमारे यहां भी पंजाब में, हरियाणा में, कलकत्ता में, बम्बई में, महाराष्ट्र, गुजरात, मद्रास सभी जगह एक ही है। इस सक्सेशन लॉ में यह है कि जमीन के फ्रेगमेन्टेशन को रोकने के लिये परिवार के बाहर जमीन बहुत कम जावे इसके लिये इसको मेन आधार मान कर लड़कियों को सक्सेशन का अधिकार टिनेन्सी लॉ में नहीं दिया है। वहीं पर भी नहीं दिया है। इसलिये हमने भी नहीं दिया है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : भाई बेटों की भी वापिस रख लो। क्या जरूरत है देने की उनको भी? वे भी बांट करेंगे।

श्री रामकिशोर व्यास : इस आधार पर आपका नाराज होना स्वाभाविक है। पर यह लॉ है। इसमें मेरी मजबूरी है। मैं क्या करूं? मुझे भी बड़ा दुःख है। पर क्या करूं?

श्री भैरोंसिह : मन्त्रिमंडल से हटने में भी बड़ा दुःख होता है।

श्री जुझारसिंह : आप तो 59 वाला ही लागू कर दो।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमें भी कोई आपत्ति नहीं होगी। हमें मन्जूर है यह।

श्री मनोहरसिंह मेहता : 59 वाला ही कानून मन्जूर कर लो।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मन्जूर है हमें भी।

श्री भैरोंसिह : अगर इन्होंने मन्जूर नहीं किया तो वृद्धिचन्द्र जी त्यागपत्र दे देगें।

आप प्रगतिशील बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम 59 के लिये कह रहे हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : ऊपर से कह रहे हैं।

श्री जुझारसिंह : ऊपर से नहीं, बिलकुल जिनुआइनली कह रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : भूमिहीनों का तो कल्याण हो जावेगा। आप मान लीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : जब सीलिंग को लॉ बनाया और यह तय किया तो कुछ असर तो पड़ेगा ही।

श्री जुझारसिंह : आप अपनी मजबूरी से ईमानदार आदमियों को क्यों परेशान करते हैं। 59 वाले को ही इम्पलीमेन्ट करिये आप तो।

श्री रामकिशोर व्यास : रहने दीजिये इन बातों को। आप ही इन्कार कर देंगे। 69 के ट्रान्सफर ही काफी नहीं।

श्री जुझारसिंह : 69-70 से सिर्फ ईमानदार आदमियों पर असर पड़ेगा। आप सब समझते हैं व्यास जी महाराज।

श्री रामकिशोर व्यास : एग्जेम्पशन सारे नहीं लगने चाहिये और आज कहते हैं एग्जेम्पशन जैसे हैं वैसे रहें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपसे कह रहा था, ट्रान्सफर्स की ब्रदर्स एण्ड सन्स डाटर्स, सिस्टर्स, वाइफ और वीडोज इनको फैसिलिटीज दे दी जाये तो मैं समझता हूं कि कितना रहने वाला है।

श्री जुझारसिंह : आप इसमें...।

श्री रामकिशोर व्यास : जुझारसिंह जी, सुनिये, आप कितनी कड़वी बात कहते हैं, तब भी मैं सुनता हूं। क्या रखा है इसमे ? सारी जमीन बांट दो।

एक माननीय सदस्य : बोलिये, बोलिये।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी जो जजमेंट आये हैं, उसमें ग्रुपिंग को वैलिड मान रहे हैं। आखिर में मैं यह निवेदन कर रहा था कि बहनों लड़कियों, बेवाओं और शादीशुदा लड़कियों के लिए अगर यह बढ़ा दिया जाये तो जमीन बहुत कम रह जायगी। इसलिए यह नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी बात यह एग्रीकल्चरिस्ट का सुझाव जो रामनारायण जी ने दिया है, यही उसका पर्पज है, एग्रीकल्चरिस्ट को अलॉउ करने से दायरा और बढ़ता है। पहले जो शुरू में गवर्नमेंट ने पेश किया था उसमें ब्रदर्स एन्ड सन्स की बात कही थी।

श्री भैरोंसिंह : उस समय भी छोड़े ही बैठे थे।

श्री रामकिशोर व्यास : जो सदन फैसला करेगा वह शिरोधार्य है। माननीय जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि लैंडलेस टिनेंट के बजाय एग्रीकल्चरिस्ट बढ़ाया जाय। लैंडलेस पर्सन और लैंडलेस टिनेंट दोनों को अलग करते हैं। इसमें एक डिफीकल्टी है वह यह है कि जिसका खास आधार या मुख्य आधार नहीं है उसको काश्तकार माना जाये। यह बहुत ही अहम सवाल है। जिसके जीवन का खास जरिया नहीं है उसको भी काश्तकार माना जाये। और जगहों से भी रिपोर्ट्स आई हैं। रेवेन्यू लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया है जिसका खास जरिया काश्तकारी है उस को ही माना जाये। तो मेनली और होल्ली उसको माना जाये। एक तरफ आप कहते हैं सब्स्टेंटिव लैंडलोर्ड्स को हटाया जाये। जैसे कि दो हजार तनख्वाह जिसको मिलती है, उसको काश्तकार कैसे मानेंगे ?

श्री भैरोंसिंह : वकील को लैंडलेस मानेंगे।

एक माननीय सदस्य : वह एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : यह मंशा सदन की नहीं हैं इसका नतीजा यह निकल आया इस बात पर सब सहमत होंगे। जिसका जरिया काश्तकारी हो उसको काश्तकार माना जाये। अभी रामानन्द जी ने जो सुझाव दिया है, उनके शब्दों को तो नहीं लेकिन उसकी भावना को मैंने माना है। आपने कहा है, एग्रीकल्चर लेबर और विलेज लेबर, यह तीन बातें आयी हैं। एग्रीकल्चर विलेज लेबर को शामिल किया गया है। हाथ से खेती करने वालों को—

By his own labour, by the labour of his family or by hired labour.

(श्री रामकिशोर व्यास)

तीनों बात कही हैं। आखिर थोड़ी बहुत खुद तो काश्त करें। खुद का कण्ट्रीब्यूशन हो नहीं। एग्रीकल्चरर की जो डेफिनेशन है उसको अडाप्ट करने की कोशिश की गई है। सलेक्ट कमेटी का फैसला यह है कि 31 दिसम्बर, 59 तक वैलिड माना जाये। आप का अमेंडमेंट है कि वह इकानामिक होल्डिंग तक माना जाये।

श्री भैरोंसिंह : यह मनवाने को थोड़े ही कहा है।

श्री रामकिशोर व्यास : नहीं कहा है तो अच्छा है। हटाइये। दूसरी बात आप का कहना यह था कि गवर्नमेन्ट उसको दे। यह दिक्कत की बात है। यह फर्दर प्राब्लम है। यह एक्सेप्ट नहीं है। दूसरी बात जो लैंडलेस की बात कही है, वह मानी है। फर्दर ट्रान्सफर की बात मानी है। वह कर दिया जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह टोटल जमीन के बारे में क्लेरीफाई नहीं किया है।

श्री भैरोंसिंह : यह अमेंडमेंट कोई मन्जूर तो नहीं कर रहे हैं श्री रामानन्द जी का ?

श्री रामकिशोर व्यास : इस क्लाज में नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तो पानी पीना बन्द करके आया था।

श्री रामकिशोर व्यास : लीगल पोजीशन यह है इस बारे में अगर किसी व्यक्ति के पास 30 स्टेण्डर्ड एकड़ से ज्यादा है तो वह 30 तक कर सकता है। अब कोई व्यक्ति है, जिसके पास 20 एकड़ पहले से है, 10 एकड़ की गुंजाइश है, वह वैलिड है। ऐसे फर्दर ट्रान्सफर हो गये हैं तो उसको हम कैसे ले पायेंगे और उसका एतराज क्या कर सकेंगे ? इसलिए जो नेक्स्ट आल्टरनेटिव हैं, एक बात यह आई कि कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा, वह सारा देना पड़ेगा, चाहे ट्रान्सफरर को दें, चाहे ट्रान्सफरी को दें, इसमें डिफरेन्स नहीं है, लेकिन जमीन तीस स्टेन्डर्ड एकड़ से ज्यादा नहीं हो—यह रूल्स में प्रावधान है और वह विदिन 30 डेज करना पड़ेगा। इससे आपकी भावना पूरी हो जाती है। एक बात यह आती है कि कम्पेन्सेशन इनको नहीं दिया जाय। वैसे यह क्लाज दो में आया है लेकिन यह बात फार्म्स के बारे में है इसलिए उसमें अर्ज कर दूंगा कम्पेन्सेशन के बारे में। इसमें तो वह है नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सीरीज आफ ट्रान्जेक्शन के बारे में क्या है ?

श्री रामकिशोर व्यास : वह आ गया, जैसा मैंने कहा।

बस इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही कहना है। अलग अलग तरह से जो संशोधन हैं उनका आप चाहें तो मैं जवाब दे दूं। मुख्तसर में मुझे यही जवाब देना है। आपका संशोधन लैंडलेस का था, उसकी भावना को स्वीकार किया है. ट्रान्सफर के बारे में एग्रीकल्चरिस्ट की बात थी, उसकी बात कही है। बाकी एक्सेस फीस दिलाने वाला, इकानामिक होल्डिंग वाला—वह एक्सेप्ट नहीं किया है। अमेन्डमेन्ट्स में जो श्री रामनारायण जी ने अमेन्डमेन्ट पेश किया है वह एक्सेप्टेबल है। वह एक्सेप्ट किया जाय।

श्री सभापति : खण्ड दो में संशोधन के प्रस्ताव माननीय सदस्यों ने प्रस्तावित किये हैं वह संशोधन मत के लिये प्रस्तुत कर देता हूं।

प्रश्न यह है कि खन्ड दो में जो संशोधन के प्रस्ताव श्री केसरीसिंह हाड़ा ने प्रस्तुत किये हैं वह स्वीकार किये जायं ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन के प्रस्ताव खण्ड दो में श्री भैरोंसिंह ने रखे हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन के प्रस्ताव श्री देवीदत्त गाड़िया ने रखे हैं वह स्वीकार किये जायं ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो में श्री रामानन्द अग्रवाल ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन का प्रस्ताव श्रीमती लक्ष्मी.......

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं वापिस लेती हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन का प्रस्ताव श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूंडावत ने रखा है उसको वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मैं अपना संशोधन वापिस लेती हूं।

श्री जयनारायण सालोदिया : बहुत अच्छा है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन का प्रस्ताव श्री आईदान सिंह ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन के प्रस्ताव श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा ने रखे है उन्हें स्वीकार किया जाय ?

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो में जो संशोधन का प्रस्ताव श्री रामनारायण चौधरी ने रखा है वह स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड दो संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय ?

(श्री सभापति)

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

जरा एक साथ, और साफ बोलें।

(पुन: ध्वनि मतदान के पश्चात्)

(स्वीकृत)

खण्ड दो संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड 3। No amendment to clause 3.

प्रश्न यह है कि खण्ड 3....(विराम) कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ?

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड तीन पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड 3 पारित किया गया।

खण्ड 4 पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) ने प्रस्ताव किया कि:—

1. प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक के खण्ड 4 के भाग (i) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "clause (a), (b), (d), and (e)" के स्थान पर अभिव्यक्ति "clause (b), (c), (e)" प्रतिस्थापित की जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) ने प्रस्ताव किया कि:—

2. (1) In part (i) the expression "and (e)" be substituted by the expression "(e) and (f)";

(2) Part (ii) be deleted and substituted by the following:—

"(ii) (a) In clause (c) insert the word—

'Bona fide' before the word 'Co-operative' in the first line";

(b) the existing explanation be numbered as I explanation and other explanation numbering II be added as follows:—

"II. 'Bonafide Co-operative Agricultural farms' means such farms as are registered under the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 consisting only of Agricultural labourers or poor peasants or both."

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत (भीम) ने प्रस्ताव किया कि:—

3. इस खण्ड के अन्त में निम्नांकित भाग जोड़ा जाय:—

"(iv) after clause (f) the following new clause (g) be added:—

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

'(g) land held by woman khatedars till thirty-first day of December, 1959.'

(1) श्री आईदानसिंह (भीनमाल)
(2) श्री पृथ्वीसिंह बेवड़ा (बाली)
ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:—

4. प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक के,—

(अ) खण्ड 4 के भाग (i) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "clauses (a), (b), (d) and (e)", अभिव्यक्ति "clauses (b), (c)" द्वारा प्रतिस्थापित की जाय; तथा

(आ) खण्ड (4) का भाग (iii) विलोपित किया जाय।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : सभापति महोदय, अगर मैं इस सरकार को वचन भंग सरकार कहूं तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी....

श्री रामानन्द अग्रवाल : कई मौके आयेंगे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : वचन भंग करने के ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : दो-तीन साल के बाद फिर कहेंगे।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : क्यों नहीं कहेंगे वचन भंग नहीं है क्या ?

सभापति महोदय, इस सरकार को मुतवातिर 23 साल क्या भारतवर्ष और क्या राजस्थान में राज्य करते हो गये, इन्होंने अनेक वचन दिये, क्या जनता को और क्या राजाओं को और क्या जागीरदारों को और क्या काश्तकारों को। आप उदाहरण के लिये ले लीजिये कि जिस वक्त इनको राज्य लेना था, जिस वक्त इनको राज्य एक्वायर करना था, इन्होंने राजाओं से कहा आप अपनी रियासत सरेन्डर कर दीजिये, और हम आपको इतना इतना प्रिवीपर्स देंगे। कोई बड़ी रियासत थी उसको अधिक प्रिवीपर्स स्वीकार किया गया और किसी का जितना हक था उतना स्वीकार किया गया; यहां तक कि जयपुर महाराजा को जन्म भर राजप्रमुख बनाये रखने का विश्वास दिया। लेकिन इन्होंने अपना यह वचन भंग किया। अब यह सरकार कांग्रेस की अपनी इस नीति पर आ रही है कि जो प्रिवीपर्स और विशेषाधिकार इन्होंने आज से 23 साल पहले दिये थे, उन्हें भी वापिस लेने जा रही है तो इससे बाहर की गवर्नमेंट, बाहर के जो कन्ट्री हैं उनके ऊपर कितना बड़ा और कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। मगर यह तो अपने वचन भंग में मुतवातिर लगी आ रही है, यह अपना उल्लू सीधा करना जानती है। इन्होंने जागीरदारों को अनेकों वचन दिये, खुदकाश्त की जमीन दी, आज उस खुदकाश्त की जमीन को यह वापिस लेना चाहते हैं। आखिर इनको यह सोचना चाहिए कि जब महिलाओं को, किसी माता को या किसी महिला जागीरदार को–जब जागीर सरेन्डर की गई, तब जो मुआवजा दिया गया, वह खुदकाश्त की जमीन के अतिरिक्त दिया गया, फिर आज उन महिलाओं को कतई निकाल कर, बाहर फेंक देना कहां तक ठीक होगा? यहां तक मैं निवेदन करूं कि विधवा जो मातायें हैं उनके लिए भी जमीन छोड़ना

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)
नहीं चाहते। भारत की सरकार भी एक विधवा महिला चला रही है, क्या वह विधवा महिला इन विधवाओं की तरफ तरस नहीं खायेगी, क्या उन्हें यह दर्द नहीं आयेगा कि आज विधवायें दर दर की ठोकरें खायें या उनको परेशानी हो?.........

श्री शंकरलाल : इंदिरा जी को कह रहे हैं ?

श्री केसरीसिंह हाड़ा : इंदिरा जी विधवा हैं। सुहागिन हैं क्या ? सुहागिन हों तो आप जानते होंगे। आपका काम है यह। मैं तो विधवा मानता हूं।

सभापति महोदय, यह डिस्टर्ब कर रहे हैं....

श्री रामनारायण चौधरी : आपके पीछे से कर रहे हैं। आपके दल के हैं। हम क्या करें।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : वह नहीं कर रहे हैं।

श्री शंकरलाल : उनके विचार से आप अवगत नहीं हैं। विधवा हैं तो विधवा हैं। आप उनकी बात मान लीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप इनका विचार मान लीजिये।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : आप मान रहे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम तो मान रहे हैं।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : अब जो संशोधन रखा है उस पर मैं आता हूं। इनका जो 60 का संशोधन टिनेन्सी एक्ट में था, इसमें अनेकों....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इंदिरा जी के विचार मान लें तो इनकी मूंछें गायब हो जायंगी।

श्री शंकरलाल : किनकी ? वृद्धिचन्द्र जैन की।

श्री जयनारायण सालोदिया : फिर रोजी रोटी चली जायगी।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : पहले कैटल ब्रीडिंग, हार्स ब्रीडिंग, शीप ब्रीडिंग फार्म के लिए, अफेक्टिव मैनेज्ड फार्म के लिए, कोआपरेटिव फार्म के लिए छूट दी थी। अब आज यह सरकार, जिसको मैं वचन भंग सरकार कहता हूं, यह उस छूट को वापिस लेना चाहती है। सभापति महोदय, कम से कम थोड़े ठण्डे दिमाग से राजस्व मंत्री जी स्वयं सोचें कि हम जिन छूटों को दस साल पूर्व उन लोगों को दे चुके हैं, और हमारे आश्वासन पर उन्होंने हजारों रुपये इस पर खर्च किये हैं, किसी ने ट्रेक्टर लिया है किसी ने भेड़ ली हैं, किसी ने बकरी ली हैं, किसी ने गायें ली हैं, किसी ने बुल्स लिये हैं—इत्यादि इत्यादि लेकर जिन्होंने फार्म का निर्माण किया है, बगीचा लगाया है, उनको आज यह सरकार एक स्ट्रोक आफ पेन से वापिस ले लेना चाहती है—यह कहां तक उचित होगा ? आखिर सरकार को एक तरफ नहीं सोचना चाहिए। इसको यह भी सोचना चाहिए कि आखिर उन पर कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है और राज्य सरकार की गलती से यह इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसका पूरा मुआवजा दिया जाय। माननीय शंकरलाल जैतारण ने

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)
अभी कहा कि मुआवजा तो दिया जायगा मगर कुओं का और ऐसे निर्माण कार्यों का नहीं दिया जायगा। अगर कुओं का नहीं देंगे, भेड़ बकरियों का नहीं दिया गया तो किसका मुआवजा देंगे ? सरकार सदन को यह तो बताये कि मुआवजा किस तरह से देगी, कितने समय में देगी ? और अगर उस पर पार्टी सहमत नहीं होगी तो अदालत के दरवाजे खटखटाएगी और उस समय सरकार की आंख खुलेगी जब अदालत इसके विपरीत फैसला देगी। अभी मनोरंजन कर पर एक फैसला, सरकार ने जो विधेयक पारित कराया था, उसके विपरीत दिया है उच्च न्यायालय ने। इस प्रकार अनेकों विपरीत फैसले दिए जा रहे हैं। फिर जल्द बाजी में क्यों पास करते हैं ? कोई ख्याल नहीं करते। केवल अपने नारों के बहाव में आकर इस प्रकार का कानून पास करते हैं। यह जो जमीनें ली जायेंगी उन जमीनों का बंटवारा करेंगे। मैं आपके जरिये सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे अब तक एलाटमेंट्स में पक्षपात होता रहा है वैसे ही बंटवारे में भी निश्चित रूप से पक्षपात होंगे क्योंकि सरकार ने सिर्फ पक्षपात का तरीका बना रखा है और पक्षपात ही करती रही है और पक्षपात ही करती जायगी। अभी राजस्व मंत्री ने प्रथम वाचन में अपने भाषण में कहा था कि राज्य सरकार के पास अब तक कितनी भूमि थी। जो इनके स्वयं के कब्जे में थी, जिस प्रकार सिकमी खाते की, रहन की और बिना नाम की, सरकार की भूमि कितनी इनके पास मौजद थी, उसका कोई ब्यौरा राजस्व मंत्री नहीं दे सके और न ही इनको मालूम है कि कितनी इनके पास थी ? उस जमीन में से किसको एलाट की गई ? कालोनाइजेशन द्वारा हजारों एकड़ बेची गई और नाजायज तरीके से फायदा उठाया है। हमें यह तो बता दिया कि 20 जिलों से हमारे पास सूचना आई है, न मालूम कितने हजार एकड़–17 हजार एकड़ या क्या बताया, वह हमारे पास जमीन पूल में आएगी। मगर इनके पास जो अब तक जमीन थी वह कितनी है, उसका कोई ब्यौरा नहीं दिया, कोई रेकार्ड इनके पास सही नहीं है और न कभी दे पायेंगे। तो मैं चाहूंगा कि सीलिंग लागू तो करेंगे। मेरे कहने से रुक नहीं सकता लेकिन बेहतर यह होता एक तरह का उदाहरण पेश होता कि सरकार के पास जितनी भी कन्सोलीडेटेड भूमि थी, अपने खाते की, बिना नाम खाते सरकार की, उसको भूमिहीनों को एलाट करती।

यहीं देखा जाय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी सूची बताई, जयपुर के आसपास बड़े बड़े मंत्रियों की पत्नियों के नाम से दो तीन बार एलाटमेंट्स हुए हैं सरकारी कर्मचारियों को भी हुए हैं। तो कैसे मान लें कि अब जो एलाटमेंट्स होंगे वह निष्पक्ष होंगे। इसलिए यह सरकार को चुनौती है कि वह पहले अपनी जमीन बताए कि उसको किस प्रकार से वितरित करेगी। उसके बाद जमीन बचे तो सीलिंग लाने की कोशिश करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापतिजी, मैं तो कभी कभी बोलता हूं और वैसे भी कोई बोलने नहीं देता।

तो मैं निवेदन कर रहा था कि जो जमीनें आयेंगी, उनका वितरण यहां करके बतलायें। कानून तो उन्होंने पास कर दिया,

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)

कानून ये पास कर सकते हैं, जमीनें ये ले सकते हैं यहां तक कि लोगों की जान भी ले लें अपना राज्य बनाने के लिए। यह सत्य बात है विरोधी दल के लोगों को तोड़ कर अपना राज्य बनाया तो कोई बात नहीं कि ये धोखेबाजी करें, विश्वासघात करें। इस लिए ये इंदिरा जी के पिट्ठू बन रहे हैं। जो सीलिंग के जरिए अधिकतम सीमा जो 30 स्टेंडर्ड एकड़ रखी है इसके हिसाब से 75 बीघा जमीन हुई। अब राजस्व मंत्री बतायें कि 75 बीघा जमीन के अन्दर, यह चंबल कमांड के अन्दर 55 बीघा होगी, काश्तकार ट्रैक्टर रख सकता है और ट्रैक्टर का खर्चा बरदाश्त कर सकता है? क्या अपने परिवार के गुजारे का खर्चा निकाल सकता है? आज मंत्रियों को स्वैच्छिक अनुदान के 25-25 हजार मिलते हैं। मुख्य मंत्री जी साल में 25 हजार दान में बांटते हैं और अपनी वाहवाही कराते हैं कि 25 हजार हमने बांटे। जिस दिन अपनी जेब पर असर पड़ेगा उस दिन उनको मालूम पड़ेगा। राजस्व मंत्री 3 हजार बांट दे, कोई 5 हजार बांट दे, कोई 10 हजार बांट दे। टेलीफोन में और दूसरे भत्तों में यह महीने में 20-20, 30-30 हजार खर्च कर सकते हैं। मगर वे जब उस श्रेणी में आ जायेंगे जिसमें साधारण किसान को ले जाना चाहते हैं तब पता लगेगा कि कितना बांट सकते हैं? उस समय देखा था जब राष्ट्रपति शासन हुआ था जब बंगला छूट गया, सुखाड़िया जी जंवाई के बंगले में जाकर रहने लगे और कोई कहां और कोई कहां चला गया था। इसलिये जब किसी की जेब पर असर होता है, तब उसको मालूम होता है, तब उसको दर्द होता है।

इसलिए, सभापति महोदय जो सीलिंग एरिया इन्होंने बताया है सीलिंग में रखा है, उससे कोई काश्तकार को फायदा नहीं होने वाला है। छोटे काश्तकार को जरूर फायदा मिलना चाहिए। आपने केवल बड़े बड़े राजाओं, जागीरदारों और जमीदारों को खत्म कर दिया। जमीनें ले लीं। लेकिन फायदा किसने उठाया? किसने इनको रोका था? मगर उसका एलाटमेंट नहीं किया। छोटा काश्तकार अब भी वैसा ही है। छोटे काश्तकारों को जमीन देकर ऐसा प्रभावशाली कार्य नहीं किया जिससे उनको खुशी हुई हो। मगर बड़ों को जरूर दिया।

सरकार बनियों को ज्यादा पेवर करती है सेठों को ज्यादा पेवर करती है। कोटा में डी.सी.एम. है उसको 2 या 3 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली देते हैं लेकिन काश्तकारों से 12 पैसा लेते हैं। तो क्या सरकार इस बात को नहीं समझती कि काश्तकारों को फायदा नहीं पहुंचा? जिन पूंजीपतियों से 12-12 पैसे यूनिट के न लेकर 3-3 पैसे ले रही है, वह डी.सी.एम. भी चोरी करता है।

इसके अतिरिक्त एक बात और देखें काश्तकारों पर सरकार द्वारा अनेक टैक्स बढ़ा दिये गये हैं। काश्तकारों पर आपने सरचार्ज लगा दिया, खुशहाली कर लगा दिया। मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं क्या इन बनियों पर खुशहाली-कर लगाया है? इनसे आप किस तरह से लेंगे? ये तो आपके हिमायती हैं, चुनाव में आपको इन्हीं से पैसा मिलता है। मोटरें देते हैं और इन्हीं के बल-बूते पर आप चुनाव जीतते हैं। इन्हीं को ताकत पर आप बैठे हुए हैं। सभापति महोदय,

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)
तापड़िया का फार्म है बून्दी में। यह मैं इस-निवेदन कर रहा हूं कि किस प्रकार से काश्तकारों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और महाजन वर्ग को आप किस तरह से फायदा पहुंचाते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह सरकार पंडों की और सेठों की है।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : तापड़िया जी का फार्म है मेज नदी पर। मेज नदी पर पिक अप वेअर बनवाया गया इनके लिये। उस पर एक लाख तीस हजार रुपये सरकार ने खर्च किये। इस तरह से पूंजीपति जो काश्तकार बने हुए हैं उनको सरकार सीधा फायदा पहुंचा रही है। जिनके पास हजारों बीघा जमीन है जिन्होंने हजारों बीघा जमीन दबा रखी है उसकी काश्त की पिलाई के लिये आप पिक अप वेअर बनवाते हैं और गुढ़ा कमान्ड एरिया से भी पिलाई करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब इस कानून के आ जाने से न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। सारी एग्जेम्प्शन की समस्या हल हो जायगी।

श्री केसरीसिंह हाड़ा : मैं इस सरकार की नीति बतला रहा हूं। कैसी विपरीत नीति है? कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उनके फार्म को पानी पिलाने के लिये पिक अप वेयर बनवाते हैं। उसी के नीचे जो जमीन है, जो भूमिहीन काश्तकारों की है, छोटे काश्तकारों की है उनके लिये पिक अप वेयर बनवाने के लिये सिंचाई मंत्री जी तैयार नहीं हैं। मगर यह ठीक है कि अब जमीन जा रही है। उनको भी मालूम पड़ जायगा सेठों के ये कितने हिमायती हैं?

जो संशोधन पेश किया गया है उसके लिये मैं यह निवेदन करता हूं सरकार और कुछ रियायतें दे। और मेरा संशोधन है (ए), (बी.) (डी) एन्ड (इ.) के स्थान पर क्लाजेज (बी), (सी) (इ) प्रतिस्थापित किये जायें। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल। आज ही इसे पास करना है अतः समय का ध्यान रखें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, आप भी यह चाहते हैं क्या कि आज ही यह पास हो जाय?

श्री सभापति : आसन पर बैठा हुआ यही चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, खन्ड 4 में मेरा अमेन्डमेन्ट इस प्रकार है :

"1. In part (1) the expression 'and(e)' be substituted by the expression '(e)and (f);'

2. part (ii) be deleted and substituted by the following:—

"(ii) (a) in clause (c) insert the word 'Bonafide' before the word 'Co-operative' in the first line;

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(b) the existing explanation be numbered as I explation and other explanation numbering II be added as follows: —

II. 'Bonafide Co-operative Agricultural farms means such farms as are registered under the Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 consisting only of Agricultural labourers or poor peasants or both.'

सभापति महोदय, मेरे इन संशोधनों की यह मन्शा है कि एग्जेम्प्शन्स टिनेन्सी एक्ट की धारा 30-जे. में दिये हुए हैं ग्रेजिंग फॉरेस्ट, बागात वगैरह को जो एग्जेम्प्शन्स दिये हैं वे हटा लिये जायें। इसके बारे में सलेक्ट कमेटी ने जो संशोधन दिया है उस से मैं सहमत हूं।

इसमें जो संशोधन है को-आपरेटिव एग्रीकल्चर फार्म्स के लिये है, वह दिया है। कोआपरेटिव सोसाइटीज के बारे में मैं इस बात को मानता हूं कि सोसाइटीज दोनों किस्म की हैं। बहुत से लोगों ने सोसाइटी के नाम पर नाजायज तौर से जमीन पर कब्जा कर रखा है, सीलिंग से बचने की दृष्टि से ही कोआपरेटिव्ज बनायी हैं। मेरा यह कहना है कि इस प्रकार की जो सहकारी समितियां हैं उनको एग्जेम्प्शन्स न दिया जाय। मैंने अपने संशोधन के जरिये इस प्रकार की कोआपरेटिव सोसाइटीज को एग्जेम्प्शन्स से निकाल दिया जाय—यह निवेदन किया है। इसलिये मैंने इसके साथ बोनाफाइड शब्द लगा दिया है। और इसके साथ साथ बोनाफाइड की परिभाषा भी दी है उसमें लिखा है कि वह सोसाइटीज कोआपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1965 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिये। एक परिवार के एक सदस्य से ज्यादा सदस्य उसके मेम्बर नहीं होने चाहिये। यह मैंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एड करवाने के लिये निवेदन किया है। क्योंकि आज सुबह ही क्वेश्चन आवर में एक प्रश्न आया था जिसमें एक ही परिवार के सदस्यों ने समिति बना ली थी और जमीन ले ली। कितनी ही सोसाइटीज में बाप भी है, बेटे भी हैं और नाबालिग बच्चों को भी उसमें रख लिया गया है। इस तरह की कोआपरेटिव सोसाइटी बना ली है। रेकार्ड में उसको कोआपरेटिव सोसाइटी दिखा दिया। उस पर पचास हजार रुपया लोन भी ले लिया। ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटीज को इलीमिनेट करना चाहता हूं, इस प्रकार की कोआपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिये।

दूसरा संशोधन मैंने रखा है ऐसी कोआपरेटिव सोसाइटीज, जिनके सदस्य एग्रीकल्चर लेबर हों या गरीब पीजेन्ट्स हों, के हकों को सुरक्षित किया जाना चाहिये। जो कोआपरेटिव सोसाइटीज संयुक्त तरीके की हैं जिनमें राइट ऑफ ओनरशिप अलग अलग मेम्बर्स में वेस्ट करता है उनको एग्जेम्प्शन में रखने से कोई मतलब नहीं है। सीलिंग कानून अलग अलग कोआपरेटर पर लागू होगा। ऐसे कोआपरेटिव फार्म्स की संख्या 282 बतायी है जो संयुक्त कृषि फार्म के नाम से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं। संयुक्त कृषि फार्म और सामूहिक कृषि फार्म। इन दो प्रकार की समितियों में संयुक्त कृषि फार्म सोसाइटीज में राइट ऑफ ओनरशिप, खातेदारी राइट इन्डिवीजुअल मेम्बर में अलग अलग रहता है लेकिन वे काश्त मिल करके करते हैं। सामूहिक जो फार्म हैं उनमें प्रोपर्टी राइट्स कोआपरेटिव सोसाइटीज को हैं इन्डिवीजुअल्स को नहीं हैं। इस तरह से संयुक्त कोआपरेटिव सोसाइटी में जो सीलिंग लागू होगा वह इन्डिवीजुअल की दृष्टि से होगा उसमें कोई जमीन इकट्ठी नहीं होगी।

दूसरा मैं यह चाहता हूं कि एग्रीकल्चर लेबर और पूअर पीजेन्ट्स को अलॉटमेण्ट होता है वह अच्छी चीज है। बोगस कोआपरेटिव्ज और सही कोऑपरेटिव्ज दोनों की संख्या बराबर बराबर है। जेनुइन भी उतनी ही हैं और बोगस भी उतनी ही हैं। मेरे इलाके में भी दो सोसाइटीज जो एक ही स्थान पर काम कर रही हैं उनमें से एक तो जेनुइन है जो श्री बद्रीप्रसाद जी ने बनवाई है, दूसरी बोगस है जो एक थानेदार जी ने बनवाई है। इस तरह से कुछ अच्छी भी सोसाइटीज हैं और कुछ खराब भी। इस तरह से आधा आधा मान कर चलें। इस तरह की हालत सब जगह पर होगी। मेरे संशोधन के अनुसार जो बोगस कोआपरेटिव्ज होंगी वह निकल जावेंगी। इस दृष्टिकोण से मैंने यह अमेण्डमेण्ट रखा है।

दूसरा जो हिस्सा है इस संशोधन का, जो एग्जेम्प्शन क्लाज एफ के तहत है रिलीजिअस इन्स्टीट्यूशन्स और एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स इन्क्लूड करने की बात है, सलेक्ट कमेटी में उल्टा एड किया है, इसके विपक्ष में जो मेरा अमेण्डमेण्ट है उसे वापिस ले लिया जाय मान लिया जाय। इसका मकसद यह नहीं कि रिलीजिअस इन्स्टीट्यूशन्स और एजुकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स की आमदनी का कोई आधार नहीं रहे। जैसा कि गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा इन इन्स्टीट्यूशन्स में परपीचुअल एनुइटी के रूप में जो इन्कम है वह गवर्नमेन्ट की लाइबिलिटी होगी, उस जमीन को लेकर जो इन्कम उससे होती है वह उस संस्था को दे। वह जमीन सरकार टेक-ओवर कर ले और एवरेज इन्कम होती है उसको जो भी कम ज्यादा करनी है करके परपीचुअल एनुइटी देने की गवर्नमेन्ट जिम्मेदारी ले ले। इन्स्टीट्यूशन्स के नाम पर जारी रखेंगे, जो पर्सनल इन्स्टीट्यूशन्स के पास जमीन हैं कौन काश्त करेगा उसको। बंटाई में देंगे तो किसानों का एक्सप्लाइटेशन होगा। आधा बांटा, चौथाई बांटा पर उस जमीन को उठायेंगे या फिर लेबर को रख कर उसको कैपिटलिस्ट फार्मिंग की तरह से करेंगे, मजदूर रख कर के काश्त करेंगे। इन ऐनी केस चाहे वह फ्यूडल कल्टीवेशन हो, कैपिटलिस्ट कल्टीवेशन हो, परन्तु जहां तक टिनेन्ट का ताल्लुक है, मजदूर का ताल्लुक है उसका तो हर प्रकार से एक्सप्लाइटेशन होगा।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और उसके लिये मेरा यह सजेशन है कि इस एक्जेम्प्शन्स को न देकर इसको निकाल कर इनको परपीचुअल एनुइटी के रूप में रक्खा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जाये। अभी माननीय भैरोंसिंह जी सीलिंग लॉ की मिसाल देंगे कि केरल के अन्दर जो इसका बिल है उसके अन्दर यह एक्जेम्प्शन्स है और केरल की कम्युनिस्ट पार्टी धार्मिक संस्थाओं को मानती हैं और यहां वाले नहीं मानते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो केरल का बिल है वह मैंने डिसकस किया है वहां के लोगों से और मालूम किया है। यह पता लगा है कि वहां पर, जो भी रिलीजस इन्स्टीट्यूशन्स की जमीन है उस पर परपीचुअल एनुइटी का प्रपोजल है। वहां कई प्रकार के लैंड रिफार्म हुए हैं, जैसे जागीर एबोलिशन, माफी एबोलिशन इसमें उस तमाम जमीन को, जो जागीर या उस रूप में थी, इन्स्टीट्यूशन्स के पास में थी, गवर्नमेन्ट ने टेक ओवर कर लिया है और कम्पेन्सेशन परपीचुअल एनुइटी के रूप में उनको दिया जा रहा है, मुआवजा दिया जा रहा है और जो भी औरतें, आदमी एग्रीकल्चर लेबर करती हैं तो वे उस जमीन की बंटाई देते हैं। उस सीलिंग लॉ के तहत उनको डाइरेक्ट अधिकार दे दिया गया है, उनको डाइरेक्ट अधिकार दे दिया गया है टिनेन्ट्स राइट्स का और वे उसकी जुताई कर सकते हैं। इन प्रेक्टिस उनके पास इस प्रकार की जमीन नहीं रहेगी पर परपीचुअल एनुइटी से वह इन्स्टीट्यूशन चल सकेगी। इस प्रकार का प्रबन्ध वहां पर वे कर रहे हैं। परन्तु यहां पर तो कुछ महन्त बन गये और एक प्रकार से अपनी पर्सनल प्रापर्टी के रूप में वर्स्ट फ्यूडल के रूप में वे उसका इस्तेमाल करते हैं। यह हमने यहां पर देखा है। मैं नाथद्वारा गया था और वहां पर किस प्रकार का उस मन्दिर में फ्यूडल सिस्टम है उसको देखा। वहां पर जो पैसे जमा होते हैं, या जो चढ़ावा आता है, एक व्यक्ति उस इन्कम का एक्सप्लाइटेशन करता है। मजदूर मजदूरी करता है और उसको मुश्किल से डेढ़-दो रुपया दिया जाता है। ऐसे भी मजदूर मैंने देखे हैं जिनको कि बंधा बंधाया अनाज दिया जाता है और ऐसे भी मजदूर हैं जिनकी कि आमदनी का कोई अंत नहीं है। रिलीजिअस सेन्टीमेंट्स के आधार पर, रिलीजन की बुनियाद पर ऐसे इन्डिविजुअल मन्दिरों में होते हैं जो एय्याशी करते हैं और जिनका कि फायदा समाज को मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि समाज इस बारे में प्रोग्रेसिव कदम उठावे। इस प्रकार की धार्मिक इन्स्टीट्यूशन्स को किसी इन्डिविजुअल के हाथ में न रखे। डेमोक्रेटिक तरीके से पूरे समाज का उस पर नियन्त्रण होना चाहिये। इस बारे में सिख समुदाय का उदाहरण अनुकरणीय है। उनकी शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी होती है जिसके कि प्रति वर्ष चुनाव होते हैं और चुनाव होने पर जनता के प्रतिनिधियों के हाथ में उसका पैसा होता है और उसके महंत भी उस कमेटी के द्वारा अपाइन्टेड होते हैं और वे अगर अच्छे भी नहीं होते हैं तो उनको डिसमिस किया जा सकता है। उन इन्स्टीट्यूशन्स में जो पैसा आता है वह कॉलेज खोलने और दूसरे समाज के हित में खर्च किया जाता है। अगर हमारे हिन्दू समाज के तमाम टेम्पल्स में भी इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाये, इस प्रकार का ट्रस्ट बना दिया जाये, या बोर्ड बना दिया जाए जिसमें कि जनता का हाथ हो और प्रबन्धक जनता के द्वारा चुने हुए हों, व इन टेम्पल्स के तमाम पैसे का उपयोग आम जनता के लिये हो। इस पैसे का

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उपयोग कॉलेज खोलने और दूसरे तरीके के सुधारों के काम करने में हो तो वह एक समाज में काम आयेगा। रिलीजिअस सेंटीमेंट की बुनियाद पर लोग मन्दिरों में चढ़ावा चढ़ाते हैं। एक तरफ तो महनत करने वाला है और दूसरा उनका वर्स्ट एक्सप्लाइटेशन करता है और दूसरी तरफ लोग बिना महनत के महंत बन कर बैठ जाते है, खलीफा बन जाते हैं और वे लोग इस पैसे का नाजायज फायदा उठाते हैं। शराब पीते हैं, रंडीबाजी करते हैं, दुनियां भर के ऐश वे करते है और लोग जाकर उनके हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं। इस प्रकार का हमारा समाज है। हमारे समाज का एक साइन्टिफिक दिमाग बनाने के बजाय, हमारे समाज के अन्दर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाने के बजाय वे लोगों में अन्ध विश्वास पैदा करते हैं। इसलिये मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि आप इस प्रकार का प्रोटेक्शन देकर हमारी रिलीजिअस संस्थाओं में इस प्रकार की व्यवस्था न होने दें, जिस प्रकार की व्यवस्था आज मन्दिरों और रिलीजिअस इन्स्टीट्यूशन्स में चल रही है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : रंडीबाजी करना पार्लियामेंट्री शब्द है क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य पार्लियामेंट्री शब्द है या नहीं परन्तु इस बात से आप सहमत होंगे कि रंडीबाजी होती है। यह मैंने नहीं कहा है कि रंडीबाजी समाज के मन्दिरों में होती है, गुरुद्वारों में होती है, रिलीजिअस जगहों में होती है। लेकिन यह एक वाकिया है। आपको सुन कर बुरा लगता है किन्तु यह वास्तविकता है।

श्री दुर्गालाल बाकृदार (हवामहल जयपुर) : रंडीबाजी पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, गैर कानूनी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : लेकिन यह सत्य है।

श्री दुर्गालाल बाकृदार : आपको कितना अनुभव है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य, इस पर प्रतिबन्ध है, यह तो एक कानूनी पक्ष है। क्या आप इस पर छूट चाहते हैं 31 दिसम्बर, 70 तक ?

श्री सभापति : जल्दी करें, माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, इस दृष्टिकोण से मैं इस पक्ष में हूं कि क्लाज एफ को, इसमें जो एक्जेम्पशन्स दिये गये हैं उनको निकाल दिया जाये ताकि एक समान कानून सब पर लागू हो सके। कोआपरेटिव सोसाइटी को एक सीमित दायरे तक, एक जेनुइन सोसाइटी तक ही सीमित रखें।

श्री सभापति : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्री आईदानसिंह !

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय ......

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : सभापति महोदय........

श्री सभापति : मैंने नाम बोला था। खैर, बलाज चार पर बोल रही हैं। जरा संक्षेप में। ध्यान रखियेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : सभापति महोदय, एक अमेंडमेंट मैंने यहां पर रखा है। जिन औरतों की खातेदारी सन् 1955 से है जब कि यह कानून नहीं आया था और इसकी शुरुआत भी नहीं हुई थी उससे पहले ही खातेदारी में जमीन उनकी चल रही है परन्तु मौजूदा कानून के इफेक्ट में आने से उनकी यह व्यक्तिगत सम्पत्ति चली जायेगी, यह ध्यान देने योग्य बात है। सन् 55 से पहले सीलिंग कानून नहीं आया था और उन औरतों के पास खातेदारी की जमीन थी इसलिए मेरा निवेदन है कि उसको बरकरार रखा जाये। पहले भी सरकार ने औरतों को जागीरदार माना है, जागीरदार के रूप में सरकार ने उनको स्वीकार किया है और उनको एक अलग यूनिट मान कर सरकार ने जमीन का अलॉटमेंट किया है और खुदकाश्त के लिए जमीन भी दी है। इसलिए कानून ने उनको एक अलग यूनिट माना है, मंजूर किया है। अब आप इसको खत्म करना चाहते हैं, जो कि गैरकानूनी है। उन्होंने जमीन बेचने के लिये कतई कोशिश नहीं की है। सन् 1920, 25 से यह जमीन उनके पास चली आ रही है। वे इस जमीन से अपनी जीविका चला रही हैं। उनका खानपान इस जमीन पर ही मुनहसर है। यदि वह जमीन आप ले लेंगे तो इन औरतों को खाने-पीने के लिये देने वाला कोई नहीं है। इसमें विधवाएं हो सकती हैं, बहिन-बेटी भी हो सकती हैं। इसमें कई सामाजिक परिस्थितियां पैदा हो गई हैं इन औरतों के लिये इस कानून के आने से अदालत में जाना भी मुश्किल होगा। उनको रोटी नहीं मिलेगी और वे अपने घर में ही एक अजीब तरीके से परेशान हो जायेंगी।

(4 म. प)

सभापति महोदय, जब मैं महिलाओं के लिये कहती हूं तो यह समझा जाता है कि मैं केवल जागीरदार महिलाओं के लिये, राजपूत महिलाओं के लिये ही कहती हूं। ऐसा नहीं है। यह किसी वर्ग विशेष की महिलाओं के लिये नहीं है। कामन समाज की महिलाओं के साथ भी आज यही परिस्थिति है।

हमारे पश्चिमी राजस्थान में और कई जगह देवर बंट का रिवाज चलता है। जिस महिला का पति मर जाता है तो उसे देवर के घर बैठना पड़ता है। कई कृषक परिवारों में यह आम रिवाज है। और जगह उसको रिमैरिज नहीं करने देते। पर कई जगह पारिवारिक स्थिति यह होती है कि अपनी विवाहिता पत्नी के साथ भी वह देवर रहता है और इसलिये उस विधवा महिला को रहना उसके साथ पड़ता है पर अपने खाने-पीने का प्रबन्ध अलग करना पड़ता है और अगर उसके बच्चे हुए तो उनको भी उसी को पालना पड़ता है। उसके पति की जमीन उसकी खातेदारी में नहीं रहती है तो बड़े कष्ट में पड़ जायेगी। तो इस तरह से यह समस्या आम है। इसे केवल जागीरदारों और राजपूत महिलाओं की समस्या ही न समझें। लाखों किसान परिवारों में यह समस्या है और इस रिवाज के कारण भी कठिनाइयां हैं, खास कर पश्चिमी राजस्थान में।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

तो मैं अपने लिये नहीं कहती। मेरी जमीन जाती है तो जाय, मुझे इसका दुःख नहीं है। इसे मैं कोई बेइन्साफी की बात नहीं मानती। मेरे लिये तो और भी कई जरिये हैं। मुझे दुःख नहीं हो सकता। पर उन अबलाओं की क्या गति होगी जिनकी सत्तर-पत्तर साल की उम्र हो गई है, जिनको कोई रोटी देने वाला नहीं है? उनकी जमीन चली जावेगी। लेकिन क्योंकि कानून साफ कहता है, और जब सरकार ने अलग यूनिट मन्जूर कर लिया तो एक स्ट्रोक आफ दो पेन से इस हक को नहीं हटा सकती इस लिए यह कोर्टों में चैलेन्ज होगा। हाई कोर्ट में चैलेन्ज होगा। फिर मुश्किल आवेगी। शायद सीलिंग कानून पर ही स्टे आर्डर लाना पड़े।

मानवीय दृष्टिकोण से भी आप इस पर विचार करें। आज महिलाओं को वैसे भी मोहताज होना पड़ता है। समाज का कसूर है इसमें, समाज पुरुषों का है। जिन्होंने औरतों को अपने पैर की जूती की तरह समझा है।

आज महिलाएं अबलाएं असमर्थ हैं। वे अपनी आवाज अदालतों तक नहीं पहुंचा सकतीं। कोई परेशान होकर पुत्र पर या अपने देवर पर मुकद्दमा चलाने जाती है तो समाज उस पर थूकता है। उधर समाज यह भी कहता है कि बाहर जाकर कमाई नहीं कर सकतीं। हमारी इज्जत जाती है। इसका मतलब यह है कि इधर कानून उनकी मदद नहीं करता उधर समाज नहीं कुछ करने देता। चक्की के दो पाटों के बीच में आज यहां की अबला महिला पिस रही है। आज दिन तक पुरुष वर्ग ने जिस तरह से महिला वर्ग पर अन्याय-अत्याचार किया है आज भी उसको आप बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करती हूं कि आज आपके इस कानून से वही महिला वर्ग अधिक प्रभावित होने वाला है। वह हार्ड हिट होगा। इस पर राजस्व मन्त्री जी ध्यान से सोचें। गौर करें। दूसरे सदस्य विधान सभा में बैठने वाले यह कह कर मजाक उड़ाते हैं कि यह तो राजपूत औरतों के लिए कहना चाहती है। पर यह केवल राजपूत महिलाओं के साथ ही अन्याय नहीं है, यह तो समस्त महिला वर्ग के साथ अन्याय है। इससे हार्ड-हिट वे होंगी। आपको उनको राहत देनी होगी ताकि उसके सहारे वे अपना वैधव्य आराम से बिता सकें।

अब अगर आप यह कहते हैं तो भाई और पुत्र अपनी जमीन नहीं देगा। सबसे पहले इस तरह की विधवाओं की, बहिनों की, महिलाओं की जमीनें सरेण्डर करावेंगे, जब्त करावेंगे। इस तरह से महिलाओं पर पूरे दबाव की यह बात की जा रही है। आप उनके स्वाभिमान पर चोट लगा रहे हैं। उनके अपने अलग अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं। 59 में जो जमीन उनके पास थी उस पर उनका 16 आना हक है। और वह हक बराबर बरकरार रहना चाहिये। इसलिये मैंने यह अमेण्डमेन्ट प्रस्तुत किया है।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : मैंने दो अमेण्डमेन्ट रखने का निवेदन किया। अब हरेक चीज को रिफ्यूज करने के बजाय उसको मैरिट पर जज करके समझने की और लेने की कोशिश करें तो ज्यादा फायदा हो सकता है।

(श्री आईदानसिंह)

इसके बाद में आप जो दूसरा विथड्रा कर रहे हैं वैल मैकेनाइज्ड फार्म। यह प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये रखा था। इससे प्रोडक्शन बढ़ता है और आपके वापिस लेने से गिरता है, फिर भी लेने की इच्छा करते हैं तो आपकी मर्जी की बात है।

यह सब लेने के आपने दो कारण बताये कि ज्यादा से ज्यादा जमीन पूल में आवे, दूसरा यह कि उनको रोकने से गड़बड़ियां ज्यादा होंगी। आपने कोऑपरेटिव का रखा है तो गड़बड़ियों के बारे में सुनना चाहें तो आपका कोआपरेटिव डिपार्टमेंट तो इससे भरा पड़ा है। इसके बारे में आपके प्लानिंग विभाग ने ही कहा है, वही मैं रखना चाहता हूं:—

"However it is persistent complaint that societies do not accept those cultivators who are opposed to the ruling group and this is the principal factor........"

तो गड़बड़ियां तो यहां हो रही हैं। इनको बर्दाश्त करते जावें और उनको बर्दाश्त करने से इन्कार कर दें, यह पक्षपात ही होगा। तो जवाब आप इसका फर्मा दें। इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : सभापति महोदय, मैं क्लाज फोर पर निवेदन करना चाहता हूं जिसको विथड्रा करने जा रहे हैं। तो मैं, सभापति महोदय आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूं कि जिन एग्जेम्प्शन्स को हमारी इस विधान सभा ने 59 में वैलिड किया था, राज्य सरकार ने यह कह कर रोका था कि सैकिंड पंचवर्षीय योजना में यह रिकमन्डेशन्स हैं कि प्रोडक्शन में गिरावट नहीं आये और कानून को इम्पोज करने से हमारे देश के अन्दर जो पापुलेशन है वह तबाह नहीं हो जाये। आपने 59 में यह दलील दी थी। आप उसी दलील को यह कह कर विथड्रा करने जा रहे हैं कि उनके रखने से उनका दुरुपयोग होगा, राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ था उसमें उन्होंने आप की तरफ से यह दलील दी कि इनको रखने से हमारे यहां दुरुपयोग होगा। और लोग नाजायज रूप से जमीन पर कब्जा करके बैठे रहेंगे। मैं यह कहूंगा कि जिन क्लाजेज को आप विथड्रा करने जा रहे हैं, उनके लिए आप काम्पीटेन्ट हैं या नहीं? डिफ्रेन्ट प्रोग्रेसिव स्टेट्स में अनेक बार यह प्रश्न हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। केरल हाई कोर्ट में यह मामला गया था। राजस्थान में भी वह स्थिति होने वाली थी। इसी प्रकार लोक सभा में कॉन्स्टीट्यूशन में अमेंडमेन्ट किया गया जिसके आधार पर सारा की सारा भूमि सुधार सीलिंग एक्ट बना है। कान्स्टीट्यूशन के अन्दर उनको वैलिड किया गया है। तो, सभापति महोदय, सारा का सारा उसके अन्दर वैलिड किया गया है। अ प्रश्न यह है क्या यह सदन और राज्य सरकार इस बात के लिए काम्पीटेन्ट है या नहीं? इस बात को सदन को सोचना पड़ेगा। सभापति महोदय, कांग्रेस का बम्बई में अधिवेशन हुआ। तो उनमें यह तय किया गया है। आज राज्य सरकार उन एक्जेम्प्शन्स को विथड्रा करने जा रही है। तो इस संशोधन की लीगल पोजीशन क्या होगी? इस बात को सोच कर निर्णय करना होगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम

(श्री पृथ्वीसिंह)

से मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बम्बई में जो आपका अधिवेशन हुआ है, उसमें लाये गये रिजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यह करने जा रहे हैं। बड़े बड़े फार्मों को आप खत्म करना चाहते हैं। सभापति महोदय, राज्य सरकार इन बातों को उठा कर गैर कानूनी बिल पास करने जा रही है। इसका इस सदन को अधिकार नहीं है। इस तरह से राज्य सरकार इस बिल को गैर कानूनी तरह से पास कर रही है। तो इसकी वेलिडिटी क्या होगी? कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा तो यह स्प्लिट डाउन होगा। और यह मजाक होगा। यह राजस्थान की बदनामी करेगा। इस तरह से, सभापति महोदय, पुराने कानून में जिन एक्जेम्प्शन्स को पास करवाया था इन एक्जेम्प्शन्स को विथड्रा करवाते हैं तो, सभापति महोदय. इस नियम से जो कुछ भी वह एक्जेम्प्शन्स थे वह आपने रखे थे। उन एक्जेम्प्शन्स के कारण बने बड़े बड़े फार्म को आप समाजवाद की दलील देकर सफाया करने जा रहे हैं। मैं यह निश्चित रूप से कहूंगा, यह आपका बिल राष्ट्र विरोधी होगा। यह राष्ट्र का अहित करने वाला होगा। इस कार्य में हमारी विधान सभा भी शरीक होगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि यह बिल राष्ट्रघाती होगा। पहले कानून में यह विश्वास दिया था कि कैटल ब्रीडिंग फार्म, शीप ब्रीडिंग फार्म या हॉर्स ब्रीडिंग फार्म सीलिंग की सीमाओं से दूर रहेंगे। उनके अन्दर ट्यूबवैल्स लगे हुए हैं। उनमें कुए खुदवाये हैं। हजारों रुपये इनवेस्ट करके जो फार्म बनवाये हैं उन सब की आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? सभापति महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। राज्य सरकार यह बिल लाई है इसके द्वारा पहले जितने एक्जेम्प्शन हैं सरकार उनको विथड्रा करना चाहती है। उनके लिए आप को विशेष रूप से व्यवस्था करनी चाहिए थी। मेरा सुझाव है, सभापति महोदय, हमारे जो नागरिक अधिकार हैं। जो कि कान्स्टीट्यूशन में हमें दिये गये हैं। तो कान्स्टीट्यूशन तो हमको अधिकार देना चाहता है और आप पत्थर दिल से समाजवाद का नारा लगा कर हमारे राइट्स हमसे छीनना चाहते हैं।

(विराम)

सभापति महोदय, यह सलेक्ट कमेटी में प्रपोज किया था कि उनको मुआवजा नहीं दिया जाये तो उनको छूट दो। लेकिन आप केवल बेटे को ट्रांसफर करने की छूट देते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि बेटे को ट्रांसफर करने की छूट दी है, वह विथड्रा कर लें।

सभापति महोदय, राजस्थान के घोड़े और खच्चर आस्ट्रेलिया, इंगलैंड और पोलैंड तक जाते हैं। उनसे फॉरिन एक्सचेंज अर्न होती है। अब उनके लिए फार्म नहीं खोलें और उनके लिए आप प्रावधान नहीं रखें यह बहुत अनुचित बात है। उनके लिए आप 10-10 एकड़ जमीन निश्चित करें! अभी जो आईदानसिंह जी ने अपने भाषण में कहा है कोआपरेटिव को छूट देना बिल्कुल नाजायज है। यह सेक्शन 30 'इ' है यह बिल्कुल नाजायज है और अवैधानिक है। आप किसी आवेश में आकर दुरुपयोग

(श्री पृथ्वीसिंह)

की बात कह कर एक्जेम्पशन को विथड्रा करना चाहते हैं। योजना आयोग ने जो पंचवर्षीय योजना में कुछ लाइनें लिखी हैं उनमें है कि जो राजस्थान में को-आपरेटिव फार्म बनाये हैं उनके हिसाब को देख कर निश्चित रूप से कन्विन्स हुए हैं कि इन कोआपरेटिव फार्म में बड़े बड़े घोटाले हैं. कोआपरेटिव फार्म में नाजायज रूप से घोटाले हुए हैं। आप दूसरे एक्जेम्पशन विथड्रा करना चाहें तो करें लेकिन इस कोआपरेटिव फार्म को छूट मत दीजिये, इससे काफी घोटाले होंगे और गडबड़ी होंगी। इस एक्जेम्पशन को विथड्रा करने से हजारों बीघा जमीन आपको मिल जायगी। इतना कह कर मैं निवेदन करूंगा कि जो बिल में 30-डी में अमेंडमेंट आया है, वह साधारण सा लगता है लेकिन समाजवाद का नाम लेकर बहकाया जा रहा है इसलिए इस बहकावे में आकर इसे पास न करें।

श्री सभापति: श्री मनोहरसिंह मेहता!

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति महोदय, सरकार कई एक्जेम्पशन को खत्म कर रही है उसके लिए तो मैं बधाई देना चाहता हूं। जब किसी की चीज जाती है तो उसको पीडा होना स्वाभाविक है। आपको यह पीड़ा पहले भी हुई थी जब जागीर गई थी। उस समय बहुत पीड़ा हुई लेकिन अब महसूस करते है कि वह स्लो पाइजनिंग था, वह दूर हुआ। ठीक इसी तरह से इस इन्टेन्सिव खेती के लिए इसको मंजूर करेंगे तो इससे फायदा मालूम होगा और भारत को भी लाभदायक होने वाला है। लेकिन पीड़ा का कारण हो सकता है कि कई लोगों ने सत्ता के जोर से, सत्ता के कारण जमीन ले ली हो, अपने नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, इसलिए उनको इस समय दुःख होता हो कि हमारी जमीन छीन ली जायगी। लेकिन यह स्थिति भी क्या बनी रहेगी, वह दिन भी आयेगा जब तीस स्टेन्डर्ड एकड़ जमीन भी नहीं रहने वाली है। भविष्य में जब लोगों के पास में कोई काम नहीं रहेगा करने को तो इस 30 स्टेन्डर्ड एकड़ वाली बात को भी खत्म करना पड़ेगा।

जब आप और छूटों को समाप्त कर रहे हैं तो आप कोआपरेटिव के लिए छूट क्यों रखना चाहते हैं? जब मैं कोआपरेटिव के बारे में यह निवेदन करता हूं तो मेरे बारे में ख्याल हो सकता है कि यह को-आपरेटिव मूवमेंट के खिलाफ होगा। लेकिन इस सदन के 184 माननीय सदस्य हैं इनमें से जिन दो-चार, पांच आदमियों ने ही को-आपरेटिव के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई होगी, उन आदमियों में से एक नाम मनोहरसिंह मेहता का भी होगा। मैंने निश्चित रूप से सहकारिता के लिए काले से सफेद बाल किये हैं। जिस समय राज्य सरकार मदद नहीं करती थी तब कोआपरेटिव बना कर, उसके सदस्य बना कर भूमि दिलवाने, कुए बनवाने और बीज दिलवाने का काम किया। लेकिन आज कोआपरेटिव की हालत देखने की कोशिश करते हैं तो चारों तरफ देखते हैं कि लूट ही लूट मच रही है। इस एक्जेम्पशन के जरिये यह होगा कि मंत्री और अध्यक्ष जमीन हड़प जायेंगे। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि संयुक्त कृषि जो होती है, अपनी अपनी जमीन को पूल करके एक कृषि फार्म बनाते हैं सहकारिता के आधार पर, वह तो जरूर

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

बनने दीजिये और जितनी भी सुविधायें दे सकते हैं वह दीजिये। लेकिन कोआपरेटिव फार्मिंग से तो लोग छक्क के माल खा रहे है, रात दिन कोआपरेटिव फार्म बनाते हैं और जब तक उनको मौका मिलेगा तब तक इस प्रवृत्ति को दोहराते रहेंगे। इससे तो अच्छा है कि कृषि करें. जब तक एकमत रहें तब तक संयुक्त कृषि करें नहीं तो अलग अलग कर लें। जो लोग अपनी जमीन को अलग रख कर कोआपरेटिव फार्म बनाते हैं वह जमीन की लूट करते हैं। आपने शुरू से इस ओर ध्यान दिया होता और एलाटमेंट ठीक किया होता तो लाखों आदमियों को जमीन मिल जाती। लेकिन वह नहीं हुआ। अब विशेष छूट कोआपरेटिव के अलावा कई मामलों में खत्म होगी तो बहुत अच्छा है इससे कुछ लोगों को तो जमीन मिलेगी लेकिन इस सहकारी कृषि के लिए जो छूट रखी है, इसको भी समाप्त कर दें तो निश्चिय ही और लोगों को भी जमीन मिलेगी। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आप स्वयं जानते हैं, सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता का लाभ यहां तक उठाया गया है कि जंगलात की जमीन भी सहकारिता में चली गई है। इनके यहां कोटा में तीन चार फार्म चल रहे हैं उन सबकी हालत खराब है। रामानन्द जी के यहां एक आध की हालत अच्छी चलती होगी लेकिन फिर भी मैं इसकी जरूरत नहीं समझता क्योंकि ज्यादातर इनके द्वारा लूट होती है। इसलिए ही मैंने इसका नाम यह रखा है—जमीन हड़पो सहकारी समिति। यह नाम बहुत उपयुक्त है। जो छूट आप दे रहे हैं वह जमीन को हड़पने के लिए दे रहे हैं। यह एक्जेम्प्शन देते हैं इससे मालूम होगा कि जमीन हड़पने के लिए दे रहे हैं वरना तो यह किसान की छाती में छुरा है। रामानन्द जी ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका समर्थन कर सकता हूं, वह इसलिए नहीं कर रहा हूं कि एक्जेम्प्शन दे दिया जाय, बल्कि यह करके देख लिया जाय, एक तरफ चालीस-पचास एकड़ की सोसाइटी बना कर खेती करवायें और दूसरी तरफ दस दस बीघा जमीन देकर लोगों से खेती करवायें और फिर देखें कि उत्पादन किसके यहां ज्यादा होता है। आज आप देखिये कि भारत के बाहर से भारत में अन्न आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि भारत में अन्न का दाना भी नहीं आये तो आपको इन्टेन्सिव खेती करानी पड़ेगी। आगे जाकर जब बुद्धि आये अकल आये तो आप ग्रामोद्योग को भी अपनायें। लेकिन जब तक अन्न ज्यादा पैदा नहीं होगा तब तक देश की हालत खराब होने वाली है। इस पर मैं अधिक बात न कहते हुए यह निवेदन करता हूं कि यह किसानों की छाती में छुरा भौंका जा रहा है। यह शब्द बड़े कठोर हैं लेकिन मेरा सहकारिता में विश्वास है, मैंने अपना जीवन सहकारिता में लगाया है इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कृपया इस छूट को समाप्त करिये। सहकारिता, विकास त्याग और बलिदान के बिना नहीं कर सकते :

पंचायत और सहकारिता दोनों चाहें
त्याग और बलिदान

त्याग और बलिदान के बिना विकास नही कर सकते। इस एक्जेम्प्शन से तो मंत्री और अध्यक्ष जमीन खा जायेंगे और

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
भूमिहीनों को भूमि नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि इस विशेष छूट को आप समाप्त कीजिये।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल !

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : सभापति महोदय, इससे पहले कि राजस्व मंत्री जी इस सम्बन्ध में उत्तर दें, इस क्लाज के बारे में कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। इसके सम्बन्ध में संशोधन आये हैं और प्रत्येक संशोधनकर्त्ता ने अपने अपने विचार इस सम्बन्ध में रखे हैं। मैं राज्य सरकार से एक जानकारी चाहता हूं, एक्जेम्प्शन तो और अनेकों राज्य सरकार वापिस लेने जा रही हैं, लेकिन क्या राज्य सरकार ने इस पहलू को अपने लॉ डिपार्टमेन्ट के द्वारा एक्जामिन करवाया है अथवा नहीं कि यह जो प्राटेक्टेड राइट्स थे, संविधान के अधिकार, जब तक यह प्राप्त हैं, उनके होते हुए बिना रीजनेबल कम्पेन्सेशन दिये हुए क्या राज्य सरकार इस प्रकार से एक्जेम्प्शन्स विथड्रा कर सकती है ? इस लीगल पोजीशन को क्या राज्य सरकार ने एक्जामिन करवाया है अथवा नहीं ? एक तो मैं यह जानना चाहूंगा।

दूसरे सभापति महोदय, मै राजस्व मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप जो एक्जेम्प्शन्स विथड्रा कर रहे हैं, तो वह फार्म्स, जिनके अगेन्स्ट मालिकों ने राज्य सरकार से अथवा अनेक एजेंसियों से कर्जा प्राप्त किया है और आज तक वह कर्जा ड्यू चला आ रहा है, जब यह एक्जेम्प्शन विथड्रा हो जायगा और 30-डी के तहत यह जमीन सरेन्डर कर दी जायगी, उस समय इस कर्जे की स्थिति क्या होगी ? इस कर्ज का देनदार कौन होगा और किस आदमी के माध्यम से कर्ज वसूल किया जायगा या राज्य सरकार इस कर्ज का भार अपने कन्धों पर लेगी ? इसका स्पष्टीकरण कर दें। मेरी मान्यता है, यह प्रोटेक्टेड राइट्स हैं, स्वयं राज्य सरकार ने टिनेन्सी बिल में यह व्यवस्था की थी, विरोध के बावजूद यह व्यवस्था की थी, जब यह व्यवस्था की गई और लोगों को यह अधिकार दिया गया, जिसके आधार पर उन्होंने इन्वेस्टमेन्ट किया तो आज उन अधिकारों को, जो प्राटेक्टेड हैं, राज्य सरकार संविधान के होते हुए वापिस नहीं ले सकती। ऐसी मेरी मान्यता है। इस प्रकार के जितने भी फार्म्स हैं, हर एक फार्म पर लाखों रुपये का इन्वेस्टमेन्ट बाई वे आफ ट्रेक्टर, मैकेनाइज्ड फार्म्स के इम्प्रूवमेन्ट किया है और विभिन्न एजेंसियों से, चाहे वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट हो, चाहे बैंक्स हों या दूसरे कोर्पोरेशन हों उनका हर एक फार्म पर लाखों रुपये का कर्जा बकाया है। यह जो कर्जा बकाया है, तो राज्य सरकार ने इस स्थिति को आंका है या नहीं आंका है कि इसकी देनदारी किसके ऊपर होगी ? यह हम जानना चाहेंगे। यही मेरा कहना है।

श्री सभापति : राजस्व मन्त्री !

श्री विजयसिंह : सीलिंग। सीलिंग। सीलिंग ! का ढोल पीट रहे हैं। माननीय सदस्य यह कह रहे हैं, सीलिंग आ रही है सीलिंग आ रही है। अरे, यह सीलिंग तो कभी से चली आ रही थी। बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है। आप क्या नई

(श्री विजयसिंह)

बात ला रहे हैं। एक व्यक्ति के अगर चार लड़के हुए तो उनमें जमीन बट जाती थी। इस प्रकार जमीन बंटती चली आ रही है। अब समस्या यह होने वाली है कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हो गये हैं, अब इस समस्या का हल क्या होगा? किस प्रकार यह समस्या हल की जायगी? किस प्रकार उत्पादन अधिक करने की कोशिश की जायगी? आज भारत सरकार कह रही है कि अधिक अन्न का उत्पादन करो। अधिक अन्न का उत्पादन करके जो विदेशों के अनाज के ऊपर हमारा देश निर्भर है, उस स्थिति को दूर करना चाहते हैं। हमारे देश में इतना अन्न उगाना चाहते हैं जिससे हमारा देश सेल्फ सफीसियेंट हो जाय। परन्तु दूसरी तरह सीलिंग की बात करते हैं। मैं एक बात समझ सकता हूं। इसके अन्दर और कोई बात नहीं है। मैं समझता हूं, इसके अन्दर राज है। कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि जमीन के पट्टे बांटेंगे। आपको याद है उस समय राजस्थान में खून खराबा हुआ। लोग मारे गए और फिर लोगों की जमीन छीनने का सोच रहे हैं। जमीन वाला कोई खोमचे वाला नहीं है कि उससे कचोरी-समोसा लेकर बांट देंगे, आपको नानी याद आ जायगी। किसी की जमीन लेना कोई आसान बात नहीं है। जिसके पास जमीन है वह कतई नहीं देगा। इससे राजस्थान में खून खराबा होगा। क्यों कलंक का टीका सरकार के माथे पर लगाना चाहते हैं?

कल कम्युनिस्ट सदस्य ने कहा था कि हम बन्दूकें लेकर चले जायेंगे जमीन लेने के लिए तो फिर आपको क्या जरूरत है सीलिंग कानून लाने की? वह अपने आप ले लेंगे। लेकिन मैं कम्युनिस्ट सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या बन्दूक कभी उन्होंने चलाई है? उनको पता है कि 303 बन्दूक क्या होती है? बन्दूक लेकर पहुंचेंगे! जो किसान खेती कर रहा है, गंगानगर में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़े हो रहे है, पानी की समस्या को लेकर झगड़े हो रहे हैं, भेड़ बकरी एक दूसरे के खेत में चली जाती हैं तो उनके लिए झगड़े होते हैं, हत्यायें हो जाती हैं। मैं इस जमीन की बात को लेकर आपके महान् प्रगतिशील कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता की पोल खोल रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था कि श्री शंकरलाल एम० एल० ए० जैतारन, बड़ी बड़ी डींग हांकते हैं, सीलिंग लाना चाहते हैं। कहते हैं कि गरीबों का भला होना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या किया? जगह जगह जमीन अलाट करवाई। मुझे लगता है कि इनकी मन्शा और जमीन लेने की है। यह चाहते हैं कि सीलिंग आ जाय तो और जमीन ले लूं। इनको गलतफहमी हो रही है। ये समझते हैं कि वे केवल जागीरदारों पर सीलिंग आ रही है लेकिन इसके अन्दर सारे किसान हैं और सारे किसानों पर सीलिंग आ रही है। मैं सूची दे सकता हूं ऐसे लोगों की जो जागीरदार नहीं, राजपूत नहीं, उन लोगों पर भी सीलिंग का प्रभाव पड़ेगा……

श्री शंकरलाल : पाइन्ट आफ आर्डर। क्या बोल रहे हैं? कौन से संशोधन पर बोल रहे हैं? मैं जवाब देना चाहूंगा।

श्री विजयसिंह : मैं एग्जेम्प्शन्स पर बोल रहा हूं। आपकी तरह पढ़ा लिखा वकील नहीं हूं। मैंने लॉ नहीं किया। मेरे कहने का मतलब है कि एक क्लाज जोड़ दें जिसमें शंकरलाल जैसे लोगों को, जिन्होंने जमीनें ली हैं, एग्जेम्प्ट किया जाय।

(श्री विजयसिंह)
शंकरलालजी ने 150 बीघा मांगेसर (पाली) की सरहद पर नाडे के पास बारानी जमीन अपने कब्जे में कर रखी है····

श्री शंकरलाल : बिल्कुल गलत है।

श्री विजयसिंह : अगर मेरा कहना सही निकला तो इस्तीफा दे देंगे ?

श्री शंकरलाल : बिल्कुल। मेरे नाम कोई जमीन मांगेसर में यदि होगी तो····

श्री बालसिंह सोढ़ा : न इस माननीय सदस्य को इस्तीफा देना है न आपको। अगर आपके खिलाफ गलत बात कही जाती है तो व्यवस्था है, आप प्रिविलेज मोशन मूव कर सकते हैं।

श्री शंकरलाल : अगर आपकी बात झूठी हो गई तो आप इस्तीफा देंगे ?

श्री विजयसिंह : मैं इसको पढ़ लूं फिर जो मर्जी आए कह देना।

15 बीघा जमीन जवड़िया की सरहद में, बीघा जहां कुआ खुद रहा है, पाली जोधपुर रोड़ पर अपने पुत्र के नाम पर ली है। क्या यह गलत है ? एक और है– 25 बीघा जमीन खोड़ में पिताजी के नाम, श्री सोहनदास के नाम पर है। 50 बीघा जमीन मांगसर गांव में रेग्यूलराइज कराई गई····

श्री शंकरलाल : बिल्कुल गलत है।

श्री विजयसिंह : अपने पिता के नाम रेग्युलेराइज करवाई। आप पाली के रहने वाले हैं। सुमेरपुर जाकर जमीन क्यों अलाट करवाते हो ? सरपंच सुखराज से मिल कर जमीन अलाट करवाई। किस तरह की करवाई है, मैं कहना नहीं चाहता

श्री शंकरलाल : कौन से सरपंच से एलाट करवाई है ? आपको पता नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं।

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह : एक प्लाट बेचा है दस हजार में सुमेरपुर में। इस तरह जमीन अलाट करवा कर फिर बेच दी है। आप 10 प्रिविलेज मोशन्स लावें। जो दस हजार में जमीन बेची वह लड़की की शादी में पैसे के लिए बेची। पैसा कमाया जा रहा है, चारों ओर प्रगतिशील किसान होकर वकालत करते हैं। यदि आप किसान हैं तो बता दें कि बाजरा जब खड़ा हो जाता है तो नाप क्या होती है ? कितने फिट का बाजरा होता है, सिट्टा कितने इन्च का होता है ? ये सब जितने कांग्रेस के सदस्य हैं वे प्रगतिशील बनना चाहते हैं केवल एक नीयत से कि सीलिंग कानून के तहत कुछ जमीन एलाट करवाना चाहते हैं। मेरी कोई जमीन नहीं, मुझ पर सीलिंग लागू नहीं हो रहा है, जमीन तो क्या मकराने के पत्थर पर भी सीलिंग लगायें तो मुझ पर इफेक्ट नहीं। आप हर चीज पर सिलिंग लगाना चाहते हैं परन्तु आज देखा जाय, काश्तकार पैसा खर्च करके जमीन से कमाई शुरू करता है और कई लोगों ने बड़े फार्म्स बना रखे हैं, उनके अन्दर कितनी महनत करनी पड़ती है। आप ग्रोब्ज को फोकट में लेना चाहते हैं। गंगानगर में लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और आप जैसे कोई दाल मोठ ले रहे हैं····

श्री भैरोंसिंह : (श्री माधोसिंह के लिए) ये बीच में डिस्टर्ब करते हैं, रास्ता आने का तो वह है।

श्री शंकरलाल : आपके बुलावे पर आये हैं।

श्री दौलतराम सारण : दल परिवर्तन कर दिया।

श्री माधोसिंह : यहां बैठ गया तो क्या हुआ? वोट देते समय तो मेरी इच्छा है।

श्री विजयसिंह : कई वकील 10-10 हजार महीने में कमाते हैं, उन पर सीलिंग क्यों नहीं? उन पर भी लागू करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सीलिंग कानून लाकर राजस्थान में खून खराबे और मारकाट की नौबत न लायें।

श्री शंकरलाल : On a point of personal explanation.

श्री सभापति : श्री शंकरलाल।

श्री भैरोंसिंह : हंसराज जी आप अकेले आगये तो काम नहीं चलेगा। इनके लिये भैंसा गाड़ी लानी पड़ेगी।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अभी मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे बारे में कुछ बातें कहीं। मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन के तौर पर उनका जवाब देना चाहता हूं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो मेरे पर यह आरोप लगाया है कि मेरे पास सैंकड़ों बीघा जमीन है यह बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। गांव मांगेसर में मेरे नाम से एक इंच भी जमीन नहीं है। आज माननीय सदस्य खून और बन्दूक की बातें करते हैं। यह नहीं सोचते जिस समय जागीरदारों से उनकी जागीरें ली गई थीं उस समय भी यही उनका नारा था। आज फिर ये तलवार और बन्दूक की बातें छेड़ रहे हैं। जब कि ये खुद कहते हैं कि मेरे पास जमीन नहीं है। मैं तो मकराना के पत्थर का काम करता हूं।

(4.40 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नाई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री बालसिंह सोढ़ा : इस तरह से पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिये अपने रूल्स में अलग व्यवस्था है। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय सीलिंग पर चर्चा चल रही है। इसमें कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने का सवाल नहीं है। यदि इस तरह से वाद-विवाद शुरू हो जायगा तो इस चर्चा का अन्त ही नहीं होगा। अतः इसे रोका जाय।

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य ने जो मुझ पर आरोप लगाये हैं उन आरोपों का मैं उत्तर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : स्पष्टीकरण के रूप में वे कह सकते हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इसके लिये रूल्स में अलग व्यवस्था है वे उसी प्रोसीजर को यहां फोलो कर सकते हैं। हर किसी समय इस प्रकार उठ खड़े होकर कुछ नहीं कह सकते।

श्री शंकरलाल : आप रूल्स को पढ़ कर आवें।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आपको वकील करके सीखने नहीं आऊंगा।

श्री शंकरलाल : आज माननीय सदस्य तलवार और बन्दूक की बात करते हैं।

(श्री शंकरलाल)

बार बार मेरे बारे में कहते हैं कि इनके पास जमीन है, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाय। जितनी उन्होंने बात कही है उसमें से यह मैं मानता हूं कि मेरे पिताजी के पास 25 बीघा जमीन है। मेरे बाप दादा शुरू से काश्तकारी करते आये हैं और वे आज भी काश्त करते हैं। मेरे घर के आदमी बराबर शुरू से काश्त करते आ रहे हैं और आज भी काश्त करते हैं। मेरी पत्नी आज भी मीलों दूर से सिर पर भारा लेकर आती है, छः मील से भारा लेकर आती है। आपको मेरी वकालात क्या करने की आवश्यकता पड़ी? मेरे पास सीलिंग से अधिक जमीन होगी तो वह भी जायगी। गलत तौर से मैं रेगुलेराइज नहीं करा सकता। मेरे फादर खुद काश्तकार हैं। फादर के पास भी अगर सीलिंग से अधिक भूमि है तो वह भी जायगी। मैं सरकार से या आपसे किसी प्रकार का एग्जेम्प्शन नहीं चाहता। यह सीलिंग तो सभी पर लागू होगा। इसमें न तो मैं बच पाऊंगा और न आप बच पायेंगे।

मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं किसी प्रकार का एग्जेम्प्शन नहीं चाहता हूं। आप मेरे लिये वकालत न करिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि किसी को भी सीलिंग कानून से न बचाया जाय। जिसके पास सीलिंग की सीमा से अधिक भूमि है वह ली जाय। इन भूमि सुधारों के कानूनों मे जितने इन्होंने रोडे अटकाये हैं उतने किसी ने नहीं अटकाये हैं। मेरे नाम से आप कहते हैं कि मांगेसर से दो मील पर मेरे नाम से जमीन है उसको मैं रेगुलेराइज कराना चाहता हूं—यह बिल्कुल गलत है। अगर माननीय सदस्य यह साबित कर दें तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। आप भी देने को तैयार हैं क्या? जवाब दीजिये।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इसके लिये हाउस की एक कमेटी बिठा दी जाय।

श्री विजयसिंह : मैं इस्तीफा क्यों दूं? जनता के साठ हजार वोटों से जीत कर आया हूं। आप कौन होते हैं मुझे इस्तीफा देने के लिये कहने वाले? आप उन मिनिस्टरों से, उन विधायकों से इस्तीफा लें जो इधर से उधर दल बदल कर गये हैं, जिन्होंने रिश्वतें ली हैं, अनेक धान्धलियां की हैं।

श्री शंकरलाल : हम लोग आपकी तलवार और बन्दूक का डर बहुत देख चुके हैं।

श्री विजयसिंह : तलवार और बन्दूकें आपने जब जागीरें ही ले लीं तब भी नहीं चलायीं तो अब क्या चलाने वाले हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन। आप समय का ध्यान रखें आज ही इस विधेयक को पारित करना है।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बोगस को-आपरेटिव सोसाइटीज है उनको एग्जेम्प्शन्स का लाभ नहीं मिलना चाहिये। हमारी कभी यह मन्शा नहीं रही और न यह सलेक्ट कमेटी की मन्शा थी कि हम इस प्रकार की सोसाइटीज के लिये छूट चाहते हैं। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रामानन्द जी ने संशोधन दिया है जहां को-आपरेटिव सोसाइटीज को एग्जेम्प्ट करने का रखा है वहां यह शब्द जोड़ने का है बोनाफाइड:

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

"That in clause (c) insert the word 'Bonafide' before the word 'Co operative' in the first line,"

इसका मैं समर्थन करता हूं।

"The existing explanation be numbered as I explanation and other explanation numbering II be added as follows:

'Bonafide Cooperative farms means such farms as are registered under the Rajasthan Co-operative Societies Act, 19.5 consisting only of Agricultural labourers or poor peasants or both.'

इसको मैं सपोर्ट करता हूं। जो गरीब किसान है, एग्राकल्चर लेबर हैं इनकी कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं उनको भी मान्यता देनी चाहिये, मैं इस अमेन्डमेन्ट का समर्थन करता हूं।

दूसरा शीप ब्रीडिंग फार्म्स, केटल ब्रीडिंग फार्म्स, होर्स ब्रीडिंग फार्म्स के एग्जेम्पशन्स को विथड्रा करने का निर्णय लिया हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। विशेष तौर से मैं मेरे जिले के वास्ते कह सकता हूं कि हमारे क्षेत्र में स्टेन्डर्ड एकड़ का 262 एकड होता है यानि पचास बीघा होता है इस तरह से एक फेमिली के पांच मेम्बर हैं, अक्सर हमारे यहां आठ मेम्बर्स की फेमिली होती है उनको 750 बीघा जमीन का लाभ मिल जाता है। इसमें वह कोई भी प्रकार का फार्म स्थापित कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में एक केटल ब्रीडिंग फार्म है सिन्दरी गायों के लिये उसके लिये गवर्नमेन्ट जैसा चाहे उचित समझे वह करे। इसी कारण एग्जेम्पशन को मेन्टेन किया जावे यह मैं नहीं चाहता। एग्जेम्पशन तुरन्त विथड्रा किये जाने चाहिये। अगर हम एग्जेम्पशन विथड्रा नहीं करते हैं तो हमें कोई जमीन मिलने वाली नहीं है।

यह जो कहा जाता है कि एग्जेम्पशन्स विथड्रा करेंगे तो यह कॉन्स्टीट्यूशन के विपरीत काम होगा। इसके बारे में लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ले ली गई है, उससे एग्जामिन करा लिया गया है। वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इससे संविधान का कोई उल्लंघन नहीं होता है। इसके साथ साथ रामानन्द जी अग्रवाल ने जो संशोधन रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसको राज्य सरकार मान्यता देगी तभी जाकर यह कानून प्रोग्रेसिव बन सकता है। यही मेरा निवेदन है।

श्री दुर्गालाल बाढ़वार (हवामहल, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके बारे में केवल एक ही मुद्दा रखना चाहूंगा। सीलिंग का जो मूल कानून था, उसमें क्लाज सी को छोड़ कर एग्जेम्पशन्स को विथड्रा करने का जो आज निर्णय ले रहे हैं इसके सम्बन्ध में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी कॉन्स्टीट्यूशनल वेलिडिटी के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है। फन्डामेन्टल राइट्स को रिकगनाइज कर दिया है। क्या वह रिकगनीशन इस कानून पर लागू नहीं होगा?

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि यह मूल कानून दस ग्यारह वर्ष पहले बनाया गया था। इस कानून के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अपनी भूमि का इम्प्रूवमेंट करता है तो यह कोई अपराध नहीं। जब एग्जेम्प्शन को आप विथड्रा कर रहे हैं वैसी स्थिति में जिन लोगों ने उस जमीन पर लाखों रुपयों का इन्वेस्टमेन्ट कर दिया है उसका किस हिसाब से मुआवजा दिया जायगा ? आपने नैतिक और वैधानिक दृष्टि से इस पर विचार किया है ? जो आपने मुआवजे का आधार रखा है वह केवल भूमि के लिये रखा है। ब्रीडिंग फार्म के लिये उपकरण आदि लगाये हैं, जमीन को इम्प्रूव करने के लिये जो साधन लगाये गये हैं उनका मुआवजा किस आधार पर दिया जायगा ? मेरी यह धारणा नहीं कि सिलिंग कानून का मैं विरोध करूं। मेरे पास तो एक बीघा भी जमीन नहीं है। विधायक का उत्तरदायित्व निभाते हुए मैंने यह प्रश्न किये हैं। आपने जहां भूमि पहले कानून से अन्तर्गत देने में उदारता बतायी है अब उसी को लेने पर उतारू हो गये हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप नैतिक दृष्टि, वैधानिक दृष्टि दोनों दृष्टि से इस पर विचार करें। राज्य सरकार अपनी सारी लीगल पोजीशन की जांच कर ले और फिर इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करें। आप एक फण्डामेंटल राइट्स को कैसे छीन सकते हैं ?

श्री भैरोंसिंह : एक जो एग्जेम्प्टेड फार्म्स की जमीन आप लेंगे उस जमीन के ऊपर जिन लोगों ने बैंक से या गवर्नमेंट से रकम ले रखी है और वह जमीन बैंक या गवर्नमेंट को मोर्टगेज है, आपके कानून के अनुसार जो भी लैंड गवर्नमेंट में वैस्ट होगी तो क्या वह फ्री फ्राम आल इन्कम-बरेन्स होगी ? इस दृष्टि से भी इसको देखने की जरूरत है। अगर इसको लागू कर दिया और इसको नहीं देखा तो एक तरह से आप इसकी इकानामिक कन्डीशन को डेटीरियोरेट कर देंगे, यह प्रश्न खड़ा हो जाता है। इस सम्बन्ध में आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्री बालसिंह सोढ़ा : एक मेरा प्रश्न है। जो कैटल लोगों ने खरीद कर ली है तो राज्य सरकार कम्पेन्सेशन देते वक्त क्या उसको खरीदने की व्यवस्था करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न आ गया है, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : जैसा की वृद्धिचन्द जी ने कहा है आज जैसलमेर, बाड़मेर में साढ़े बारह रुपया प्रति व्यक्ति अकाल सहायता का मिल रहा है। वहां 750 बीघा जमीन वाले भी इसको ले रहे हैं। उनकी जन संख्या को भी देख लीजिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसा कोई केस है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : आज तीन दिन हो गये हैं इस पर विचार करते हुए। आज इसको पारित करना है। इसलिये सदन की अनुमति से एक घन्टे का समय बढ़ाया जाता है।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): इस क्लाज में जो संशोधन आये हैं उनके सम्बन्ध में मुझे ज्यादा निवेदन नहीं करना है। जो मुद्दे उठाये गये हैं उनमें से बहुत

(श्री रामकिशोर व्यास)

सों का उत्तर दे दिया गया है। एक-दो बातें आई हैं। उन पर कह चुका हूं परन्तु और कहना चाहूंगा। एक बात तो यह आई है कि जो एक्जेम्पशन्स विथड्रा किये जा रहे हैं, वापिस लिये जा रहे हैं, क्या गवर्नमेंट ने उनको एग्जामिन और किया है, लीगली क्या गवर्नमेंट उनको ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन फाण्डामेंटल राइट्स को देखते हुए ? यह कानूनी सवाल है, जो एक्जेम्पशन्स दिये गये थे क्या उनको वापिस लिया जा सकता है ? मेरा जवाब यह है कि कानूनन इनको वापिस लिया जा सकता है। कोई कानूनी दिक्कत इसमें नहीं है। इसमें मुआवजा देने कि बात है। जो कुछ भी लिया जायेगा उसका मुआवजा दिया जायेगा। मुआवजे के प्राविजन्स सीलिंग एक्ट में मौजूद हैं। इसमें मुआवजा दिया जायेगा जमीन का मुआवजा दिया जायेगा, जो उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है उसका भी मुआवजा दिया जायेगा, जो ट्रीज हैं उनका भी मुआवजा दिया जायेगा। इस पर शक सुबाह न रक्खें। एक्जेम्पशन्स के जो फार्म लिये जायेंगे उनको भी पूरा मुआवजा दिया जायेगा। यह आप दिमाग में साफ रखें।

दूसरी बात यहां पर यह कही गई है जो जमीन एक्जेम्पशन्स की जमीन ली जायेगी और अलॉट की जायेगी उससे गवर्नमेंट को लाभ होगा। मैं यहां यह कहना मुनासिब समझता हूं कि इसमें गवर्नमेंट के द्वारा लाभ उठाने का कोई सवाल नहीं है। गवर्नमेंट की नीति इस पर साफ है। गवर्नमेंट इसमें कोई फायदा नहीं उठाना चाहती है।

दूसरा प्रश्न यह आया है कि जो फार्म्स लिये जायेंगे अन्डर सीलिंग एक्ट और जिन पर कि कर्जा लिया हुआ है, उनकी क्या स्थिति होगी ? उनकी कानूनन पोजीशन क्या होगी ? इसका जवाब यह है कि इसका भी प्रावधान है। इसका भी प्रावधान इस सीलिंग एक्ट में मौजूद है। सेक्शन 38 इसके मुतलिक ही है। कर्जा है वह कैसे डील किया जायेगा, इसकी डिटेल्स इसमें है।

दूसरे को-ऑपरेटिव के बारे में भी कहा गया है। बहस में कई बार इस सम्बन्ध में कह चुके हैं। दो-तीन मुद्दे सामने आये हैं और मैंने निवेदन किया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी को-ऑपरेटिव का मेम्बर हो, उस हैसियत से जमीन हो और व्यक्तिगत हैसियत से भी जमीन हो, वह जमीन दोनों को मिलाकर सीलिंग से ज्यादा नहीं होगी, ऐसा प्रोविजन है। इसलिये इसमें संशय की कोई बात नहीं है। कई जगह को-ऑपरेटिव सोसायटी ठीक है और कई जगह इसका बेजा इस्तेमाल हुआ है, इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता है परन्तु इसके साथ ही यह देखना है कि कई जगह ठीक को-ऑपरेटीव सोसायटी हैं। इसके बारे में कुछ सुझाव आये थे, रामानन्द जी की तरफ से किन्तु इसमें कुछ लीगल टेक्नीकल डिफीकल्टी पड़ रही हैं क्योंकि इसमें एक ओरिजनल एक्ट है उसमें अमेंडमेंट नहीं कर पायेंगे तब तक नहीं होगा। अभी जो अमेंडमेंट है वह सलेक्ट कमेटी की राय के मुताबिक किये गये हैं। अमेन्डमेन्ट रहने चाहिये वे रखे गये हैं और जो एक्जेम्पशन्स सलेक्ट कमेटी ने रखे हैं वे ही रखे गये हैं और जो सलेक्ट कमेटी की राय है वही मेरी राय है, उससे मैं सहमत हूं।

श्री भैरोंसिंह : मंत्री महोदय ने बताया है कि इसमें, एक्ट में प्रोविजन हैं। मैं यह पूछता हूं कि आप क्लाज बता दें, कौन सी जगह पर है ? किसी ने जमीन पर्चेज की है और उसमें ट्यूब वेल खुदवाया है, जमीन पर इनवेस्टमेंट किया है उसका इम्प्रूवमेंट किया है, फेंसिंग किया है, पेडोक्स लगाये हैं, उसके लिए क्या प्रोविजन है आप बता दें। केवल कहने मात्र से ही यह नहीं हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं, माननीय सदस्य।

श्री भैरोंसिंह : इन्होंने कहा है कि प्रोविजन है तो एक्ट के अन्दर बता दें। एक्ट के अन्दर होना दूसरी बात है और हाउस में कहना दूसरी बात है। इसका स्पष्टीकरण कर दें जो बात कही है वह कितनी तथ्य रखती है !

श्री रामकिशोर व्यास : रूल्स में दिये हुए हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : कहीं नहीं है। मुआवजा दिया जायेगा, यह प्रोविजन नहीं है।

श्री रामकिशोर व्यास : आप रूल्स को देख लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

जो अपने संशोधन प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हों वे कृपया ले लें।

(विराम)

संशोधन प्रस्तावों पर मतदान।

खण्ड 4 में।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री केसरीसिंह हाड़ा ने दिया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री रामानन्द अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जावे।

श्री रामकिशोर व्यास : वियड्रा करने की पर्मीशन चाही है।

श्री उपाध्यक्ष : उपस्थित नहीं हैं।

(ध्वनि मतदान के पश्चात)

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री आईदानसिंह ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि जो संशोधन प्रस्ताव श्री पृथ्वीसिंह देवड़ा ने प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 4 स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

खण्ड 4 स्वीकार किया गया।

खंड 5

खंड 5 पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

New clause 5

Shrimati Kanta Khaturia M. L. A. moved that:—

1. After clause 4 of the Bill as amended by the Select Committee, the following new clause be added:-

"5. **Amendment of section 42, Rajasthan Act 3 of 1955.** Clause (c) of section 42 of the principal Act shall be and shall always be deemed to have been omitted."

(1) **श्री सुरेन्द्र व्यास** (वि. सं. 46)
(2) **श्री सोहनलाल मोदी** (वि. सं. 117) } ने क्रमश: प्रस्ताव किया कि:—

2. After clause 4 of the Bill, as amended by the Select Committee, the following new clause be added, namely:-

"5. **Amendment of section 42, Rajasthan Act 3 of 1955:**—Clause (c) of section 42 of the principal Act shall be and shall always be deemed to have been omitted."

श्री सुरेन्द्रव्यास (टोंक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग का कानून जो हम पास करने जा रहे हैं इसके कारण विरोधी दलों में, विशेष कर स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ में बौखलाहट मच गई है। 11 तारीख से जो व्यवहार और आचरण इनका दिख रहा है, उससे यह प्रकट है। जब सीलिंग का कानून लाकर हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं तो इनमें बौखलाहट होना स्वाभाविक है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : दामोदर लाल जी तो हैं ही नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गाड़िया जी ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसका विरोध किया गया । ये डिसआर्डर क्रीएट करना चाहते हैं, समाजवाद में रोड़े अटकाना चाहते हैं ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : आते ही पत्थर फेंकना मत शुरू करो ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री सुरेन्द्र व्यास : पोइन्ट आफ आर्डर के नाम से सात-आठ आदमी विरोधी दल के हल्ला मचाकर व्यवधान पैदा करना

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
चाहते हैं। आखिर सीलिंग के इस कानून में ऐसी क्या आपत्ति है उनको ?

श्री रामचन्द्र आर्य : यही संशोधन है क्या ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : संशोधन पर भी आ जाऊंगा।

मैं तो नया सदस्य हूं। आप लोगों से सीखूंगा। आप बोलते किस पर हैं और आगे जाकर एजीटेशन और इकोनोमिक प्रोब्लम्स तक चले जाते हैं। इर्रेलेवेन्ट बोला करते हैं और मुझे टोकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि इन्होंने 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक तो व्यवधान पैदा किया। सदन की सामान्य कार्यवाही को चलने नहीं दिया। पर इनको याद रखना चाहिये कि देश में समाजवाद आवेगा। विरोधी लोग इसी प्रकार चलते रहेंगे, इनको काम नहीं करना है, काम करने वालों के रास्ते में रोड़े जरूर अटकाने हैं। तो इन्होंने रोड़े अटकाये। इसमें दो पहलू हैं। एक तो स्वतन्त्र पार्टी और दूसरी जनसंघ पार्टी ने अपने भिन्न भिन्न विचार रखे। कई बातें उन्होंने रखी हैं जिसमें से भैरोंसिंह जी ने मुख्य बात रखी है और वह एडमिनिस्ट्रेटिव डिफीकल्टी की बात रखी है। जमीन कैसे देंगे ? और और गड़बड़ी हो जावेगी। छीनने में भी कठिनाइयां होंगी। तो उनको मैं बता देना चाहता हूं कि कोई भी बात बिना दिक्कत के नहीं हुआ करती, कोई भी प्राब्लम बिना कठिनाई के सोल्व नहीं होने वाली है। बिना त्याग और तप के, बिना मुसीबतों को सहे देश की गरीबी नहीं मिटने वाली है। समाजवाद बिना डिफीकल्टी के नहीं आने वाला है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : बैंक बैलेन्स तो पूछ लेते पहले बाप से।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आज आप बहस करने को तैयार नहीं है। अलाटमेंन्ट की बात करते हैं। इस सदन के माननीय सदस्यों के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। कहते हैं मिनिस्टर के पास इतने इतने फार्म हैं, इतनी इतनी जमीन है। आखिर कानून बनाया है तो वह सब पर एप्लाई होगा। सेविंग प्रोविजन मिनिस्टरों के लिये कोई नहीं बनाया है। न कांग्रेस वालों के लिये बनाया है। आप अलाटमैन्ट में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी की बात करते हैं, सीलिंग के बिल की बात नहीं करते हैं, आपके पास मसाला नहीं है। पर गरीबों की आप बात जरूर करते हैं। देखा जावे तो सीलिंग को लाने के लिए उत्सुक केवल एक सदस्य रामानन्द जी अग्रवाल हैं जो इसे लाना चाहते हैं। बाकी सभी मिल कर चाहते हैं कि किसी तरह यह नहीं आवे।

कहा गया कि केरल में यह हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि अगर कम्युनिस्ट पार्टी कोई गलती करती है तो कांग्रेस देश को धोखा देने वाली नहीं है।

गांव वालों के वोट लेकर स्वतन्त्र पार्टी के लोग यहां आते हैं। ये कहते हैं गांव वाले सीधे आदमी हैं। अगर किसान सीधा नहीं होता तो स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य जो यहां आकर किसान के हितों के विरुद्ध बात करते हैं, वे बात करने की हिम्मत नहीं कर सकते। पर जिस दिन गांवों के लोगों

(श्री सुरेन्द्र व्यास)
में चेतना आ जावेगी, अखबार वे पढ़ने लगेंगे और असेम्बली में उनके वोटों से जीत कर आने वाले सदस्यों की बातें और स्वतन्त्र पार्टी और जन संघ के लोगों की बातें वे पढ़ेंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि इनमें से एक की शक्ल यहां नजर नहीं आने वाली है। ये प्रतिक्रियावादी ताकतें जोर लगा रही हैं कि समाजवाद की तरफ हमारे कदम नहीं बढ़ने पावें। यह बड़े दुःख की बात है। मुझे अपनी पार्टी के लोगों से, राजस्व मन्त्री से कहना पड़ेगा कि उन्होंने भी समाजवाद की तरफ पूरे कदम नहीं बढ़ाये हैं। रेगुलेराइज कर दिये हैं ट्रान्सफर। यह भी गलत है। आज सोच लेना है कांग्रेस को कि कांग्रेस का स्वरूप आज बदल गया है। आज राजस्थान में इण्डिकेट कांग्रेस की पार्टी सत्ता में है। यह परिवर्तन कोई प्रेक्टिकल डिफिकल्टी की वजह से नहीं किया है, बदनीयती से भी नहीं किया है, व्यावहारिक दिक्कतों के कारण भी नहीं किया है। हमें सही मायने में देश में समाजवाद लाना है।

आखिर आपने रेगुलेराइज किया, कुछ रिलेक्सेशन दिया। अगर स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ के प्रतिक्रियावादी सदस्यों, प्रतिक्रियावादी ताकतों के पास हिम्मत होती तो गरीबों का नाम लेकर हमारा विरोध करते, और इस बिना पर कहते कि ट्रान्सफर रेगुलेराइज मत करिये। हम तैयार नहीं है। पर इतनी हिम्मत कहां है ? कहते हैं 59 के हिसाब से लागू कर देते तो यह दिक्कत नहीं आती।

हमें आज समाजवाद लाना है। आज रामानन्द अग्रवाल एक आदमी नजर आते हैं, हो सकता है आगे चल कर 101 नजर आने लगें। अगर समाजवाद आप नहीं लावेंगे, अमीर और गरीब का भेद आप नहीं मिटायेंगे तो गरीब आपसे सत्ता छीनने की कोशिश करेगा। जब वे अपनी बात कहते हैं तो आप हंसते हैं कि गरीब जबरन कब्जा कर लेंगे। मैं कहता हूं समय रहते समाजवाद आप लोग नहीं ला पाये तो वह स्थिति पैदा होने वाली है और दुर्भाग्यपूर्ण होगी वह स्थिति।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : फिर सभी कम्युनिस्ट हो जावेंगे। कांग्रेस मिट जावेगी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो लोग ऊपर आने वाले हैं, दुर्भाग्य की बात होगी उनका ऊपर आना। उनको रोकने के लिये जनतन्त्री तरीकों से समाजवाद लाना है। हमें इन प्रतिक्रियावादी ताकतों से बचा कर राजस्थान को आगे बढ़ाना है।

अब सवाल यह है कि जो संशोधन मैंने रखा है वह प्रोजेक्ट एरिया के लोगों के लिये हमदर्दी पैदा करने वाला है, ऐसा नहीं है। मैं स्पष्टतया निवेदन कर देना चाहता हूं। मेरे मन में यह भावना है कि यह एक्ट बने और कहीं हाई कोर्ट से सेट असाइड न हो जावे। जो सुविधाएं एक हिस्से को प्रदान हों वह सभी को प्राप्त हों। इसी आधार पर मैंने यह संशोधन रखा है। कानून के अन्दर खामी रहना, आगे जाकर परेशानी का बायस होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि सदन इसको मंजूर करेगा। उपाध्यक्ष महोदय, कानून हम बनाना चाहते हैं, खाली कानून से समस्या हल होने वाली

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

नहीं है। अलॉटमेन्ट होते हैं, उनसे यह हल होने वाली नहीं है। आब्जेक्ट सही होना चाहिए। समाजवाद आएगा तो राजस्थान पहली स्टेट होगी जिसमें गरीब और अमीर का फर्क मिटाने के लिए सफल होंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

मन्त्री महोदय।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आश्वासन ट्रान्सफर रिकवरी का दिया है, उनमें केवल नॉन-प्रोजेक्ट एरिया में रिकवरी हैं क्योंकि सेक्शन में यह एडवाण्टेज हैं। जब तक यह संशोधन नहीं किया जाये ! यह भावना सलेक्ट कमेटी में भी आई थी। यह एडवाण्टेज सारे प्रदेश के लिए होना चाहिए। मैं उसी भावना के नाते इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री सुरेन्द्र व्यास ने रखा है, वह स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और नियामक सूत्र स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, प्रस्तावना, नियामक सूत्र आदि स्वीकार किये गये।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान टिनेन्सी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को जैसा कि सदन में संशोधित किया गया है, पारित किया जाये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, नियम 85 के अन्तर्गत है :

'85. When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made the member incharge may at once move that the Bill be passed.

Where a Bill has undergone amendments the motion that the Bill as amended be passed shall not be moved on the same day on which the consideration of the Bill is concluded, unless the Speaker allows the motion to be made."

डिस्क्रिशनरी पॉवर आपको है। पॉवर बहुत ज्यादा दी हुई है। बाकी नियमों की इन्टेंशन और स्प्रिट जो है, उसके हिसाब से अगर बिल में किसी प्रकार से

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अमेंडमेन्ट हुआ है. उस स्थिति में बिल को पास करने का प्रस्ताव उसी दिन नहीं आ सकता है । दो मेजर अमेंडमेंन्ट हुए हैं । रामनारायण जी का स्वीकार हुआ है । नया क्लाज 5 के रूप में जोड़ा है, टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने जो मूव किया । उनका यह पहला भाषण था । हम पेशा हैं, वह भी वकालत करते हैं । उनका संशोधन प्रस्ताव इस बिल की मूल भावना, स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स के खिलाफ जायेगा । वह एडमिट नहीं हो सकता था । सलेक्ट कमेटी में गया नहीं । सलेक्ट कमेटी में यह बिल गया था तो कमेटी में As if section 42-C never existed. इसलिए ट्रांसफर वेलीडेट हुए हैं प्रोजेक्ट एरिया में । मैं तो इसका समर्थन करता हूं । लेकिन माननीय सदस्य ने कहा वेलीडेट कर सकते हैं । मेरे दल के श्री कृष्णकुमार गोयल बोले थे । रामानन्द जी के लगातार विरोध के बावजूद प्रोजेक्ट एरिया में ट्रांसफर वेलीडेट करने का 1955 से की स्वीकार किया है । ट्रांसफर वेलिडेट करने का किया है । सीलिंग 1969 में की है । इस सारे क्लॉज 5 के द्वारा 1955 से किया है । रिट्रास्पैक्टिव इफेक्ट से किया है । आपके रामानन्द जी के शब्दों में आपने प्रगतिशील कदम उठाया है । इसके लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से धन्यवाद देता हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी पार्टी का दृष्टिकोण और कांग्रेस का दृष्टिकोण एक है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कांग्रेस की कथनी और करनी में 100 मील का अन्तर है । नारा समाजवाद का काम पूंजीवाद के ।

मैंने यह विचार रखा था, जो जोते उसको जमीन मिलनी चाहिए । दूसरा कराया संशोधन प्रस्ताव, यह हमारी पार्टी की नीति है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके दल के नेता तो विरोध कर रहे हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जमीन जोते उसकी । बोये उसकी । आप यह लूप होल्स ...

श्री रामानन्द अग्रवाल : सतीश जी आप को मैं जानता हूं । इसलिए मैं चुप रहा हूं । आप के जो नेता हैं वह तो विरोध में बोल रहे थे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फूट डालो और राज करो, आपकी यह नीति है । एक नया क्लाज जो आज ही हाउस में पेश किया गया है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आज नहीं । पहले से ही पेश है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले से पेश है, क्या मतलब ?

श्री रामकिशोर व्यास : सलेक्ट कमेटी में था ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोजेक्ट एरिया में कब माना है ? नियम के अनुसार इस पर विचार नहीं हो सकता है । कल इस पर फिर डिबेट कर लेंगे ।

श्री रामकिशोर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय इस बिल पर 3 दिन अब, एक दिन पहले

(श्री रामकिशोर व्यास)

और 4 दिन सलेक्ट कमेटी में विचार हुआ है। दो क्लाजेज थे। मैं समझता हूं कि सदन की हिस्ट्री में शायद पहला ही मौका होगा कि एक बिल पास करने में 4 दिन सलेक्ट कमेटी में और 4 दिन हाउस में लगे हों। इसके बावजूद यह कहा जाये कि बिल पास नहीं किया जाये तो मेरा अदब से निवेदन है कि यह बिल आज ही पास किया जाये और इस नियम को रिलेक्स किया जाये।

श्री जगन्नाथ (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी का समर्थन कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन कर दिया तो जनतन्त्र को बहुत भारी खतरा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस नियम को रिलेक्स करके इसे पारित करने के प्रस्ताव को प्रस्तुत किये जाने की इजाजत देता हूं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री शंकरलाल : बोलना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर काफी बोल लिये हैं। दिन भर बोल लिये हैं।

(ध्वनि मतदान के पश्चात्)

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया

समाज कल्याण मंत्री जी।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट 1967-68 (सत्रहवीं) पर वाद-विवाद

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : आप इन्ट्रोड्यूज कर दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : पहले हो गया हैं, कई बार हो गया है, कई बार सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रस्ताव लाने दीजिये।

श्री विशम्भरनाथ जोशी (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट, 1967-68 (सत्रहवीं रिपोर्ट) पर, जो दिनांक 8 अप्रेल, 1970 को सदन की मेज पर रखी गई थी और जहां तक उसका राजस्थान से सम्बन्ध है, विचार किया जाये।"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य इस पर बोलें, मेरा इस सम्बन्ध में संशोधन प्रस्ताव है, वह यह है :

इसमें एण्ड में यह शब्द जोड़े जायं : "शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की रिपोर्ट, जो इस हाउस में पेश होती है, के फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन को राजस्थान में देखने की दृष्टि से इस सदन

Page No 130

(श्री सतीशचन्द अग्रवाल)
के पन्द्रह सदस्यों की कमेटी मुकर्रर की जाय।"

जिस प्रकार एस्टीमेट कमेटी होती है, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी होती है, पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी होती है उसी प्रकार से राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की रिपोर्ट के फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन की दृष्टि से और इन जातियों को सुविधाएं देने की दृष्टि से इस हाउस के पन्द्रह सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाय, जो इस रिपोर्ट के आधार पर, इसमें जो रिकमन्डेशन्स हैं, उनका फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन कराने का कार्य करे और अपनी रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करे, जिसको सदन देखता रहे। इसके लिए अध्यक्ष महोदय को अधिकार दे दिया जाय, जो मैंने संशोधन प्रस्ताव पेश किया है, उसके आधार पर सदन अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार दे कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की रिपोर्ट में जो रिकमन्डेशन्स की गई हैं, और जो इन जातियों को सुविधायें देने का प्रश्न है। उनकी देखभाल करने के लिए इस सदन के पन्द्रह सदस्यों की एक समिति अध्यक्ष महोदय नियुक्त करें। इस प्रकार का एक संशोधन प्रस्ताव आपके प्रस्ताव के अंत में जोड़ने के लिए मैंने किया है। मैं इन शब्दों के साथ, इस प्रस्ताव पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता और मैं आशा करता हूं कि जब माननीय सदस्य इस पर विचार व्यक्त करें तो मेरे इस संशोधन प्रस्ताव पर भी विचार करें।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता हूं····

श्री रामानन्द अग्रवाल : जवाब के वक्त दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज!

श्री विशम्बरनाथ जोशी : राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है कि जिस प्रकार केन्द्र में पार्लियामेन्ट की जोइन्ट सलेक्ट कमेटी है, उस की लाइन्स पर यहां पर भी एक सलेक्ट कमेटी का निर्माण इस सदन के द्वारा हो, जिसमें इस सदन के दोनों ओर के माननीय सदस्य हों और सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट के आधार पर इस कमेटी का निर्माण हो और जो टर्म्स एण्ड रेफरेन्सेज केन्द्र की जोइन्ट सलेक्ट कमेटी के हैं, उसी प्रकार इस कमेटी के हों। यह प्रस्ताव विधान सभा को भेजा जा चुका है, स्पीकर महोदय को भेजा जा चुका है दो महीने, तीन महीने पहले भेजा चुका है, आलरेडी भेज दिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रस्ताव में जो मांग की गई है उसको राज्य सरकार मानती है, स्वीकार करती है—यह मान लें?

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, तो हम यह जानना चाहते हैं कि आपने केवल रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिये प्रस्ताव रखा है, इस प्रस्ताव पर संशोधन आया विरोधी पक्ष की ओर से उसमें यह याचना की गई कि इसमें यह संशोधन और जोड़ दिया जाय कि अध्यक्ष महोदय को यह शक्ति सदन के द्वारा प्रदान की जाय कि इस सदन के पन्द्रह सदस्यों की एक सलेक्ट कमेटी बनायें। तो क्या राज्य सरकार इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है? यह प्रश्न है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : स्वीकार करने का प्रश्न क्या है, राज्य सरकार ने तो लिख कर भेज दिया है। उसकी मैंने जानकारी दी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है सरकार ? बहुत छोटा सा प्रश्न है।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : लिख कर भेज दिया है स्पीकर महोदय को।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की ओर से उत्तर दिया जाय तब इसके सम्बन्ध में कह दें।

श्री विशम्बरनाथ जोशी : राज्य सरकार ने अध्यक्ष महोदय को निवेदन किया है कि वर्तमान सत्र में इस कमेटी का चुनाव करने के लिए लम्बी अवधि चाहिए, उतनी अवधि, उतना समय सदन के पास नहीं है, इसलिए जब तक सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट से कमेटी का चुनाव नहीं हो तब तक के लिए इस सम्बन्ध में विचार विमर्श करके कमेटी को मनोनीत कर दें। यह भी अधिकार दिया है।

श्री उपाध्यक्ष महोदय: आर्डर, आर्डर !

श्री जयनारायण सालोदिया : उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट वर्ष 1967-68 पर बहस प्रारम्भ करने के लिए आपने फरमाया, उसके लिए मैं निवेदन कर देना चाहता हूं माननीय सदस्य यहां 11 बजे सुबह से बैठे हैं और अब पांच बज रहे हैं, इसलिए अब कोई टाइम नहीं है कि इस पर बहस शुरू हो....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल करना।

श्री जयनारायण सालोदिया : निवेदन यह है...

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक निवेदन यह है, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य जयनारायण जी को अपनी बात कहने दीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं अपनी तरफ से निवेदन कर रहा हूं कि कई माननीय सदस्यों का यह विचार है कि शादियां हैं, इसलिए कल, परसों और तरसों, 16, 17 और 18, को छुट्टी रखी जाय और 19-20 को इस पर विचार किया जाय पूरी तरह से फ्रेश माइन्ड से तैयारी करके ताकि सारे माननीय सदस्य दो दिन तक इस पर पूरी बहस कर सकें। आज बहस शुरू हो और दो दिन छुट्टी रहे, तो बहस का तारतम्य टूट जायगा। मैं प्रार्थना करता हूं, उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों का विचार है कि शादियां बहुत हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझ गया ! माननीय सदस्यों की क्या राय है, 16 तारीख को बैठक हो...

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हो !

श्री देवीदत्त गाड़िया : कल छुट्टी हो। बैठक नहीं हो।

कई माननीय सदस्य : नहीं हो। नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : व्हिप महोदय कांग्रेस दल !

श्री शंकरलाल : शादियां बहुत हैं, इसलिए छुट्टी हो।

श्री बालसिंह सोढ़ा : आप स्वयं विचार कर लीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : फेमिन के बारे में भी विचार करना है···

श्री देवीदत्त गाड़िया: रामनारायण जी बोल रहे हैं उधर से।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : फेमिन के बारे में भी डिस्कस करना है···

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : हो जायगा। दुबारा सत्र काल कर लेना।

श्री शंकरलाल : छुट्टी होनी चाहिए। शादियां बहुत हैं। सब लोग जाना चाहते हैं। शादियां बहुत हैं। इसलिए कल और परसों की छुट्टी होनी चाहिए। बैठक कल नहीं बुलाई जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कल बैठक होनी चाहिए क्योंकि टाइम नहीं है। दो दिन दिये गये हैं इस रिपोर्ट पर···

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप स्वयं देख लीजिये।

श्री जयनारायण सालोदिया : सदस्यों की यह भावना है और यह निवेदन किया है कि शादियां बहुत हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बहुत से माननीय सदस्य वंचित रह जायेंगे बहस से।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : राजस्थान विधान सभा में देखा जाता है कि सत्र के··

श्री आईदानसिंह : फेमिन को लेना···

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सत्र के एण्ड में इस रिपोर्ट को लिया जाता है···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : विरोधी दल को ऐतराज नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी को पूछ लीजिये। चाहें तो कल बैठें। हम बैठने को तैयार हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 19 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5 बज कर 28 मिनट पर मंगलवार, दिनांक 19 मई, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 102 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची)

(1) श्री एन० एल० नारायण ने समिति के उपनियमों की पूर्ण रूप से अवहेलना की है।

(2) उन्होंने समिति के मण्डी खटीकान स्थित कार्यालय को इस नियत से स्वयं के निवासस्थान पर स्थानान्तरित कर लिया कि वे सीधे व्यापार का लाभ लेकर समिति के नाम प्राप्त आर्डर्स के आधार पर व्यक्तिगत रूप से व्यापार चला सकें।

(3) अपने गैर कानूनी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु डा० नारायण एक ऐसे व्यापारी को लाये जिसका समिति से कोई सरोकार नहीं था।

(4) डा० नारायण की कार्यवाहियां अवांछनीय हैं एवं स्वयं के स्वार्थ सिद्धि के लिए की जा रही हैं अतः वे स्वयं समिति को हानि पहुंचाने के जुम्मेवार हैं।

(5) अतः इस बारे में विस्तत जांच करवाई जावे एवं सम्बन्धित सभी कागजात जब्त किये जावें।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 103 के भाग (1) में निर्दिष्ट आदेश की प्रति)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

FINANCE DEPARTMENT (A) RULES

ORDER

Dated, Jaipur, the 6th Dec. 1961 No.F.1 (51) FD-A/Rules/61-I,

Sub:—Grant of Selection Grades of Pay to low paid employees.

The Government have decided to prescribe selection grades of pay for categories of posts of which the maximum pay plus Dearness Allowance does not exceed Rs. 335/-. The Rules to give effect to the aforesaid decision will issue in due course. In this connection the undersigned is directed to convey the following decisions of the Government:—

(a) Ten per cent of the employees holding posts of the same category to which appointments are made by a single appointing authority as laid down under Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1959, shall be eligible for drawing pay in the Selection grade. For five or less posts of the same category under an appointment authority pay in the selection grade will not be given to any person. However, in such cases the posts under different appointment authorities may be pooled under the concerned Head of Department for deremining the admissibility of pay in the selection grade to ten per cent of the pooled posts. For six or more than ten posts, one person shall be eligible for pay in the selection grade.

(b) The number of persons eligible for drawing pay in the selection grade shall be determined on the basis of number of sanctioned posts as on 1-9-1961. Permanent or temporary posts will be considered separately for

determining number of persons eligible for drawing pay in the selection grade.

(c) Subject to aforesaid provisions, the appointing authority will be competent to grant pay in the selection grade to a Government servant.

2. The undersigned is further directed to convey orders of the Governor to the adoption of the following principles regarding admissibility of pay in the selection grades:—

(a) A Government servant shall be eligible to draw pay in the selection grade if he has put in:—

(i) Total service of 15 years under Government including temporary service and service in different spells but excluding the actual periods of breaks in services.

(ii) 5 years continuous service on the post on which pay in the selection grade is to be allowed.

Note:— Service for the purpose of this paragraph also includes service not rendered under Government but which, under existing orders, qualifies for pension. It does not include service in a post paid from contingencies or in a post on work-charged establishment.

(b) Grant of pay in the selection grade shall be considered as promotion in terms of Finance Department order No. F.1(20) FD/R/61, dated 7-8-1961.

(c) Grant of pay in the selection grade will be strictly on the basis of seniority, but it will not be admissible to a Government servant during the financial year in which he has been punished for misconduct either under the Rajasthan Classification, Control and Appeal Rules or any other disciplinary rules applicable to him.

3. The undersigned is further directed to say that for purpose of promotion to the next higher post a person drawing pay in the selection grade will not be considered senior to a person drawing pay in the ordinary time scale, i. e., seniority of a person drawing pay in the selection grade vis-a-vis a person in the ordinary time scale shall remain unchanged.

By Order of the Governor,
Sd/-M.Mukerji,
Secretary to Government.

Copy forwarded to:—

1. All Secretaries to Government.
2. All Private Secretaries to Ministers and Dy. Ministers.
3. All Sections of the Secretariat.
4. All Heads of Departments.
5. Codification Section (O.&M.) with 2 spare copies.
6. Accountant General, Rajasthan, Jaipur (150 copies).

Copy also to the:-

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.
2. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
3. Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur-

Sd/R. L. Maini,
Accounts Officer.

Page No 137

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 110 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

सूची नं० 1

तहसीलवाइज कृषकों को पास बुक वितरित की गई उसकी सूची

क्र० सं०	जिला	तहसील	वितरित की गई पास बुक
1	2	3	4
1.	अलवर	अलवर	800
		बानसूर	1600
		बहरोड़	1200
		मुंडावर	500
		लक्ष्मणगढ़	400
		राजगढ़	500
			योग : 5000
2.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	110
		मांडल	110
		बनेड़ा	110
		शाहदरा	110
		रायपुर	110
		मांडलगढ़	110
		कोटरी	110
		शाहपुरा	110
		जहाजपुर	110
		हुरड़ा	110
		आसींद	110
			योग : 1210
8.	बीकानेर	बीकानेर	150
		कोलायत	160
			योग : 310
4,	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	206
		गंगरार	31
		कपासन	86
		रासमी	130
		बेगूं	327

1	2	3	4
		प्रतापगढ़	449
		निम्बाहेड़ा	220
		मदेसर	164
		डूंगल	157
		बड़ीसादड़ी	48
		छोटीसादड़ी	69
		डूंगला	157
		योग :	1887
5.	चूरू	सरदारशहर	268
		तारानगर	13
		योग :	281
6.	डूंगरपुर	डूंगरपुर	25
		सागवाड़ा	50
		आसपुर	35
		योग :	110
7.	गंगानगर	गंगानगर	418
		पदमपुर	750
		करणपुर	550
		रायसिंहपुर	50
		हनुमानगढ़	360
		—	450
		योग :	2578
8.	जयपुर	जयपुर	103
		सांगानेर	253
		बस्सी	408
		दौसा	235
		लालसोट	117
		बसवा	41
		सिकराय	198
		फागी	4
		कोटपूतली	300
		बैराठ	500

1	2	3	4
		आमेर	1087
		जमवारामगढ़	180
			योग : 3428
9.	जालोर	जालोर	560
		आहोर	55
		भीनमाल	570
		सांचोर	79
			योग : 1264
10.	झालावाड़	झालरापाटन	180
		पिडावा	130
		गंगधार	205
		पचपहाड़	130
		अकलेरा	100
		खानपुर	130
			योग : 875
11.	झुंझुनूं	झुंझुनूं	50
		चिड़ावा	28
		खेतड़ी	143
		उदयपुरवाटी	166
			योग : 387
12.	जोधपुर	ओसिया	50
		फलोदी	21
		बिलाड़ा	75
			योग : 146
13.	नागौर	नागौर	175
		जायल	162
		लाडनूं	3
		डीडवाना	400
		नांवा	317
		परबतसर	314

1	2	3	4
		डेगाना	16
		मेड़ता	400
			योग : 1787
14.	पाली	बाली	6
		देसूरी	28
		खारची	40
		सोजत	55
		रायपुर	50
		जैतारण	50
			योग : 229
15.	सवाईमाधोपुर	सवाईमाधोपुर	486
		खंडार	450
		बौंली	370
		गंगापुर	100
		बामनवास	100
		नादौती	100
		हिन्डौन	134
		महुवा	500
		टोडाभीम	50
			योग : 2290
16.	सीकर	दांतारामगढ़	438
		सीकर	300
		नीमकाथाना	50
		श्रीमाधोपुर	49
			योग : 837
17.	सिरोही	सिरोही	42
		रेवदर	312
		शिवगंज	25
		आबूरोड	292
		पिंड़वाड़ा	278
			योग : 949

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 127 के भाग (3) में निर्दिष्ट आदेशों की प्रतिलिपियां)

OFFICE OF THE COLLECTOR, NAGAUR

No. Rev.//0/1. Dated 1st January, 1970.

I enclose herewith an application in original from Sarvshri Gulab Singh and Ugam Singh, residents of village Bemoth, Tehsil Didwana. If I remember correctly I endorsed an application in original sometime back from certain other residents of the same village for utilisation of water of well in dispute for irrigation purposes if it was so recorded in revenue records. It was specifically directed that first priority was to be given to drinking water supply of the village and if any excess water was left it should be utilised for irrigation purposes if they had been utilising the water. It has now been reported that drinking water supply has been completely stopped and the whole water is being diverted for irrigation purposes. You will perhaps appreciate that essential requirements are to be met first and if anybody has any right of use of well it can be exercised only after meeting such requirements. You may, therefore, kindly examine the whole issue and also go into mertis of the case as well as find out whether any legal proceedings are going on or not. Steps should be so taken as to avoid any breach of peace. Apparently there should be no objection in exercise of one's right but it should not mean debarring the people of that village from drinking water. It has also to be ascertained whether such right has been exercised in the past continuously. A report may be furnished early.

Encl:- Application be returned with the enquiry report.

Sd/-Brijendra Singh,
Collector, Nagaur.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
COLLECTOR, NAGAUR

No. F. 40 (2) Judl./21 Dated 2-1-1970.

From:

The Collector, Nagaur.

To:

The Superintendent of Police, Nagaur,

Sub:- Water dispute in village Bemoth, Tehsil Didwana.

I enclose herewith a report from Tehsildar Didwana regarding dispute of right of lifting of water from a well situated in village Bemoth Tehsil Didwana. This dispute has assumed wider dimension and both the parties namely the tenant who had been exercising a right to use water for irrigation purposes and the villagers who have a right to use water for drinking purposes are adament to come to a place if one is denied the right by the other. The Tehsildar tried to solve the dispute but he failed. The matter was referred by him to the Police but apparently they could not meet much headway for a lack of force.

This is dispute of right of use of a property. It may be in interest of maintaining law and order if the Police proceed under some legal provisions with a view to take preventive measures for avoiding any breach af peace. If there is a fit case for proceeding under sec. 147 Cr. P. C. or any relevant provision like 145 of Cr. P. C. Care may be taken that necessary permission after attachment is given to permit the villagers to have water for drinking purposes and to utilise the water for irrigation purposes after any payment by the later. If the water is in excess of the drinking water requirements. Since there is no S. D. M. at Didwana proceedings have to be taken by the Police at its own initiative and the matter may be put up before the competent court in absence of S D.M. Didwana.

This may be treated as IMMEDIATE.

Sd/- Brijendra Singh,
Collector, Nagaur.

Page No 143

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 130 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

तहसील बारां के ग्राम डूंगरा की भूमि की सूची ।

किस्म भूमि	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	
		बीघा	बिस्वा
चारागाह	1	2	12
	38	3	10
	71	3	13
	108	5	9
	123	10	17
	234	1	4
	250	13	5
	271	4	19
	277	1	6
	278	7	14
	318	12	3
	320	25	19
	321	—	19
	329	25	—
	331	7	16
	332	50	12
	333	23	6
	336	24	9
	348	9	2
	341	2	16
	344	3	17
	363	—	15
	364	1	17
	365	5	17
		246	15
तालाब	116	183	18
		183	18
तलाई	53	—	5
	112	4	9
	167	—	13
	123	—	17
	262	4	15
	274	—	16
	316	2	16
	318	2	2
	360	3	10
		27	3

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के भाग (1) में निर्दिष्ट तालिका)

तालिका 'अ'

भू-प्रबन्धक विभाग में मैट्रिक प्रणाली के सर्वे यन्त्रों की खरीद की सूची । खरीद की वित्तीय वर्ष 1968-69 में की गई

	फर्म का नाम	सर्वे यन्त्रों का नाम	दिनाक 31-3-69 सप्लाई हुआ उसका विवरण		दिनांक 31-3-69 के बाद सप्लाई हुआ उसका विवरण	
			तादाद	राशि	तादाद	राशि
	1	2	3	4	5	6
1)	मैसर्स अनछोर ट्रेडिंग कारपोरेशन, रुड़की ।	फ्रीमैंस स्टील टेप्स	300	10,490.55	—	—
2)	" "	प्लास्टिक गुनिया	3050	1,099.53	—	—
3)	मैसर्स जय प्रोडक्टस, सवाईमानसिंह हाईवे जयपुर ।	सील पीतल की	1000	30,495.00	1000	30,495.00
4)	मैसर्स राजीव इलेक्ट्रो इन्स्ट्रूमेंट्स, दिल्ली-7 (कमला नगर)	,,	50	1467.75	500	14,677.50
5)	मैसर्स जय प्रोडक्ट्स, सवाई मानसिंह हाईवे जयपुर ।	प्रपोशनल कम्पास	129	2,55.35	26	514.67
6)	मैसर्स अलाइड ड्राइंग वर्क्स, रामपुरा रोड, रुड़की	,,	200	4326.00	—	—
7)	मैसर्स आर. डी. धीमन एण्ड सन्स, रुड़की ।	पिवानी मीटर	100	9785.00	—	—
8)	मैसर्स नवभारत ट्रेडर्स, गोपालजी का रास्ता, जयपुर ।	,,	—	—	800	61,632.00

	1	2	3	4	5	6
9)	मैसर्स राजीव इलेक्ट्रो इन्स्ट्रूमैंट्स, कमला नगर दिल्ली-7	प्लान टेबल	900	66,744.00	850	63,036.00
10)	,, ,, ,,	लोहे की जरीब	800	20,517.60	2250	57,705.75
11)	मैसर्स नेशनल इन्स्ट्रूमैंट्स लिमिटेड, जादवपुर, कलकत्ता-32	पेन्टोग्राफ मशीन	55	28,121.16	—	—
12)	मैसर्स मलाइड ड्राइंग वर्क्स, रामपुरा रोड रुड़की।	ग्रास स्केल	3050	7,330.16	—	—
13)	,, ,,	सेमीसरकल प्लास्टिक के	55	99.14	—	—
14)	,, ,,	सेट्सइन्स्क्वायर	110	226.60	—	—
15)	मैसर्स बी. ए. ए. एण्ड सन्स, सिविल होस्पिटल रोड, रुड़की	कंघियें	—	—	3050	22,110.50
16)	मैसर्स मासटन इन्सट्रूमैंट्स, रेलवे रोड, रुड़की	प्रोपस क्रास स्टाफ	—	—	225	8032.50
				1,83,256.04		258203-92

नोट:—खाना नम्बर 4 व 6 की राशि का योग 4,41,459.96

बैंक कमीशन की छूट 28.10

मुतफर्रिक खर्चा खरीद पर कुल खर्चा 838.06

4,42,326.12

तालिका 'ब'

नाम फर्म जिसको राशि का भुगतान किया गया	भुगतान की किस्म	भुगतान की तारीख	राशि जो भुगतान की गई
1. मैसर्स प्रनख्रार ट्रेडिंग कारपोरेशन, रुड़की	नकद	26-3-69	10,490.55
,, ,,	नकद	26-3-69	1,099.53
2. मैसर्स आर०डी०धीमन एण्ड सन्स रुड़की	नकद	29-3-69	2,446.25
,, ,,	नकद	31-3-69	3,914.00
,, ,,	डिमान्ड ड्राफ्ट	4-4-69	3,4-4.75
3. मैसर्स जय प्रोडक्ट्स, सवाई मानसिंह हाईवे, जयपुर	नकद	29-3-69	17,186.34
,, ,,	नकद	31-3-69	15,862.21
,, ,,	डिमान्ड ड्राफ्ट	16-4-69	31-C05.67
4. मैसर्स राजीव इलैक्ट्रो इन्सट्रूमेंटेशन, देहली	नकद	31-3-69	16,299.75
,, ,,	,,	31-3-69	10,258.80
,, ,,	,,	31-3-69	47 338.80
,, ,,	,,	31-3-69	14,832.00
,, ,,	डिमान्ड ड्राफ्ट	10-4-69	57,705.75
,, ,,	,,	17-4-69	74 005.50
,, ,,	,,	25-4-69	3,708.00
5. मैसर्स अलाइड ड्राइंग वर्क्स, रुड़की	,,	5-4-69	11,981.90
6. ,, बी. ए. ए. एण्ड सन्स, रुड़की	,,	11-4-69	22,110.50
7. ,, दी नेशनल इन्सट्रूमेंटस लि० कलकत्ता-32	,,	11-4-69	28,121.16
8. मैसर्स प्रस्तीन इन्सट्रूमेंटस, रुड़की	,,	17-4-69	8,032.52
9. ,, नवभारत ट्रेडर्स, जयपुर	,,	19-5-69	15,408.00
,, ,,	,,	29-4-69	46,224.00
		योग	4,41,459.96

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 137 के भाग (2) में निर्दिष्ट सूची)

उदयपुर केन्द्र पर किराये पर लिये गये भंडारों का विवरण निम्न प्रकार है:—

सं०	भंडार नम्बर	नाम व्यक्ति जिससे किराये लिया गया	किराये पर लेने की तिथि	माहवारी किराये की रकम	भंडार के वास्तविक मालिक का नाम
1	51	भगवती प्राइस मील	18-4-63	10/-	श्री बलवीरसिंह नारायणसिंह, बोरड़ा हाउस
2	58	मदनगोपाल एण्ड कम्पनी	22-4-68	12/-	श्री नारायण तेली
3	80	मदनगोपाल एण्ड कम्पनी	23-7-68	4/-	श्री उमाशंकर पुत्र श्री शिवशंकर राजपूत श्री नरेत
4	104	मदनगोपाल एण्ड कम्पनी	23-?-68	30/-	हिजहाइनेस, उदयपुर
5	77	मदनगोपाल एण्ड कम्पनी	11-7-68	5/-	मदनगोपाल एण्ड कम्पनी
6	108	मदनगोपाल एण्ड कम्पनी	23-12-67	5/-	श्रीलाभ सुमलाल श्री रणजीतलाल मैरोडिला कालीवाडी, उदयपुर
7	110	मदनगोपाल एण्ड कम्पनी	3-2-68	20/-	श्री हबीब शाहखान पुत्र श्री विलायतखान पठान, भोपालबाड़ी
8	123	मदनगोपाल एण्ड कम्पनी	31-1-68	3/-	श्रीलाभ शुभलाल पुत्र श्री रणजीत लाल
9	126	मदनगोपाल एण्ड कम्पनी	5-2-68	4/-	श्री मोहनलाल पुत्र श्री केसरीराम महेश्वरी

परिशिष्ट 8

(तारांकित प्रश्न संख्या 105 की सूची)

परिशिष्ट (क)

क्र० सं०	नाम आवंटती	निवासी	आवंटित दिनांक	क्षेत्र जो आवंटन किया गया	
1	2	3	4	5	
				बीघा	बिसवा
1.	श्री बन्सीधर पुत्र जगन्नाथ प्रसाद शर्मा	अमतपुरा तह० आमेर	11-6-58	15	00
2.	श्री जगदीशप्रसाद पुत्र शम्भूदयाल शर्मा	अमरसर तह० बैराठ	3-11-58	5	00
3.	श्री रामचन्द्र पुत्र किशन सहाय तैंरवा	चौ० तोपखाना देश जयपुर	3-11-58	10	03
4.	श्री हीरालाल पुत्र शो चन्द बुनकर	अमरसर तह० बैराठ	9-9-58	15	00
5.	श्री मांगीलाल पुत्र काना राम बलाई	,,	,,	15	00
6.	श्री चन्द्रदत्त पुत्र काना राम बलाई	,,	,,	15	00
7.	श्री रूड़मल पुत्र कानाराम बलाई	बासा तह० आमेर	9-9-58	15	00
8.	श्री सत्यनारायण पुत्र मुया लाल बुनकर	अमरसर तह० बैराठ	,,	15	00

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 15 मई, 1970)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
5 अन्तिम से	10	आडर	आर्डर
6	2	म	में
8	14	थान	थाना
8	15	प्राथना	प्रार्थना
11	3	ह	हों
24	8	मलचन्द	मूलचन्द
39	शीर्ष	हरदेव	हरिदेव
39	10	हरदेव	हरिदेव
49	17	—	115
50 अन्तिम से	3	का	की
51 ,,	4	थ	थे
65 ,,	1	निम्नलिखि	निम्नलिखित
96 ,,	8	इध	इधर
103	शीर्षक	याचिका का उपस्थापन	स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था
120	8	ता	तो
131	5	का	की
133	13	Raj-	Raja-
143	3	छुट	छूट
155	7	ट्यूशन्स	ट्यूशन्स
161 अन्तिम से	13	स य	समय
165 ,,	18	उदहारण	उदाहरण
165 ,,	15	एक्जम्पशन	एकजाम्पल
167 ,,	1	अरो	और
169	10	सव	सब
169 अन्तिम से	6	पंचाली	पंचोली

1	2	3	4
171 अन्तिम से	1	उपायक्ष	उपाध्यक्ष
175	7	आचड	अग्चड
182	5	आ	आप
182	10	इ	इसे
189	12	अवे	जावे
189	21	हना	होना
191	20	ता	तो
192	5	आधर	आधार
192 अन्तिम से	4	हथ	हाथ
194 ,,	11	अलन	अलग
195	1	सोधन	संशोधन
195 अन्तिम से	4	कह	यह
202	18	छटों	छूटों
215	8	महनत	महनत
219	8	वला	वाला
227	10	फाम	फार्म
230	6	कज,	कज
230 अन्तिम से	13	लखों	लाखों
230 ,,	12	जा	जो
233 ,,	11	म	में
235 ,,	2	भा	भी
236	6	विश्नाई	विश्नोई
239	3	coperative	cooperative
224 अन्तिम से	2	कमटी	कमेटी
246 ,,	14	जा	जो
249 ,,	15	ह	है
253	1	ह	वह
253	7	अनपस्थित	अनुपस्थित
254	11	क	का
266 अन्तिम से	9	deremin	determin
271 ,,	15	अवलेरा	अकलेरा